(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का 57वां दिवस [संख्या : 10

सोमवार,

17 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग

माननीय सदस्यों का निलम्बन एवं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (उप नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्नकाल शुरू करें, इससे पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)... मैं सदन का लम्बा समय बर्बाद नहीं करूंगा, संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, अगर आप सुनना पसंद करेंगे.. ....(व्यवधान) ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : हम जरूर सुनना पसंद करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि आपको बहुत पुराना अनुभव है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक मिनट, बात तो सुन लीजिए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और आपने इस सदन में बहुत लम्बा समय निकाला है। हम यह चाहते हैं कि हम जो नये लोग आये हैं, कुछ सीखें....(व्यवधान) ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसी अनुभव के आधार पर मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रश्नकाल का अपना महत्व है, आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनाएं ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं बनाऊंगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सुनिये, मेरा आपसे निवेदन है कि यह प्रश्नकाल हो जाने दें । इसके बाद अपन बात कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब भी यह प्रश्नकाल ही है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कहीं न कहीं कोई मर्यादा का (व्यवधान) ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इतने में तो मैं अपनी बात पूरी कर लेता ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : करोड़ों रुपये सरकार इसमें लगाती है ।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात कर लें (व्यवधान) ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दो मिनट में बात कर लूंगा (व्यवधान) ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : करोड़ों रुपये खा गये (व्यवधान) ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्यों का यह विशेषाधिकार है...(व्यवधान)

②

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

... कि यह प्रश्नकाल चले, कितनी तैयारी करते हैं (व्यवधान)।

श्री रामनारायण मीणा : ये+ ++ हमें बोलने नहीं देते।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सचेतक महोदय, आप तो बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं .. (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, पूरे छह महीने तक माननीय सदस्य तैयारी करते हैं कि हमारे सवाल हम बनाएं, हमारे सवाल आएं और हम राजस्थान की जनता के सवालों को विधान सभा में रखें। यह कांग्रेस के माननीय सदस्य भी चाहते हैं (व्यवधान)।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हम भी यही चाहते हैं (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसलिए मेरा आपसे करबद्ध, आपके चरणों में निवेदन है कि आप कृपया इस प्रश्नकाल को चलने दें और उसके बाद आप अपनी बात कहें। हम आपको शान्ति से सुनेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : रुकावट तो आप कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात को, बिना किसी व्यवधान के संक्षेप में मैं अपनी बात को दो मिनट में कहना चाहता हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्नकाल लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बुजुर्गियत का ख्याल रखें। बिराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : हमारे उप नेता महोदय जब बोलते हैं तो खड़े हो जाते हैं (व्यवधान)।

श्री रामप्रताप कासनियां : सेम की समस्या इन्होंने खड़ी की है, उस पर बोलना चाहिये। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिपक्ष के माननीय (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, कृपया आप बिराजें (व्यवधान) आप फरमाएं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय का .. (व्यवधान)।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के कारण हनुमानगढ़ जिला सेम से तबाह हो गया है। यहां तक कि हमारे बच्चों के रिश्ते भी नहीं होते। यह हालत कर दी। बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) आप कहने दीजिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं प्रश्नकाल को बर्बाद नहीं करूंगा, संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं. आप धैर्य से सुनिये (व्यवधान)।

श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परिपाटी .. (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर (व्यवधान) मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है (व्यवधान)।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : काहे का पाइंट आफ आर्डर हो गया. (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्नकाल में क्या पाईंट आफ आर्डर हो गया (व्यवधान) बैठ जाइये आप।

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्नकाल में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता, आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रश्नकाल में भाषण भी नहीं होता है (व्यवधान)।

श्री रामस्वरूप मीणा : बैठ जाइये आप। जबरदस्ती खड़े हो जाते हो बीच-बीच में (व्यवधान) उप नेता महोदय खड़े हैं (व्यवधान) बैठ जाइये। अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दो मिनट मेरी बात सुनो तो सही, मैं क्या चाहता हूं (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि लोकसभा और विधान सभा की परम्पराओं में (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, कृपया बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय से यह जानना चाहता हूं कि .. (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये। आप बोलने दीजिये, कोई बात आ रही है.... (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरी जानकारी में नहीं है कि विधान सभा और लोकसभा में (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : शक्तावत साहब, आप फरमाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब भी प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं, तब इनको व्यवधान नहीं डालना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप फरमाएं, आप फरमाएं तो सही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाउस के अन्दर जब भी नेता खड़े होते हैं तो हम उनको हमेशा शांति से सुनते हैं। इनका भी दायित्व है कि प्रतिपक्ष को ये शांतिपूर्वक सुनें।

श्री अध्यक्ष : कृपया शक्तावत साहब को सुनें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब मुख्य सचेतक खड़े होते हैं तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और माननीय सदस्य बीच में कोई व्यवधान नहीं डालते।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय सचेतक महोदय, मुझे आसन से इजाजत

(५)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

मिली है, दो मिनट बोलने दीजिये (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता महोदय पर मेरी बहुत श्रद्धा है पर मैं यह चाहता हूं कि यह सदन नियमों से और परम्पराओं से चले। हम कोई इस प्रकार की परम्पराएं नहीं डालें। मुझे आप बताइये कि विधान सभा में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शक्तावत साहब।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा काम हो रहा है।....(व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : लगातार 5 दिन तक बिना प्रश्नकाल शुरू हुए....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट आपको बात कहने दें।... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वे कोई बहिष्कार भी करते हैं, कोई और भी बात होती है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए लेकिन लगातार....

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष का आदेश मानें, यह पहला नियम है। उसका ही आप उल्लंघन करें। यह पहला नियम है कि अध्यक्ष के आदेश को मानिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : लगातार सदन की अवमानना की जा रही है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : +++ अध्यक्ष महोदय की आज्ञा के बिना बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : शक्तावत साहब को बोलने दें।... (व्यवधान) आप कृपया शांति बनाए रखें, शक्तावत साहब को अपनी बात कहने दें।

श्री रामेश्वर लाल भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की ओर से हमेशा प्रश्नकाल को नहीं चलने का तय कर लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, रामेश्वरलाल जी कृपया बिराजिये।

श्री रामेश्वर लाल भाटी : प्रतिपक्ष की ओर से इस प्रकार का प्रयत्न रहे कि इस विधान सभा में जनता की ओर से जो आप समस्याओं को लेकर आये हैं, उन पर विस्तार से चर्चा हो। अभी तक सदन को आप यह भी नहीं समझा पाये हैं कि किस विषय पर बोलना चाहते हैं, किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, कृपया बिराजिये ।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : उचित तो यह रहेगा कि हमेशा आप प्रश्नकाल के पूर्व चर्चा करना चाहते हैं, आप सत्तापक्ष की ओर से भी कुछ सुनने की हिम्मत करें ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही इन्हें कहिये, माननीय नेता महोदय को बोलने का मौका दें । सदन की परम्परा का निर्वहन करवाएं ।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : सदन के लिए निश्चित नियम बने हुए हैं और नियमों के अनुसार सदन को चलाने की प्रक्रिया में प्रतिपक्ष को (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसके अलावा कोई चर्चा करनी है तो अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में बैठ करके की जा सकती है । प्रश्नकाल ढंग से चले, ऐसी व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय भाटीजी, बिराजिये आप ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने जो चिन्ता प्रकट की है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, यह क्या बार-बार खड़े हो रहे हैं । एक बार बोलने दीजिए । आपको दो मिनट बोलना हैं, बोलने दें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस चिन्ता में मैं भी अपनी चिन्ता को शामिल करता हूं । सवाल यह है कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया इनको बोलने दें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सवाल यह है कि जो गतिरोध इस सदन में पैदा हुआ है, उसके समाधान के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक महोदय ने एक भाषण दिया और कहा कि सदन में नहीं, सदन के बाहर भी, पत्र के माध्यम से भी माफी मांग लें तो हम माफ करने को तैयार हैं । ठीक है, उसके विपरीत अजमेर में सदन के नेता और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर निलम्बन वापस नहीं लेना चाहते हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना माफी मांगे ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तो आगे मैंने नहीं पढ़ा । (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : (राज्य मंत्री, यातायात) : प्रेस में मिस-प्रिंटिंग हो गया ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, ठीक बात है, रोहिताश्वजी, आप प्रेस के इंचार्ज बन जाएं, उसको ठीक कर दें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन जो कुछ पढ़ा, उससे आगे मैं कोई बात नहीं कहूंगा ।

मुख्य सचेतक का एक प्रस्ताव, सदन के नेता का दूसरा प्रस्ताव, उप मुख्य मंत्री जी का तीसरा प्रस्ताव....

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक ही हैं तीनों ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सुनिये, हिम्मत करिये । जरा हिम्मत रखिये, मैं यह चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य : हमारी तो लोकतांत्रिक पार्टी है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, आप तो घोर अलोकतांत्रिक हैं और इसी का नाम है तानाशाही रवैया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने ही तो कहा, आपने तो खुद ने कहा था कि मैं गोपीचन्द जी के प्रस्ताव पर....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने कभी सदन में यह बात नहीं कही ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने यहां कही और उसके बाद आप ही मुकर गये ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब आप अपनी बात कह लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय ने भी जब जब मुझे और हमारी पार्टी के तथा दूसरे दलों के नेताओं को बुलाया, हमने हमेशा इस बात की कोशिश की कि गतिरोध को समाप्त किया जाए, बिना हठधर्मी के समाप्त किया जाए और रास्ता निकाला जाए । आप संख्या में कुछ ज्यादा हो सकते हैं लेकिन हम भी आखिर एक बहुत बड़ी संख्या लेकर के यहां बैठे हैं जो राजस्थान की जनता की समस्याओं को यहां रखना चाहते हैं । हमारी यह मंशा नहीं है लेकिन बातचीत का तरीका सम्मानजनक होना चाहिये । सरकारी मुख्य सचेतक महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा था कि एक लाइन के प्रस्ताव में 4 आदमियों को निर्दोष और एक आदमी को दोषी मानते हो आप । मैंने निवेदन किया था, गृह मंत्रीजी को भी मैंने कहा था कि एक एफ.आई.आर. में 5 मुलजिम होते हैं, 4 निर्दोष, एक ही भाषा, एक ही धारा. तो एक को आप कहते हो हमारी पार्टी का मामला है । यह पार्टी का मामला नहीं है । यह प्रस्ताव सदन का है और जब कोई चीज सदन में आती है तो यह सदन का मामला बन जाता है । इसलिए कोई पार्टी और पार्टी नहीं का प्रश्न नहीं है । हमारी अब भी विनम्र प्रार्थना है कि आप दुराग्रह को छोड़ें, आप हठधर्मी को छोड़ें और मैरिट पर फैसला करें । बातचीत में आप स्वीकार करते हैं, धनखड़ का कोई कसूर नहीं है, फिर धनखड़ को क्यों निकाल दिया । कोई मैरिट तो हो, कोई बात तो हो, कोई सिद्धान्त तो लागू हो । इन सिद्धान्तहीन बातों के कारण ही विवाद खड़ा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे भी अनुरोध किया, रूल 292 को कोट किया । आपको भी मजबूर कर दिया. सीमा लांघने के लिए । आपकी विवशता थी । (व्यवधान) प्रस्ताव ले आओ, मान लिया । मैं यह कह नहीं रहा हूं । आप प्रस्ताव लाये हो मान लिया । आपका प्रस्ताव नहीं होता तो शायद यह.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां लाये हैं न प्रस्ताव । आप मुझे बताइये कि.... (व्यवधान) ...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 292 के खिलाफ ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 292 का जो प्रस्ताव है, वह 292 अध्यक्ष को अधिकार है । बिना प्रस्ताव के अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बार-बार खड़े हो रहे हैं, रूल्स को... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार है कि बिना

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रस्ताव के वे सदस्य की सदस्यता निलम्बित कर सकते हैं। जबकि हमने यह प्रस्ताव, हमारे प्रस्ताव पर हुआ। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक बात, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पार्टी के चीफ व्हिप अगर रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ? आप मेहरबानी करके (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने रूल्स पढ़े हैं क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप शांति से सुन लीजिये। आप शांति से सुन लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या है यह 292 ? क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको कोई भी एतराज हो तो आप निश्चित तौर से कहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 292 क्या है ? आप मेरे को यह बताओ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 292 पढ़ लीजिये और फिर बता दीजिये, मेरी गलती हो, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। पढ़ लीजिये, थोड़ा कष्ट कीजिये, 292 (2).

अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के नेता चन्दनमलजी भी जब बोलने को खड़े हुए, उन्होंने भी धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक कुछ बात कहनी चाही तब भी हमको बोलने का अवसर नहीं दिया। आज भी जब मैं खड़ा हुआ तो बोलने का अवसर सत्ता पक्ष के लोग नहीं देना चाहते हैं। यह तो आपकी सदाशयता है कि आप हमको समय दे रहे हैं लेकिन यह क्या तरीका है ? सुनो तो सही हमारी बात क्या है। हम क्या कहना चाहते हैं। हम गतिरोध को कैसे दूर करना चाहते हैं, कोई बात तो हमारी सुन जाए। लेकिन केवल नहीं बोलने देने का, नहीं बोलने का प्रयास करने का सारा का सारा वातावरण बनाया जाता है और ऐसा लगता है कि सदन के नेता अभी मौजूद नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कुछ अजमेर में कहा, उस पर टिके हुए हैं तो फिर उसका मतलब यह है कि एक-पक्षीय दिमाग बना रखा है। चाहे किसी की गलती हो, चाहे गलती नहीं हो। निष्कासन रद्द नहीं करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि . (व्यवधान)....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बाद में बता देना।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, हम इनकी मेहरबानी से यहां चुन कर नहीं आये हैं, अपने बलबूते से चुनकर आये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : न तो मैं आपकी मेहरबानी से आया हूं। मैं आपकी मेहरबानी से नहीं आया हूं। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सदन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कहता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : आपको यह भी पता नहीं है कि प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो बीच मे आपको खड़ा नहीं होना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : और चूंकि सत्तापक्ष सुनने को तैयार नहीं है तो मैं इन शब्दों के साथ आज की सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : 20 तारीख से 22 तारीख को जो घटनाएं हुईं, क्या वह आपके लिए ठीक थीं ? जो 22 तारीख को घटनाएं हुई, क्या उन पर....(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : और इसलिए करते हैं कि हमने जो तीन मांगें सदन के सामने रखीं, उस पर कोई विचार नहीं किया है इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार व सदन से बहिर्गमन)

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात।

श्री अध्यक्ष : आपको कुछ कहना है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल या परसों अजमेर में हुई आम सभा के अन्दर मैं वहां उपस्थित था। उस सभा के अन्दर जैसा इन्होंने कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण के अन्दर यह साराकासारा कांड उन लोगों के सामने रखा। यह आम सभा के अन्दर बैठी हुई सम्पूर्ण जनता की मांग थी उल्टी कि ऐसे लोगों को विधान सभा से निकाल देना चाहिये। निलम्बन ही नहीं, निकाल देना चाहिये। उन्हें किसी भी हालत में वापस नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अच्छी बात है। प्रश्नकाल। अरूणसिंह जी।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्रीजी ने तो यह कहा था कि अगर वे खेद प्रकट कर दें तो उनको जरूर लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कह रहे हैं क्या इस पर ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आसन से और प्रतिपक्ष के नेता जो बहिर्गमन कर गये हैं। सभी माननीय सदस्यों के सामने जिस प्रकार की प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने बात कही, मैं समझता हूं कि जो वक्तव्य यहां पर सदन में दिया है, उस वक्तव्य से वे स्वयं मुकर रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं। हमारा स्टेटमेंट चाहे मुख्य मंत्रीजी का हो, चाहे उप मुख्य मंत्रीजी का हो और चाहे वह हमारा हो, हम सबने यही कहा है कि हमारे सामने नहीं जनता के सामने माफी मांग लें और अपने कृत्य पर यदि उनको खेद है तो सत्तापक्ष को और सदन को इसमें कोई, हम यह चाहते हैं कि प्रतिपक्ष यहां पर रहे और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा करें। लेकिन नियमों का भी गलत असपर्शन किया जा रहा है। 292 का जो नियम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं को याद हो तो आपने कहा था कि आप बाहर चले जाइये और आपने यहां तक कहा था सार्जेण्ट को कि इनको बाहर निकालिए लेकिन उन्होंने आपके आदेशों की लगातार अवहेलना की। मैं जानता हूं कि अध्यक्ष का किस प्रकार का

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

फंक्शन है और अध्यक्ष को किन परिस्थितियों में उस समय काम करना पड़ा। लगातार अध्यक्ष के ऊपर, लगातार सचिव के ऊपर, लगातार विधान सभा के स्टाफ के ऊपर, जिस प्रकार के प्रहार किये गये वह मैं कहता हूं कि किसी प्रकार, निंदा हम किन शब्दों में करें, वे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। यहां यह नियमों और परम्परा की बात करते हैं। कम से कम इन नियमों को पढ़े। अभी परसों के दिन ही जब शुक्रवार को विधान सभा चल रही थी, उस समय उपाध्यक्ष यहां पर विराजमान थे और उन्होंने यह कहा था कि सदन के उप नेता महोदय बोलेंगे और जिससे सामंजस्य पैदा हो, इस प्रकार की बात की गयी। भामड़ाजो उसमें खड़े हुए लेकिन एक मिनट इनको बोलने नहीं दिया गया और लगातार व्यवधान पैदा किया गया। अपने नियमों में यह भी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य चित्कार नहीं करेगा, कोई भी सदस्य विद्रोहात्मक शब्द नहीं कहेगा और बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई बोलेगा नहीं लेकिन उसके बाद भी नियमों की लगातार अवहेलना की जा रही है और इस सदन का लगातार अपमान किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं समानान्तर कार्यवाही चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसका नियमों में कहीं प्रावधान नहीं है। इस सारे सदन में बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी इस प्रकार का न तो स्टेटमेंट दे सकता है, न समानान्तर विधान सभा चला सकता है। यह कोई कॉलेज और स्कूल की छात्र संसद नहीं है, जहां पर वे इस प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं। इस विधान सभा को इस प्रकार हल्के ढंग से ले रहे हैं, इस प्रकार अपमानित किये जाने का प्रयास किया जा रहा हैं, अब वहां पर आपके मुकाबले में दूसरे अध्यक्ष बैठकर व्यवस्था कर रहे हैं और वे भी ऐसे अध्यक्ष व्यवस्था कर रहे हैं, जिनको नियमों का ज्ञान है। मैं जब उनसे परसों के दिन चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 292 में यह व्याख्या नहीं है। हमने, अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि सैक्रेटेरिएट ने जो सर्कुलर जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है, यह केवल नियमों की व्याख्या की है, नियमों में क्या लिखा है। नियम (दो) में हमारी सदन की क्या परिभाषा है, यह कहा गया है। नियम 292 में यह है कि किस प्रकार आप सदन को छोड़कर चले जाएंगे, बहिर्गमन कर जाएंगे, यह लिखा हुआ है। रूल 292 के तहत अध्यक्ष महोदय यह निर्देश देते हैं कि आप सदन से बहिर्गमन कर जाइये। उसका क्या मतलब है और नियम दो में यह व्याख्या की गयी है कि सदन की प्रसीमाएं क्या हैं। केवल उसकी व्याख्या की गयी है लेकिन उसके बावजूद भी नियमों में, कौल एण्ड शकधर पढ़ लीजिये, लोक सभा के नियम पढ़ लीजिये, विधान सभा के नियम पढ़ लीजिये, कहीं पर भी, यह पाबन्दी है कि आप विधान सभा के सचिवालय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, अध्यक्ष के मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन लगातार सदन के अन्दर और सदन के बाहर दोनों समय, यह केवल शांतिलाल जी चपलोत का सवाल नहीं है, यह हमारे उस उच्च आसन की बात है, जो उच्च आसन पर जिस प्रकार के असपर्शन किये जाते हैं, जिस प्रकार के प्रहार

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

किये जाते हैं, जिस प्रकार नियमों की घोर अवमानना की जा रही है, उल्लंघन किया जा रहा है, उसके लिए मैं उनकी निंदा करता हूं और फिर मैं उनसे अपील करता हूं, वैसे आज भी उन्होंने यह कहा है कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने तो समझा आज यह इस्तीफे के लिए खड़े हुए हैं। कोई एक प्रस्ताव यहां विचाराधीन है, विशेषाधिकार का। शायद उनको यह लग रहा होगा कि वह विशेषाधिकार का प्रस्ताव आएगा और उनको निकलना पड़ेगा। जिस प्रकार के कृत्य हुए हैं तो हम तो ऐसा समझ रहे थे। लेकिन वे लगातार जिस प्रकार प्रश्नकाल को भी उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है और हर दिन बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। यदि उनको बाहर रहना है तो बाहर रहे। हमारा तो निवेदन यह है कि वे अन्दर आये और चर्चा करें जन विषयों पर। आज कृषि, इन्दिरा गांधी नहर, सिंचाई और नगर आयोजना पर चर्चा है। उसमें भाग लें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करता हूं कि प्रतिपक्ष निःसंकोच, यह जनता बहुत बड़ी है, यह हाउस बहुत बड़ा है, किसी प्रकार का संकोच नहीं करें और यह कहे कि हमने उस दिन जो कृत्य किया है, वह हमारी गलती है, वह हमारी भूल है और उसके लिए हमको पश्चाताप है। यदि वह पश्चाताप का भाव उनके मन में नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा निरर्थक है। वे बिना शर्त जनता के सामने माफी मांगें, नहीं तो जनता माफ करने वाली नहीं है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह जी।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत देंगे एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा अजमेर में पब्लिक मीटिंग में आम जनता की भावना व्यक्त हुई और चारों तरफ से एक ही आवाज आयी कि विधान सभा के अन्दर कांग्रेस ने जो कृत्य किया है उसके कारण उन लोगों को विधान सभा से बाहर निकाल देना चाहिये, उनको कभी माफ भी नहीं करना चाहिये। यह जनता की भावना थी।

श्री देवी सिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : यही हमारी भावना है।

श्री टीकम चन्द कान्त : हां। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो यह कहा था कि इसके लिए खेद प्रकट किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह रोज-रोज जो होता है, मैं इतिहास की पृष्ठ भूमि थोड़ी आपको बतलाना चाहता हूं, गोबल्स हिटलर का प्रचार करने वाला था, उसने कहा था कि एक असत्य को भी अगर सौ बार कहा जाए तो वह सत्य बन जाता है। आज तक इन्होंने जो कुछ कुकृत्य किया वह नियमों के विरुद्ध किया, इस सदन की अवमानना की और ये जनता की अदालत में दोषी ठहरे। इसलिए आज गोबल्स के उस सिद्धान्त के आधार पर ये बारबार अपने उस कुकृत्य के लिए कहना चाहते हैं कि हम निर्दोष है, हम निर्दोष हैं और शासन पक्ष को आरोपित करना चाहते हैं। मेरे कहने

(श्री टीकमचन्द कान्त)

का तात्पर्य यह है कि यह सौ बार असत्य बोलकर अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अरुणसिंह जी।

भरतपुर जिले के क्षतिग्रस्त बांध

78. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष भरतपुर जिले में आयी बाढ़ से कितने बांधों एवं नहरों को नुकसान हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त बांधों के पुनर्निर्माण हेतु कितनी–कितनी राशि कब–कब स्वीकृत की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षतिग्रस्त बांधों एवं नहरों के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) इस वर्ष भरतपुर जिले के बांध के क्षतिग्रस्त सिस्टम को ठीक करने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी?

सिचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) इस वर्ष भरतपुर जिले में आयी बाढ़ से 189 बांधों एवं नहरों को नुकसान हुआ था। तहसीलवाइज सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा भरतपुर जिले के लिए बांधों एवं नहरों के पुनर्निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गयी :–

क्र. सं.	माह	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1.	जून, 1996	355.00
2.	फरवरी, 1997	150.00

माननीय सदस्य, आप मिलाते रहना, कहीं फर्क आ रहा हो तो कृपया मुझे करेक्ट कर दें।

3.	मार्च, 1997	35.00
		540.00

श्री अरुणसिंह : नुकसान तो 22 करोड़ का हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : (3) जी, नहीं। 42 क्षतिग्रस्त बांधों और नहरों का कार्य आंशिक रूप से सम्पादित कर दिया गया है एवं यह कार्य प्रगति पर है। 56 कार्यों को प्रारम्भ करने की व्यवस्था कर ली गयी है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

(4) इस वर्ष भरतपुर जिले के बांधों में क्षतिग्रस्त सिस्टम को ठीक करने हेतु अब तक कुल 540.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी को....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : झूठी बधाई नहीं दूंगा ।

श्री अरुण सिंह : झूठी बधाई तो नहीं दूंगा क्योंकि नुकसान 22 करोड़ का हुआ । दो साल से लगातार बाढ़ आ रही है । नुकसान 22 करोड़ का हुआ है और राज्य सरकार ने 540.00 लाख रुपये इस सिस्टम के लिए उपलब्ध कराये हैं, यह बहुत कम है । भरतपुर का सिस्टम पूरी दुनिया में एक यूनिक सिस्टम है । मैं सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस सिस्टम को जीवित करने के लिए पैसे की कंजूसी नहीं करें ।

जवाब में यह पहली दफे सिंचाई मंत्री जी ने सच कहा कि भरतपुर के 190 बांध क्षतिग्रस्त हुए ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, I object. यह तो बिलकुल गलत बात कही गयी है । माननीय सदस्य की मैं इज्जत करता हूं, यदि इस प्रकार की गाली देने का प्रयास किया गया तो, साहब, मैं कम से कम यह बर्दाश्त नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : आप इस बात को फरमाएं कि इस प्रकार की भाषा नहीं बोलें कि मैंने पहली बार सच बोला । **It is height, Sir.**

श्री अरुण सिंह : इसके लिए, मंत्री महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं । पर आपके विभाग ने जो सूची दी है, कभी वे कहते हैं कि 40 बांध क्षतिग्रस्त हुए, कभी कहते हैं 80 बांध क्षतिग्रस्त हुए । आपने सच तो कहा कि 190 बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं । तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं ।

मंत्री महोदय, रूपारेल नदी और बाणगंगा नदी बहे, आपसे अनुरोध है कि इनके लिए एक मास्टर प्लान बने । सिस्टमैटिकली इन दोनों नदियों का ढंग से कन्ट्रोल हो । क्योंकि इस साल भी जिस गति से आपका विभाग काम कर रहा हैं वहां उससे यही दिख रहा है कि तीसरी बार भरतपुर जिले में बाढ़ की संभावना बढ़ रही है । तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भरतपुर के सिस्टम के लिए पैसे और स्वीकृत करायें । भरतपुर का सिस्टम यह जो जमना रिवर अकोड हुआ है, उसी सिस्टम से जमना का पानी राजस्थान में प्रवेश करेगा । यह बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस सिस्टम को रिवाइज करने के लिए आप फाइनेन्स से और राशि स्वीकृत करवाएं ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता अपनी ओर से और पूरे भरतपुर जिले की ओर से जाहिर की है, यह बात सही है कि बाढ़ से जहां नुकसान हुआ है, यदि भरतपुर जिले में बाढ़ का पानी कृषि भूमि पर नहीं फैले तो वहां पर त्राहि-त्राहि मच जाएगी । यह मानते होंगे, माननीय सदस्य ?

श्री अरुण सिंह : मानते हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में जो इनन्डेशन सिस्टम डवलप किया गया है वह विश्व में एक पहला ऐसा सिस्टम डवलप किया गया भरतपुर के महाराजा के द्वारा जो कहीं और ऐसा था

(श्री देवीसिंह भाटी)

भी नहीं। आज के दिन हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस क्षेत्र में जब उस समय में न तो कोई ऐसा तकनीकी ज्ञान था और ना ऐसा टैक्निकल व्यक्ति विद्यमान था उसके बावजूद भी किस प्रकार से जैसे पानी जाता उसकी ढाल देख-देख कर आगे घुड़-सवार चलते और झंडी लगाकर इस प्रकार से सारा सिस्टम डवलप किया गया और इसीलिए चीन ने इस सिस्टम को अडोप्ट किया है। अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि, अचानक अतिवृष्टि हो जाए तो ऐसी दिक्कतें जरूर आती हैं। और इसके लिए जैसे ही पिछली बार बाढ़ की स्थिति बनी, स्वयं हमारे मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे, हमारे उप मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे और अन्य मंत्री-गण भी वहां पहुंचे, जन प्रतिनिधियों से राय ली और तुरन्त यह निर्णय लिया गया कि हम सिर्फ एक सिंचाई विभाग के साधनों से तुरन्त इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते इसलिए अलग-अलग, आई.जी.एन.पी. की पूरी मशीनरी हमने वहां पर लगायी। माननीय सदस्य, मान रहे होंगे इस बात को ?

श्री अरुण सिंह : मान रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वहां कमाण्ड एरिया डवलपमेंट की पूरी मशीनें लगा कर मौके पर स्थापित कीं। अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर प्रोजेक्ट की जितनी भी मशीनरी हमारे पास उपलब्ध थी, चारों तरफ से हमने मशीनें उपलब्ध कराकर, मेरे ख्याल से यह इतिहास कायम किया है कि जहां बाढ़ आयी है इस प्रकार से कभी चिन्ता जाहिर नहीं की गयी और भरतपुर के ऊपर पूरा गौर करके यह व्यवस्था की गयी। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य यह फरमाते हैं कि पैसे की कोई कमी रही है तो उसी समय चाहे कहीं से भी हमें पैसे की व्यवस्था करनी पड़ी, हमने वित्त विभाग से चर्चा की और उन्होंने तुरन्त इसके लिए पैसे की व्यवस्था करके और सारे साधन हमने वहां उपलब्ध करवाये। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि वर्किंग सीजन अब आया है, पानी के अन्दर काम नहीं हो सकता, माननीय सदस्य। मैं महोदय और अर्ज कर रहा हूं इसलिए जैसे ही वहां स्थिति सुधरी हमने अभी तो पैसा दिया ही है और अप्रैल फर्स्ट वीक से रुपये का अम्बार लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय श्री चुन्नीलाल जी धाकड़।

बेगूं-रावतभाटा मार्ग पर निगम की बसों का संचालन

79. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(') क्या यह सही है कि बेगूं से प्रस्थान करने वाली निम्न बसों को बन्द कर दिया गया है :-

(I) बस बेगूं-चित्तौड़गढ़ प्रस्थान बेगूं से 06.00 ए.एम.

(II) बस कोटा-आबू वाया बेगूं प्रस्थान बेगूं से

(अ) 4.30 पी.एम. कोटा को

(ब) 10.15 ए.एम. आबू को

(15) (14)

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(III) बस बून्दी–बांसवाड़ा वाया बेगूं प्रस्थान बेगूं से

(अ) 09.00 ए.एम. बांसवाड़ा को

(ब) 07.15 पी.एम. बून्दी को

यदि हां, तो क्यों ? सरकार कब तक उक्त बसों को पुनः चालू करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चित्तौड़-गढ़-रावतभाटा के बीच दो ही द्रुतगामी बस सेवाएं संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर कुछ और द्रुतगामी बसें लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्तमान में कितनी डीलक्स और सेमी-डीलक्स बसों से बेगूं जुड़ा हुआ है ? क्या सरकार बेगूं क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में बेगूं को डीलक्स बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) वर्तमान में बेगूं रावतभाटा के बीच सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर कुल कितनी बसें संचालित हैं? क्या सरकार इस रूट का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा) :(1) आबूरोड से कोटा वाया बेगूं एवं बांसवाड़ा से बूंदी वाया बेगूं बस सेवा को कम आय के कारण बन्द किया गया है । बेगूं से चित्तौड़गढ़ के लिए प्रातः 06.00 बजे जाने वाली बस सेवा का समय शीतकाल के कारण परिवर्तित कर 06.30 बजे किया गया है ।

आबू रोड से कोटा एवं बांसवाड़ा-बूंदी बस सेवाओं की आय संचालन लागत से भी कम प्राप्त हो रही थी। अतः उक्त बसों को पुनः प्रारम्भ करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

(2) जी, नहीं । इस मार्ग पर 13 परिचक्र दैनिक द्रुतगामी सेवा के संचालित हैं ।

(3) वर्तमान में बेगूं कस्बा निगम की किसी भी डीलक्स या सेमी डीलक्स बस सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है । बेगूं से डीलक्स/सेमी डीलक्स वाहनों के लिए पर्याप्त सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं है । अतः निकट भविष्य में बेगूं से डीलक्स बस सेवा से जोड़ने का कोई विचार नहीं है ।

(4) वर्तमान में बेगूं-रावतभाटा के बीच निगम द्वारा दैनिक 10 बसें संचालित की जा रही हैं तथा निजी वाहन स्वामियों द्वारा भी 10 बसें संचालित हैं । इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया है उसमें यह बताया है कि बूंदी से बांसवाड़ा और आबू से कोटा वाया बेगूं रूट पर चलने वाली बसें लाभ में नहीं होने की वजह से बन्द कर दी गयी हैं । मेरा पहला प्रश्न है, खण्ड एक में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दोनों बसें कितने समय से चल रही थीं और प्रति माह इनकी कितनी किलोमीटर आमदनी रही थी ?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

दूसरा, यह कहना कि यह बसें घाटे में चल रही हैं, इस रूट पर अनाप-शनाप जीपें ठसाठस भरी हुई जा रही हैं और हमारी निगम की बसे घाटे में जा रही हैं, यह बात समझ में कम आती है या तो कहीं व्यवस्था में कमी है जिससे घाटे में बताया गया है।

खण्ड-दो में द्रुतगामी बसों का वाया बेगूं होकर जो रावतभाटा और चित्तौड़ जाती है, आपने बताया है कि 13 परिचक्र दैनिक द्रुतगामी बसें संचालित हैं। कृपया बतायें कि बेगूं से रावतभाटा और बेगूं से चित्तौड़ से उठने (प्रस्थान) का इनका टाइम क्या है? यह 13 बसें इस वक्त में नहीं है। इसलिए अगर आपको जानकारी है तो बतायें कि किस टाइम पर बेगूं से रावत-भाटा उठती है और बेगूं से चित्तौड़ को उठती है?

प्रश्न के तीसरे खण्ड में मैं यह जानना चाहता हूं कि बेगूं और बिजौलियां ऐसे इलाके हैं रूपाजी, कृपाजी की शहीद स्थली और विजय सिंह पथिक और माणिक लाल वर्मा की कर्मभूमि है, जो आन्दोलन का इलाका रहा है, आज की तारीख में यह कह देना कि डीलक्स और सेमी डीलक्स बसें हम चलाएंगे तो यह घाटे में रहेंगी। बिना चलाये किस आधार पर, माननीय मंत्री महोदय ऐसा फरमा रहे हैं। एक बार चलाकर बतायें फिर नहीं चले, घाटे में रहे तो फिर बन्द करने की बात करें। पहले ही यह कह देना कि यात्री भार उपलब्ध नहीं होने की वजह से हम नहीं चला सकते। कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच में चलने वाली बसें बेगूं से सात किलोमीटर की दूरी पर काडून्दा मोड़ होकर निकल जाती हैं लेकिन बेगूं में नहीं जाती। रावतभाटा से चित्तौड़ जाते हुए काडून्दा मोड़ से वापस बेगूं जाकर और वापस काडून्दा मोड़ आने की जरूरत नहीं है। पालनपुर से बेगूं तक डामर सड़क बराबर बनी हुई है। रात की बस सेवा द्रुतगामी बेगूं होकर निकलती है। क्यों नहीं डीलक्स बसें, जो कोटा और उदयपुर की बसें चलती हैं वह वाया पालनपुर और बेगूं होकर निकलें। इसमें किलोमीटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से पूर्व में भी निवेदन किया था कि बेगूं से जयपुर के लिए एक द्रुतगामी सेवा दिन में नहीं है और न कोई डीलक्स बस बेगूं से है। बेगूं से जयपुर आने में बेगूं, मांडलगढ़ व जहाजपुर तीन विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं और तीनों में दिन में कोई भी बस सेवा बेगूं से उपलब्ध नहीं है। क्या कारण है इस क्षेत्र की अनदेखी किये जाने का?

बेगूं और रावतभाटा के बीच में इतनी बसें संचालित हैं फिर भी आपका यह फरमाना कि राष्ट्रीयकरण के लिए कोई विचार नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, यह बतायें कि राष्ट्रीयकरण के लिए क्या मापदण्ड हैं? इस रूट पर इतना अधिक भार होते हुए भी इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो पा रहा है?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है जैसा कि मैंने जवाब दिया है कि यात्री भार नहीं होने की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि क्या इस प्रकार का कोई टैस्ट भी किया

(16)

(श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा)

गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे माननीय सदस्य की एक चिट्ठी भी मिली थी और उसके बाद माननीय सदस्य की बात को मानते हुए और जनहित में मैंने बसें वहां रोडवेज को कहकर अप्रेल, मई और जून, 1996 में चालू करवायी थीं लेकिन वहां पर 65 प्रतिशत यात्री भार रहा और वह भी पीक सीजन में, हमने यह बसें चलायी थीं । पीक सीजन में यात्री भार 65 प्रतिशत रहा और 7.35 पैसा इनकम पर किलोमीटर रही, जबकि.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 7.35 पैसा या 7.35 रुपया ?

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : 7.35 रुपया पर किलोमीटर । माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकम पर किलोमीटर रोडवेज को जो वायबल है वह 9.18 रुपया होती है । वायबल का मतलब है कि नो लोस नो प्रोफिट और यात्री भार 72 प्रतिशत होना चाहिए तब जाकर यह रूट नो लोस नो प्रोफिट चलेगा । इस प्रकार हमने बसों का वहां पर संचालन किया लेकिन यात्री भार नहीं होने की वजह से बन्द कर दी गयीं । दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान) आप अलग से प्रश्न कर लें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें । महावीर जी बिराजें । इन्होंने पांच सप्लीमेंट्री प्रश्न किये हैं । (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने कहा कि प्राइवेट और रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं । जैसा कि मुझे रोडवेज ने इंफोर्मेशन दी है कि चित्तौड़गढ़, रावतभाटा वाया बेगूं, सिगोली और भैंसरोड़गढ़ में दैनिक संचालित चार परिचक्र तो रोडवेज इस रूट पर कर रही है । चित्तौड़गढ़, कोटा वाया बेगूं सिंगोली, भैंसरोडगढ़ रावतभाटा राजस्थान रोडवेज दो परिचक्र दैनिक चला रही है । बारां, उदयपुर वाया झालावाड़, रावतभाटा, बेगूं, चित्तौड़गढ़ दो चक्र दैनिक चला रही है । उदयपुर, कोटा वाया चित्तौड़गढ़, बेगूं, सिंगोली रावतभाटा एक परिचक्र कर रही है । कोटा, आबू पर्वत वाया रावतभाटा, सिंगोली, बेगूं, चित्तौड़गढ़ उदयपुर दो परिचक्र कर रही है । झालावाड़, सांवराजी वाया रावतभाटा, सिंगोली बेगूं, चित्तौड़गढ़ दो परिचक्र कर रही है । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार 13 परिचक्र दैनिक वाया बेगूं हो रहे हैं । जहां तक टाइम टेबल की बात है, मैं रोडवेज से समय सारिणी लेकर और जानकारी हासिल कर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के कहने से मैंने पहले भी बसें चलायीं । अगर माननीय सदस्य मुझे फिर कहते तो जन भावनाओं और जन प्रतिनिधि की मांग को देखते हुए मैं पुनः बस चालू करवा देता ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यह जो वचन दे रहे हैं, पहले आपने हां तो की थी लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुना और जयपुर के बीच एक भी गाड़ी नहीं चली ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्रजी गहलोत।

जोधपुर का मास्टर प्लान

80. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के नगरों व महानगरों का मास्टर प्लान बनाने हेतु कोई समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में व इसके सदस्य कौन-कौन किस स्तर के अधिकारी हैं ? जयपुर, कोटा, व उदयपुर के मास्टर प्लान कब बने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मास्टर प्लान में दर्शायी गयी भूमि उपयोग के परिवर्तन का अधिकार संभागीय आयुक्त जिला कलक्टर की समितियों को दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर महानगर में संभागीय समिति द्वारा मास्टर प्लान की भूमि उपयोग को परिवर्तित किया गया है ?

(4) क्या उपरोक्त अधिकारों से परिवर्तित भूमि उपयोग से मास्टर प्लान का नक्शा प्रभावित हुआ है ? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री भंवर लाल शर्मा) : (1) जी, नहीं। जयपुर नगर का मास्टर प्लान वर्ष 1976 में बनाया गया था। कोटा नगर का मास्टर प्लान वर्ष 1977 में बनाया गया था। उदयपुर का प्रारूप मास्टर प्लान 1976 में बनाया गया।

(2) जी, हां। मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन के अधिकार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 73 (बी) में निहित शक्तियों के तहत प्रत्यायोजित किये गये हैं।

(3) जी, हां।

(4) मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन स्थानीय आवश्यकता एवं जन साधारण की सुविधा हेतु किया जाता है। इसमें मास्टर प्लान के समग्र स्वरूप में कोई अन्तर नहीं आता।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड दो में माननीय मंत्रीजी ने बताया कि मास्टर प्लान में भू–उपयोग के परिवर्तन का अधिकार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम निहित शक्तियों के तहत राज्य सरकार को है। यह अधिकार संभागीय आयुक्त को दिया गया है। उसके सम्बन्ध में समिति बनाकर दिया गया है, क्या इससे मास्टर प्लान के अन्दर अनदेखी की जा रही है ? क्या यह वैध है कि मास्टर प्लान की जो समिति थी और मास्टर प्लान किस नियम के अन्तर्गत बनाया गया था. उस नियम का अधिकार किसी और को देकर किया जाए तो यह क्या उचित रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बार-बार आता रहा है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि मास्टर प्लान कई वर्षों पूर्व बने हैं। उसके बाद जो जमीनें उपलब्ध थीं जिस कार्म के लिए या तो उन पर अतिक्रमण हो गये या कालोनियां बस गयीं या उस समय की आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन हो गया। ऐसी स्थिति में इनका परिवर्तन सदैव आवश्यक रहता है। अभी तक यह परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार के पास था लेकिन अनुभव में यह आता था कि यदि स्थान-स्थान की नगरपालिकाएं या व्यक्ति भू-परिवर्तन के लिए प्रस्ताव सदैव राज्य सरकार को भेजा करते थे, उसमें विलम्ब होता था और काम बहुत देरी से होता था। इसलिए हमने यह सोचा कि जनहित के लिए जिला स्तर पर जहां जिला कलक्टर और काम करने वाला एक अधिकारी और उससे सम्बन्धित नगरपालिका का अध्यक्ष, उनकी एक समिति बैठे और वह यह निर्णय करे कि जो परिवर्तन मांगा जा रहा है वह उचित है कि नहीं, वह समग्र विचार करके उसमें परिवर्तन करे। इस सुविधा के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। जहां तक कानून का सवाल है, तो कानून में यह लिखा हुआ है, 73(बी) में लिखा है कि राज्य सरकार को परिवर्तन का अधिकार है और अगर किसी अधिकारी को हम अधिकृत करते हैं तो उसको भी अधिकार है। उसके तहत हमने यह अधिकार दिये हैं। यह वैध हैं और जन सुधार के लिए बहुत आवश्यक है कि आप माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि यह भू-परिवर्तन का काम केवल राज्य सरकार पूरे प्रदेश का करे या अलग-अलग स्थानों पर जाकर जिला अध्यक्ष या समिति, जो हमने बनायी है, वह समिति इसका निपटारा करती रहे, यह जनहित के लिए भी जरूरी हैं और यह वैधानिक भी है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि मास्टर प्लान 1976 में बना, 1977 में बना। आज की आवश्यकता के अनुसार मास्टर प्लान के अन्दर परिवर्तन होना चाहिये। यह मैं भी चाहता हूं क्योंकि आज जिस प्रकार का नया मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है और जिस भूमि पर जिस प्रकार का मास्टर प्लान में जो तय किया गया था उस पर आज अतिक्रमण हो चुके हैं। कहीं कच्ची बस्तियां बन चुकी हैं, कहीं कृषि भूमि रूपान्तरण का कंवर्शन हो चुके हैं। आज सारी समस्याओं का समाधान एक साथ किया जाए और संभागीय आयुक्त या जिला कलक्टर के अन्तर्गत जो समितियां बनी हैं उनमें अनियमित रूप से या मन चाहे तरीके से जिस प्रकार के वह निर्णय ले रही हैं उससे आम जनता को लाभ नहीं हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो मास्टर प्लान है, वापस बनाया जाए। जो अधिकार आपके पास था, संभागीय आयुक्त ने जोधपुर के अन्दर जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं, जो आवश्यक निर्णय लेने चाहिये थे वह निर्णय नहीं लिये और जो अनावश्यक निर्णय लेने चाहिये वह निर्णय लिये। पूरे प्रकरण को मंगवाकर आप उसकी जांच कराएं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बिलकुल अलग हो गया। हमने जो अधिकार दिये हैं वह इस

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आशा में दिये हैं कि काम ठीक होगा, जनहित में होगा, जल्दी होगा और लोगों को लाभ होगा लेकिन यदि कोई समिति जिसको यह काम दिया गया है, यदि वह काम ठीक नहीं कर पा रही है तो ऐसी कोई शिकायत यदि आप देंगे तो उसमें हम विचार करेंगे, संशोधन करेंगे और उसको ठीक भी करेंगे। लेकिन मेरी यह राय है कि जो आप कह रहे हो कि वापस राज्य सरकार में ही ये अधिकार निहित किये जाएं, आप व्यापक विचार कर लें कि क्या यह पूरे प्रदेश के लिये उचित होगा ? बांसवाड़ा, डूंगरपुर बाहर के इलाके के जो लोग हैं वे राजस्थान सरकार के पास यहां जयपुर में आयेंगे तो यहां इतना अधिक काम होने के कारण विलम्ब होता है। मैं समझता हूं, आप इस बात से सहमत होंगे कि ये अधिकार तो वहीं रहने चाहिये। जहां तक यह सवाल है कि किसी ने ठीक काम नहीं किया है, वह आप यहां रखेंगे तो सरकार उस पर विचार कर सकती है और जो अधिकार मैंने दिया है, मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा। 73(बी) जो है, इसमें लिखा है—

> "Notwithstanding anything contained in Sec. 72 or 73(b) the State G vernment or any authority authorised by the State Government...." We authorised this Committee.

तो वैधानिक तो है ही और मेरे ख्याल से सुविधाजनक भी है। फिर भी यदि आपका यही मत है तो मैं तो सहमत नहीं हूं। इस पर चर्चा कर लें, विचार कर लें। यदि कुछ गलतियां हुई हैं या मनमाने ढंग से काम किये गये हैं तो वह आप सदैव सरकार के सामने ला सकते हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि नया मास्टर प्लान बनाने के लिए आप क्यों नहीं बनाते हैं और इस तरह की समितियां बनाकर अवैधानिक और अनीतिगत काम हो रहे हैं, उनसे बहुत नुकसान हो रहा है, उनमें भ्रष्टाचार भी पनप रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकार कम करना चाहें तो करें। हम तो चाहते हैं कि आपके पास सारे अधिकार हों ताकि निष्पक्ष रूप से आप कार्यवाही कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि 1977 में मास्टर प्लान बना और 1977 के बाद का मैं जोधपुर का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उस समय जोधपुर तीन किलोमीटर में था, आज जोधपुर 30 किलोमीटर में है और जिस प्रकार कृषि भूमि को लिया गया है उस समय जिस प्रकार से मास्टर प्लान में सोचा गया था आज उस मास्टर प्लान के हिसाब से एक भी काम जोधपुर में नहीं हुआ। समिति महीने में एक बार बैठती है, सारे निर्णय ले नहीं सकती, आप मास्टर प्लान नया बना लीजिये। उसमें शहर का और आस-पास का विकास किस प्रकार से करेंगे, उसका प्रारूप वापस बन जाए तो सारे राजस्थान की जनता को इसका लाभ होगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो समस्या जोधपुर की है वही समस्या उदयपुर की भी है और राज-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

स्थान की मान लो। लेकिन इन बड़े शहरों की जिनके मास्टर प्लान पहले बने, उदयपुर का मास्टर प्लान बना लेकिन वह स्वीकृत नहीं हुआ और वहां पर जिस तरीके से अब जोधपुर की जो समस्या है उसी तरीके से उदयपुर बहुत बड़ा हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कमेटी के माध्यम से जो काम हो रहा है, जो कानून में इन्होंने अधिकार दिये हैं उनका उपयोग कितना होगा यह तो अब पता लगेगा लेकिन समस्याएं पैदा हो गयी हैं। जैसा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में जयपुर में अलहदा कानून बनाया है, आपने उसके भूमि रूपान्तरण जयपुर में अलहदा किये, कच्ची बस्तियों के अलहदा किये। सारे राज्य के लिए अगर हम चिन्ता करते और भूमि रूपान्तरण अगर हम सब जगह का एक साथ करा दें और अवसर दें। जहां कृषि भूमि पर मकान वगैरह बन गये हैं और आज जहां इण्डस्ट्रीज लग गयीं, मास्टर प्लान बना नहीं तो इस मास्टर प्लान को क्यों नहीं रिवाइज करा लेते? अगर यह मास्टर प्लान रिवाइज होकर सरकार पास कर देगी तो यह जो समस्याएं आपके सामने रात-दिन पैदा हो रही हैं, सरकार के सामने, वह नहीं होंगी। ऐसा मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : मेरी भी एक क्वेरी है कि जो मास्टर प्लान में आ गयी है क्या उसको अरबन लैंड मानेंगे आप? क्या मानेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी तक तो जो मास्टर प्लान बनता है वह अरबन लैंड का ही बनता है। जैसा आपने कहा यह प्रकरण दूसरा है कि जो मास्टर प्लान पुराने जमाने में बने थे अब उनकी क्या उपयोगिता रही है या नये सिरे से मास्टर प्लान बनाये जाएं। यह विषय अलग है क्योंकि मास्टर प्लान जो बनता है उसकी एक सीमा रहती है कि कितने समय तक लागू रहेगा, उसके बाद ही परिवर्तन होता है लेकिन ऐसी बात सामने लाएं कि वह मास्टर प्लान विकास के कार्यों में बाधक हो गया है, जनहित के खिलाफ हो रहा है तो हम विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो बहुत हो रहा है। सुखेर तो मास्टर प्लान में नहीं है उदयपुर का और बबोक से ज्यादा आगे मास्टर प्लान में आ गया है, अरबन लैंड में आ गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसी कोई विसंगतियां हैं तो उनको दूर करने की बात सोच सकते हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सम्पूर्ण नया बनाने की बात करें। कब तक नया बना देंगे? उसके लिए समिति बनाएं। इससे तो भ्रष्टाचार पनपेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बात कहना कि कब तक बना देंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिये कि कब तक बना देंगे। वह विचारार्थ रखा है। कब बनाना चाहिये, बनाना जरूरी है कि नहीं और जहां तक आपने अधिकारों की बात कही कि अधिकार आप ही रखो तो यह सरकार तो विकेन्द्रीकरण में विश्वास रखती है। वह कहां सत्ता पक्ष, सत्ता में आकर के....

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी । प्रश्न संख्या 81.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री उदयलाल आंजना । प्रश्न संख्या 82.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) । प्रश्न संख्या 83.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री ओमप्रकाश शर्मा ।

गरड़दा (लतारिया) बांध निर्माण प्रकरण

84. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बूंदी की गरड़दा (लतारिया) बांध की स्वीकृति की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त बांध हेतु मार्च, 1997 से पूर्व कितनी धनराशि एवं सन् 1998 से कितनी धनराशि इस परियोजना पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गरड़दा (लतारिया) परियोजना वर्ष 1977 से बनाया जाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त परियोजना को आगामी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो इस हेतु प्रति वर्ष कितनी धनराशि आवंटित किया जाना प्रस्तावित है और कब तक यह बांध बनकर तैयार हो जाएगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी, हां । बजट एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति के अभाव में इस बांध का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया । मार्च, 1997 तक कोई खर्चा नहीं किया गया । 1997–98 में राशि का आबंटन प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी, नहीं । परन्तु इस योजना का वर्ष 1978–79 में सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया था । गरड़दा सिंचाई परियोजना को राज्य की आगामी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया हैं । माननीय सदस्य को सुनकर बहुत खुशी होगी । नवीं पंचवर्षीय योजना में नई मध्यम योजनाओं के लिए रुपये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है । गरड़दा परियोजना हेतु वर्षवार धनराशि का आबंटन इसी प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्रीय वन एवं समाज कल्याण मंत्रालयों की स्वीकृति प्राप्त होने पर कर दिया जाएगा ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से विधान सभा के अन्दर जब घोषणा की जाती है कि यह बांध मंजूर हो गया है इसका मतलब क्या सब प्रकार की स्वीकृतियां जारी हो गयी हैं ?

दूसरा, क्या यह भी सही है कि वन मंत्रालय की स्वीकृति के अभाव में किसी भी बांध का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो बीसलपुर बांध एवं अन्य बांधों

(२२)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

का कार्य किस आधार पर किया जा रहा है ? यदि वहां एन.ओ.सी. मिल गयी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, यदि एन.ओ.सी. नहीं मिली हो तो इस गरड़दा (लतारिया) बांध को चालू करने में क्या परेशानी आ रही है ?

तीसरा, क्या यह सही है कि फरवरी माह में लखनऊ के वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने पुनः सर्वे किया और अब वह फाइल दिल्ली गयी है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति हो जाएगी और नहीं, तो आपने इस हेतु क्या-क्या प्रयास किये ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें आपको पूछना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : हां, बिलकुल मेरे क्षेत्र से लगा हुआ बांध है। केवल एक प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले इनके प्रश्न का जवाब आ जाए।

श्री देवीसिंह भाटी : पहले मूल प्रश्न का जवाब आ जाए। इसी में आ जाएगा आपका, आप चिन्ता मत करो। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात के लिए जहां शाबाशी दी जानी चाहिये थी, जो भी जिसके हाथ में या उसके थोड़े प्रयास से कार्य होता है यदि उसको थोड़ा एनकरेज किया जाए तो आगे और मदद करने में हमारी थोड़ी हिम्मत बन्धती। जिसकी हमने घोषणा कर दी, बजट के अन्दर प्रावधान कर दिया उसके लिए आपने कोई शाबाशी नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी यह माननीय सदस्य का सवाल नहीं है उस पूरे क्षेत्र की जनता का सवाल है और ऐसा कहीं भी कोई क्षेत्र होगा उसे सिंचित होने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वह सारा क्षेत्र कमाण्ड होगा।

अध्यक्ष महोदय, वन विभाग की जो भी थोड़ी भूमि उसके अन्दर आ जाती है, नया जो हमारा सैण्ट्रल फोरेस्ट एक्ट बना है... (व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की कोई बाधा होती तो हम किसी भी परिस्थिति में न तो यह बजट के अन्दर प्रावधान करते और न इस प्रकार आपको पिछली बार इसी पवित्र सदन में जो आश्वासन दिया गया था वह कभी नहीं देते। मैं इस बात का एतराज तो नहीं करता कि माननीय सदस्य को कोई जानकारी रहती ही नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने यह कहा कि वन विभाग की बिना स्वीकृति के आपने बीसलपुर बांध क्यों शुरू कर दिया। कर दिया तो अच्छी बात है ना। उसके लिए तो आप नहीं कहते। क्यों कर दिया, उस क्षेत्र के लोग मर जाएं, जयपुर प्यासा रहे, अजमेर और किशनगढ़ प्यासा रहता। हमने किया, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया, आप उसके लिए तो तारीफ नहीं करेंगे। उसका क्यों कर दिया और यहां इसके लिए क्या अड़चन आ रही है, यहां अड़चन नहीं आने दूंगा। माननीय सदस्य, यहां भी आपका बांध पूरा होगा (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं जयपुर के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देती हूं और आप चिरंजीवी रहें और ऐसे ही काम करते रहें। (व्यवधान)...

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, यह धमका रहे हैं माननीय सदस्य को.... (व्यवधान)........ अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डर जाएंगे जरा धीरे से बोलें।

श्री अध्यक्ष : दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से इतना पूछना चाहता था कि इसी बांध से मेरी भगवतपुरा पंचायत भी है उसको भी कमाण्ड में लें। इतना निवेदन करना चाहता था।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सभी जानते हैं उनकी कोई भी ऐसी बात आ जाए, कोई भी सुझाव आ जाए जिससे उस क्षेत्र की जनता का भला हो तो इनको पता है मैं कहीं भी पीछे नहीं हटता हूं, आगे बढ़कर तुरन्त उनका कार्य करवाता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि केन्द्रीय वन विभाग ने लखनऊ स्थित कार्यालय को यह सूचित किया कि आप मौके पर जाकर सर्वेक्षण करके स्वीकृति दें। यह हमारा प्रयास था और माननीय सदस्य को मैंने आश्वासन दिया था कि मैं वहां जाकर उनकी छाती के ऊपर हमारे विभाग के अधिकारी को बैठा दूंगा, जब तक वह यहां नहीं आयेंगे हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिया। लेकिन मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, आप सन्देश जरूर देना चाहते हैं, आप थोड़ा-सा हमारा हौसला-अफजाई कीजिये, काम करने का आनन्द आयेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु मैंने यह बात इसलिये कही है कि .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिठाई का डिब्बा ले जाओ। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : उस बांध का पहले दो बार शिलान्यास किया जा चुका है और कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसलिये वहां के लोग दूध के जले हुए हैं, छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीना चाहते हैं। मंत्री महोदय ने जो कार्य किया उसके लिये मैं उनका आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब छाछ को फूंक-फूंक कर पीने की जरूरत नहीं रहेगी।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पंचायत समिति, जहाजपुर के राहत कार्यों का भौतिक सत्यापन प्रकरण

81. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रतन लाल ताम्बी)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 व 1996–97 में पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा अकाल राहत कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से व उनका मेजरमेंट, भौतिक सत्यापन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कब–कब किस कार्य का करके राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा पहले कच्चे कागज पर मेजरमेंट सरपंचों तथा सचिवों को बताकर बाद में मेजरमेंट बुक में दर्ज किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) लुहारी कलां पंचायत के अकाल-राहत व जवाहर रोजगार योजना के कार्यों का मेजरमेंट किन कारणों से कम किया गया और फिर जिला कलक्टर को शिकायत करने पर कार्य तीन गुणा ज्यादा निकला ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस माध्यम से कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार पंचायत समिति जहाजपुर में अकाल राहत में कराये गये कार्यों की पूर्णता तथा गुणवत्ता की उच्च-स्तरीय तकनीकी तथा वित्तीय विशेषज्ञों की टोली से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अकाल राहत कार्यों का मेजरमेंट उनके सामने अंकित दिनांकों को किया गया विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) सही नहीं है।

(3) लुहारी कलां पंचायत के अकाल राहत कार्य जवाहर रोजगार योजना के कार्यों का मेजरमेंट कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर कराये गये निर्माण कार्य के अनुसार किया गया था। कम मेजरमेंट की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक अभियन्ता, डी.आर.डी.ए. से जांच कराई गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार श्रम के मेजरमेंट में कोई अन्तर नहीं पाया तथा सामग्री के सम्बन्ध में जांच चल रही है व शीघ्र ही जांच रिपोर्ट प्राप्त करली जावेगी।

(4) इन कार्यों की जांच व भौतिक सत्यापन सहायता विभाग के आंतरिक जांच दल द्वारा करवाया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायतों में सरपंच/वार्ड पंचों के रिक्त पद

82. **श्री उदयलाल आंजना** (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं वार्ड पंचो के विरुद्ध निर्वाचन के बाद तीसरी सन्तान उत्पत्ति को लेकर विधानानुसार कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितनी ग्राम पंचायतों के सरपंच, वार्ड पंचों के पद रिक्त है ?

(श्री उदयलाल आंजना)

पद रिक्त होने के क्या कारण है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर निर्वाचन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में निर्वाचन के बाद 1 सरपंच 6 पंचों के विरुद्ध तीसरी सन्तान उत्पन्न होने के कारण विधानानुसार उनको पद से हटाया जा चुका है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में 3 सरपंच, 3 उप सरपंच तथा 23 वार्ड पंचों के स्थान ग्राम पंचायतों में रिक्त हैं। रिक्त होने के कारण व दिनांक पंचायत वाइज सूची में अंकित है। इन रिक्त पदों पर उप चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को लिख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

राज्य में केरोसीन वितरण

83. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में मिट्टी के तेल का जिलों को आबंटन किस मानदण्ड के आधार पर किया जाता है ? वर्ष 1994-95, 1995-96 एवं 1996–97 में जिलेवार कितना–कितना केरोसीन आबंटित किया गया ? विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मिट्टी के तेल का वितरण जनता को निर्धारित दुकानों से राशन कार्ड के आधार पर होता है ? यदि हां, तो प्रति राशन कार्ड कितना ?

(3) राज्य में वर्तमान में कुल कितने राशन कार्ड हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। क्या मिट्टी के तेल का वितरण ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों तथा शहरी क्षेत्र के निवासियों को समान मात्रा में होता हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुए मिट्टी के तेल का आबंटन इस वर्ष अधिक मात्रा में किया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(5) क्या उन दुकानदारों को जो मिट्टी का तेल राशन कार्डों पर वितरीत करते हैं, विभाग ने कोई परिचय-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो जयपुर में कितने दुकानदारों को यह परिचय-पत्र दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार से राज्य को केरोसीन तेल का आबंटन वर्ष 1996–97 से प्रतिमाह 37,025 किलोलीटर प्राप्त हो रहा है, जिसे जिलों की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर आबंटित किया जाता है। वर्ष 1994–95, 1995–96 एवं 1996–97 में जिलेवार जितना केरोसीन आबंटित किया गया है, की सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। प्रति राशन कार्ड पर अधिकतम पाक्षिक 5 लीटर एवं माह में 10 लीटर दिया जाता है। केवल जैसलमेर

(राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

जिले की भौगोलिक स्थिति एवं दूरदराज का इलाका होने, कोयला व लकड़ी का पूर्ण रूप से अभाव होना, केरोसीन आबंटित का पूर्ण उठाव आदि नहीं होने के कारण से जैसलमेर जिले के समस्त उपभोक्ताओं को 10 लीटर के स्थान पर 15 लीटर एवं सिरोही जिले में पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुये माउण्ट आबू व आबूरोड के उपभोक्ताओं को 10 लीटर के स्थान पर 15 लीटर वितरण कराने के आदेश दिये गये हैं।

(3) राज्य में वर्तमान में कुल राशन कार्डों की संख्या 92,93,705 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में केरोसीन मांग एवं उपलब्धता के आधार पर वितरित कराया जाता है।

(4) जी, हां। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भरतपुर जिले को केरोसीन तेल का 100 किलोलीटर अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

(5) जी, नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का चोरी प्रकरण

138. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री को सरकार चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) सीमेंट फैक्ट्री में हुई सामान की चोरी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। बी. आई. एफ. आर. द्वारा अनुमोदित पुनर्चालन पैकेज के अनुसार सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का प्रबन्ध नये प्रवर्तक मैसर्स गैनन डंकरले एण्ड कम्पनी द्वारा ले लिया गया था और उनके द्वारा फैक्ट्री को पुनः चालू करने के लिए कुछ कदम उठाये गये थे। फैक्ट्री में परीक्षण के तौर पर मार्च, 1996 में उत्पादन चालू किया गया था, परन्तु श्रमिक संघ व नये प्रबन्धकों में मतभेद के कारण फैक्ट्री बन्द है और वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आ रही है। इन हालात में फैक्ट्री के चालू होने के सम्बन्ध में निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है।

(2) सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री का प्रबन्ध निजी क्षेत्र में है। चोरी के सम्बन्ध में उनके द्वारा पुलिस में समय-समय पर रिपोर्ट लिखायी गयी जिस पर पुलिस द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की गयी।

वित्त निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का नियमितीकरण

139. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम में दैनिक वेतन/अंशकालीन

(श्री रामनारायण मीणा)

कर्मचारी कार्यरत है ? यदि हां, तो कितने व किस तारीख से तथा कितनी राशि पर नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) निगम में संदेश वाहक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कितने पद रिक्त हैं तथा उन पर उक्त कर्मचारियों के समायोजन बाबत क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त दैनिक वेतनभोगी तथा पार्ट टाइम पर कार्यरत कर्मचारियों को रिक्त पद पर नियुक्ति दी जाने के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 1993 से अब तक की अवधि में पत्र व्यवहार किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार 240 दिन से अधिक अवधि से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला पर नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) वर्तमान में निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (सी श्रेणी ड्राइवर आदि सहित) के 58 पद रिक्त हैं जो कि पदोन्नति से भरे जाते हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के कार्य की समीक्षा कर एवं कार्य तथा आचरण संतोषजनक पाये जाने पर ही निगम द्वारा उन्हें रिक्त पदों पर समायोजित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

(3) चूंकि निगम प्रबंध स्वयं इस बारे में निर्णय लेने में सक्षम है, अतः इस बारे में अलग से पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं है।

(4) निगम द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के कार्यकलापों की समीक्षा कर तथा उनके कार्य व आचरण विभागाध्यक्ष द्वारा संतोषप्रद पाये जाने पर उन्हें समय-समय पर रिक्त पदों की स्थिति देखते हुए नियमित करने की कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

प्रश्न संख्या-140

(अग्राह्य)

नगर परिषद् पाली द्वारा चुंगी वसूली प्रकरण

141. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् पाली में चुंगी चोरी के मामले पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1996 तक कुल कितने चुंगी चोरी के मामले पकड़े गये ? सूची माहवार प्रतिष्ठानवार एवं चुंगी चोरी की राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चुंगी चोरी के ऐसे मामलों में नगर परिषद, पाली ने शास्ति सहित कुछ राशि वसूल भी की है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1996 तक कितनी राशि प्रतिष्ठानवार कितनी चुंगी चोरी और कितने गुना चुंगी चोरी की शास्ति सहित वसूली की गयी ?

(श्री भीमराज भाटी)

(3) क्या यह सही है कि चुंगी चोरी पकड़ने के बाद किसी भी नगर पालिका मण्डल, नगर परिषद् और नगर निगम को शास्ति वसूल करने के असीमित अधिकार प्राप्त हैं ? यदि नहीं तो शास्ति वसूलने में सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सूची माहवार, प्रतिष्ठान मय चुंगी चोरी की रकम सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। प्रश्न के भाग एक में प्रस्तुत विवरण में यह सूचना भी सम्मिलित है।

(3) जी, नहीं। पेनल्टी वसूल करने के लिये आरोपित करने का अधिकार न्यायिक दण्डनायक को है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में पार्किंग व्यवस्था

142. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि जयपुर शहर में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु रामलीला मैदान में भूमिगत पार्किंग स्थल बनाने की कोई योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो कब तक और उस पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान था ?

(2) क्या यह सही है कि प्रस्तावित पार्किंग योजना की क्रियान्विति में वैधानिक बाधाएं एवं धनराशि की अनुपलब्धता बाधक बनी हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामलीला मैदान में भूमिगत पार्किंग स्थल बनाने की योजना बनायी गयी थी। परन्तु उसको क्रियान्वित नहीं किया गया है। अब नगर निगम उक्त योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने का विचार रखती है। जिसके लिये योजना तैयार की जा रही है। उक्त योजना बनने के पश्चात् ही अनुमानित लागत का पता चल सकेगा।

(2) चूंकि योजना अभी तैयार की जा रही है। अतः वैधानिक अड़चनों एवं धनराशि की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में प्रश्न असामयिक हैं।

जयपुर शहर में संचालित बूचड़खानें

143. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में बूचड़खाना खोलने के लिए नगर निगम द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी किए हुए हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में जयपुर शहर में कितने बूचड़खानें चल रहे हैं ? उनमें से कितने वैध और अवैध रूप से चल रहे हैं ?

(श्री विष्णु मोदी)

(2) क्या यह सही है कि बूचड़खानों में काटे जाने वाले पशुओं/जानवरों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर फिटनैस की नियमित रूप से मोहरें (सील) लगाये जाने की निगम द्वारा कोई उचित व्यवस्था की हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि शहर में चल रहे बूचड़खानों द्वारा नियमों की अनदेखी कर पशुओं का वध किया जा रहा है तथा अवशिष्ट सामग्री को इधर–उधर आम रास्तों पर फेंके जाने के कारण नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि यदाकदा पकड़े जाने वाले मांस को नष्ट करने के लिए निगम ने कोई स्थल स्थायी रूप से चिन्हित किया हुआ है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) विगत वर्ष में निगम द्वारा (1 जनवरी से 31 दिसम्बर 1996 तक) कितने व्यापारियों के विरुद्ध चालान किये गये तथा कितने व्यापारियों के विरुद्ध अवैध रूप से पशुओं के वध करने पर थानों में मुकदमें दर्ज कराये गये ?

(6) क्या यह सही है कि निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मांस की दुकानों पर जाकर बिक्री किये जाने वाले मांस (गोश्त) के नमूने लिये जाने की कोई उचित व्यवस्था की हुई है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 1996 तक कुल किन-किन बूचड़खानों से कब-कब कितने-कितने नमूने लिये गये और उनका जांच परिणाम क्या रहा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में नगर निगम, जयपुर द्वारा दो बूचड़खाने 1-फतेह टीबा, मोती डूंगरी रोड एवं चांदपोल बाहर चलाये जा रहे हैं। जिनको लाइसेंस दिये गये हैं। ये दोनों कमेले वैध हैं। अवैध बूचड़खानों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन उनके विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

(2) हां, यह सही है कि बूचड़खानों में बकरे/मेढ़ा को काटने से पूर्व स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच करने के उपरान्त पशुवध शुल्क लेकर प्रवेश दिया जाकर ही वध किया जाता है तथा वध करने के उपरान्त कमेले की सील (मोहर) लगाई जाती है।

(3) नगर निगम, जयपुर के बूचड़खानों में बकरों एवं मेढ़ों का वध होने से पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य जांच कर स्वस्थ पाये जाने पर प्रवेश कर वध शुल्क लेकर ही वध करने दिया जाता है। बूचड़खानों में अवशिष्ट सामग्री को निगम के वाहनों द्वारा नियत स्थान "जगतपुरा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड" पर डलवाया जाता है। अवशिष्ट सामग्री को आम रास्तों पर फेंके जाने पर कार्यवाही करने का प्रावधान है, जिनका प्रयोग किया जाता है।

(4) जी, हां। नगर निगम, जयपुर द्वारा यदाकदा पकड़े जाने वाले मांस को जगतपुरा ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर मीट पर फिनायल व बी. एच. सी. डलवाकर नष्ट कर जमीन में दबा दिया जाता है।

(5) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1995 तक कुल 1018 चालान व्यापारियों

(३०)

(स्वायत्त शासन मंत्री)

के विरुद्ध किये गये, जिनमें 956 चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये तथा करीबन 62 चालान पेश करने शेष हेतु कार्यालय में पैण्डिग है। 30,806 टन अवैध मांस जब्त किया तथा 60 व्यापारियों के विरुद्ध सम्बन्धित थानों में मुकदमे दर्ज कराये गये हैं।

(6) नगर निगम, जयपुर द्वारा मांस की दुकानों में बेचने योग्य मांस के नमूने लिये जाने की व्यवस्था नहीं हैं, क्योंकि वध किये जाने वाले जानवरों की स्वास्थ्य की जांच वध करने से पूर्व कर ली जाती है, उसके उपरान्त जानवरों का वध किया जाता है। जानवर का वध करने के उपरान्त मांस पर सील लगाई जाती है। मांस की दुकान पर यदि बिना सील का मांस बिक्री हेतु पाया जाता है, तो नगर निगम, जयपुर द्वारा उस मांस को जब्त कर नष्ट कर दिया जाता है एवं मांस विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही की जाती है। मांस के नमूने लिये जाने की व्यवस्था नगर निगम, जयपुर द्वारा नहीं की जाती है; क्योंकि खाद्य पदार्थों के नमूने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिये जाते हैं।

नगरपालिका इन्द्रगढ़ को पर्यावरण सुधार हेतु स्वीकृत राशि

144. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगर पालिका को पर्यावरण सुधार कार्यक्रम हेतु दी गयी राशि का उपयोग उसी कार्य पर करने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर पालिका, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम की राशि को अन्य कार्यों पर खर्च किया गया है ? यदि हां, तो किस किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस प्रकार अन्य कार्यों पर राशि खर्च करने की जांच करवाकर उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) पर्यावरण सुधार योजना की राशि का वर्ष 1993-94 व 1994-95 में जिन कार्यों पर व्यय किया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) आबंटित राशि का कोई अन्य उपयोग ही नहीं हुआ है। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगरपालिका बांसवाड़ा में कार्यरत अस्थायी सफाईकर्मी

145. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भवानी जोशी)

क्या यह सही है कि नगर पालिका बांसवाड़ा में जिन सफाई कर्मचारियों को कार्य करते हुए 240 दिन हो गये, उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों व क्या सरकार इन्हें स्थायी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18–1–89 की अनुपालना में दिनांक 31–12–86 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्होंने 240 दिन पूर्ण कर लिये थे उन्हें राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमित किया जा चुका है। अब उन दैनिक वेतन भोगियों में से नियमित होने से कोई कर्मचारी बकाया नहीं है।

नगरपालिका सोजत के विरुद्ध पार्षद द्वारा प्रस्तुत याचिका प्रकरण

146. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सोजत (पाली) में वहां के एक पार्षद ने नगरपालिका के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका पेश की थी ? यदि हां, तो कब तथा इस वाद पर नगर पालिका द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) क्या उक्त पार्षद महोदय का यह आचरण नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका के हित के विरुद्ध कार्य करने की श्रेणी में नहीं आता ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्षद के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, रिट याचिका दिनांक 13-8-1996 को पेश की गयी थी। इसके सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा रुपये 4300/– का भुगतान किया गया।

(2) इस बारे में परीक्षण किया जा रहा है।

मकराना शहर के सौन्दर्यकरण हेतु प्रस्तावित योजनायें

147. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मकराना शहर के सौन्दर्यकरण के लिए क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं ? उनमें से कितनी योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया एवं शेष योजनाओं का कार्य कब तक प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ?

(2) उक्त सभी योजनाओं पर सरकार का कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है ? विवरण मय स्थान व काम के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मकराना सौन्दर्यकरण हेतु मकराना बाईपास रोड एवं बोरावड़ रोड का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कर-

(स्वायत्त शासन मंत्री)

वाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कालानाडा के गन्दे पानी के स्थायी समाधान हेतु एक योजना बनायी जा रही है। मकराना बोरावड़ बाईपास कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है एवं कालानाडा योजना के प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग से अपेक्षित है।

(2) मकराना बाईपास सड़क का निर्माण कार्य किलोमीटर 1/650 से 5/0 माह सितम्बर, 1997 तक पूर्ण हो जायेगा जिसमें 32.19 लाख का प्रावधान है तथा किलोमीटर 407/0 से 407/800 में 5.00 लाख एवं किलोमीटर 409/409 से 410/260 में 5.00 लाख का प्रावधान है। ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

मकराना बोरावड़ रोड किलोमीटर 410/207 से 0411/810 में 15.50 लाख का प्रावधान है जो सर्फेस ड्रैसिंग डब्लूबीएम कार्य 7 मीटर चौड़ाई का पूर्ण हो चुका है।

जिला श्रीगंगानगर हेतु स्वीकृत कार्य

148. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्थानीय विधायक के धरने पर बैठने के उपरान्त श्रीगंगानगर की समस्याओं के निराकरण हेतु दो करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की गयी थी, जिससे गंगानगर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, नाली मरम्मत एवं निर्माण, सीवरेज लाइन व अन्य जनहित कार्य सम्मिलित थे ? यदि हां, तो उस घोषणा के क्रियान्वयन की दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उपरोक्त घोषणा के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निविदाएं आमन्त्रित की गयी है किन्तु बजट स्वीकृति के अभाव में आगे कार्यवाही नहीं हो पा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं। जब ऐसी घोषणा ही नहीं हुई, तो निविदाएं आमन्त्रित करने अथवा बजट के अभाव का प्रश्न ही नहीं है।

जिला राजसमन्द की पेयजल व्यवस्था

149. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत तीन वर्षों में किस-किस जिले को पेयजल योजनाओं व हैण्डपम्प लगाने हेतु कितनी–किनती राशि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजसमन्द जिले को गत तीन वर्षों में कम राशि आबंटित करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार भविष्य में राजसमन्द जिले की विषम भौगोलिक परिस्थिति

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

पहाड़ी व पथरीला क्षेत्र होने के कारण वहां अधिक हैण्डपम्प लगाने व नई पेयजल योजनाओं हेतु अधिक राशि का आबंटन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जिलेवार पेयजल योजनाओं व हैण्डपम्प लगाने हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि का ब्यौरा संलग्न प्रपत्र "अ" में है।

(2) गत तीन वर्षों में जिले राजसमंद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

(3) पेयजल समस्या के समाधान हेतु राजसमन्द जिले में हैण्डपम्प व पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन व संधारण हेतु आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धन की कमी नहीं आने दी जाने हेतु सरकार पूर्ण प्रयत्नशील है।

(प्रपत्र अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम खटवा (लालसोट) की पेयजल व्यवस्था

150. श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लालसोट तहसील के गांव खटवा में जलप्रदाय योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दो बोरिंग किये हुए है ? यदि हां, तो इन पर सरकार का कितना खर्चा हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के एक बोरिंग में ही पानी की मोटर लगा कर जल सप्लाई किया जा रहा है जबकि दूसरे बोरिंग पर पानी की मोटर नहीं है ? क्या सरकार द्वारा दोनों बोरिंग पर दो मोटरें स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो दूसरे बोरिंग की मोटर चालू क्यों नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि गांव में एक बोरिंग से पानी की सप्लाई नहीं होती है तथा खराब होने पर यहां के ग्रामवासियों को पानी से वंचित रहना पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना पर पम्प चालक की नियुक्ति की हुई है ? यदि हां, तो किस कर्मचारी की तथा क्या कर्मचारी यहां ड्यूटी पर नहीं है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी से कहां ड्यूटी ली जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जल प्रदाय योजना गांव के किसी व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही है तथा क्या यह व्यक्ति विभाग द्वारा नियुक्त किया हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त दो में से एक बोरिंग वर्ष 1985 में किया गया जिस पर लगभग 1.00 लाख रुपये खर्चा हुआ तथा इसके खराब हो जाने पर वर्ष 1992–93 में दूसरी बोरिंग बनवाया गया जिस पर रु. 1,76,578/– रुपये का व्यय हुआ।

(2) जी, हां। उक्त में से एक बोरिंग पर ही मोटर पम्प लगा कर जल वितरण

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

किया जा रहा है। दूसरा बोरिंग फेल हो जाने के कारण बन्द कर दिया गया है तथा उस पर से मोटर पम्प हटा ली गयी है। चालू बोरिंग की मोटर पम्प के खराब हो जाने पर उसे बदलने में जो समय लगता है, उस समय जल का वितरण में व्यवधान रहता है, जिसकी आंशिक आपूर्ति ग्राम में स्थित छह हैण्डपम्पों द्वारा हो जाती है।

(3) जी, हां। उक्त योजना पर पम्प चालक की नियुक्ति की हुई है तथा कर्मचारी से उक्त योजना पर ही कार्य लिया जाता है।

(4) जी, नहीं। उपरोक्त भाग (3) के अनुसार।

रामनगर (बून्दी) की पेयजल योजना

151. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना के पानी के स्रोत वाले ग्राम को भी सम्बन्धित योजना से लाभान्वित करने बाबत सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इसके सम्बन्ध में नियम भी बने हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पेयजल योजना रामनगर बून्दी के पानी के स्रोत वाले ग्राम खेरूणा को भी उक्त योजनान्तर्गत पेयजल उपलब्ध करवाने बाबत कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो अब कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्र की योजना के स्रोत ग्राम को लाभान्वित करने बाबत सरकार द्वारा दिशा निर्देश ही जारी किए गये हैं। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाये गये है।

(2) जी, हां। जिला बून्दी की ग्रामीण पेयजल योजना रामनगर के पानी के स्रोत वाले ग्राम खेरूणा को सार्वजनिक नल लगा कर मई, 1997 तक पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। ग्राम खेरूणा की वर्ष 1991 जनगणनानुसार आबादी 706 है तथा वर्तमान में चार (4) हैण्ड पम्प कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से स्वच्छ पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहा है।

विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह को बीसलपुर योजना से जलापूर्ति

152 श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह को वर्तमान में किस-किस जल क्षेत्र से कब से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ? पेयजल उपलब्ध करवाने के क्या मानदण्ड है ?

(2) उक्त क्षेत्र की जनता को वर्तमान में सुलभ करवाया जाने वाला जल क्या जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार इस क्षेत्र की जनता को पर्याप्त एवं शुद्ध जल उपलब्ध

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

करवाने का विचार रखती हैं ? यदि हां,तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह को बीसलपुर योजना से पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) सरकार वित्तीय वर्ष 1996-97 एवं 1997–98 में उक्त क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या नये उपाय कर रही है जिससे जनता को पर्याप्त एवं सही समय पर पीने का पानी उपलब्ध हो सके ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोडारायसिंह विधानसभा क्षेत्र में किसी भी जल क्षेत्र से वर्तमान में किसी भी पेयजल योजनाओं को जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है केवल भूमिगत स्रोतों से ही दो नगरीय एवं 153 ग्रामों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। विभागीय मापदण्ड के अनुसार शहरी व ग्रामीण योजनाओं को क्रमशः 100 व 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं।

(2) टोडारायसिंह विधानसभा क्षेत्र में कुल 153 ग्रामों में से 43 ग्राम ऐसे हैं जिनको विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। इन 43 ग्रामों में से 20 ग्रामों की संवर्धन योजनाएं बनायीं जा चुकी हैं तथा स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। 8 ग्रामों को योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष ग्रामों की योजनाओं के प्रस्ताव वर्ष 1997–98 में बनाये जाने प्रस्तावित हैं। विधानसभा क्षेत्र टोडारायसिंह की पुनर्गठित नगरीय जलप्रदाय योजना टोडारायसिंह को बीसलपुर बांध से जल उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गयी है तथा कार्य प्रगति पर है। एवं 1997–98 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। कार्य पूरा होने पर इस शहर को मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध हो जायेगा। बीसलपुर से शहर देवली को विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनायी जा चुकी है। जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। तथा ग्रामीण क्षेत्र को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) विधानसभा क्षेत्र टोडारायसिंह की पुनर्गठित नगरीय जलप्रदाय योजना टोडारायसिंह को बीसलपुर परियोजना से जल उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गयी है तथा कार्य प्रगति पर है एवं 1997-98 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। कार्य पूरा होने पर इस शहर को मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। बीसलपुर योजना से देवली को विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनायी जा चुकी है जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है तथा ग्रामीण क्षेत्र को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वर्ष 1996-97 में प्रस्तावित संवर्धन योजनाओं की सूची परिशिष्ट "क" पर है। तथा वर्ष

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1997–98 में जिन ग्रामों हेतु संवर्धन योजनाएं बनायी जाएगी उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

जिला झुन्झुनूं की जनता पेयजल योजना

153. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 में झुन्झुनूं जिले में जनता दल योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये तथा उनकी क्या प्रगति रही ?

(2) स्वीकृत कार्यों में से किस-किस कार्य पर कितना व्यय हुआ तथा क्या जनता द्वारा जमा राशि वापस गांव वालों को चुका दी गयी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995 में झुन्झुनूं जिले में जनता जल योजना के अन्तर्गत 30 ग्रामों की योजना चालू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें से 20 योजनाओं में पेयजल उपलब्ध हो रहा है एवं शेष में कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) स्वीकृत कार्यों में से कार्यवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर है। जनता द्वारा जमा करायी गयी राशि हेतु भुगतान लम्बित नहीं है। चार ग्रामों की जनता ने पुनर्भरण की मांग की थी जिसे चुका दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

ग्राम लुहासा (नदबई) की पेयजल हेतु निर्मित टंकी

154 श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नदबई, जिला भरतपुर के ग्राम लुहासा में जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत निर्मित पानी की टंकी पर कुल कितना व्यय किस-किस वर्ष में हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम लुहासा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर में बनी पानी की टंकी का वर्तमान में उपयोग नहीं होने के कारण क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पानी की टंकी पर किये गये व्यय का सदुपयोग करने के लिये टंकी से पानी की सप्लाई चालू करवाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील नदबई जिला भरतपुर के ग्राम लुहासा की जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत जी. एल. आर. का निर्माण वर्ष 1988 में करवाया गया था तथा वर्ष 1988 में ही इस जी. एल. आर. पर रुपये 33,000/– का भुगतान किया गया था।

(2) जून, 1996 में आयी बाढ़ से नलकूप एवं जी. एल. आर. के क्षतिग्रस्त

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

हो जाने के कारण जी. एल. आर. का उपयोग नहीं हो रहा है।

(3) जी, हां। नलकूप एवं जी. एल. आर. को शीघ्र ही मरम्मत करवाकर चालू करने के प्रयास जारी है।

अतारांकित प्रश्न सं. 155

(स्थगित)

जिला राजसमन्द में उपभोक्ता फोरम का गठन

156. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किस-किस जिले में उपभोक्ता फोरम है? सूची सदन की मेज पर रखें। उनमें उपभोक्ता फोरम का गठन कब तक किया गया?

(2) प्रदेश के अन्य जिलों यथा; राजसमन्द आदि में कब-तक उपभोक्ता फोरम का गठन कर दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार उपभोक्ता फोरम को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु विचार कर रही है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) प्रदेश के सभी 31 जिलों में जिला मंचों का गठन किया हुआ है। केवल जयपुर जिले में एक अतिरिक्त जिला मंच का गठन किया हुआ है। जिला मंचों के गठन की दिनांक सहित सूची संलग्न है।

(2) पूर्व से ही जिला मंचों का गठन किया हुआ है।

(3) उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत स्वयं में ही प्रभावशील है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

ग्राम रावतभाटा एवं बाडोलिया (बेगूं) को राशन सामग्री की आपूर्ति

157. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की रावत भाटा और बाडोलिया ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या अलग-अलग पंचायतवार कितनी है और उन्हें पंचायतवार राशन की चीनी, गेहूं और केरोसीन प्रतिमाह कितना-कितना उपलब्ध कराया जाता है?

(2) क्या उपलब्ध करायी जाने वाली राशन सामग्री जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त है? यदि नहीं, तो पूर्ति हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है और कब तक पूरी राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) रावतभाटा और बाडोलिया ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 29,086 एवं 7,997 है। ग्राम पंचायत रावतभाटा को चीनी 157 क्विंटल, गेहूं 1044 क्विंटल एवं

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

केरोसीन 32,780 लीटर प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत बाडोलिया को लेवी चीनी 46 क्विंटल, गेहूं 204 क्विंटल एवं केरोसीन 12,100 लीटर प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) जी, नहीं। भारत सरकार से उक्त वस्तुओं की मांग के अनुसार आबंटन बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बार-बार लिखा जा रहा है। जब तक मांग के अनुरूप भारत सरकार से आबंटन प्राप्त नहीं होता है, तब तक पूरी मात्रा में जनसंख्या के अनुसार उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

कोटा परियोजना की नहरों एवं ड्रेनों का रख-रखाव

158. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय सिंचित विकास (सी. ए. डी.) परियोजना कोटा के अन्तर्गत आने वाली बायीं व दायीं मुख्य नहरों में करीब 30 प्रतिशत पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है? यदि हां तो क्या सरकार इस पानी को रोके जाने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि चम्बल में पानी उपलब्ध होने के बावजूद नहरों के उचित रख-रखाव के अभाव में प्रतिवर्ष टेल क्षेत्र के काश्तकार सिंचाई के पानी के लिये आन्दोलन करते रहते हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि नहरी पानी के दुरुपयोग की स्थिति में जहां कार्यालयों व कर्मचारियों की कमी होना तथा ड्रेनों की प्राथमिक रूप से नियमित मरम्मत एवं सफाई न कराया जाना है, वहीं काश्तकारों को इस सम्बन्ध में तकनीकी ज्ञान का न होना भी प्रमुख कारण है? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मुख्य नहर से पानी का रिसाव 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होता बल्कि वितरण प्रणाली में एवं खेतों पर सिंचाई करते समय व्यर्थ पानी जाने का प्रतिशत और अधिक बढ़ सकता है। अतः इस बर्बादी को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के निदान अपनाये जाते हैं–जैसे कि कृषकों को समझाना, कृषकों की जल समितियां बनाना, धौरों की सफाई कराना, मरम्मत कराना, अनधिकृत ओडे हटाना इत्यादि इत्यादि।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। कर्मचारियों की कमी नहरी पानी दुरूपयोग का प्रमुख कारण नहीं है। नहरी पानी के दुरुपयोग हेतु कृषक स्वयं जिम्मेदार है। विभाग द्वारा ड्रेनों की सफाई का कार्य बजट की उपलब्धता के अनुसार कराया जा रहा है परन्तु ड्रेनों के रख रखाव की कमी के कारण नहरी पानी का दुरुपयोग नहीं होता...

(सिंचाई मंत्री)

बल्कि नहरी पानी के गलत प्रयोग से ड्रेनें खराब होती हैं। नहरी पानी के उचित प्रयोग हेतु विभाग द्वारा काश्तकारों को समझाने के प्रयास किये जाते हैं जैसे आई. डब्ल्यू. ए.एम. द्वारा क्यारी बनाकर सिंचाई करने हेतु प्रोत्साहित करना, कम पानी देना, कृषकों की सोसायटी बनाकर भागीदारी बढ़ाना इत्यादि। कृषि प्रसार के माध्यम से कृषि तकनीक की जानकारी भी कृषकों को दी जाती है। इसी प्रकार कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सलाह दी जाती है ताकि उन्हें बेहतर व सम्भावित ढंग से खाद, बीज, पानी लगाने पर प्रेरित किया जा सके, परन्तु अधिकांश कमियां कृषकों के तकनीकी ज्ञान के अभाव की न होकर आदत सम्बन्धी है।

तहसील कोटपूतली के एनीकट/बांध

159. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली तहसील में कृषि सिंचाई हेतु कितने बांध व एनीकट हैं? क्या इस वर्ष भी नए बांध व एनीकट बनाये जाने प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कलां के गांव कुवाड़ा में बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बुचारा बांध के ऊपर भी कई बांध हैं और बुचारा बांध के उन बांधों के जल ग्रहण क्षेत्र में आता है, फिर भी बुचारा बांध बना है?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली में कृषि सिंचाई हेतु 5 बांध व 15 एनीकट बने हैं। परिशिष्ट "अ" "ब" संलग्न हैं। इस वर्ष कोई भी नया बांध व एनीकट बनाया जाना प्रस्तावित नहीं हैं।

(2) जी, नहीं। कुवाड़ा बांध सीकर जिले के कल्याणपुरा ग्राम में स्थित फतेहपुरा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में होने के कारण बांध बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी, हां। बुचारा बांध वर्ष 1989 में बनाया गया था, के ऊपर (जलग्रहण क्षेत्र) में 9 बांध बने हुए हैं। बुचारा बांध उनके जलग्रहण क्षेत्र में नहीं आता अपितु ये 9 बांध बुचारा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में है। परिशिष्ट "स" संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

ईसरदा बांध की स्वीकृति

160. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ईसरदा बांध बनाना मंत्रिमण्डल द्वारा सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है?

(2) क्या इसके सर्वे के लिये पूर्व में राशि आवंटित की गयी थी? यदि हां, तो कितनी और क्या उसका उपयोग हो चुका है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

(3) अब उक्त बांध कब तक शुरू करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) ईसरदा बांध के सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य हेतु 1994–95 में 5.00 लाख रुपये वर्ष 1995–96 में 25.00 लाख रुपये आबंटित किये गये थे। जिसको सर्वे कार्य, जियोलोजिकल इन्वेस्टीगेशन, हाइड्रोलोजिकल एवं मेट्रोलोजिकल स्टडीज, एन्वायर्नमेंटल स्टडीज, सोइल स्टडीज हेतु उपयोग किया गया। बांध की परियोजना रिपोर्ट तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

(3) बांध की सर्वे रिपोर्ट एवं कार्य परियोजना रिपोर्ट पूर्ण होने के पश्चात् ही आगामी निर्णय लिया जा सकता है।

जिला बांसवाड़ा में माइनर निर्माण

161. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार गंडेला माइनर को गांव नागदला (पुटवाड़ा) तक खुदवा कर काश्तकारों को कब तक पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(2) सरकार सोवावा माइनर खोदकर कब तक किसानों को पानी देने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार बांसवाड़ा जिले में प्राथमिकता के आधार पर माइनरों का निर्माण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) माही परियोजना के अन्तर्गत गंडेला माइनर की आर.डी. 2.5 कि.मी. से निकलने वाली नागदला माइनर के निर्माण के कार्य का प्रावधान वित्तीय वर्ष 1997–98 में लिया गया है एवं निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर "रबी" 1998 को सिंचाई हेतु आंशिक रूप से पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) इस परियोजना के अन्तर्गत जगपुरा नहर की आर.डी. 840 मीटर से निकलने वाली सोवावा (सुवावा) माइनर के निर्माण के कार्य का प्रावधान वित्तीय वर्ष 1997–98 में लिया गया है। बजट की उपलब्धता पर इस माइनर से वर्ष 1998–99 में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी, हां। माही परियोजना की नहर प्रणाली में प्राथमिकता के आधार पर माइनरों के निर्माण के कार्य करवाये गये हैं। शेष रही प्रस्तावित माइनरों के निर्माण के कार्य प्रगति पर है, जिन्हें बजट की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

पंचायतों में ग्राम सेवकों का पद स्थापन

162. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुछ ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव कार्यरत हैं ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

यदि हां, तो जयपुर जिले की कौन-कौन सी पंचायतों में सहायक सचिव कब-कब से कार्यरत हैं तथा उनको कितना वेतन प्रति माह मिलता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ सहायक सचिवों को ग्राम सेवक भी बनाया गया है ? यदि हां, तो इस वर्ष में किस-किस को कब-कब व किस प्रक्रिया से ?

(3) क्या यह भी सही है कि गत तीन वर्षों में इनमें से किसी का स्थानान्तरण एक पंचायत से दूसरी पंचायत में किया गया है ? यदि हां, तो किस किस का कब-कब किस के द्वारा किस प्रक्रिया से ?

(4) क्या सरकार की भविष्य में इनकी स्थायी नियुक्ति की जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ?

(5) क्या पूर्व में कभी इनको ग्राम सेवक बनाया गया था ? यदि हां, तो कब किस प्रक्रिया से तथा इस प्रक्रिया को आगे बन्द क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) सहायक सचिव का कोई पद ग्राम पंचायत में सृजित नहीं है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के निर्णय दिनांक 5.12.96 की क्रियान्विति हेतु समस्त जिला कलक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को विभाग द्वारा दिनांक 22.1.97 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(5) जी, नहीं।

राजस्थान पंचायती राज संस्था अधिनियम की क्रियान्विति

163. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पंचायती राज संस्था अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने नियम बना दिये हैं ? यदि हां, तो कब तथा इन्हें कब से लागू किये गये ? नियमों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिनियम लागू होने के बाद अभी तक नियम क्यों नहीं बनाये गये तथा इस देरी के लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत नवीन पंचायती राज नियम, 1996 बनाये जा चुके हैं। नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर पूर्व ही रखी जा चुकी हैं। यह नियम 30.12.1996 से लागू हो चुके हैं।

(2) नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 दिनांक 23 अप्रेल, 1994 से प्रभाव में आने पर अधिनियम के अन्तर्गत नवीन पंचायती राज नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया था। परन्तु इसी दौरान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

हेतु एक ही प्रकार के नियम बनाने हेतु विधायकों, प्रधानों, सरपंचों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विकास अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। तदनुसार आवश्यक संशोधन करते हुए नियमों को अन्तिम रूप दिया गया साथ ही विभिन्न विभागों के अनुमोदन और केबिनेट की स्वीकृति के बाद ही नियमों की रचना सम्भव हो सकी है।

विकलांग/मृत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति के सम्बन्ध में जारी नियम/परिपत्र

164. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त नियमों की अद्यावधि संशोधित प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नियमों के अन्तर्गत अब तक प्रसारित किये गये परिपत्र/आदेशों की प्रतियां भी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग में शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश/परिपत्रों सहित इन नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) उक्त नियमों के अन्तर्गत अब तक प्रसारित किये गये परिपत्र/आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी।

(3) जी, हां। संशोधित आदेशों/परिपत्र सहित नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति जहाजपुर (भीलवाड़ा) की दुकानों का नीलामी प्रकरण

165. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर की दुकानें वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में किराया पद्धति से नीलाम की गयी है? यदि हां, तो इसके सूचना पत्र, नीलामी की सूची बोली मय समस्त कार्यवाही की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति की दुकानों के किराया नीलामी के पीछे कोई नीति नियम तथा निर्देश बनाये गये हैं? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में दुकानों के एक वर्ष के लिये नीलामी के नोटिस जारी किये गये थे और बाद में उनको 5 वर्ष की अवधि कर दी गयी? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सौदेबाजी व गलत नीलामी नोटिस के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जांच करा कर इन्हें पुनः 1996-97 में नीलामी के आदेश देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या नीलामी की कार्यवाही वर्ष 1996-97 में भी बिना कोई मानदण्ड के की गई और नीलामी को बीच में रोक कर एक दुकान आरक्षित करने की कार्यवाही किया जाना क्या वैधानिक तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत है ?

(5) पंचायत समिति के निजी (पुलिस स्टेशन के पास स्थित) क्वार्टर पर गत दो वर्ष से किसका कब्जा है ? इस हेतु कौन जिम्मेवार है एवं इसका कितना किराया वसूला जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में दुकानें किराया पद्धति से नीलाम की गयी है । नीलामी की सूची, बोली एवं समस्त कार्यवाही की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(2) जी, हां । दुकानों के किराया नीलामी के लिए नीति निर्देश व शर्तें तय की जाती है । यह नीति निर्देश व शर्तें नीलामी सूचना पत्र में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार हैं जो प्रश्न के भाग (1) में सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(3) जी, नहीं । नीलामी नोटिस के अनुसार दुकानें एक वर्ष के लिए ही किराये पर दी गई थी । लेकिन तत्कालीन प्रधान व बी.ए. ने वित्त कर एवं प्रशासन स्थायी समिति से पांच वर्ष के लिए आवंटित किये जाने की अभिशंषा की थी, लेकिन इसका अनुमोदन आगामी बैठक में नहीं किये जाने के कारण दुकानें एक वर्ष के लिए ही आवंटित मानकर दुकानें खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

(4) जी, नहीं । वर्ष 1996–97 में दुकानों की नीलामी कार्यवाही नियमानुसार नीलामी सूचना का प्रसारण कर वैधानिक तरीके से सम्पन्न की गयी है । दुकान अनु. जाति/जन जाति के लिए आरक्षित रखी गयी है जो पंचायत समिति की सामान्य बैठक दिनांक 3-11-1996 के प्रस्ताव सं. 1 से अनुमोदित है ।

(5) पंचायत समिति के पुलिस स्टेशन के पास क्वार्टर नं. 15 है । जिसे वित्त कर एवं प्रशासन स्थायी समिति की बैठक दि. 19-2-96 के निर्णय संख्या 3 के अनुसार प्रधान व अन्य जन प्रतिनिधियों के काम लिया जा रहा है । एक कमरा व रसोई प्रधान द्वारा काम में लिया जा रहा है, जिसका 100/– रुपया किराया वसूल किया जा रहा है । प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति डेगाना की जनता आवासीय योजना

166. श्री रिछपालसिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रिछपालसिंह मिर्धा)

(1) पंचायत समिति डेगाना (नागौर) में वर्ष 1995 से दिसम्बर, 1996 तक कुल कितनी राशि आवेदकों द्वारा जनता आवास योजना में जमा करवायी गयी ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जनता आवास योजना के आवेदकों में से कितनों को ऋण दिया गया है, कितनों का बकाया है ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 से अभी तक पंचायत समिति डेगाना में किसी भी आवेदक को जनता आवास योजना में ऋण का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति डेगाना (नागौर) में वर्ष 1995 से दिसम्बर, 1996 तक कुल रु. 6,54,000/– (अक्षरे रुपये छह लाख चौपन हजार) जनता आवास योजना में आवेदकों ने जमा कराए। विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है ।

(2) जनता आवास योजना के आवेदकों में से 108 को प्रति आवेदक रुपये 6000/– (अक्षरे छह हजार) ऋण के रूप में पंचायत समिति डेगाना के पी. डी. खाते से भुगतान किया गया है । एक व्यक्ति को कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है । सूची संलग्न है ।

हुडको से वर्ष 1995–96 की ऋण राशि का आबंटन नहीं होने के कारण प्रति व्यक्ति 5500/– रु. का भुगतान नहीं किया गया है । इस प्रकार 109 व्यक्तियों को शेष राशि रु. 5500/– प्रति व्यक्ति भुगतान करना बकाया है, जो हुडको से प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

(3) यह सही नहीं है । पंचायत समिति डेगाना द्वारा वर्ष 1995–96 के 108 आवेदकों को प्रति व्यक्ति 6000/– रु. प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किया जा चुका है शेष राशि हुडको से प्राप्ति के प्रयास जारी हैं, प्राप्त होते ही राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति झालरापाटन में गबन प्रकरण

167. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड़ में करीब 46 लाख के गबन सम्बन्धी मामलों में अनेक विकास अधिकारियों को विभाग द्वारा एवं उनके पैतृक विभाग द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी को कब-कब निलम्बित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गबन से जुड़े अधिकारियों को अभी तक किसी भी स्तर से सी सी ए. नियम 16 के तहत आरोप-पत्र तामील नहीं करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री हरिसिंह)

(3) क्या यह सही है कि इस मामले में राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, कोटा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो किस–किस अभियुक्त को कब–कब गिरफ्तार किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि गबन से जुड़े कुछ विकास अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग द्वारा निलम्बन से बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस अधिकारी को किन-किन आधारों पर बहाल किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । आदेश दिनांक 16-6-94 के द्वारा श्री मोहनलाल राठौड़ एवं आदेश दिनांक 29-7-94 के द्वारा श्री सैयद रफीक अहमद नकवी, पूर्व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झालरापाटन को निलम्बित किया गया । निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने भी अपने आदेश दिनांक 25-4-1995 के द्वारा श्री नकवी को निलम्बित किया ।

(2) जी, हां । प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकार्ड अन्वेषण ब्यूरो की कस्टडी में होने के कारण जांच अधिकारी ने पूर्ण जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और अभियोग का अन्वेषण भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण इन्हें आरोप पत्र नहीं दिये गये हैं ।

(3) जी, हां । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियोग में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है ।

(4) आयोजना विभाग ने अपने आदेश दिनांक 1-8-1996 के द्वारा श्री मोहन लाल राठौड़ को इस आधार पर बहाल किया कि उन्हें दो वर्ष तक आरोप पत्र नहीं किये गये हैं । उसे पुनः निलम्बन हेतु विभाग द्वारा लिखा जा चुका है ।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं की नवगठित पंचायतों हेतु भवन व्यवस्था

168. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में कितनी नयी ग्राम पंचायतें कायम की गयी थी ? नयी स्थापित ग्राम पंचायतों के पंचायत मुख्यालय पर पंचायत भवन बनाने के क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सभी नयी पंचायतों के भवनों का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायतों का ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें । शेष कौन-कौनसी पंचायतें बची है, उनके भवन अब कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 8 नयी ग्राम पंचायतें कायम की गयी हैं । स्थापित ग्राम पंचायतों के पंचायत मुख्यालयों पर ही पंचायत भवन बनाने का प्रावधान है जिसमें एक बड़ा हॉल, एक कार्यालय भवन, एक स्टोर एवं एक बरा-

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

मदा तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है ।

(2) जी, नहीं । पंचायत भवनों का निर्माण जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के तहत कराया जाता है ।

ग्राम पंचायत धोबलाई (जयपुर) के ग्राम स्याऊ में संचालित गोशाला

169. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धोबलाई पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर के अन्तर्गत ग्राम स्याऊ की गोचर भूमि पर एक गोशाला का निर्माण करवाया गया है ? यदि हाँ, तो इस हेतु कितनी बीघा भूमि सरकार द्वारा दी गयी है ?

(2) गौ-शाला भवन के निर्माण पर कितनी राशि सरकार द्वारा व्यय की गयी? व्यय की गयी राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त गौ-शाला के निर्माण एवं व्यवस्था के लिए कितनी राशि दानदाताओं द्वारा अब तक दी गयी ? दानदाताओं का नाम, दी गयी राशि का विवरण मय रसीद संख्या एवं दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त गौ-शाला की क्या व्यवस्था है ? वहां वर्तमान में कितनी गायें हैं ? गौ-शाला के निर्माण के बाद से अब तक कितनी गायों की मृत्यु हुई ?

(5) उक्त गौ-शाला का सचिव कौन है ? क्या उसके विरुद्ध गोचर भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने की शिकायतें जिला कलक्टर को प्राप्त होने पर उसकी जांच कराने पर सचिव को दोषी पाया गया है ? इस मामले में सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां । ग्राम पंचायत, धोबलाई पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर के अन्तर्गत ग्राम स्याऊ की गोचर भूमि में एक गौ-शाला का निर्माण करवाया गया है । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 112 बीघा 12 बिस्वा भूमि लीज पर दी गयी है ।

(2) गौ-शाला भवन निर्माण कार्य पर सरकार द्वारा 5,00,025/– (अक्षरे पांच लाख पच्चीस) रुपये का व्यय वर्ष 1994-95 में किया गया है जिसमें 1,50,000/– रुपये जन सहयोग का अंशदान शामिल है । इसके अलावा ग्राम पंचायत धोबलाई द्वारा 3 गायों के शेड व 2 चारा गोदामों का निर्माण करके प्रबन्धन कार्यकारिणी को सम्भलाये गये हैं ।

(3) उक्त गौ-शाला के निर्माण एवं व्यवस्था के लिए दानदाताओं द्वारा जनवरी, 1994 से अब तक 4,78,665.50/- रुपये (अक्षरे चार लाख अठेत्तर हजार छह सौ पैंसठ रुपये पचास पैसे) की राशि दी गयी है तथा अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 23.5.94 से 15.7.94 तक 3/– रु. प्रति गाय के हिसाब से चारा अनुदान की कुल राशि 65,267/– रु. गौ-शाला के लिए दानदाताओं का नाम, दी गयी राशि की

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

विवरण मय रसीद संख्या व दिनांक सहित सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) उक्त गौ-शाला श्री कृष्ण गोपाल गौ-शाला व्यवस्थापन समिति के तत्वाधान में चल रही है। वर्तमान में वहां पर 113 गायें एवं 43 बछड़े/बछड़ी हैं। गौ-शाला निर्माण के बाद वर्ष 1994 से अब तक सचिव के बताये अनुसार 74 गायें/बछड़ों की मृत्यु हुई है।

(5) उक्त गौ-शाला का सचिव श्री रघुवीर सिंह शेखावत निवासी अणतपुरा, चिमनपुरा तहसील चौमूं है। उक्त गौ-शाला के सचिव के नाम अतिक्रमण करने की रिपोर्ट आने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समितियों का अंकेक्षण प्रकरण

170. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों का अंकेक्षण (ऑडिट) लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो राज्य की पंचायत समितियों का आडिट कौन से वर्ष तक कर लिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कई पंचायत समितियों के आडिट समय पर न करने के क्या कारण हैं तथा इस बाबत सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) गत पांच वर्षों में पंचायत समितियोंवार कितने-कितने ड्राफ्ट पैरा बने ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने पैरा का निस्तारण कर दिया गया तथा कितनी राशि वसूल की गयी ?

(4) सबसे पुराने कौन से वर्ष के कितने कितने प्रकरण (ड्राफ्ट पैरा) का निस्तारण अभी तक बाकी है ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि वित्त राजस्व एवं अंकेक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. डी. (2) 6032/एफ. 16 (4) एए/56 दिनांक 16.1.57 के द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण, 1954 की धारा 4 के अन्तर्गत पंचायत समितियों के अंकेक्षण हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्राधिकृत किया हुआ है। बिन्दु सं. 2 में वर्णित 4 पंचायत समितियों के अतिरिक्त राज्य की समस्त पंचायत समितियों का वर्ष 1994-95 तक की अवधि का अंकेक्षण किया जा चुका है।

(2) निम्नांकित चार पंचायत समितियों का अंकेक्षण उनके सम्मुख कारणों से नहीं किया जा सका है—

क्र.सं.	पंचायत समिति	वर्ष	अवशेष रहने का कारण
1	2	3	4
1.	उनियारा	1967-68	अभिलेख

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

1	2	3	4
2.	कोटड़ी	1983-84	न्यायालय में विचाराधीन
3.	छोटीसादड़ी	1983-84	अभिलेख पुलिस जांच में
4.	किशनगंज	1979-80 1980-81 की	अभिलेख अनुपलब्धता

(3) पिछले पांच वर्षों में पंचायत समितियों के 564 ड्राफ्ट पैरा बने तथा 39 ड्राफ्ट पैरा का निस्तारण हुआ । सूची संलग्न है (परिशिष्ट–1) 30 ड्राफ्ट पैरा के निस्तारण के परिणामस्वरूप 1.33 लाख रुपये की राशि की वसूली (नियमन) समायोजन हुआ ।

(4) पंचायत समितियों द्वारा पुराने ड्राफ्ट पैरा की वर्षवार सूची संलग्न है (परिशिष्ट–2) जिसके अनुसार पांच वर्ष से अधिक अवधि के 1237 ड्राफ्ट पैरा का निस्तारण अभी तक बाकी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत छऊको खींवसर (झुन्झुनूं) द्वारा अनियमितताएं

171. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत छऊको खींवसर निर्वाचन क्षेत्र गुढ़ा (झुन्झुनूं) में समाज कल्याण भवन निर्माण हेतु 60,000/– रु. दिये गये थे, जिसमें से 28,969 रु. का गबन हुआ है ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरपंच के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार द्वारा इस अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(4) क्या इस अपूर्ण कार्य को जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित योजना, विधायक कोष, सांसद क्षेत्रीय विकास कोष आदि से पूरा करवाया जा सकता है ?

(5) अभी तक रुपया वसूली की कार्यवाही नहीं करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी, हां । उक्त निर्माण कार्य का मूल्यांकन 31,031/– रुपये का किया गया है ।

(2) सरपंच को चार्ज देने हेतु लिखा गया था, चार्ज नहीं देने के कारण सरपंच के विरुद्ध तहसीलदार को थाना गुढामोडजी में एफ. आई. आर. दर्ज करने हेतु लिखा गया है तथा सरपंच के विरुद्ध मुंसिफ कोर्ट उदयपुरवाटी में इस्तगासा दायर कर दिया गया है ।

(3) जवाहर योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्य पूर्ण करने हेतु स्वीकृति जारी कर दी गयी है ।

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

(4) भाग (3) में अंकित कर दिया गया है।

(5) सम्बन्धित सरपंच द्वारा चार्ज नहीं दिये जाने के फलस्वरूप तहसीलदार को थाना गुढ़ामोहंजी में एफ. आई. आर. दर्ज कराने हेतु लिखा गया तथा तहसीलदार द्वारा मुंसिफ कोर्ट में इस्तगासा दायर कर दिया गया है। कोर्ट के निर्णय के पश्चात् ही तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्न सं. 172

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न सं. 173

(स्थगित)

पंचायत समिति बामनवास में कुओं/पम्पसैट हेतु अनुदान

174. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पंचायत समिति बामनवास को डार्क जोन घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या पंचायत समिति बामनवास में किसानों को कुओं व पम्पस् आदि पर अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

जी, हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पंचायत समिति बामनवासको डार्क जोन में घोषित किया गया था। भू जल विभाग द्वारा 1.1.90 की भू-जल भण्डारण की स्थिति के आधार पर फरवरी, 1991 से पंचायत समिति–बामनवास को डार्क जोन क्षेत्र घोषित किया गया था।

भू-जल भण्डारण में सुधार होने पर दिनांक 1.7.90 के भू-जल मूल्यांकन के आधार पर पंचायत समिति–बामनवास को पुनः व्हाइट जोन में घोषित किया गया है।

पंचायत समिति बामनवास को व्हाइट जोन घोषित करने के पश्चात् भूमि विकास बैंक द्वारा किसी भी कृषक को ऋण स्वीकृत नहीं किए गए हैं। अतः किसी कृषक को इस अवधि में लाभान्वित नहीं किया गया है।

पंचायत समिति नीमकाथाना के स्वीकृत राहत कार्य

175. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पंचायत समिति नीमकाथाना जिला सीकर में निम्नलिखित राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो कितनी राशि की स्वीकृति थी :—

1. चीपलाटा से भारू की ढाणी सड़क कार्य।

2. प्राथमिक शाला मोजमेड़ की चार दीवारी।

3. प्राथमिक शाला झिराना की चार दीवारी।

यदि हां, तो उक्त कार्यों की स्वीकृति कब जारी की गयी थी, उक्त कार्य कब

(श्री मोहनलाल मोदी)

चालू किये व कब पूर्ण किये गये और किस एजेंसी द्वारा कार्य कराये गये ?

उत्तर

जी, हां । कार्य आरम्भ करने का दिनांक, कार्यों के लिए स्वीकृत राशि, कार्यकारी एजेंसियों का विवरण तथा कार्य पूर्ण होने का दिनांक सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट–1 में संलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

राजस्थान परिवहन निगम का किराया वृद्धि प्रकरण

176. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा अप्रेल, 1994 से दिसम्बर, 1996 तक किस-किस श्रेणी की बसों का कब-कब कितना प्रतिशत किराया बढ़ाया गया ?

(2) उक्त अवधि में यात्रियों की सुविधाओं में कब-कब और क्या-क्या वृद्धि की गयी ?

(3) उक्त अवधि में निगम के पास किस-किस श्रेणी की कुल कितनी बसें थी ?

उत्तर

(1) अप्रेल, 1994 से दिसम्बर, 1996 तक की अवधि में राज्य में संचालित मंजिली वाहनों (नगर पालिका क्षेत्र के अन्दर चलाये जाने वाली मंजिली वाहनों को छोड़कर) के यात्री किराये में जो वृद्धि हुई है, उसका विवरण तथा प्रतिशत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) उक्त अवधि में निगम द्वारा यात्री सुविधाओं में समय-समय पर की गयी वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न कर प्रेषित है ।

(3) वर्ष 1994–95, 1995–96 एवं 1996–97 तक (दिसम्बर, 1996 तक) निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष **श्रेणीवार बस सेवाएं—**

	साधारण	एक्सप्रेस	सेमी डीलक्स	डीलक्स	वातानुकूलित
1994-95	2695	1373	135	26	8
1995-96	2801	1552	153	34	8
1996-97	2697	1511	155	34	8

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट- 11देखें)

परिवहन निगम आगार हिण्डौन प्रकरण

177. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य परिवहन निगम का हिण्डौन आगार वित्तीय

(श्री विष्णु मोदी)

वर्ष 1996-97 में अवैध वाहनों के संचालन के कारण घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त आगार को दिसम्बर, 1996 तक कुल कितनी हानि हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि निगम के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन के निष्क्रिय रहने के कारण अवैध बस मालिकों ने निगम के समानान्तर परिवहन सेवाएं चला रखी हैं और उनके पास कोई परमिट भी नहीं है ? यदि हां, तो निगम द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि निगम के पास स्वयं के बस स्टैंड नहीं होने से भी दिन प्रतिदिन घाटे मे बढ़ोतरी होती जा रही है ? यदि हां, तो निगम के स्वयं के बस स्टैंड उपलब्ध होने के सम्बन्ध में क्या कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एवं (2) वाहनों के अवैध संचालन से निगम को होने वाली हानि अगणनीय है, क्योंकि अवैध रूप से संचालित वाहनों का समय और मार्ग निश्चित नहीं होता है। तथापि वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 1996 (दिसम्बर, 1996 तक) में अवैध वाहनों के संचालन के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

चालान किये गये वाहन	वसूल की गयी प्रशमन राशि	जब्त किये गये वाहन
4760	9,67,529	30

(3) जी, नहीं। हिण्डौन आगार में निगम का स्वयं का बस स्टैंड नहीं है। हिण्डौन में बस स्टैंड हेतु भूमि आबंटन के लिए प्रार्थना-पत्र लगा दिया गया है।

झुन्झुनूं जिले में बिना परमिट संचालित वाहनों से वसूल जुर्माना

178. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले के जिला यातायात अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1996 में बिना परमिट चलने वाली किन-किन गाड़ियों से कितना-कितना जुर्माना वसूल किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भिन्न-भिन्न गाड़ियों से जुर्माना वसूल करने में भिन्न-भिन्न मानदण्ड अपनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) यातायात विभाग के अधिकारियों को मोटरयान अधिनियम एवं नियमों में जुर्माना वसूल करने का अधिकार नहीं है। जुर्माना केवल सक्षम न्यायालय द्वारा ही लगाया जा सकता है। अतः

(राज्य मंत्री, यातायात)

यातायात अधिकारियों द्वारा जुर्माना लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। यातायात विभाग के अधिकारी केवल प्रशमन करने हेतु अधिकृत हैं।

शोकाभिव्यक्ति

श्री वीरेन्द्र पाटिल, पूर्व मुख्य मंत्री कर्नाटक का निधन

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री वीरेन्द्रजी पाटिल का पिछले दिनों में देहांत हो गया।

श्री वीरेन्द्र जी पाटिल भिन्न-भिन्न पदों पर रहते हुए, मैसूर राज्य के भी मुख्य मंत्री थे। वे राज्य सभा के भी सदस्य रहे, लोक सभा के भी सदस्य रहे और सन् 1980 से 1984 के बीच में केन्द्र में पैट्रोलियम मंत्री भी रहे।

कर्नाटक के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और कई मामलों को लेकर वह चर्चित भी रहे। ऐसे श्री वीरेन्द्र पाटिल का देहांत हो जाने से देश में एक अच्छे नेता का अभाव हो गया है।

मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमात्मा उनको शांति दे। उनके शोक संतप्त परिवार को इस कष्ट को सहने का साहस और धैर्य प्रदान करे। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और सदन की ओर से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के उप नेता ने कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरेन्द्र जी पाटिल के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

वरिष्ठ राजनेता श्री वीरेन्द्र जी पाटिल का जन्म गुलबर्गा जिले के चिंचोली गांव में 28 फरवरी, 1924 को हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गुलबर्गा गवर्नमेंट स्कूल एवं विवेकवर्धिनी स्कूल, हैदराबाद में हुई। इसके बाद आपने उस्मानिया विश्वविद्यालय से बी.ए., एलएल.बी की उपाधि प्राप्त कर वकालत प्रारम्भ की। वर्ष 1942 में आप वकालत छोड़कर 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में शामिल हुए और कांग्रेस के पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता बन गये।

श्री पाटिल तत्कालीन हैदराबाद राज्य में वर्ष 1952 में हुए पहले आम चुनावों में अलंद क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1957 एवं 1962 के आम चुनावों में आप चिंचोली क्षेत्र से मैसूर विधान सभा के सदस्य चुने गये। राज्यों के पुनर्गठन के बाद आप तत्कालीन मैसूर सरकार में वर्ष 1956-58 एवं 1961-62 में उप मंत्री तथा 1962-68 में लोक निर्माण एवं परिवहन मंत्री रहे।

आप वर्ष 1968 से 1971 तक मैसूर राज्य (अब कर्नाटक) के मुख्य मंत्री रहे। वर्ष 1972 से 1978 तक आप राज्य सभा के तथा वर्ष 1980 से 1989 तक सातवीं तथा आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप मार्च, 1980 से 1984 तक केन्द्रीय सरकार में

(श्री अध्यक्ष)

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे।

वर्ष 1989 के आम चुनावों के बाद आप दुबारा कर्नाटक राज्य के मुख्य मंत्री बनाये गये। अपने राजनीतिक जीवन में श्री पाटिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस (संगठन) और जनता पार्टी से सम्बद्ध रहे। संसद के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1965 में सोवियत रूस और वर्ष 1973 में पश्चिम जर्मनी गये। संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे। इसके अलावा आपने आस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, इटली, ब्रिटेन, स्विट्जरलैण्ड, अमरीका, कनाडा आदि देशों की भी यात्राएं की।

श्री पाटिल ने जहां मुख्य मंत्री के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहीं केन्द्रीय मंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया।

श्री वीरेन्द्र जी पाटिल का निधन दिनांक 14 मार्च, 1997 को हो गया।

मैं दिवंगत श्री पाटिल साहब को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक सन्तप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दें।

(तदन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड को उदय निवास, उदयपुर, टोकन मनी पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गढ़ी तहसील क्षेत्र में 132 के.वी. पावर स्टेशन का निर्माण करवाये जाने एवं अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेगूं विधान सभा क्षेत्र में राणा प्रताप सागर की पेटा काश्त आवंटनशुदा जमीन पर लगान वसूलने के स्थान पर अतिक्रमण का केस बनाकर नाजायज पैनल्टी वसूले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति उप-योजना क्षेत्र में संभाग, जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर जनजाति के लोगों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री पराक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला दौसा के थाना सैंथल के गांव वापी में कतिपय अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों द्वारा आतंक फैलाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य, श्री भवानी जोशी। भवानी जोशीजी बोल लें, आप बाद में बोल लेना। उनके बाद कर लेना आप अगर आपको देखना है तो। पढ़िये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

उदय निवास, उदयपुर का टोकन मनी पर आबंटन

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड को उदय निवास को टोकन मनी पर आबंटित करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान के अपने आदेश दिनांक 2.6.1959 की अनुपालना में सहायक शासन सचिव, शिक्षा विभाग ने अपने आदेश दिनांक 2.6.1959 से उदय निवास उदयपुर को भारत स्काउट एवं गाइड हेतु आबंटित किया गया। ऐसा ही आबंटन माउण्ट आबू, जयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर एक रुपया टोकन मनी पर भूमि और भवन आबंटित किये गये। लेकिन उदयपुर जिला प्रशासन ने राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये आदेश को न देख कर इस केन्द्र को लीज मनी के अभाव में 9.00 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिये। जिला कलक्टर,उदयपुर ने अपने पत्रांक-12/3 (113) रा/81/7180 दिनांक 7.10.96 से तहसीलदार, गिर्वा को यह निर्देशित किया है कि महालेखाकार की आपत्ति के संदर्भ में 6 प्रतिशत लीज मनी की राशि को लगभग 8,66,000/- रुपये से अधिक होती है राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड, उदयपुर से वसूल की जाए। इस आदेश से भारत स्काउट एवं गाइड के समक्ष कठिनाई और विपत्ति उपस्थित हो गयी है। यह संस्था राज्य सरकार के अनुदान पर ही निर्भर है और इसकी अन्य कोई प्रवृत्तियां नहीं हैं जिसके आधार पर यह इतनी बड़ी रकम जमा करा सके। तहसीलदार, गिर्वा (उदयपुर) के लेखा निरीक्षण 4/94 से 3/96 तक महालेखाकार के दल ने जांच में यह आक्षेप किया है जिसका स्पष्ट उत्तर यह था कि यह राज्य सरकार के आदेश से आबंटन किया गया है और निःशुल्क आबंटन है। अतः भारत स्काउट एव गाइड जैसी महत्वपूर्ण संस्था को कठिनाई से बचाने के लिए राजस्व विभाग को इस आपत्ति को निरस्त करना चाहिए या एक रुपया वार्षिक टोकन के रूप में वसूल किया जाना चाहिये।

अतः माननीय राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

गढ़ी तहसील क्षेत्र में पावर स्टेशन का निर्माण एवं अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया के नियम 295

(श्री भवानी जोशी)

के तहत गढ़ी क्षेत्र में 132 के.वी. पावर स्टेशन का निर्माण एवं अधिशासी अभियन्ता कार्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

गढ़ी तहसील क्षेत्र जिसमें 167 राजस्व गांव व 55 ग्राम पंचायतें हैं लगभग सम्पूर्ण गांव विद्युतीकृत है, वर्तमान में इस क्षेत्र में दो परतापुर एवं अरथूना दोनों स्थानों पर 33 के. वी. पावर स्टेशन हैं। इनकी विद्युत सप्लाई सागवाड़ा जो डूंगरपुर जिले में स्थित है, वहां स्थित 132 के.वी. पावर स्टेशन से हो रही है।

परतापुर कस्बा बांसवाड़ा जिले का दूसरे नम्बर का बड़ा कस्बा है, के पास रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत किया गया है।

परतापुर कस्बे में बोहरा समुदाय के एक हजार परिवार निवास करते हैं, जिसमें सभी खाड़ी देश, विशेषकर कुवैत में कार्यरत हैं, एवं अन्य समाजों के लोग भी खाड़ी देश (कुवैत) में कार्यरत हैं, साथ ही उनमें से अधिकांश परिवार अपने इस औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजन कर औद्योगीकरण के लिए उत्सुक भी हैं।

परतापुर के पास ही भीमसोर गांव के पास होकर 132 के. वी. की सर्विस लाइन जा रही है वहां पर पर्याप्त भूमि भी है, जहां 132 के. वी. स्टेशन स्थापित करना अधिक खर्चीला भी नहीं रहेगा।

बिजली की इस क्षेत्र में समस्या एवं सागवाड़ा पर निर्भरता के कारण औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजन के उत्सुक व्यक्ति हतोत्साहित हो रहे हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि बिजली की मांग उपभोक्ता व औद्योगीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर परतापुर के पास 132 के. वी. स्टेशन व अधिशासी अभियन्ता कार्यालय स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

बेगूं में पेटा काश्त आबंटन शुदा जमीन पर नाजायज पैनल्टी की वसूली

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के अन्तर्गत बेगूं विधान सभा क्षेत्र में राणा प्रताप सागर की पेटा काश्त आबंटनशुदा जमीन का लगान वसूलने के बजाय अतिक्रमण के केस बनाकर नाजायज पैनल्टी कुर्की द्वारा वसूल किये जाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

आपके माध्यम से मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले के राणा प्रताप सागर बांध की पेटा काश्त जमीन का आबंटन डूब विस्थापितों को सन् 1982 में हुआ था उसके बाद सन् 1983 में आबंटन हेतु उद्घोषणा भी निकाली गयी थी।

आज उन्हीं डूब विस्थापित किसानों को जिनको सन् 1982 में पेटा काश्त भूमि आबंटित की गयी थी और बाद में किन्हीं कारणों से या सरकार की लापरवाही से आबंटन नहीं किया गया, अतिक्रमी मानकर पिछले 13–14 सालों की इकट्ठी पैनल्टी

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

एकमुश्त देने पर भारी दबाव डाला जा रहा है, उनके कुर्कियां की जा रही हैं, उनको इतना परेशान किया जा रहा है कि किसान गांव छोड़कर इधर–उधर भागे-भागे फिर रहे हैं और अपनी औरतों के जेवर बेचने को मजबूर हो रहे हैं।

जबकि नियम यह है कि जो पेटा काश्त भूमि एक बार अलॉट हो गयी और बाद में किन्हीं कारणों से अगर अलॉट नहीं की गयी तो ऐसे किसानों को अतिक्रमी नहीं माना जाए, उनसे शास्ति वसूल नहीं की जाए, मात्र लगान ही वसूला जाए।

मैं आपके मार्फत माननीय राजस्व मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे पेटा काश्त भूमि के किसानों से तत्काल गलत लगायी गयी शास्ति वसूली पर रोक लगायी जाए, मात्र लगान ही वसूल किया जाए और भविष्य में समय–समय पर जहां भी पेटा काश्त भूमि है, आबंटन किया जाता रहे, ऐसी व्यवस्था कराए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति के लोगों के लिए धर्मशालाओं का निर्माण

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जिला व तहसील मुख्यालयों पर जहां चिकित्सा सुविधाएं हैं, धर्मशालाओं के निर्माण हेतु माननीय जनजाति मंत्री महोदय का ध्यान इस विशेष उल्लेख के जरिये दिलाना चाहता हूं।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति परिवार आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर हैं। दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने व आवागमन के साधनों के अभाव में इन्हें तहसील, जिला या सम्भागीय मुख्यालयों पर प्रशासनिक कार्यों व विशेष रूप से इलाज हेतु जाना पड़ता है एवं वहां दो से दस दिन तक रुकना पड़ता है। उन क्षेत्रों में होटलों आदि में वे गरीब लोग रुक नहीं सकते एवं बाहर फुटपाथ आदि पर रुकने पर पुलिस व बदमाशों द्वारा प्रताड़ित व परेशान किया जाता है। माकूल व्यवस्था नहीं होने से सर्दी, गर्मी, वर्षा के प्राकृतिक प्रभावों से पीड़ित होना पड़ता है।

इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये आकर्षित करते हुए निवेदन है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में सम्भाग, जिला व तहसील मुख्यालयों पर जनजाति के लोगों हेतु धर्मशालाओं का निर्माण करवा कर जनजाति के लोगों को राहत दिलायी जाए।

मैं, माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हैं उनसे आश्वासन चाहूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : अध्यक्ष महोदय, गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष उल्लेख के जरिये सदन को जानकारी दी है, उससे मैं शत–प्रतिशत सहमत हूं। उदयपुर सम्भाग में जहां–जहां भी जिला चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऐसे जहां पर मरीजों को प्रवेश दिया जाता है वहां पर उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं,

(श्री नन्दलाल मीणा)

उनके रहने, खाना बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं इतना ही सदन से निवेदन कर सकता हूं कि वर्ष 1997–98 में भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता में जो राशि प्राप्त होगी उससे उपयोजना क्षेत्र में राशि के आधार पर इस तरह की धर्मशालाएं, सामुदायिक भवन या रोगियों के ठहरने की व्यवस्था जितनी हो सकेगी, निश्चित रूप से की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री पराक्रम सिंहजी। (अनुपस्थित), श्री चुन्नीलाल गरासिया।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, में गृह मंत्रीजी का ध्यान डूंगरपुर जिले की पुलिस के व्यवहार की ओर दिलाना चाहूंगा।

वैसे तो आये दिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में पुलिस का व्यवहार विशेष रूप से आदिवासियों के प्रति जहां हम 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने पुराने तौर तरीकों के आधार पर उनके साथ व्यवहार करते हैं और कई आदिवासी निर्दोष लोगों को थानों में बुलाकर के उनके साथ अमानवीय व्यवहार करती है। मैं एक घटना की ओर माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। दिनांक 3.1.1997 को थाना धम्बोला के अन्तर्गत एक आदिवासी सणागो बुलाया गया एवं जिस अपराधी की उनको तलाश थी, उस अपराधी को न बुलाकर इसको अपराधी मानकर उसके विरुद्ध चालान पेश किया गया एवं कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसको जे. सी. कर दिया, 15 दिन तक वह जेल में रहा। उसके पश्चात् 14 तारीख को वकील के द्वारा उसने कोर्ट में छोड़ने हेतु अपना प्रार्थना–पत्र दायर किया। पांच हजार के मुचलके के आधार पर मजिस्ट्रेट ने आदेश दिये कि छोड़ दिया जाए। उसी दरम्यान 18.1.1997 को जो असली मुलजिम था वह आत्मसमर्पण करता है, क्योंकि उस समय जब पुलिस को अपनी गलती महसूस होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है और अपना प्रार्थना–पत्र मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है कि वास्तव में असली मुलजिम यह है। इस तरह के कई उदाहरण मिलते हैं कि असली मुलजिम कोई और होता है, निर्दोषों को पकड़ा जाता है, पैसे खाये जाते हैं। उनको अकारण कई दिनों तक थाने में बैठाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष रूप से इस विषय को लें, क्योंकि जो निर्दोष है उसने उनको भी लिख कर दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? जो व्यक्ति 15 दिन तक जेल में रहा, उसको मानसिक और आर्थिक पीड़ा हुई, उसकी क्या सहायता करेंगे ? भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हों, इसके लिए क्या बंदोबस्त करेंगे ? मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय विधायक ने जिस घटना की ओर मेरा ध्यानाकर्षित किया है,

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसके लिए मैंने वहां के अधिकारी को जांच करके टिप्पणी भेजने के लिए लिख दिया है। इसी के साथ आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको पुलिस से किस तरह की शिकायतें हैं, उनकी जांच करायीं जाए, इस बारे में सारे अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये हुए हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं वह कम से कम हों। हमारे आदिवासी जो समाज का एक गरीब तबका है, वह वह स्वाभिमान से अपना जीवन जी सके, पुलिस उसको किसी तरह से तंग और परेशान नहीं करे। इस बारे में हम जागरुक हैं।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा के बाद उदयपुर में इस विषय पर चर्चा करने का मेरा विचार है। उस समय सारे हमारे माननीय विधायकों को भी बुलायेंगे और ज्यादा से ज्यादा वहां पुलिस प्रशासन ठीक ढंग से चले और किसी को परेशान या आतंकित नहीं करे ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पाकिस्तान से लगती हुई हमारी प्रदेश की सीमाओं पर जो अराष्ट्रीय गतिविधियां हो रही हैं और उन अराष्ट्रीय गतिविधियों को षड़यंत्रों को हमारे पुलिस बल ने जिस प्रकार से विफल किया है, उसके लिए तो मैं पुलिस विभाग को, माननीय मुख्य मंत्री जी को और गृह मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान की एक हजार चालीस किलोमीटर की सीमा पर पाकिस्तान द्वारा लगातार किसी न किसी तरह से पूरे प्रदेश में अशान्ति फैले, जैसे पंजाब और कश्मीर की तरह उनकी खुफिया एजेन्सी राजस्थान में भी अशांति फैलाना चाहती है। इसके लिए राजस्थान सरकार पूरी कोशिश करके सीमा पर सतर्कता रख रही है। उसके पास साधन जितने हैं,. उतने सातनों से सीमाओं की सुरक्षा करने में लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान की सीमान्त सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए, सतर्कता रखने के लिए और फौजी बल पश्चिमी राजस्थान को दे और पश्चिमी राजस्थान में सीमा सुरक्षा के नाम पर पुलिस को भी और बजट और धन दे। जिससे हम हमारी सीमा की पूरी रक्षा कर सकें। आपको यह जानकारी होगी कि इस सीमा के माध्यम से बाडमेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर में आतंकवादी गतिविधियां पिछले कई वर्षों से हो रही थीं। राजस्थान सरकार ने उन पर नियंत्रण किया। यहां से हथियार भी गुजरात और अन्य प्रदेशों में जा रहे थे। हमारे पुलिस बल ने उस पर भी नियंत्रण प्राप्त किया है। लेकिन जो साधन की आवश्यकता है, जो उपकरणों की आवश्यकता है, उसकी आज भी कमी है। मैं केन्द्र सरकार मे आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी पूरे देश में

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

अशान्ति फैलाना चाहती है और आन्तरिक सुरक्षा को बिगाड़ना चाहती है, इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार का सहयोग करे। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से इस बात के लिए आश्वासन चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान की सीमाएं सुरक्षित रहें इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? और जिन पुलिस अधिकारियों ने दो जासूसों को पकड़ कर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने अधीन लिया है, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को मैंभी मेरी ओर से और सदन की ओर से धन्यवाद दूंगा....(व्यवधान) आश्वासन दे दें

श्री अध्यक्ष : ठीक है। कई बातें ऐसी हैं जो कही नहीं जा सकती। कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : लोगों को आशंका है कि आगे क्या होगा ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राजेन्द्र जी गहलोत ने एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की ओर मेरा ध्यानाकर्षित किया है। राजस्थान की गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है, यह एक हजार चालीस किलोमीटर के करीब है। इसमें, अध्यक्ष महोदय, कंटीली बाड़ बिछाई जा चुकी है। करीब-करीब एक तिहाई बाउंड्री ऐसी है जिसमें और कंटीली बाड़ बिछानी है। जिससे कई असामाजिक, अनियन्त्रित और अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्रकारी गतिबिधियां होती थीं, तस्करी की, हथियारों की, उन पर नियंत्रण किया जा रहा हैं और किया जाएगा। फिर भी ऐसी छुट-पुट घटनाएं होती रहती हैं। अभी जिस विषय की ओर माननीय विधायक ने ध्यानाकर्षित किया है, उसमें यह जो गुप्तचर-सेवा और पुलिस की सेवा में सोर्स डवलप करने की एक प्रवृत्ति है। कई बार यह सोर्स बड़ा धोखा दे देते हैं और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जो हमारा सोर्स माना जाता था वह उधर से भी सोर्स था। इसमें बहुत मुस्तैदी और बड़ी सतर्कता से उनको पकड़ा गया है। अभी जैसलमेर में पूछताछ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी जो चौकसी होती है। उस चौकसी में बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, केन्द्रीय गुप्तचर सेवा के अधिकारी भी हैं, हमारी पुलिस भी वहां पर है। यह एक मिला-जुला कार्यक्रम है। हमारे अधिकारी, बी.एस.एफ. के अधिकारी और केन्द्रीय गुप्तचर सेवा के अधिकारी भी नियमित रूप से बैठकर आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और पूरी तरह से हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें इसके लिए बड़ी चौकसी से काम किया जाता है। कई विषय ऐसे हैं जो केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भी नियमित रूप से इस विषय पर जो कमियां हैं उनकी तरफ भी और जिस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए उसकी तरफ भी प्रधान मंत्रीजी और केन्द्र सरकार के माननीय गृह मंत्रीजी से लगातार सम्पर्क में हैं और चर्चा करते रहते हैं। यह सारी

(श्री कैलाश मेघवाल)

व्यवस्था सदैव पुख्ता होती रहे यह प्रयत्न हमारा हमेशा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. एम. एस. अस्पताल में कुछ वर्ष पूर्व एक यूरिनल इंस्टीट्यूट स्थापना की स्वीकृति जारी की गयी थी। यूरिनल इंस्टीट्यूट किडनी से सम्बन्धित है, नेफ्रोलोजी से सम्बन्धित है। इस योजना का प्रोजेक्ट बना। सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इसको देखा। चार करोड़ की स्वीकृति कर दी गयी। उसमें से 75 लाख रुपये का मकान बन गया। वह मकान का ढांचा बना हुआ है। उसमें आगे जो इक्विपमेंट आने हैं, उसमें काम चालू होना है। ऐसा बताया गया है कि वह काम बन्द कर दिया गया है। एक बात तो यह है कि हमारी काम्प्रिहेंसिव थिंकिंग नहीं है। कभी हम हार्ट की बात करते हैं तो दुनियाभर के अस्पताल कार्डियालोजी ही कार्डियालोजी के अन्दर ही करेंगे, अरबों रुपये खर्च करने हों तो कार्डियालोजी की बात करने लग जाएंगे। कभी कार्डियालोजी की बात भूल जाएंगे तो एड्स की बात करने लग जाएंगे। चाहे एक-आध मरे या नहीं मरे, पर इसमें खर्च करने लग जाएंगे। हम जब तक काम्प्रिहेंसिव तरीके से सर्वांग तरीके से जितनी चीजें हैं, उन पर एक साथ ध्यान नहीं देंगे तो हम स्वास्थ्य जो लोगों को देना चाहते हैं, जो चिकित्सा देना चाहते हैं, पूरी तरह से दे नहीं सकेंगे। आज राजस्थान के अन्दर करीबन 1500 आदमी किडनी फेल्योर से मरते हैं और बहुत सारे लोग लम्बे समय तक इतनी तकलीफ पाते हैं कि उनकी तकलीफ देखी नहीं जा सकती। हम हार्ट की बात तो कर रहे हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी बाईपास सर्जरी एस.एम.एस. में प्रारम्भ हो जानी चाहिए और वहां प्रारम्भ हो जानी चाहिए। परन्तु किडनी के बारे में सोचा गया, अच्छी तरह से सोचा गया। प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद 75 लाख रुपये खर्च करके बन्द कर दिया गया। कम से कम एक बात तो सोचनी चाहिए कि 75 लाख रुपया खर्च करके बन्द कर दिया गया। तो इसी का नाम नैगेटिव ग्रोथ है। उस 75 लाख का लाभ तो कुछ मिला नहीं बल्कि वह 75 लाख रुपया ब्लॉक हो गया। तो वह जो ग्रोथ के अन्दर आना चाहिए, जब भी हम कोई इंवेस्टमेंट करते हैं और वह ग्रोथ के अन्दर न आकर के इसके रख-रखाव पर या कोई किवाड़ खोल कर ले जाएगा, कभी प्लस्तर उतरेगा, कभी सीढ़ी टूटेगी,- उसकी रिपेयर करने के लिए जो खर्च होगा इसका नाम नैगेटिव ग्रोथ है। हम लोग काम्प्रिहेंसिव तरीके से या जो चीजें चल रही हैं उनका प्रोपर मानीटरिंग नहीं करते हैं। उनकी देख रेख की वजह से हमारा पैसा बड़ा स्केर्स कैपिटल है, जो लोन लेकर आता है, जाने कहां-कहां से लाते हैं वह कैपिटल प्रोपरली यूटिलाइज नहीं होता। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से, खास तौर से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि किस जगह पर किसने इसको रोका है। इसको तत्काल दिखवा करके इसको प्रारम्भ करेंगे तो यह किडनी के लिए, राज्य के लिए बहुत हितकर होगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो इंस्टीट्यूट आफ यूरिनल साइंसेज का प्रोजेक्ट हमने तीन साल पहले लिया था और इसके प्रथम चरण और द्वितीय चरण के अन्दर सरकार ने आवश्यक धनराशि भी आबंटित की है। लगभग 70 लाख रुपये हमने खर्च किये हैं। इसके लिए आगामी चरण के लिए भी आवश्यक धनराशि के लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं समझता हूं उप मुख्य मंत्रीजी बिराज रहे हैं, इसमें वह मेरा सहयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे देश के अन्दर सवाई मानसिंह चिकित्सालय क्या यूरोलोजी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सर्वाधिक प्रोस्ट्रेट के आपरेशन प्रति वर्ष होते हैं। इसी विभाग में बिना आपरेशन के पथरी निकालने के जो आपरेशन होते हैं वह भी पूरे देश में सर्वाधिक होते हैं। हमारे पास योग्य चिकित्सक हैं और हमारे इस यूरोलोजी विभाग की अच्छी साख भी पूरे देश के अन्दर है। इसके अन्दर कुछ धनराशि की कमी जरूर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें मेरा सहयोग करें, मैं भी प्रयास करूंगा और उप मुख्य मंत्रीजी चुरू के हैं, उदारमना हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को इस बार कुछ बजट कम दिया गया है।....

श्री अध्यक्ष : इतनी छोटी बात पर भी क्षेत्रीयता आ गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अलग खासियत होती है। हम लोग डेढ़ सौ हाथ गहरा पानी पीते हैं। उप मुख्य मंत्रीजी जब कभी भाषण करते हैं तो कितनी संजीदगी और जिस गहरायी से बोलते हैं आपने इनकी भाषा सुनी होगी। इसलिए इसी भाव से निवेदन करता हूं कि इस मामले में सहयोग करें। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में वार्षिक बजट में कुछ कटौती हुई है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक चीज और अवगत करना चाहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में इस राजस्थान का है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति जितना व्यय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है वह सर्वाधिक है देश के अन्दर। इसलिए इसी बात को बनाये रखने में आप मेरा सहयोग करें। किडनी ट्रांसप्लांट, इंस्टीट्यूट आफ यूरिनल साइंसेज की आपने बात की है उसमें मैं स्वयं गम्भीरता से देख कर किस तरह से आगामी चरण में यह सारा कार्य हो उसको लेकर आ रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी कुछ आश्वासन दे रहे हैं क्या इस यूरिनल इंस्टीट्यूट के लिए ?

श्री अध्यक्ष : फाइनेंस की बात है, देख कर ही कहेंगे। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री रमाकान्त शर्मा : एस. एम. एस. के लिए, राजस्थान के लिए बहुत अत्यन्त आवश्यक चीज है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपको आश्वासन सम्बन्धित मंत्री दे रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14-3-1997 को माली की कोठी पर बगराना में ठाकुर बद्रीसिंहजी, जो वहां चक्की पर बैठे अपना काम कर रहे थे, जीप में 8-10 व्यक्ति आये। भवानीसिंह, बजरंग, शीशराम, ये तो पहचान लिये गये और इन्होंने आते ही मारपीट शुरू कर दी। चूंकि मार्केट खुला हुआ था और एकदम जीप में आकर हमला करने की स्थिति में जब गुण्डों ने आक्रमण किया तो उनकी जो गाड़ी थी उसको मय हथियार के पकड़ लिया गया और बस्सी थाने में ले जाकर बरामद कराया गया। बस्सी पुलिस ने बाकी के आदमियों को नहीं पकड़ा है, चार आदमी उनके साथ और भी थे। मुझे आज ही मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, नम्बर एक बात। जबकि मय सरियों के गाड़ी पकड़वायी है, मय बदमाश आदमी के गाड़ी पकड़वायी गयी है। यह जो मैंने तीन आदमियों का नाम लिये हैं, बजरंग, शीशराम, भवानी। ये कानोता में शराब की दुकान पर काम करते हैं और माली की कोठी में प्रति दिन आकर अवैध रूप से शराब बेचते हैं। बगराना में इन्हीं लोगों ने अन्य कई तरह की हरकतें पिछली बार भी की थी और यह दूसरी बार है। सारे गांव में आक्रोश है, आतंक है। पुलिस ने गाड़ी को छोड़ा है और बाकी गलत आदमियों को नहीं पकड़ा है। मान्यवर, मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, अगर आप ऐसा ही व्यवहार रहा तो इस हाई-वे पर जो आगरा रोड पर है, आने जाने के रास्ते भी बन्द हो जाएंगे और भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस मारपीट के द्वारा जिन लोगों ने आतंक फैलाया है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आश्वस्त करें और जो अवैध दुकान चलाते हैं वह बन्द हो। इसके लिए आश्वस्त करें और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसके लिए मंत्री महोदय आश्वस्त करें। मैं मेरी बात समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। अब बजट पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब बोले तो सही खड़ा होकर, मैं तो इतनी बूढ़ी हूं।....

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय विधायकाजी ने जो बिन्दु मेरे ध्यान में लायी है, मैं उनको पूरा आश्वस्त करता हूं कि बिलकुल निष्पक्ष और पुख्ता कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष : अभी बजट पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होना है। मैं सभी माननीय सदस्यों से जो इस पर बोलने वाले हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कंसाइजली रखने की चेष्टा करें। गवर्नमेंट की तरह से रिप्लाई भी आना है और आज तीन मांगों पर भी बहस होगी। बस इतना ही निवेदन है।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995–96

माननीय श्री ज्ञानसिंहजी, कृषि राज्य मंत्री राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 सदन की मेज पर रखता हूं।

आय-व्ययक (1997–98) पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजलांजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान का जो बजट 12 तारीख को यहां प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मंत्री महोदय, मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। इस प्रकार का बजट, मुझको भी यहां पर 20 साल हो गये, मैंने नहीं देखा है। यह राज्य बिरले राज्यों में से एक है जिसने इस प्रकार का अपना पूरा व्यय तय किया था उससे भी कुछ बढ़ कर पिछली योजना में व्यय कर लिया, निश्चित रूप से यह एक अच्छी बात है। मैं बधाई देती हूं, आगे भी इसी प्रकार सजगता से, सक्रियता से सरकार कार्य करेगी।

मैं एक बात इस बीच में कहना चाहूंगी, यह बहुत ही अनुचितसा, खराबसा लगता है कि हमारे विपक्ष के लोग यहां नहीं है और हठधर्मी किये हुए बैठे हैं। आज भी मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो मामला लिये बैठे हैं वे अपनी हठ छोड़ नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी प्रयास किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया, बातचीत करते हुए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वह वापस आये। लेकिन यह खेद का विषय है कि बजट सत्र में वह वहां नहीं है। उनके विचारों से हम भी लाभान्वित होते और हमारे विचारों से वह भी लाभान्वित होते। वह स्थिति लाने के लिए वह प्रयत्नशील नहीं है। आज अखबारों में पढ़ा कि ऐसा यह पहली बार हुआ है। माननीय घनश्यामजी जब बोल रहे थे तब भी मैंने बताया था और आज फिर कहती हूं कि ऐसा दृश्य पहली बार नहीं हैं। सन् 1975–76 में कई सत्र आए होंगे, दो बजट सत्र भी आए होंगे, उस समय विपक्ष में न कम्युनिस्ट पार्टी, न जनसंघ, न अन्य लोग उपस्थित थे। यह उनकी हठधर्मी थी, तानाशाही थी जिन्होंने पूरे विपक्ष को जेलों में डाला हुआ था। आज पक्ष के लोग उनसे आग्रह करते हैं तब भी वे नहीं आ रहे हैं, इन दोनों में अन्तर है। उस समय भी ऐसा रहा होगा लेकिन उस समय तो पक्ष वालों ने विपक्ष वालों को जेलों से निकाल कर रचनात्मक कार्यों में उनका सहयोग लेने का कोई आग्रह नहीं किया। अखबारों में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

एक भी शब्द जेलों में बंद हमने नहीं पढ़ा, यह स्थिति विचित्र है मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि वे लोग अपनी हठ-धर्मिता को छोड़कर फिर यहां आएंगे और शेष समय में मूल्यवान अपनी राय देंगे।

लेकिन मैंने पिछले दिनों दूरदर्शन पर, अखबारों में कांग्रेस के लोगों या कहना चाहिये पूर्व वित्त मंत्री चंदनमलजी की जो राय थी उसको सुना है, मुझे तो उचित प्रतीत नहीं हुई। बजट घाटे के बारे में उनके जो रिमार्क्स थे, फिस्कल बजट के बारे में उनकी जो राय थी, भविष्य की जो योजनाएं हमने यहां सन् 2011 के लिए परिदृश्य के रूप में उपस्थित कीं उनके सम्बन्ध में थी, मुझे उचित प्रतीत नहीं हुई। माननीय भाभड़ा साहब और हमारे वित्त विभाग के कुछ अधिकारी भी उस परिचर्चा में सम्मिलित थे लेकिन चंदनमलजी अड़े रहे कि 25 साल के बजट मैंने पढ़े हैं लेकिन यह जो आपने घाटा पूर्ति की दलील दी है या आगामी योजना जो आपने 25 हजार करोड़ रुपये की बनायी है या एक परिदृश्य आपने उप-स्थित किया है सन् 2011 का, मुझे विश्वास नहीं होता। अब मैं नहीं जानती कि वे किस प्रकार से ऐसी सोच प्रकट करते हैं, उन्हें फिर सोचना चाहिये।

हमारे राज्य में विकास दर 10.17प्रतिशत रही है। भारत सरकार की अगर देख तो 7.1 प्रतिशत थी। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, 2051 से 2232 रुपये हो गयी है। उनका यह भी कहना है कि यह कैसे हो गया? यह आपके सामने हुआ है, बजट आपके सामने था, बजट की क्रियान्विति आपके सामने थी। खाद्यानों का उत्पादन भी बढ़ा है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारा सकल घरेलू उत्पादन भी 11283 करोड़ से बढ़कर 12420 करोड़ हो गया है लेकिन उनको यकीन नहीं आता। दिन में यदि कोई आंख बंद करके कह दे कि अंधेरा ही अंधेरा हैं, उनकी राय इस प्रकार की कही जा सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि वर्ष 1980 से 1989 तक जिस प्रकार से बजट प्रस्तुत हुए हैं, उन बजट में राशि भी बहुत कम थी और राशि की क्रियान्विति भी उन दिनों में नहीं हुई। जिन कामों को हाथ में लिया गया। उनको पूरा भी नहीं किया गया। पिछले चार सालों में हमारे द्वारा जो काम हाथ में लिए गये, एक बजट शिक्षा को समर्पित रहा, एक बजट चिकित्सा को समर्पित रहा, एक बजट पेयजल को समर्पित रहा, अब वाला बजट पिछड़े वर्गों के लिए सम-र्पित हैं, गरीब तबकों के लिए, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए समर्पित है। मैं तो इस बजट को लोकहितकारी मानती हूं और यह मानती हूं कि गरीब और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, जो नीति निर्धारित की गयी है वह निश्चित रूप से सुख देने वाली होगी।

हमने गरीब को गणेश माना है और इसी बात को लेकर हम चले हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हैं। यह चौथा बजट भी इसी का परिचायक है कि यह सामाजिक कल्याण को केन्द्रीभूत करके बनाया गया है और इसी तरह ये कार्य करेंगे।

मैंने शिक्षा शास्त्रियों से भी परामर्श किया है। श्री लक्ष्मीनारायण जी,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नाथूरामका साहब, बाबूलालजी पानगडिया साहब, मंगलजी बिहारी साहब, खण्डेलवाल साहब, पिछले दिनों अखबारों में जिनके लेख आए, पढ़े, उन्होंने भी इसके सारे रचनात्मक पहलुओं को सराहा है और यह बताया है कि इस प्रकार का बजट पहले कभी नहीं हुआ और निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय बजट है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार की नीति बनायी गयी है महिलाओं के सम्बन्ध में, शिक्षा के सम्बन्ध में, पर्यटन नीति अभी आने वाली है, निश्चित रूप से वह भी अच्छी ही होगी। उद्योगों के संबंध में भी जो छूट दी गयी है, उससे भी राज्य की आमदनी बढ़ेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सड़क नीति के माध्यम से भी जिस प्रकार के कार्य हाथ में लिए गये हैं, वे भी निश्चित रूप से राज्य के विकास में चार चांद लगाएगें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार के जो कार्य राज्य सरकार कर रही है और आगे करेगी।

मेरे कुछ बहूमूल्य सुझाव है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार इस बजट के पारित होने से पहले सभी जिलों में एक महिला पोलीटैक्नीक अगर खोलती है तो महिलाओं को रोजगार के साधन मुहैया कराने की बात हो सकती है। मैंने यह सारा देखा है, आपने जिस प्रकार से रोजगार के लिए एक स्थिति तो उत्पन्न की है और यहां पर उसका ढांचा भी बताया है लेकिन उसके कार्यक्रम को यहां नहीं लाया गया। निश्चित रूप से जब आप अपना उत्तर देंगे तब बताएंगे कि किस प्रकार से रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां रोजगार निदेशालय बना हुआ है। उसमें अभी तक 1982 के आवेदकों में पत्रों को रेफर किया जा रहा है इतने दिनों का लोड पड़ा हुआ है, उससे तात्कालिक रूप से जो जवान हुए हैं या जो इतने दिनों में जवान हुए हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने 33 वर्ष की उम्र बढ़ा दी थी, फिर बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी। अब वे 35 वर्ष को पार कर चुके हैं।

यह बात सही है कि आरक्षण नीति के माध्यम से जो सबके पिछड़ हुए हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी कि विधवा महिलाओं के लिए भी अलग से कार्य की शैली अपनायी गयी है कि वे आवेदन करें तो उन्हें रोजगार मिलेगा, उनको नियुक्ति मिलेगी। लेकिन शेष जो युवा वर्ग है और जो विधवा लड़कियां नहीं है, उनके बारे में भी एक योजना तो बनी थी कि 20 प्रतिशत महिलाओं को नियोजन दिया जाएगा, 10 प्रतिशत महिलाओं को पुलिस में नियोजन दिया जाएगा। मुझे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में बताएंगे कि गत वर्ष में जो तय किया गया उसमें हमारी कितनी उपलब्धि रही और उसमें हमने कितनी सफलता प्राप्त की।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें जल संग्रहण करने के तरीके ढूंढने चाहिए। जैसलमेर-बाड़मेर के इलाकों से हमें कुछ मार्ग दर्शन लेना चाहिए। वहां 3 इंच बरसात होती है, 5 इंच बरसात होती है,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वे लोग पूरे पानी को संग्रह करके उससे पूरी खेती कर लेते हैं और इतनी घास पैदा करते हैं कि आधे राजस्थान को घी खिलाकर पैसा कमाते हैं। हमारे अगर 45 इंच बरसात हो जाए तो पानी बहकर चला जाता है। गांव में जो जोहड़ हैं, जो छोटे–बड़े तालाब हैं, उनका कभी भी पूरा हिस्सा नहीं टूटता। वाल का एक हिस्सा टूटता है, यदि उसका पूरा निर्माण करवा दिया जाए तो हमारी एक बून्द पानी की बेकार नहीं जा सकती है। अगर हम इस संग्रहण प्रवृत्ति को अपने हाथ में लें तो निश्चित रूप से हमारे यहां जल की कमी नहीं रहेगी। अभी हमारी धरती के नीचे का पानी काफी नीचे चला गया। जहां हम हैण्डपम्प लगाते हैं वहां पर हमें असफलता प्राप्त होती है और व्यर्थ में पैसा खर्च होता है। उतना ही पैसा यदि गांवों में इन तालाबों के संरक्षण पर लगा दिया जाए तो कुओं में सीम बढ़ेगी, छोटी--मोटी खेती के लिए भी पानी होगा पशुओं के लिए भी पानी होगा और मानव-मात्र को भी पानी की कमी नहीं रहेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि हम इस प्रकार से जल-संग्रहण को अपना लक्ष्य बनाकर संकल्प करके एक बून्द पानी जाया न जाने देंगे, इस प्रकार का कार्य करेंगे और ऐसे वाटर-बैंकों का निर्माण करेंगे।

अभी बजट में जिन चीजों पर आपने राहत दी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। इससे हमारे यहां के किसानों को फायदा होगा, महिलाओं, पिछड़े वर्गों और विद्यार्थियों को भी फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए असम और देश के अन्य छह राज्यों में न्यायालय बनाये गये हैं वैसे ही न्यायालय हमारे यहां निर्माण करें ताकि राजस्थान में भी मानव-मात्र को न्याय मिल सके। मैं समझती हूं कि इसके लिए आप घोषणा करेंगे। हमारे यहां जो पारिवारिक न्यायालय हैं उनको एक दिशा-निर्देशन मिला हुआ है और वे निश्चित रूप से महिलाओं की तरफदारी करते हैं। इसमें कोई दो-राय नहीं है, महिलाओं की तरफदारी करनी चाहिये, लेकिन पूरे विवरण को सामने रखकर कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है तथा विचारणीय बिंदु को सामने रखकर फैसला करना चाहिये। मेरे सामने 30-35 केस ऐसे आए हैं जिनमें पुरुष की गलती नहीं थी। चूंकि मुझे यहां सही बात बोलनी चाहिये और जहां अन्याय हो रहा है वहां के लिए बोलने का मेरा कर्तव्य है मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार के इकतरफा रास्ते को आप थोड़ा-सा बदलें और केवल न्याय पर बिन्दु केन्द्रित करके न्याय करे।

मेरा एक सुझाव और है। जिस प्रकार आपने बिक्रीकर में छूट की बात की है। उसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि बिक्रीकर सुधारों के सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में महाराष्ट्र के साथ-साथ राजस्थान की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी है और इन सुधारों को देश में अगुआ बतलाया गया है। यह रिपोर्ट दिसम्बर, 1996 की है और इसके पृष्ठ 64 पर एक बॉक्स में आपको बधाई दी गयी है। मैं भी आपको बधाई देना चाहती हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा-सा और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ध्यान दें। जिस प्रकार से यहां के व्यापारियों ने आपको सुझाव दिया है कि बिक्रीकर पर सरचार्ज लगाकर एकमुश्त कर प्राप्त कर लें तो यह बहुत अच्छा होगा बार-बार बीच-बीच में रोक–टोक आती है उससे व्यापारियों को बहुत कठिनाई होती है और वे इसके लिए आंदोलित हैं। मैं आशा करती हूं कि इस बारे में आप अपनी राय बनाएंगे।

अभी हमारे यहां पर प्लास्टिक की चीजों पर छूट दी। मैंने मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि जो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, जो बहुत कम मूल्य के हैं, जो गांव के मेले–तमाशे में बिकते हैं, जैसे–झुनझुना, छोटी–छोटी गेंद, तोते, कबूतर आदि ऐसे खिलौने हैं जिन पर पहले 50 रुपए तक के खिलौने पर छूट थी, वह छूट अब हटा ली गयी है। अब इसका गांवों में कौन लेखा-जोखा रखेगा? मंत्री महोदय, इतनी छोटी-मोटी चीज के लिए आपने इतनी उदारता बरती है, लेकिन आप 100 रुपये से ज्यादा के मूल्य के खिलौनों पर टैक्स लगा लें, कोई बात नहीं जिसका लेखा–जोखा हो सके लेकिन....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतनी छोटी चीज के लिए आप मेरा आग्रह नहीं मानेंगे, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। निश्चित रूप से मुझे विश्वास होता है कि आप करेंगे।

मान्यवर, हमने मानव-मात्र की सुविधा के लिए चिकित्सालय खोले हैं। एलोपैथी के चिकित्सालय और जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल है। यह एक ऐसा अस्पताल है जिसमें न केवल राजस्थान के लोग, बल्कि बाहर तक के लोग आते हैं, इसकी चिकित्सा की जो विशेष तकनीकी पद्धति है उस पर निश्चित रूप से और पैसा जुटाने की आवश्यकता है। मैंने ऐसी बहुत–सी सिफारिशें की हैं उन पर निश्चित रूप से मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट कम हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बजट कम हुआ है तो यह गलती की गयी है। चिकित्सा पर बजट कम नहीं होना चाहिये, चाहे वह एलोपैथी हो, चाहे वह आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या देशी चिकित्सा पद्धति में "हिक्मत" हो, निश्चित रूप से आप इसमें बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि 200 कांस्टीट्यू-एंसीज में 200 पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहिये तथा इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिये और जो नई–नई तकनीक आज हमारे सामने आती हैं उनकी आधुनिकतम जानकारी देने के लिए प्रशि-क्षण कोर्स भी चालू किये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके लिए आप समुचित बजट रखें। मुद्दत से जयपुर ग्रामीण में पशु चिकित्सालय नहीं खुल रहे हैं, और कहीं भी नहीं खुल रहे हैं। आयु-र्वेदिक अस्पताल भी पिछले दिनों नहीं खोले गये। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आपने दवाइयों के ऊपर कुछ टैक्स लगाया। यह बात सही है कि "लोकल टैक्स एक्स्ट्रा" की परिधि में आप अपने आपको लाकर वहां से पैसा ले लेंगे। लेकिन मेरी राय है कि या तो आप इसे हटा दें या फिर एक ऐसा बिंदु तय कर दें कि अब दवाइयों पर पैसा नहीं बढ़ेगा। अभी भी दवाइयां बहुत महंगी हैं। इतनी महंगी दवाइयां गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप कार्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : माननीय अर्जुनदास जी मदान।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा तो नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा ही होगा। मैंने सात बार कह दिया, 12.37 से बुलवाना चालू किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तो मैं थोड़ी–सी तारीफ और करूंगी।

श्री अध्यक्ष : तारीफ तो आप जरूर करो, लेकिन आज तीन डिमाण्ड्स भी लेनी हैं और सरकार की तरफ से जवाब भी आना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पांच मिनट दे दें। उधर से तो कोई बोल नहीं रहा इसलिए उनका एक हिस्सा मुझे दे दें।

आपने केन्द्रीय करों में राज्यों की भागीदारी का जो प्रस्ताव रखा है उसकी मैं प्रशंसा करती हूं इस योजना की अभिशंसा सरकारिया आयोग ने की थी और दसवें वित्त आयोग द्वारा भी राज्यों के पक्ष में सलाह दी गयी है और निश्चित रूप से 29 से लेकर 33 पर्सेंट तक में जो भी हिस्सा मिलेगा उससे हमारे राज्य का भी पिछड़ापन दूर नहीं होगा, बल्कि अन्य राज्यों का भी पिछड़ापन दूर होगा।

मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगी। आपने इस बजट में आबकारी नीति के सम्बन्ध में ज्यादा स्पष्ट नहीं किया। आपने द्विवर्षीय ठेके देने की बात की है। मैं कहती हूं कि इससे शराब का प्रचलन बढ़ेगा। प्रचलन तो इससे भी बढ़ा है कि शीशियों को छोड़कर पाउच में दारू बिक रही है। आप उस पर दृष्टि डालें। मैं राज्य सरकार तथा मेरे साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि सारे अपराधों की जननी शराब है, इसलिए इस शराब को आप बंद करें और अन्य किसी प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ाए जाने का प्रयास करें, (व्यवधान)....ऐसा है कि आप ऐसी बातें नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप जैसे सभ्य व्यक्ति से मैं उम्मीद नहीं करती हूं कि आप इस प्रकार की चर्चा करेंगे।

मान्यवर, आपने महिलाओं के हित में इतना ध्यान रखा हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर रोजगार तक का ध्यान रखा है। लेकिन उनकी सामाजिक परिस्थिति के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया है। यदि सामाजिक परिस्थिति आप देखेंगे तो पता चलेगा कि महिलाओं को रात में आकर पति पीटते हैं,

(13.00)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जिस प्रकार से उनकी दुर्गति करते हैं, जिस प्रकार से बच्चों का इम्प्रेशन खराब करते हैं, हम यह चाहते हैं कि यह अवस्था राजस्थान में नहीं हो और आप अपनी बात पर पुनर्विचार करें। जिस प्रकार आपने सब के आग्रह पर 1980 में शराब बन्द करने की परिस्थितियां पैदा की थीं। कुल मिलाकर, अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूंगी कि एक लाख 73 थे, उनके हमने कार्ड बनवाये थे, उनमें फोटो लगवायी थी। उनका जीवन बचाना हो तो फिर आप बनवा लीजिये लेकिन शेष सारे मार्गों से शराब आनी बन्द कीजिये। शराब की नीति में परिवर्तन करके शराबबन्दी, नशाबन्दी लागू कीजिये, यह मेरा आपसे आग्रह है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मेरी बात मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : मदान साहब।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बनाता है और मैं भी अपने व्यक्तिगत जीवन में बनाता हूं, परिवार का बनाता हूं। कोई सामाजिक संस्था नहीं जिसका बजट न बनता हो। राज्य सरकारें हों चाहे राष्ट्रीय सरकार हो, प्रत्येक सरकार अपना बजट बनाती है। बजट केवल मात्र यह प्रतिबिम्ब है जो दर्शाता है व्यक्ति के स्वरूप और कुरूप को। हम कहां खड़े थे, कहां तक चले, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका प्रतिबिम्बन यदि होता है तो केवल मात्र बजट के माध्यम से ही होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने जो 1997-98 का बजट पेश किया है उसमें सभी पहलुओं पर पूरा विचार किया है, पूरा मन्थन किया है पूरा चिन्तन किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन ने न जाने कितने बार बजट बनाये हैं और न जाने कितनी बार बनायेगा लेकिन उन पुराने बजटों पर जब मैं थोड़ी दृष्टि डालता हूं तो मुझे कांग्रेस के जमाने के वे बजट भी याद आते हैं जब आमदनी का पूरा, आधा भाग राजस्व आय से प्राप्त होता था और गांव की तलहटी में रहने वाले मजदूर पर, किसान पर केवल मात्र चार प्रतिशत खर्च किया करते थे। लेकिन आज स्थिति उससे दूर हो गयी है। समाजवाद के नारे तो कांग्रेसी सरकारों ने बहुत दिये किन्तु उस गरीब के लिए, उस उपेक्षित व्यक्ति के लिए, उस तिरस्कृत जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए जो गांव की तलहटी में कहीं दूर बैठकर के खेती करता था और हमारे और आपके उदरपूर्ति के साधन बटोरता था, उसकी चिन्ता हमने कभी नहीं की। केवल मात्र चिन्ता की तो इस वर्तमान बी. जे. पी. की सरकार ने, जिसने प्रतिवर्ष गांव पर खर्च बढ़ाने का प्रतिशत निरन्तर बढ़ाया। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि पहले चार प्रतिशत हम खर्च करते थे लेकिन अब 62 प्रतिशत हम खर्च करते हैं।

(13.02)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैं निश्चित रूप से वर्तमान बजट प्रस्तुतकर्ता माननीय मामड़ा साहब और माननीय मुख्य मंत्री महोदय की प्रशंसा

(श्री अर्जुनदास मदान)

करूंगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में सरकारें बनी हैं, उसके अन्तर्गत चाहे वह प्रणव मुखर्जी हो, चाहे मधु दण्डवते हो, चाहे इंटरनेशनल मानीटरी फण्ड हो, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, कोई सी भी संस्था को हम ले लें जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इस सारे लोगों ने हमारी मितव्ययता की, हमारे आर्थिक प्रबन्धन की भूरि–भूरि प्रशंसा की है और यही कारण है कि बिना किसी कर को बढ़ाते हुए, बिना किसी आर्थिक बोझ को बढ़ाते हुए हमने आज राजस्थान को एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जो निश्चित रूप से एक सराहनीय स्थिति मानी जा सकती है।

महोदय, मैंने जैसा आपसे कहा कि थोड़े दिन पहले विपक्ष के सदन में बैठकर के हमारे विरोधी, हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने एक समानान्तर सदन चलाया और मुझे अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिला कि माननीय चन्दन मलजी बैद यह बोले कि आज राजस्थान की सरकार ने इस प्रान्त को दिवालियेपन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है क्योंकि जो कर्जा सरकार का 19 हजार करोड़ रुपये का था वह बढ़कर के 22 हजार करोड़ रुपये हो गया। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से कर्जे की मात्रा बढ़ी है इसमें कोई दोराय नहीं, किन्तु देखना यह होगा कि जो पैसा में ले रहा हूं वह मेरी लागत है या मेरा खर्चा है। उपाध्यक्ष महोदय, लागत और खर्चे में दोनों जगह पैसे को तो खर्च करना पड़ता है किन्तु अन्तर होता है। खर्चे में तो मेरी जेब से निकला हुआ पैसा सदैव सदैव के लिए मेरे हाथ से चला जाता है और जब वह लागत पर करते हैं, उस चीज पर करते हैं जिसका उपार्जन मुझे अभी नहीं, उसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे तो वह लागत की स्थिति में आता है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने यदि कर्जा लिया भी है तो आज हमने जिन मदों पर उस पैसे का उपभोग किया है वह भावी जीवन के लिए राजस्थान के व्यक्ति के लिए लाभकारी है। क्योंकि हमने विकास की गति बढ़ाने के लिए पैसा लिया है।

अगर पैसे की उनको इतनी चिन्ता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1977 से लेकर 1980 तक जब जनता पार्टी की इस देश के अन्दर हुकूमत थी तो इस देश पर कर्जा केवल मात्र 20 हजार करोड़ रुपये था लेकिन वह धीरे–धीरे बढ़ता–बढ़ता 1990 में दो लाख 31 हजार करोड़ रुपये हो गया और 1995 में 3 लाख 36 हजार करोड़ रुपये हो गया। यह राजीव गांधी जी और नरसिंहराव जी की सरकारों की मैं बात कह रहा हूं। माननीय, कल्पना कीजिये कि 1980 के डिकेड में इस कर्ज की मात्रा को हमने जहां छोड़ा वह कर्जा सुरसा के मुंह की तरह सदैव के लिए बढ़ता चला गया लेकिन किसी को चिन्ता नहीं।

आज देश की सुरक्षा के ऊपर हम केवल मात्र 26 हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ब्याज की मात्रा यह है, यह मेरा पूरा भारतवर्ष 56 हजार करोड़ रुपये आज प्रतिवर्ष ब्याज चुकाता है। कहां इस देश की सुरक्षा पर खर्च होने वाले 26

(श्री अर्जुनदास मदान)

हजार करोड़ रुपये ब्याज में चुकने वाली टोटल राशि के आधे से भी कम हैं। तो हमने इतना कर्जा ले लिया। यह मैं केवल मात्र अन्तरराष्ट्रीय कर्जे की बात कर रहा हूं, विदेशी कर्जे की बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया, यह विदेश के अतिरिक्त इतना ही लगभग देश का भी है, वह चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो लेकिन वह पैसा अतिरिक्त सरकार ने ले रखा है। उसके ऊपर कोई चिन्ता नहीं, चिन्ता आपकी यह है कि 19 हजार करोड़ रुपये का आपने 22 हजार करोड़ खर्च क्यों कर दिया। यह कोई चिन्ता नहीं कर रहे हैं कि आखिर यह खर्च हुआ तो क्यों हुआ, किस मद में किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री महोदय को मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजादी के बाद कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारे प्रान्त ने प्रगति के सोपान को छूने का प्रयास नहीं किया हो। हम निश्चित रूप से बढ़े हैं किन्तु कई विषय ऐसे हैं जिन पर हमको निश्चित रूप से मनन करना पड़ेगा, चिन्तन करना पड़ेगा।

औद्योगिक क्षेत्र के बारे में मैंने जैसा आपसे निवेदन किया, मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करूंगा औद्योगिक नीति की। मैं क्षमा चाहूंगा, जिसकी प्रशंसा करनी होगी, प्रशंसा करूंगा और जिसमें कहीं कोई कमी दिखायी देगी तो मेरा काम किसी पर दोषारोपण करना नहीं है किन्तु आत्म विवेचन की दिशा में एक अपना एक पहलू रखा है ताकि हम उस पर मनन कर सकें, चिन्तन कर सकें और यह विचार सकें कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि आजादी के बाद इस देश में केवल मात्र 11 बड़े उद्योग थे और 204 छोटी घरेलू इकाइयां थीं। 1994–95 में 300 बड़े उद्योग हो गये और डेढ़ लाख के लगभग छोटी औद्योगिक इकाइयां इस प्रान्त में आयीं और सन् 2000 तक हमारा लक्ष्य 450 बड़े उद्योग और पौने तीन लाख स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज खोलने का है। मैं यह केवल मात्र इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि चहुंमुखी विकास की तरफ हमको ध्यान देना होगा। मान्यवर, एक जमाना वह भी था कि यहां के लोग लोटी–डोरी लेकर चल देते थे। जो दूर–सुदूर में रहते थे उनकी राजस्थान के बारे में कल्पना थी कि ऐसा प्रान्त है जहां पर उदरपूर्ति के साधन बटोरने का कोई जरिया नहीं है, एक ऐसा प्रान्त है जहां पीने के लिए पानी नहीं है, एक ऐसा प्रान्त है जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, एक ऐसा प्रान्त है जहां पर आवागमन के साधनों की कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण था कि यहां का व्यक्ति पलायन करता था, दूसरे प्रान्तों में जाता था। यह तो उसकी मेहनत थी, उसका परिश्रम था, मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा अपने प्रान्त के उन नागरिकों की कि आज भी देश के 40 बड़े घरानों में यदि मैं गिनती करूं तो 25 बड़े घराने ऐसे आते हैं जो राजस्थान की धरती से चलकर के कहीं दूसरी जगह गये हैं। चाहे वह मोरारका हो, चाहे सिंघानिया हो, चाहे बिड़ला हो, चाहे डालमिया हो, चाहे मोदी हो, चाहे पोद्दार हो, चाहे जयपुरिया हो। यह सारे के सारे घराने हैं कहा के ?

(श्री अर्जुनदास मदान)

40 बड़े औद्योगिक घरानों में 25 घराने आज राजस्थान के हैं जो दूसरे प्रान्तों में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात की भी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि आज राजस्थान औद्योगिक दिशा में भी अग्रसर हो रहा है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई में हमारी गिनती होगी। आज औद्योगिक प्रगति के अन्तर्गत हम गुजरात और महाराष्ट्र के बाद हैं। मैं उसकी कल्पना तो नहीं करता कि आज देश का जितना भी समूचा औद्योगिकरण हुआ है, मेरी ऐसी कल्पना है कि लगभग 13 प्रतिशत टोटल औद्योगिकरण का खर्चा तो गुजरात में हुआ और पौने 13–13 प्रतिशत खर्चा है वह आज महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारे खर्चे की राशि तो कम है किन्तु हम आज भी उसी तरह बढ़ रहे हैं औद्योगिकरण में। आज विपरीत परिस्थितियां होने के उपरान्त भी, साधनों के अभाव में जीते हुए भी हम आज राजस्थान को औद्योगिक जगत के महत्व पर नक्शे पर एक स्थान दे पाने में सफल हुए हैं। इसके लिए धन्यवाद की पात्र है हमारी सरकार और वह व्यक्ति जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। उचित होता कि आज मेरे प्रतिपक्ष के लोग बैठे रहते, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा प्रान्त, मेरा राजस्थान आज किस स्थान पर पहुंच गया है। माननीय, मैं देश की परिकल्पना में पहला चित्रण रखूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि हम देखें कि हम कहां खड़े हैं और कहां थे और दूसरी तरफ मैं वह चित्रण रखूंगा कि 1985–90 के बजट में और 1990–95 में बजट में जो कांग्रेस ने रखा और जो भा. ज. पा. ने रखा, कितनी–कितनी राशि हमने खर्च की और हमारी प्रगति के स्रोत कितने आगे बढ़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बेस के ऊपर यह कह सकता हूं, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि आज औद्योगिक परिस्थिति में हम तीसरे स्थान पर हैं। राज्य में जितना भी उत्पादन सिंथेटिक्स कपड़े का हुआ उसमें 25 प्रतिशत आज अकेला राजस्थान पैदा करता है। जितनी भी ऊन आज देश में पैदा होती है उसका 40 प्रतिशत अकेला राजस्थान पैदा करता है। तिलहन, सोयाबीन और ज्वार के उत्पादन में राज्य आज देश में दूसरे स्थान पर है। देश में जहां सरसों का उत्पादन है, यह सारा जितनी भी देश में पैदा होती है, उसका 40 प्रतिशत उत्पादन कुल मिलाकर राजस्थान अकेला पैदा करता है। धनिया, जीरा, सोयाबीन, मक्का, चना, इत्यादि के उत्पादन में आज देश के अन्दर प्रथम स्थान यदि कोई रखता है तो वह हमारा प्यारा राजस्थान रखता है। गेहूं के उत्पादन में भी आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गये हैं इस देश में। गरीबी हटाओ के इस महाकाल के इस महाचक्र में हमने यह सोचा कि हम अधिक से अधिक गरीबों की सेवा कर सकें। यदि देश के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो गुजरात के बाद गरीबी हटाओ अभियान में दूसरा किसी को श्रेय मिलता है तो मेरे राजस्थान को मिलता है। मैं इसी दृष्टि से आपसे निवेदन करूंगा कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत धीरे–धीरे यदि घट रहा है तो आज मेरी सरकार के कार्यकलापों के कारण से घट रहा है।

मैं थोड़ा सा चित्रण, मान्यवर, राजस्थान के 1985–90 और 1990–95 के

(श्री अर्जुनदास मदान)

बारे में भी आपको देना चाहूंगा ताकि तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त भी आप किसी एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकें कि उन लोगों ने हमको कहां छोड़ा था और हमने प्रगति में जब आगे कदम बढ़ाये तो हम आगे कहां पहुंचे ? माननीय, औसत खाद्य उत्पादन 1985–90 में जहां 77 मीट्रिक टन था वह 1990–95 में 98 मीट्रिक टन हो गया अर्थात् 27.27प्रतिशत की हमने अभिवृद्धि की है । इसी तरह कृषि सम्बन्धी सेवा योजना में जहां 203 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे, हमने 704 करोड़ रुपये खर्च किये अर्थात् 246 प्रतिशत की हमने वृद्धि की । निर्यात के मामले में जहां 422 करोड़ रुपये का केवल मात्र निर्यात हुआ था, मान्यवर, वहीं 1990–95 में हमने 2820 करोड़ रुपये निर्यात पर खर्च किये अर्थात् 927.77 प्रतिशत हमने अधिक निर्यात किया पांच वर्षों में । ऊर्जा मद में व्यय हमने जो किया वह 1985–90 में जहां 958 करोड़ रुपये किये, वह 1990-95 में बढ़कर 2112 करोड़ रुपये हो गये और 120.46प्रतिशत हमने अधिक व्यय किया । ग्रामीण रोजगार व्यय में जहां हमने 517 करोड़ रुपये खर्च किये थे 1985–90 में कांग्रेस की सरकार ने, वही हमने 1366 करोड़ रुपये खर्च किये और 164.22 प्रतिशत की हमने वृद्धि की । ग्रामीण पेयजल योजना में जहां पर हमने केवल मात्र 398 करोड़ रुपये खर्च किये थे वहीं 643 करोड़ रुपये हमने खर्च किये और 61 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई । शहरी पेयजल योजना में 196 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किये और 455 करोड़ रुपये मेरी सरकार ने किये अर्थात् 132.14 प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई । शिक्षा पर योजना के अन्तर्गत उन्होंने 286 करोड़ रुपये खर्च किये, हमारी सरकार ने 595 करोड़ रुपये खर्च किये अर्थात् 108.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सम्पूर्ण साक्षरता के अभियान में उन्होंने एक जिले को भी नहीं छेड़ा, हमने 16 जिलों में यह काम किया और इस प्रकार 1600 प्रतिशत की हमने साक्षरता के अभियान में अभिवृद्धि की । नये महाविद्यालय उन्होंने 1985–90 में केवल मात्र एक खोला और हमने आठ खोले और उसके बाद भी मैं आपको 1990–95 का चित्रण बताऊं, मान्यवर, इसके बाद तो टोटल 5 और खुल गये और अब 13–14 महाविद्यालय हो गये । मैं केवल मात्र अपने आपको सीमित रखता हूं 1985–90 और 1990–95 में ताकि मेरा यह संदेश उन लोगों तक पहुंच सके जो यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं कदम बढ़ाया है इसलिए मैं तुलनात्मक चित्रण रखने का प्रयास कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा में उन्होंने खर्च किये केवल मात्र 10.51 करोड़ रुपये और हमने किये 76 करोड़ रुपये अर्थात् 623.12 प्रतिशत की हमने वृद्धि की । लघु औद्योगिक इकाइयों के मद में जहां उन्होंने 329 करोड़ रुपये खर्च किये थे, हमने 738 करोड़ रुपये खर्च किये अर्थात् 124.32 प्रतिशत की हमने वृद्धि की । मध्यम और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में जहां उन्होंने 1837 करोड़ रुपये खर्च किये थे, हमने 8894 करोड़ रुपये खर्च किये और 384.16 प्रतिशत की वृद्धि की । उपाध्यक्ष महोदय, यदि इन आंकड़ों को देखने के बाद भी कोई यह कहे हमसे कि राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया तो मुझे निश्चित रूप से

(श्री अर्जुनदास मदान)

एक आश्चर्य होता है क्योंकि ठीक है, अगर एक आदमी को केवल मात्र गलत ही पढ़ना है तो पढ़े। मुझे तो बहुत दुःख होता है एक मास्टर ने एक बार एक क्लास में लिखा था कि "कल स्कूल बन्द रखा जाएगा।" किसी बच्चे ने "बन्द रखा जाएगा" के र को खा से हटा दिया और बन्द के साथ जोड़ दिया तो पढ़ने लगा कि "कल स्कूल बन्दर खा जाएगा"। जो हमने लिखा है वह तो पढ़ो, आप अपनी तरफ से पढ़ोगे तो गलत पढ़ोगे तो हमारा कोई दोष नहीं है। हम तो जो कुछ चित्रण राजस्थान की दृष्टि से रखने का प्रयास कर रहे हैं और मैंने आंकड़ों के माध्यम से पूरा दर्शाने का प्रयास किया है कि मान्यवर, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, मैं चिकित्सा के ऊपर मानूंगा कि उसमें हमारी थोड़ी कमी है, मैं उसकी विवेचना किये बिना नहीं रहूंगा लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें हमारे कदम हमने आगे नहीं बढ़ाये हों। मैं बीच में क्षमा भी चाहूंगा आप घंटी बजा दें तो मैं कम कर दूं। मैं आपसे केवल मात्र 5–7 मिनट लूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज कार्य-सूची काफी लम्बी है इसलिए समय का भी ध्यान रखें माननीय सदस्य।

श्री अर्जुनदास मदान : अब राष्ट्रीय नियोजन के बारे में बात करूं। राष्ट्रीय नियोजन में पूरे राष्ट्र का यदि आप औसत लेते हैं तो 2101 रुपये आता है जबकि राजस्थान में विनियोजन प्रति व्यक्ति 2624 रुपये आता है। हमने इसमें भी प्रगति की है और योजना आयोग में जो हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना 11500 करोड़ रुपये की थी, इसमें भी हमने 12000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किया है। यह खर्च भी कोई ऐसा नहीं मान्यवर, कि कोई दे देता है। कोई जब आदमी का काम देखता है तो उसको निश्चित होकर, चलने वाले घोड़े के लोग चाबुक भी मारते हैं और यदि घोड़ा सही गति से बढ़ता है तो लोग उसकी पीठ भी थपथपाते हैं। यह जो होता है उस मालिक, उस आदमी के हाथ में जो उसकी बागडोर को सम्भाल करके बैठा है और इस दृष्टि से निश्चित रूप से भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा वित्त मंत्री महोदय की जिन्होंने बजट रखा और विशेषकर मुख्य मंत्री जी की कि जिनके कार्यकलापों के कारण आज न केवल हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं बल्कि राजस्थान पूरे के पूरे क्षेत्र में आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रूप से निवेदन करूंगा। स्वास्थ्य के बारे में राज्य सरकार ने कम चिन्ता की है। जब हम यह परिकल्पना करके चलते हैं कि सन् 2000 तक हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की सोचते हैं। जब हमने यह सोचा है कि कोई भी ग्राम पंचायत, कोई भी मुख्यालय ऐसा नहीं रहेगा जहां पर सुविधा की दृष्टि से कोई न कोई स्वास्थ्य सुविधा हम उसको नहीं दे पायें। आज मुझे खेद है इस बात का, हालांकि इस बात की भी प्रसन्नता है कि देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर जितना खर्च होता है पूरे देश में, आज उसमें प्रति व्यक्ति खर्च करने का जो मद है, वह राजस्थान में प्रति व्यक्ति के ऊपर अपेक्षाकृत देश के किसी भी प्रांत में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा खर्च होता है। यह तो प्रसन्नता

(श्री अर्जुनदास मदान)

की बात है । पिछली बार हमने बजट रखा, हमने कभी स्वास्थ्य को समर्पित किया, कभी शिक्षा को समर्पित किया, कभी पेयजल को समर्पित किया, हमारी योजना है लेकिन उन योजनाओं को बढ़ते हुए यह भी देखना पड़ेगा कि जिस कदम से जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस मंजिल को हम प्राप्त करना चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से यह चाहूंगा, मान्यवर, हमारी निरन्तर गति रहे, अबाध गति रहे । मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, आपने एक किस्सा सुना होगा, मान्यवर, कछुए और खरगोश का । खरगोश अपनी गति से बढ़ता था लेकिन बढ़कर फिर चुपचाप किसी झाड़ी में छिपकर बैठ गया, कछुआ निरन्तर बढ़ता था । कोई भी नहीं मान सकता था कि कभी कछुआ जीत सकता है, खरगोश हार सकता है । किन्तु खरगोश हारा और कछुआ जीता तो केवल मात्र इस कारण से कि कछुए ने तो गति में निरन्तरता रखी, वह कभी बैठा नहीं । वह थका भी तो उसकी गति धीमी होगी उसके जीवन की लेकिन वह निरन्तर चलता रहा और खरगोश को यह अभिमान कि बहुत तेज दौड़ने की क्षमता है कभी बैठ जाता, कभी फिर भाग जाता, कभी फिर झाड़ी में सो जाता, तो निरन्तर गति से चलने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने जीवन में कोई भी इंगित बनाकर चलता है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपनी सारी क्षमताएं, चाहे वह तन की हो, मन की हो, धन की हो, उनको एकाग्र करके यदि आप दिशा निर्देश की ओर बढ़ते हैं तो मंजिल उसके कदम चूमती है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय मामड़ा साहब से कि स्वास्थ्य के ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दें ।

अभी जैसा मैंने आपसे कहा इस बजट में 32.96 करोड़ रुपये पिछले बजट से चिकित्सा पर कम कर दिये हैं, बाकी सभी में हमने बढ़ाये हैं लेकिन स्वास्थ्य के मद में हमने 32.96 करोड़ रुपये कम कर दिये हैं । एक भी रेफरल अस्पताल खोलने की हमने नहीं सोची । एक भी नया मातृ शल्य एवं शिशु केन्द्र खोलने का हमने विचार नहीं किया, एक भी शैय्या बढ़ाने की, एक भी खटिया बढ़ाने की ओर हमने कभी ध्यान नहीं दिया । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मात्र 150 केन्द्र खोलने की जो इजाजत दी है अगर 400-450 भी हो जाते तो सम्भवतः हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते जिसकी तरफ अब तक हमने कदम बढ़ाये थे । मैं निवेदन करूंगा मामड़ा साहब से कि इसके ऊपर एक बार पुनः विवेचना करें, क्योंकि पूरे देश में हम स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्रणीय हैं, निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर हैं लेकिन आज भी इस चीज की इच्छा रखते हैं कि इस दिशा में हमको निश्चित रूप से सोचना चाहिए और मैं विश्वास करता हूं कि जरूर हम इस दिशा में सोचें ।

अन्त में, माननीय, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं बजट के प्रस्तुतकर्ता को कि उन्होंने आज हमारे माननीय महाराणा प्रताप की जयन्ती के उपलक्ष में, इस महान निर्वाण दिवस के उपलक्ष पर जो कि हमने शताब्दी मनाने का काम सौंपा है और चावण्ड में जो हमने महाराणा प्रताप के स्मारक के ऊपर एक करोड़ तेरह लाख रुपये खर्च करने का सोचा है वह निश्चित रूप से

(श्री अर्जुनदास मदान)

प्रशंसा का विषय हैं और इस ओर जितना भी, क्योंकि कोई भी कौम, कोई भी देश, कोई भी प्रान्त जब तक अपने इतिहास की ओर नहीं देखता तो, मान्यवर, वह कभी प्रगति कर नहीं सकता।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी का नाश हो गया, उनका सर्वनाश हो गया किन्तु उन्होंने उन टीलों को नहीं हटाया जहां पर बम गिरे थे सैकण्ड वर्ल्ड वार में, जापान ने उनको नहीं हटाया। अपने बच्चों को दिखाते हैं कि 1944 का यह तुम्हारा जापान था और आज 1997 का यह तुम्हारा जापान है। इसी तरह जर्मनी के बालकों को दिखाते हैं कि मर-मिट करके जर्मनी जब खड़ा हुआ उस समय तुम्हारे जर्मनी की क्या स्थिति थी और आज जर्मनी की क्या स्थिति है। जो कौम, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वह कभी प्रगति नहीं कर पाता और विशेषकर महाराणा प्रताप के प्रति तो मैं नत-मस्तक हूं जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया।

मैं तो यहां तक निवेदन करूं कि जो शायद यह मानकर चले कि मेरा यह पूरा प्राण, मेरा यह तन, मेरा यह धन इस देश को समर्पित है और एक कल्पना लेकर चले कि जो मेरी धमनियों और शिराओं में रक्त बहता है वह देश की नदियों में बहने वाला रक्त है और मानो देश का प्रत्येक कण-कण, एक छोटा बिन्दु मेरे रक्त का प्रत्येक बिन्दु है। इस प्रकार की परिकल्पना लेकर चलने वाले महाराणा प्रताप के प्रति मैं नत-मस्तक हूं और आज की सरकार के प्रति भी नत-मस्तक हूं जो इतिहास के परिच्छेदों को समाप्त नहीं होने दे रही है बल्कि आगे बढ़ा रही है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलसिंह जी।

डा० मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं मुख्य मंत्री जी को, उप मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी श्री भामड़ा साहब को जिन्होंने कि झुन्झुनूं जिले को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना में चुना है उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और झुन्झुनूं जिले की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट, आज तक जितने भी बजट पहले आते थे कांग्रेस के राज में, हम लोग देखते थे तो आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग के लोगों के मुंह लटक जाते थे और वे लोग एक दुःखी स्वर में कहते थे कि किस तरह का बजट आया है, इस बार का बजट आने पर हर जगह जितने भी लोगों से बाते हुईं, हर चेहरे पर मुस्कराहट मिली। एक प्रशंसनीय बजट है इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, शराबबंदी की बात आयी और महिलाओं को तो यह खास तौर से नापसन्द है। हम आरक्षण तो 20% महिलाओं का करते हैं लेकिन शराबबंदी के बारे में भी थोड़ा हम ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो उन्होंने शराबबंदी की थी और उसके नतीजे बहुत अच्छे

(डा. मूलसिंह शेखावत)

निकले थे । अपराधों में कमी आयी थी, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनमें भी काफी कमी आयी थी और वह एक प्रशंसनीय और सराहनीय कदम था लेकिन उसको हटाया, एक घोर पाप किया और वह पाप किया उन लोगों ने जो अपने-आपको महात्मा गांधी का चेला कहते हैं उन लोगों ने+++

महोदय, आज शराब के कारण हमारे जिले में तो खासकर तस्करी बढ़ी है, चोरियां, हत्याएं बलात्कार और अन्य मुकदमे बढ़े हैं। राजस्व तो हमें प्राप्त होता है लेकिन उस राजस्व से ज्यादा खर्चा जो ग्रामीण जन, गरीब इसके चंगुल में फंसते हैं, उसके कारण जिन औरतों के आदमी शराब पीते हैं वे भूखी बैठी रहती हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। उन लोगों का इन-डाइरेक्ट वे में जो नुकसान होता है वह इस आपूर्ति से कहीं ज्यादा है। हम किसी दूसरी मद से इस घाटे को पूरा कर सकते हैं।

महोदय, शिक्षा के बारे में अभी बात-चीत हुई ये स्कूलों की खास तौर से आज आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हर बड़े गांव को एक सैकण्डरी स्कूल चाहिये, और सीनियर सैकण्डरी की मात्रा भी हमारे जिले में कम है बाकी जिलों में हालात शायद ऐसे ही होंगे। यहां हालांकि काफी स्कूल दिये गये हैं तो भी कम पड़ते हैं। क्योंकि यह गांव की इच्छा होती है कि उनके बच्चों को दूर नहीं जाना चाहिये। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि लड़कियों की स्कूलों का आप खास तौर से ध्यान रखें। बच्चे तो दूसरी जगह भी चले जाते हैं लेकिन आठवीं तक की जहां पर भी स्कूलें हैं उनको दसवीं तक खास तौर से लड़कियों के लिए किया जाना चाहिये और लड़कियों की शिक्षा की तरफ हम लोग विशेष ध्यान दें।

स्वास्थ्य के बारे में उप केन्द्र खोले हैं, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोले गये हैं इन में खास तौर से जो भी ग्रामीण चिकित्सालय हैं हालांकि वर्तमान चिकित्सा मंत्रीजी के आने के बाद स्वास्थ्य सेवा में पिछले तीन साल में एक क्रांतिकारी सुधार हुआ है। पहले मैं भी नौकरी करता था तब मैं देखता था कि अस्पतालों का बजट बहुत कम होता था और हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि डिस्पेंसरियां काफी हैं लेकिन उस जगह डाक्टर लोग जाते नहीं हैं। यह आम शिकायत है, यह शायद हर जिले में ही होगी और आइन्दा भी यह आदत तो बनी ही रहेगी। महोदय, इस बारे में निवेदन है कि यह जो छोटे अस्पताल खोले जाते हैं उनके बजाय यह जो एक पोस्ट खोली हैं जिनमें सीनियर कम्पाउण्डर बैठ जाते हैं और उनका सामान्य ज्ञान काफी होता है क्योंकि छोटी जगह तो डाक्टर भी उतना ही काम करता है जो एक कम्पाउण्डर करेगा। इसीलिए जो भी अनुभव प्राप्त कम्पाउण्डर हैं उनको ज्यादा आबादी वाले गांवों में वहां पर यदि हम एड पोस्ट बना दें तो यह हमारी समस्या कम होगी ?

महोदय, इसके अलावा हमारे वर्तमान

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. मूलसिंह शेखावत)

स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी करीब–करीब सभी अस्पतालों में जो भी सौ बैड के आस-पास हैं और उनसे ऊपर हैं उनमें मेडिकल रिलीफ समितियां खोली हैं। इन समितियों के माध्यम से बहुत ही उपयोगी कार्य हुआ हैं। इसके कारण अस्पताल में सफाई और सुरक्षा के लिए उन लोगों ने खुद के गार्ड रखे हैं और नये गद्दे, नयी बैड शीट्स और रोशनी व्यवस्था इन सब में सुधार हुआ है।

दूसरी ये फ्लूइड बेचने की दुकानें इन सोसायटियों ने ही खोली हैं उनके कारण, उपाध्यक्ष महोदय, इतना लाभ हुआ है कि अकेले सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब तीन करोड़ रुपये का फर्क आया हैं उससे आम जनता को लाभ मिला है। यह पिछले करीब 8–9 महीने में है और यही योजना करीब–करीब हर जिले में अब लागू हो रही है। इससे आम जनता को, गरीब आदमी को राहत मिलेगी। इसके लिए मंत्रीजी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

बाकी ऊर्जा के बारे में हम बात करें, उसके अच्छे स्रोत इस बजट में दर्शाये गये हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में हम आत्म निर्भर हो जाएंगे। इस बार भी ऊर्जा का संकट आया लेकिन वर्तमान ऊर्जा मंत्री जी ने अत्यन्त सूझ-बूझ से काम लेकर जो किसानों की कृषि का समय था उस समय बड़े उद्योगों की बिजली को काट कर भी आम किसान को फायदा दिया और उसे संकट में नहीं आने दिया। हालांकि थोड़ी बहुत कमी अवश्य हो सकती है। इसके लिए ऊर्जा मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य के बारे में एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जैसे अन्धता निवारण है, नारू रोग है, कोढ़ है उनके अलग–अलग उप निदेशक हैं। आज बढ़ती हुई आबादी के कारण और ये जो आवाज का प्रदूषण है, इसके कारण लोगों में बहरापन बढ़ रहा है और दूसरा जिन क्षेत्रों में ज्यादा फ्लोराइड है उन जगहों पर भी लोगों में बहरापन काफी बढ़ रहा है। तो एक बधिरता निर्वारण का अलग से विभाग और खोलने के लिये स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि इसके कारण बहरापन एक आम समस्या बन रहा है जिस तरह ये अंधों की समस्या है उसी तरह।

एक निवेदन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को करना चाहूंगा कि यह जो मेडिकल कालेजेज हैं इनमें नाक, कान और गले के प्रोफेसर सवाई मानसिंह अस्पताल, जो भारत वर्ष में बहुत माना हुआ अस्पताल है और यहां के पढ़े हुए लोग विदेशों में बहुत ख्याति प्राप्त हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में और जो भी विश्व के हिस्से हैं, उसमें ई.एन.टी. का अभी तक एक ही प्रोफेसर का पद था, अब दो किये गये हैं। यही हालत दूसरे अस्पतालों की है। इस अस्पताल में करीब एक लाख रोगी नाक, कान, गले के आते हैं। दो हजार आपरेशन एक वर्ष में करते हैं। यह इनकी जो स्टाफ संख्या है, इनके प्रोफेसर्स की, रीडर्स की वह सवाई मानसिंह अस्पताल में तो बढ़ायी ही बढ़ायी जाए और ये जो अन्य महाविद्यालय हैं उनमें भी बढ़ायी जाए।

(डा. मूलसिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं ग्रामीण एरिया में जो चिकित्सक नौकरी करते हैं उनके लिए कहना चाहूंगा। एस. एम. ओ. के करीब 40 पद पर ई. एन. टी. के डाक्टर्स काम कर रहे हैं उनको वांछित योग्यता प्राप्त है उनको जूनियर स्पेशलिस्ट का कैडर दिया जाय।

महोदय, पशुपालन क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा निवेदन करूंगा हालांकि काम बहुत हुआ है लेकिन पशु चिकित्सालय के करीब 200 नये अस्पताल बनाये और जिला स्तर पर पोली क्लिनिक बनाने का प्रावधान भी आने वाले बजट में करें। आज कृषि की बातें ज्यादा होती हैं और पशुधन, खास तौर से गरीब आदमी की रीढ़ की हड्डी है उनके जरिये गरीब से गरीब आदमी भी दो पैसे कमाता है तो पशु चिकित्सालयों की स्थापना एक विशेष अभियान हमारा हो, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह घंटी जो बजी है उसका संकेत यह है कि आप समाप्त करें।

डा. मूलसिंह शेखावत : जी, अभी समाप्त करता हूं।

अन्त में, महोदय, मैं इस राहतपूर्ण बजट के लिए जो कि गांव का, गरीब का, किसान का, महिलाओं का, विकलांगों का और पिछड़ी जातियों के लिए एक हितकारी बजट है इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी की मैं सराहना करूंगा और मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री जी महोदय, ने वित्त मंत्री के रूप में सदन में जो बजट प्रस्तुत किया वह बजट राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए एक सारगर्भित और सन्तुलित बजट प्रस्तुत करके एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। यह बजट प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, राजस्व आय के घाटे में कमी, सरकार द्वारा जो ऋण लिया गया उसकी 90 प्रतिशत राशि स्थायी सम्पत्तियों पर खर्च करना, कृषकों की ट्रोली, कृषकों के यंत्र, बूंद-बूंद ड्रिप सिंचाई आदि में बूंद-बूंद से टैक्स मुक्त करके उन किसानों को जो राहत दी है उसके लिए मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं सम्मानीय उप मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा चिकित्सा मद में जो व्यवस्थाएं उन्होंने दी हैं, जो बजट उन्होने रखा है 97 करोड़ का, जो वास्तव में गत वर्ष 113 करोड़ का बजट था, उससे कहीं ज्यादा बजट अबकी बार रखना जरूरी था, क्योंकि जो प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में चिकित्सा की आज अव्यवस्था है, चिकित्सा मद में जिस प्रकार की जो व्यवस्था प्रति व्यक्ति करने का सरकार ने वायदा किया था उससे भी बढ़िया सुचारू व्यवस्था देने की घोषणा की थी उसमें 113 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कम से कम 200 करोड़ रुपये चिकित्सा बजट में प्रावधान रखना चाहिये

80

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

था लेकिन 97 करोड़ का प्रावधान किया गया है उसमें से 90 करोड रुपये वेतन वगैरह में ही खर्च हो जायेंगे। सात करोड़ रुपये का प्रावधान जो अन्य चिकित्सा सुविधाओ के लिए रखा गया है, वह बहुत कम बजट है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अब की बार मात्र 150 उप स्वास्थ्य केन्द्र और 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, यह इस प्रदेश की जनता के लिए बहुत कम है। रेफरल हॉस्पिटल के लिए, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के लिए, सवाई मानसिंह अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए और ट्रोमा वार्ड के लिए आपको जो बजट देना चाहिए था आज आपातकालीन कक्ष में जो समस्याएं हैं आये दिन लोगों के एक्सीडेंटस होते हैं। गत बार बहुत माकूल व्यवस्था आपने की थी और काफी लोगों को राहत मिली थी। लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और 24 घंटे लोग दुर्घटनाओं से ग्रस्त होकर आते हैं। बढ़िया माकूल व्यवस्था के लिए अच्छा होता कि बजट में व्यवस्था और की जाती। मैं आपसे इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि 97 करोड़ के बजट को बढ़ाकर गत बार जो बजट दिया गया था उससे कम तो किसी हालत में न करें बल्कि 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये। और मुझे आशा है आप इसमें परिवर्तन करके इस बजट को बढ़ायेंगे जिससे चिकित्सा में व्यवस्था कितनी सुधरी है उससे और बढ़िया सुधार होकर प्रदेश की जनता को राहत मिल पायेगी।

मैं इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने 500 प्राथमिक शालाएं खोलकर, 400 प्राथमिक शालाओ को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की 178, उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का तथा सौ माध्यमिक से सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने का जो प्रावधान रखा है उसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इसमें मैं मेरी ओर से आपको सुझाव देना चाहूंगा कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय, जो गांव में माध्यमिक विद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी तक के जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में जिस प्रकार की माकूल व्यवस्था आपने इस समय अपने हिसाब से कर रखी है उसमें इंटीरियर एरिये में आपने जो अध्यापक लगाने का प्रावधान कर रखा है कि पचास बच्चों पर एक अध्यापक, अस्सी पर दो होने चाहिये, ड्यूटी वहां पर लगा दी जाती है लेकिन उसके बावजूद भी वह अध्यापक वहां पर पहुंच नहीं पाते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार हरियाणा में आज हर स्कूल में वहां प्रधानाध्यापक के लिए जो एक आवास व्यवस्था कर रखी है, ऐसा अगर प्रावधान यहां राजस्थान में भी कर दिया जाए तो दूर-दराज के जो स्कूल हैं उनमें यह माकूल व्यवस्था हो सकती है और काफी सुधार शिक्षा विभाग की वर्तमान कार्य प्रणाली में हो सकेगा।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

विभाग में जिस प्रकार का पूर्वी राजस्थान को, खासकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, भरतपुर को छोड़ कर के अन्य जिलों की जो अपेक्षा की गयी है। मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले में जो परियोजनाएं हाथ में ली गयी थीं, जैसे कानोता परियोजना है, कानोता परियोजना को 1980 में स्वीकृत किया परन्तु आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस सम्बन्ध में बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उस कानोता परियोजना के बन जाने से जयपुर को फायदा होगा; जयपुर को भी पानी उपलब्ध हो सकता है। आसपास के जो डार्क जोन एरिया घोषित हैं, सम्पूर्ण जयपुर, जिले की जमवा-रामगढ़, चाकसू, बस्सी, डार्क जोन एरिया घोषित है, यदि इस वर्ष इस परियोजना पर बजट का प्रावधान किया जाकर इसके कार्य को पूरा करवाया जाए तो यह क्षेत्र आपका बहुत-बहुत आभारी होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि कानोता के साथ-साथ लालगढ़, श्यामपुरा बांध और खारली बांध का कार्य भी बजट के अभाव में पूरा नहीं हो पाने की वजह से जहां जितना पैसा खर्च हुआ था, वहीं का वहीं वह रुका हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाय जिससे यह जो अधूरे कार्य हैं, वह पूरे हो सकें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग के तहत जो छोटे तालाब या एनीकट बनाये जाते हैं, हर कार्य में, जबकि जिस विधान सभा क्षेत्र का जो पानी, जिस तहसील का जो पानी, छोटे एनीकट और तालाबों के लिये सिंचाई विभाग ने पाबंदी लगा रखी है, सरकार एक तरह चाहती है कि बाहर पानी नहीं जाने दिया जाए और जिस क्षेत्र का जो पानी है, छोटे-छोटे तालाब और छोटे-छोटे एनीकट के द्वारा वहां पानी को रोका जाए, उसके लिए सरकार ने पाबंदी लगाई है कि बिना एन. ओ. सी. के हर डिपार्टमेंट में नहीं हो सकें। सिंचाई विभाग में जब जाते हैं तो वह एन. ओ. सी. नहीं दे पाते कि यह पानी तो सवाईमाधोपुर जाएगा, यह पानी वहां जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिले का पानी जब सवाई-माधोपुर में जाकर रुकेगा, रास्ते के जो गांव हैं या रास्ते की जो तहसीलें हैं, छोटे एनीकट्स की एन. ओ. सी. नहीं देकर एनीकट नहीं बनाने दिये जाने के जो सरकार के आदेश पहले जारी हुए थे, मात्र एक रामगढ़ बांध के बारे में छोटे-एनीकट्स को तुड़वाया गया था, एक छोटे रामगढ़ के कारण आज पूरे राजस्थान में जिस क्षेत्र में जो छोटे-छोटे एनीकट बनाये जाते हैं, जो पाबंदी लगायी गयी है, उसको हटाये जाने का प्रावधान भी किया जाय जिससे कि वहां पर पानी को रोका जा सके। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय भी यहां पर विराजमान हैं लेकिन छोटे एनीकट और छोटे तालाब, जो क्षति-ग्रस्त हैं....

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा, इससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आज तो इस समय ..

श्री देवीसिंह भाटी : आपने एक शंका जाहिर की है, कल को दूसरे माननीय सदस्य को भी यह शंका हो जाएगी। एन. ओ. सी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट पर सामान्य वाद-विवाद है।

श्री देवीसिंह भाटी : उसमें थोड़ी यह सुविधा रहेगी, यदि आप इजाजत दें तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय अभी आ रहा है। कट मोशंन्स आयेंगे तब आप अपनी बात कहना। मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि सामान्य वाद-विवाद पर आप बात करें। वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान के नागौर में महिला महाविद्यालय, मालपुरा में महाविद्यालय और सागवाड़ा में महाविद्यालय खोलकर जो अपनी सूझबूझ का परिचय दिया उसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी, विधान सभा क्षेत्र फागी, विधान सभा क्षेत्र जमुवारामगढ़ और विधान सभा क्षेत्र लालसोट, यह चारों ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, अकेले बस्सी विधान सभा क्षेत्र में सात सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं और सात सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल होने के बावजूद पड़ौस में जमवारामगढ़, चाकसू और फागी विधान सभा क्षेत्र की जो तहसीलें हैं उनकी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों के बीच में कम से कम एक महाविद्यालय का प्रावधान यहां होना चाहिए था, इसकी मांग बराबर कर रहे हैं, यदि एक महाविद्यालय की स्वीकृति इस क्षेत्र में दे दी जाए तो इन चारों विधान सभा क्षेत्र की जनता आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेगी। हमारे यहां पर एक सीनियर हायर सैकण्डरी बालिका विद्यालय मात्र है, इसके अलावा कोई सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल भी नहीं है, न कोई बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय। कम से कम होना यह चाहिये था कि पंचायत हैडक्वार्टर पर एक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिये था, यहां इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और भी दस पंचायतों के बीच में बालिका माध्यमिक विद्यालय एक हो और इसका बजट में प्रावधान किया जाए, आपने प्रौढ़ शिक्षा पर और इस पर जितना जोर दिया है बालिका शिक्षा पर, लेकिन इसमें कहीं गांवों में जहां पन्द्रह किलोमीटर या बीस किलोमीटर के एरिया में जो बालिकाएं पढ़ती हैं और बालिकाओं के लिए कम से कम, और भी नहीं तो, जो मिडल स्कूलें हैं, दो या तीन पंचायतों के बीच में या पांच पंचायतों के बीच में, कम से कम पांच पंचायतों के बीच में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, ऐसा प्रावधान बजट में होना चाहिये था। तो इस प्रदेश की जनता आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहेगी और जो महिला शिक्षा को आपने प्राथमिकता दी है उसमें भी काफी लाभ इसमें होगा, मिलेगा।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, आबकारी में आपने एक हजार करोड़ का जो आय का स्रोत माना है, यह बात सही है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

कि एक हजार करोड़ रुपये और अरबों रुपये जो आपने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान करके और आई. आर. डी. पी. के तहत उनको चयनित करवाकर ऋण वगैरह दिलवाये जाते हैं लेकिन इस शराब की वजह से, शराब बन्द नहीं होने की वजह से, आज शराब हर गांव–गांव में मिलती है। वह व्यक्ति ऋण लेते ही सबसे पहला काम करता है, उस दिन सारे दिन शराब पीता है और अपनी सारी कमाई इस शराब की खातिर खो देता है। दूसरी मदों में 1000 करोड़ की आय व्यवस्था की जावे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शराबबंदी को लागू किया जाए अन्यथा जो गरीबी रेखा की संख्या बढ़ती जा रही है, यह दिनों-दिन बढ़ती जाएगी और इस गरीबी रेखा में कोई कमी नहीं आएगी। आज गरीबी रेखा में जितने व्यक्ति हैं, दिनों–दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, कमी होने के बजाय। अरबों रुपये सरकार के खर्च होने के बावजूद भी। क्योंकि सबसे गरीब तबका सबसे ज्यादा शराब का सेवन करता है। उससे आज उसका परिवार भी त्रस्त है। उनकी महिलाओं के साथ जिस प्रकार का सलुक होता है, जिस प्रकार से आज आत्म हत्याएं हो रही हैं, आज जितनी औरतें सुसाइड कर रही हैं उसका कारण यही है कि शराब की वजह से यह सारा काम हो रहा है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहने का कारण भी यह शराब ही है। इसलिए मैं आपसे आज सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शराब पर पाबंदी लगायी जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और कुछ समय के हमारे वित्त मंत्री जी का। बहुत सोच–विचार करके बजट पेश किया गया है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : कुछ समय से क्या मतलब है आपका ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप जो समझे वह समझे। मुझे खुशी है परमानेंट हो तो भी और कुछ समय के लिये हैं तो भी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय जा रहा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या करूं, यह बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को। दो-तीन बातें और विचार करके जो बजट पेश किया है, खास तौर से राजस्थान के अन्दर सिंकिंग-फंड, यह प्रदेश के अन्दर पहली बार हुआ है और किसी स्टेट ने यह शुरूआत नहीं किया है और आप देखेंगे कि 1977 के अन्दर अन्त्योदय की हमने शुरूआत की थी तो सब ने उसकी कॉपी करके अन्त्योदय को आगे उन्होंने भी लागू किया वैसे यह सिंकिंग फंड, जो यह सोच है, बहुत अच्छा है क्योंकि जितना भी डेफिसिट बजट होता है, जो बोरोइंग्स होती है वह हर वक्त बढ़ता जाता है और राइट ऑफ करना पड़ता है या मांगते फिरते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

आप इसको राइट ऑफ कर दें। यह एक सोच है, बहुत अच्छा है। विकलांगों के लिये, महिलाओं के लिये और काफी अच्छी बातें रखी हैं। पर मैं दो-तीन बातों पर आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज एक सोच है दुनियाभर में और अभी जो सैंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया उसमें भी यह बात सामने आती है कि आप टैक्स कम करके रेवेन्यू बढ़ाओ। आप टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू कम करें तो यह गलत है। यह आपने दो-तीन बातें इस बजट में की हैं। एक तो आपने मोटर व्हीकल्स पर टैक्स बढ़ा दिया। एक साल पहले ही आप टैक्स कम करके काम्पीटीशन में आ गये कि हरियाणा और दिल्ली में जो गाड़ियां खरीद लेते थे और चुपचाप बेक डोर एंट्री राजस्थान में हो जाती थी, अब आपने उसको फिर बढ़ाकर 12 पर्सेंट कर दिया। एक साल पहले ही आपने यह बात कही है कि यह जो चोरी हो रही है और कोई व्हीकल्स दूसरी जगह लेकर फिर यहां पर ले आता है। उससे जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिये हम 4 पर्सेंट कर रहे है और एक साल के बाद ही आपने 12 पर्सेंट कर दिया। सैंट्रल के अन्दर मुख्य मंत्रियों की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उनमें यह मांग की है कि सेल्स टैक्स यूनिफाइड होना चाहिये। ऐसा नहीं कि हरियाणा में कम हो जाए तो ज्यादा मिल जाए उनको गाड़ियां और सेल्स टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिल जाए इससे अगर यह यूनिफाइड टैक्स हो जाए तो हरियाणा में भी 8 पर्सेंट ही रहेगा या 12 पर्सेंट रहेगा और हमारे यहां भी 12 पर्सेंट रहेगा और यू.पी. और गुजरात सब जगह यूनिफाइड हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं। पर उनका तो कम है, दिल्ली का 3 पर्सेंट, हरियाणा का 4 पर्सेंट आप टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू को क्यों कम करना चाहते हैं? यह का यह ही आपने चाय के अन्दर कर दिया। चाय के अन्दर भी, जो चोरी-छिपे जितनी भी चाय आती थी बाहर से, यह लोग ट्रांसफर कर देते थे और यह का यह ही आपने यहां पर भी कर दिया।

एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि लैंड एण्ड बिल्डिंग टैक्स, 1977 के अन्दर मैं एम एल.ए. था और उस टाइम जब फर्स्ट टाइम बजट पेश किया तो घोषणा पत्र जनता पार्टी का था। उस समय बी.पे.पी. नहीं थी। जनसंघ खतम हो गया था और सब जने साथ में थे। मुख्य मंत्री जी हमारे भैरोंसिंह जी ही थे। 1977 का घोषणा पत्र निकाल लो। उस बजट के अन्दर भी उन्होंने कहा था कि एल. एण्ड बी.टी. धीरे-धीरे हम खतम कर देंगे। आप खतम करने के लिये बढ़ाते जा रहे हैं। एक मकान पर आप कितनी बार टैक्स लोगे? एक मकान पर वेल्थ टैक्स देना पड़ता है, उसी मकान पर आपको म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है और अब लैंड एण्ड बिल्डिग टैक्स दे रहे हैं। आज बिल्डिग एक्टिविटी बढ़ी है इसको खतम क्यों करना चाह रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, एक बात याद आ गयी तो मोटर व्हीकल्स की बात है, मारुति 800 पर टैक्स का इंसिडेंस जो होगा करीब 10 या 12 हजार रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे। आप ऐसा एटीट्यूड क्यों रखते हैं? एक आदमी

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

को आज स्कूटर पर चलते-चलते इतने साल हो गये तो उसने विचार किया कि इस साल तो मैं मारुति ले लूंगा 12000 रुपये बढ़ा दिये। अब दो-तीन साल तक उसको स्कूटर पर और चलना पड़ेगा। आप यह विचार क्यों रखते हैं? दूसरा, मिडल क्लास को एक नाम है। हमारा सबसे बड़ा मिडल क्लास है और वह नीचे से बनकर मिडल क्लास में पहुंचता है। मिडल क्लास के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह स्कूटर पर ही घूमता रहेगा क्या? 12000 रुपये ज्यादा देकर, उसने तो विचार किया था, पैसा इकट्ठा किया कि डेढ़—दो लाख रुपये मैंने इकट्ठे कर लिये अब मैं मारुति खरीदूंगा। आपने 12000 रुपये एकदम बढ़ा दिये। मैं दूसरी बड़ी गाड़ियों की बात ही नहीं कर रहा हूं कि कोई एक्स्ट्रा लेना चाहता है। उस पर तो 45000 है, सी-एलो पर 50,000 का इंसिडेंस बढ़ेगा। उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। कोई × × × एम.एल.ए.....

कई माननीय सदस्य : × × × एम.एल.ए. × × × कौन है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं हूं। अगर मैं पैसा इकट्ठा करके खरीदना चाहता हूं जो हर वक्त ही स्कूटर पर घूमता रहा है उसका क्या हाल होगा? वह जीप भी नहीं खरीद सकेगा। 25 हजार रुपये ज्यादा देगा। इसलिए × × × कह रहा हूं और हम × × × कभी नहीं हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि एक सोच और बदलना पड़ेगा। टूरिज्म को आपने इण्डस्ट्री की केटेगरी दे दी है पर जो अपनी बेकवर्डनेस है। किसी कारण से हमको जो डेजर्ट मिला है, पानी कम मिला है उसका लाभ उठाकर, उसको प्लस पाइंट करने के लिये सबसे बड़ा काम हम जो कर सकते हैं टूरिज्म को इतना बढ़ावा दें और उसी से लोगों में जितना भी पिछड़ापन है वह टूरिज्म में प्लस पाइन्ट है। आप इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिये टूरिज्म को बढ़ावा दें। आप क्यों गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते पर जाना चाहते हैं? रीको सब जगह इण्डस्ट्रीज लगाना चाह रही है। सब हाई-वेजपर इण्डस्ट्रीज आप अहमदाबाद से बड़ौदा जाएं दोनों तरफ इण्डस्ट्रीज लगी हुई है और पहले ही पोल्यूशन ज्यादा, सड़कों पर पोल्यूशन। उल्टे रास्ते पर क्यों चल रहे हो? राजस्थान का डवलपमेंट पाकेट्स में ही होना चाहिये। इण्डस्ट्री पाकेट्स में ही लगनी चाहिये। यह नहीं कि सभी जगह हम लगाना चाहें। मैं तो कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं, सर्विस इण्डस्ट्री और टूरिज्म से ही उनका जितना भी बिजनेस हैं उनका सरवाइबली टूरिज्म और सर्विस इण्डस्ट्रीज से है। आप उस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, उनका भी सोच था कि गांव में सर्विस इण्डस्ट्री को अगर बढ़ावा दिया जाए तब ही हम पांव पर खड़े हो सकते हैं। इस पर भी कुछ बात रखे। आपने खाली यह कह दिया कि एक सिंगल विंडो होगा। पेपर्स में तो कह दिया, होता नहीं है। इस पर भी कुछ होना चाहिये। मैं यही कहना चाहता हूं; धन्यवाद।

× × × शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री चुन्नी लाल जी धाकड़।

(14.00)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का वर्ष 1997-98 का जो बजट पेश किया गया है, मैं उसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी और उप मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसमें बहुत कुछ थॉट किया गया है। लेकिन कुछ बातें मेरे विचार से ऐसी हैं जिन पर कम विचार किया गया है। मैं उनको ध्यान में लाना चाहता हूं।

आज मुख्य रूप से हम पानी के ऊपर विचार कर रहे हैं कि पानी का स्तर नीचे चला जा रहा है। आये दिन हमारे हैण्ड-पम्प सूखते जा रहे हैं, ट्यूबवेल सूखते जा रहे हैं, आखिर हम इनको कितना गहरा करते जाएंगे। इसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि जहां कहीं पर भी पानी बहकर समुद्र में जा रहा हो, उस बहते पानी को हमें वहीं रोकना चाहिये। छोटे–छोटे ताल, तलाई, एनीकट, उनके ऊपर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक न तो हमारी सिंचाई की समस्या हल होने वाली है और न पेयजल की समस्या हल होने वाली है। इस पर हम जितनी ताकत लगा सके लगानी चाहिये। यह मेरा आपसे विशेष आग्रह है।

दूसरा, शिक्षा के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं। उन आदिवासी इलाकों में डेढ़ सौ की आबादी के ऊपर स्कूल खोलना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

बिजली के क्षेत्र में छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगाकर काश्तकारों को राहत पहुंचाई है, इसके लिये मैं बिजली मंत्री जी का बहुत आभार मानता हूं। साथ ही मैं उनसे एक निवेदन और करता हूं कि बेगूं क्षेत्र में 132 के.वी. का जी.एस.एस. बहुत आवश्यक है और इस बजट में इसके लिये कोई प्रावधान रखा जाए।

एक विशेष निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में जो छोटी-छोटी नदियां हैं, वहां लिफ्टें लगाकर सिंचाई करते हैं। लिफ्ट मात्र 2 महीने, 3 महीने ही काम करती है। उनके ऊपर, जलोत्थान योजनाओं के ऊपर हम कृषि के हिसाब से चार्ज न करके 75 रुपये प्रति हार्स पावर, प्रति माह चार्ज करते हैं। तो 6–8 और 9 महीने वह लिफ्टें पड़ी रहती हैं उनका उन आदिवासियों के लिये पैसा भरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कृपया इसको छूट दें।

पेयजल के बारे में मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो नाकारा और अबन्डैंड हैण्ड-पम्प हैं, उनकी जगह आज दिन तक कोई नये हैण्ड-पम्प नहीं खोदे गये हैं। बजट में एक विशेष प्रावधान रखकर के, आपके रजिस्टरों में दर्ज है कि वहां हैण्ड-पम्प खुदे हुए हैं लेकिन मौके पर जो हैण्ड-पम्प सूख गये हैं उनको भी आप हैण्ड पम्प मान रहे हो, जो अबन्डैंड हो गया, धंस गया उसको भी हैण्ड-पम्प मान रहे हो। उनकी जगह नये हैण्ड-पम्प अभी तक सप्लाई नहीं किये गये हैं। कुछ गांवों में "अपना गांव अपना काम" योजना में पेयजल समस्या है। वैसे पेयजल समस्या को हल करने का काम हमारा है, सरकार का है, लेकिन जिस गांव

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

से इस योजना में सहयोग मिलता है, वहां भी यह कह कर के उनको अटका दिया जाता है कि इस योजना में पैसा नहीं है। तो ऐसी जहां पेयजल की योजना हो, मेरा विशेष अनुरोध है वित्त मंत्रीजी कि पेयजल की योजनाओं को तो कम से कम कहीं से भी, अपना गांव अपना काम योजना में नहीं अटका कर रखें, ऐसी व्यवस्था फरमाएं।

सड़कों के बारे में बहुत कुछ हुआ है और पंचायत मुख्यालय को जोड़ने का काम चल रहा है। अभी कई पंचायत मुख्यालय ऐसे बाकी भी हैं जिनका डामरीकरण नहीं हो पाया। मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि डामरीकरण किया जाए। वर्ल्ड-बैंक योजना के तहत जो घोषणा 12 महीने पहले हुई थी वह सड़क बनाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसी ही दो सड़कें मेरे क्षेत्र में भी हैं। सामग्री और श्रम में 50–50 का रेश्यो किया है, उसके लिये मैं विशेष तौर से आभारी हूं। अब गांव में समस्या नहीं आ पाएगी।

वन और पर्यावरण के लिये मैं वन मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि एक ओर जहां हम वन लगाते हैं, उस पर चार–दीवारी बनाते हैं और लाखों रुपये खर्च करते हैं लेकिन मारवाड़ से आनी वाली भेड़ों के लिये न तो कोई बाड़ की जरूरत है और न कोई रखवाली की जरूरत है। इनके जो चरवाहे होते हैं, वे बे-रहमी से पेड़ काट देते हैं, भेड़ों को घुसा देते हैं। सारी उगती हुई कोपलों को ये भेड़ें खा-खा कर जंगल का सत्यानाश किये जा रही हैं। इन भेड़ों पर किसी तरह से काबू पाया जाए। हमारे इलाके विशेष तौर से बेगूं और रावतभाटा इससे बहुत प्रभावित हैं। आए दिन झगड़े होते रहते हैं। बिजौलिया भी इसके साथ ही लगा हुआ है। बिजौ–लिया में भी कई बार आदमी मारे गये। ये भेड़ें हमारे लिये बहुत भारी समस्या बनी हुई है। न कोई इनकी गिनती कर सकता है, हमें कह दिया जाता है कि इतनी सी हैं, लेकिन आज तक तो कोई गिनती नहीं हुई। अगर इस ओर हम ध्यान दें तो पर्यावरण काफी सुधर सकता है, वन भी बड़े हो सकते हैं। ये चरवाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर के होते हैं, जंगल इनका कुछ भी नहीं लगता, ये बे–रहमी से धराशायी कर देते हैं, काट देते हैं अपनी बकरियों को और भेड़ों को खिलाने के लिये।

मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि कुछ तालाब पहले के बने हुए हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये उनकी दीवारों को कुछ ऊंचा किया जाए। इससे वहां और पानी इकट्ठा हो सकेगा। थोड़े पैसे में ही यह काम हो जाएगा, इस बजट में यह विशेष ध्यान रखें। मुझे आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य, नहीं ? धन्यवाद। श्री ओमप्रकाश जी शर्मा। अभी यह सामान्य वाद–विवाद है, आप बिराज जाएं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी और वर्तमान वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने और मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों ने बैठकर राजस्थान का विकासोन्मुखी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

बजट बनाने का निर्णय लिया। इसका मैं आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बजट के सामान्य वाद-विवाद पर चर्चा हो रही है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 12 हजार करोड़ में से 3164 करोड़ रुपये खर्च किये जो समस्त योजनाओं का 33 प्रतिशत है। 1997–98 में 800 करोड़ रुपये खर्च करने का जो प्रावधान रखा है उससे राजस्थान का विकास हो सकेगा। शिक्षा में 1997–98 में, 216 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा है, जो खर्च करेंगे उससे 1990 से 1995 तक जो खर्च किया, वह 595 करोड़ रुपये खर्च किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5930 प्राथमिक विद्यालय खोले गये, 2647 मिडल स्कूल खोले गये, 441 माध्यमिक स्कूल खोले गये और 341 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गये। इसके साथ ही 1997–98 में 500 नये स्कूल, मिडल स्कूल 400, माध्यमिक 170 और सौ हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का इरादा है।

मैं इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार यह चाहती है कि राजस्थान में अनपढ़ व्यक्ति कोई नहीं रहे। परन्तु इसके लिये केवल अध्यापकों पर निर्भर रहना भी उचित नहीं है। आज सरकार की योजना के अनुरूप स्कूल खोले जा रहे हैं, अध्यापकों की नियुक्तियों की जा रही है, परन्तु मैं शिक्षा मंत्रीजी से और पंचायती राज राज्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि प्रारम्भिक और मिडल स्कूल में अध्यापक नहीं जाते हैं, अध्यापक वहां नहीं मिलते हैं। यदि वे चाहें तो वहां के गांवों के अंदर जाकर जानकारी ले लें, विद्यार्थियों को पूछें कि उनको क्या आता है, और क्या नहीं आता है। मैंने जब डी.ई.ओ. से बात की तो वे कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं। हम किससे जाकर चैक करें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता को जो बजट पेश कर रहे हो, जो स्कूल खोल रहे हो तो उसके लिये भी व्यवस्था करिये जिससे अध्यापक समय पर स्कूल में जाएं।

इसके साथ ही साक्षरता का बीड़ा राजस्थान सरकार ने उठाया है। साक्षरता में अध्यापकों को ही नौकरी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, टी.ए., डी.ए. दिया जाता है। जो अध्यापक स्कूल में ही नहीं जाता, वह साक्षरता क्या करवाएगा। इसके लिये जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं, उनको लगाया जाए। इससे बेरोजगारी भी मिटेगी और वह अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकेंगे।

स्वास्थ्य विभाग की ओर राजस्थान सरकार ने अब की बार जिस प्रकार का बजट पेश किया है वह बड़ा दुखदायी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल में जिस प्रकार का विचार हुआ होगा, राजस्थान के मुख्य मंत्री जो गरीबों के हितैषी हैं और मंत्रीगण भी गरीबों के हितैषी हैं, उन्होंने इतना कम बजट, पिछले वर्ष से भी, 32 करोड़ 96 लाख कम किया है। मैं यह नहीं समझ

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

पाया कि क्या राजस्थान से बीमारी हट गयी ? क्या राजस्थान में अब कोई बीमार नहीं होगा ? इस बात की राजस्थान सरकार गारंटी दे रही है ? जो इस वर्ष इतना कम बजट रखा गया है। मैं तो यह चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान का विद्यार्थी कर्नाटक में पढ़ने जाता है, राजस्थान का विद्यार्थी मद्रास में जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, वहा पर प्राइवेट कॉलेज है, राजस्थान में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला जाए। अगर यहां पर मेडिकल कॉलेज हो तो लोगों को वहां पैसा देकर एडमिशन नहीं लेना पड़े। आज यदि यहां का विद्यार्थी वहां जाकर पैसा देकर एडमिशन लेता है, आज हमको आवश्यकता है डाक्टरों की। एक ओर हम बजट कम कर रहे हैं, दूसरी ओर यहां पर ग्रामीण एरिये में डाक्टर नहीं है। आज भी लगभग 800 डाक्टर सी.ए.एस. की कमी है इनको कैसे पूरा करेंगे ? आज वहां पर जो विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, पांच लाख से छह लाख रुपये तक वे डोनेशन देते हैं और उसके बाद उनको एडमिशन मिलता है और दूसरी ओर हमारी राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें कमी की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा क्या अब रोगी नहीं बढ़ेंगे ? क्या खटिया नहीं आएगी ? क्या रोगी बिलकुल अस्पताल में नहीं जाएंगे ? क्या नये पलंग नहीं लगेंगे ? जो पलंग टूटे हुए हैं, वे नये नहीं बनेंगे, यह कैसी व्यवस्था है ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आम आदमी की भावनाएं और मैं उप मुख्य मंत्रीजी, जो वर्तमान में वित्त मंत्रीजी भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारी भावना को मध्यनजर रखते बजट में और प्रावधान किया जाए। इसके साथ-साथ इस वर्ष एक भी रेफरल अस्पताल नहीं खुलेगा, इस वर्ष मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एक भी नहीं खुलेगा, एक रोगी की खटिया नहीं आएगी। राजस्थान में मुझे लगता है कि अब कोई नया उपकरण नहीं आएगा। इसका मतलब राजस्थान से बीमारी ने विदा ले ली अब राजस्थान में कोई बीमार नहीं होगा, ऐसा इस बजट से लगता है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग को और बजट दिया जाए।

मैं बूंदी जिले की ओर इस बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा। बूंदी जिले में पूरे वर्ष भर में डेढ़ लाख से अधिक मरीज आते हैं। बूंदी जिले में जिला मुख्यालय होने के कारण बूंदी में "बी" क्लास अस्पताल है। 150 शैय्याएं दे रखी हैं और 15 बेड अस्पताल में हैं। वहां पर आई. सी. यू. की यूनिट है, उसके लिये भी पैसा दिया जाना चाहिये, वहां पैसा नहीं है। इसमें 22 लाख रुपये करीब दिये जाते हैं, इस वर्ष केवल डेढ़ लाख दिये थे। मैं चाहूंगा कि वहां 22 लाख रुपये दिये जाएं, जिससे कि आई.सी.यू. की यूनिट वहां चालू हो सके। आज बूंदी के अन्दर ब्लड बैंक खोल दिया गया है। आज बूंदी में सोनोग्राफी की मशीन लगा दी गयी, सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर मिल रहीं हैं। कोटा में मेडिकल कॉलेज है, उससे बूंदी में भार बढ़ता है। इस बजट में बूंदी अस्पताल को "ए" श्रेणी में क्रमोन्नत करने के लिये मेरा निवेदन है, उसको स्वीकार करने का कष्ट

(७०)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

करें। इसी प्रकार बूंदी नगर के अन्दर बालचन्द-पाड़ा, रजतगढ़ कॉलोनी, विकास नगर, जिसके बारे में बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि इन तीनों जगहों पर डिस्पेंसरी खोली जाए, जिससे बूंदी के लोगों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग के बारे में आज जो प्रश्न है, बजट पर बोल रहा हूं, परन्तु आज मंत्रीजी ने कहा उसके लिये तो मै उनका आभारी हूं और उसके साथ ही यह चाहूंगा कि राजस्थान में जो छोटे-छोटे एनीकट हैं और जो बड़े बांध बनते हैं लेकिन ओवरफ्लो पर नदी में पानी जाता है, उन नदियों में पानी नहीं जाए। बड़े बांध के ऊपर अगर छोटे एनीकट बनते हैं, जैसे उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे बूंदी के अन्दर एक वर्षा बांध है उसमें दो फुट से लेकर पांच फुट तक चादर चलती है अगर उस पर गोडा बॉध, जो श्योपुरा और महादेव के पास है, वह बांध दिया जाय तो उस पर पानी का सदुपयोग होगा। इसी प्रकार राजस्थान में कई ऐसे जिले हैं, जहां पर उनका सदुपयोग होगा। राजस्थान में सिंचाई पर जो पैसा दिया और नाबार्ड की ग्रामीण आर्थिक संसाधन विकास कोटा से लघु एवं माध्यमिक सिंचाई योजनाओं के तहत निर्माण पर आगामी वर्ष में 40 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च करना प्रस्तावित है, इसमें मेरा निवेदन यह है कि छोटे—छोटे एनीकट भी उसमें रखे जाए।

इसके साथ ही मैं चम्बल परियोजना क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज 2500 हैक्टेयर भूमि विकास कार्य तथा 250 किलोमीटर नहरों एवं वितरिकाओं की मरम्मत करवाया जाना प्रस्तावित है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा सम्भाग जिसमें बूंदी में माही मुख्य नहर है और लगभग 90 प्रतिशत नहरें जर्जर और खण्डर हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। टाइम पर पानी नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए जब तक इन नहरों की सफाई नहीं होगी, नहरों की मरम्मत नहीं होगी, नहरें पक्की नहीं होंगी, पानी बेकार जाएगा, आखिरी छोर के किसान को पानी नहीं मिलेगा जब तक इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। इसलिए नहरों को पक्का किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये क्योंकि हमने एक नारा दिया था कि "हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी देंगे" यह तभी पूरा होगा जब हम इसके लिये पैसे का अधिक से अधिक प्रावधान रखेंगे। इसके साथ ही इन नहरों और ड्रेन्स की रख—रखाव के लिये भी पैसे की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बार-बार आप कहते हैं कि मशीनें हमने दे दी हैं। मशीनें जाती हैं, कोटा में, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर सारे अधिकारी बैठते हैं, अधिशासी अभियन्ता बैठते हैं बूंदी में उसके अधीन वे मशीनें क्यों नहीं दी जाएं? सहायक अभियन्ता को मशीनें क्यों नहीं दी जाएं? उन्हें जिम्मेदारी दी जाए कि वे टूटे—फूटे, खराब हो, तेल, उसमें जो भी व्यवस्था की जिम्मेदारी हो, वह सहायक अभियन्ता की हो, तब तो पूरा होगा वरना खराब होती है, ड्राइवर उस मशीन को वहां पर छोड़ देता है और कोटा चला जाता है। 8 दिन से 15 दिन तक वह मशीन वहां खड़ी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

रहती है, 600 रुपये घंटा लगता है, पैसा व्यर्थ जाता है और मशीन का सदुपयोग नहीं होता। किसान चिल्लाते हैं और उनकी ड्रेंस और नहरें साफ नहीं हो पातीं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन मशीनों की सहायक अभियन्ता को जिम्मेदारी दी जाए, तब जाकर व्यवस्था सुधर सकेगी।

एक मेरा निवेदन और है, इसी में। यहां पर कोटा सम्भाग के चार मंत्री हैं और मुझे खुशी इस बात की है, आज मंत्रिमण्डल में अच्छे स्थानों पर हैं। उप मुख्य मंत्रीजी कोटा की नहरों के बारे में और किसानों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी भी सब जानते हैं, परन्तु मुझे इस बात का दुःख है कि चुनावों के टाइम तो घोषणाएं करते हैं कि केचमेंट का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, आज केचमेंट के कर्जे का तीन साल से एक पैसा भी माफ नहीं किया गया, उसका प्रावधान नहीं रखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, हम किसानों के बीच में जाकर घोषणा करते हैं, हम चुनावों में वोट देते हैं और उस केचमेंट के कर्जे के बारे में एक भी बात उसमें नहीं रखी गयी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बजट के अन्दर केचमेंट के कर्जे को माफ करने का प्रावधान रखा जाए। वह प्रावधान रखना इसलिए भी आवश्यक है कि मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी, श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी, श्री रघुवीरसिंहजी कौशल और हम सबने किसानों के बीच में, किसानों के सम्मेलन में यह कहा है कि केचमेंट का पैसा नहीं देंगे और पैसा लेने आये, ढोल बजाओ, पुलिस को भगाओ और हम तुम्हारे साथ हैं। जब हम विरोध में थे तो उधर बैठा करते थे और घोषणाएं किया करते थे। आज हम सरकार में हैं और इस केचमेंट का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस केचमेंट के कर्जे को माफ किया जाए।

आज, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में जो हमने कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके लिये मैं श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी का शुक्रगुजार हूं मुख्य मंत्रीजी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 4000 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण करके 1200 गांवों को जोड़ा और इस वर्ष 1997-98 में 1300 गांवों को जोड़ने की योजना है। 4200 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2003 तक सम्पूर्ण गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। हम राजस्थान को यदि गति देना चाहते हैं, राजस्थान को बढ़ाना चाहते हैं तो 2003 के बजाय मेरा निवेदन है, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि 1998 में अगर पूरे नहीं तो आधे गांवों को तो जोड़ दिया जाए, जोड़ने का प्रयास करें, उससे सारे के सारे काम आज बिना सड़क के कोई कर्मचारी गांवों में जाना नहीं चाहता सड़क बनेगी तो कर्मचारी जाएगा। सड़क बनेगी जब कर्मचारी जाएंगे, अध्यापक आयेंगे तब सब काम करेंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सड़क के अन्दर कुछ पैसा दिया जाय।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, विशिष्ट योजना के बारे में दो मिनट और लूंगा। पहले जो 60 और 40 का रेश्यो था उसको पचास-पचास किया इसके लिए राजस्थान की सरकार के प्रति मैं आभारी हूं और राजस्थान की जनता इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहती है, धन्यवाद देगी। परन्तु इसके साथ ही मेरा एक निवेदन है कि सारे के सारे अधिकार कलक्टर्स को दे रखे हैं, कलक्टर साइन नहीं करते हैं। मेरे बूंदी जिले के बारे में निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि तीन महीने से एक फाइल पर साइन नहीं है। पैसा चुक नहीं, रहा, सारे काम बंद पड़े हैं। आज सारे गांव चिल्ला रहे हैं पैसा दो और सिचाई विभाग ने, पी डब्ल्यू. डी. ने दूसरे विभागों ने सारे प्रस्ताव बनाकर भेज दिये हैं, राज्य सरकार ने पैसा दे दिया है परन्तु पंचायतों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। या तो उनको अधिकार दो तो उन पर अंकुश लगाओ और कोई भी मंत्री, विशिष्ट अधिकारी वहां जाकर चैक करें। अगर एक महीने से अधिक फाइल रह गयी तो कलक्टर को जिम्मेदार ठहराया जाय और वे कार्यवाही नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाय क्योंकि राजस्थान सरकार पैसा दे रही है, केन्द्र सरकार से पैसा आ रहा है उसके बावजूद भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो विकास नहीं चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

जनजाति के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र में ही केवल जनजाति के लोगों को माना जा रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि जनजाति के लोग, आदिवासी लोग राजस्थान में कई जिलों में बसे हुए हैं। मेरे बूंदी जिले में 18 पंचायतें हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। क्योंकि जनजाति क्षेत्र में एक एरिया लिया जाता है उस एरिये में वो नहीं हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, मेरा निवेदन करना यह है कि जनजाति और आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी इस योजना में लिया जाए तो इससे बड़ी खुशहाली होगी, उसका बड़ा लाभ मिल पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल पर्यटन के बारे में एक निवेदन करके मेरी बात समाप्त करूंगा। आज राजस्थान सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने जा रही है। बूंदी जिला भी इसमें भागीदार है, परन्तु बूंदी जिले को अभी तक पर्यटन में नहीं लिया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी में जैतसागर झील के किनारे सुखमहल है, बड़ा सुन्दर लगता है। इस सुखमहल को पर्यटन, कला एवं संस्कृति को अगर आवंटित कर दिया जाय तो उपलब्ध पुरा-सम्पदा, स्थापत्य कला के नमूने, विभिन्न प्रकार की वेश-भूषा आदि का संग्रह कर स्वागत केन्द्र का निर्माण किया जा सकता है। यहां की चित्रशाला बड़ी मशहूर है। सवाईमाधोपुर में रणथम्भोर है और वहां की हमारी पर्यटन मंत्री महोदया भी हैं, इन्द्रगढ़ का किला है, वहां से तलवास में किला है, रामगढ़ में वहां का किला है, वहां सुखमहल, रामेश्वरम महादेव का स्थान है, बूंदी का किला है जहां चित्रशाला मौजूद है, वहां से मैनाल आदि यह सब एक ही लाइन पर आते हैं और इनको भी पर्यटन में लिया

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

जाए। होटल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि, वहां होटल खोल दी जाएं तो ठीक रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग ने सारे राजस्थान में त्राहि-त्राहि मचा रखी है। आज वन विभाग ने, खनिज विभाग ने ऐसे अड़गे अटका रखे हैं और केवल खनिज विभाग में नहीं, सड़क के लिए, बिजली के लिए सब जगह वन विभाग जहां चाहे वहां पर रोड़ा अटकाता है। मेरा निवेदन करना है कि मास्टर प्लान बनाया जाए। जो मास्टर प्लान है और पहले के जो नक्शे हैं, रेवेन्यू और वन विभाग के दोनों के नक्शों को देखा जाए और जिस जमीन पर जंगल नहीं है और वह खनिज के काम में आ सकती है या अन्य काम में आ सकती हैं। उस जमीन को रेवेन्यू कर दिया जाए या अन्य विभाग को दिया जाए और जो जमीन बंजर पड़ी हुई है, जो जमीन खेती के काम में नहीं आ सकती उसको वन विभाग को दिया जाए। वहां वन लगाये जाए जिससे वन विभाग का भी काम होगा और राजस्थान की जनता को इससे राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने राजस्थान सरकार का बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिए अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद राजस्थान के विकास की यात्रा को गति मिलती रही, परन्तु जब राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने उसके पूर्व राजस्थान की पंचवर्षीय योजना का आकार बहुत छोटा था। सातवीं पंचवर्षीय योजना मात्र साढ़े तीन हजार करोड़ की थी जिससे सम्पूर्ण राजस्थान का विकास होना सम्भव नहीं था। राजस्थान की सातवीं योजना के समय जो राजनेता थे, जो मुख्य मंत्री थे उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि केन्द्र में जाकर योजना का आकार बढ़ा दें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना का आकार बढ़ाया और आकार बढ़ाने के साथ-साथ साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की योजना इन्होंने बनायी और कुशल वित्तीय प्रशासन के कारण इसमें बारह हजार एक सौ करोड़ का योजना में व्यय हुआ। यह राजस्थान के विकास के लिए राजनेताओं की इच्छा शक्ति और माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान के मंत्रिमण्डल की सब की एक इच्छा थी कि, राजस्थान का विकास होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें राजस्थान में कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं अकाल है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं, कहीं चिकित्सा की सुविधाएं नहीं तो कहीं शिक्षा की सुविधा नहीं है। सब प्रकार की सुविधाएं जनता को मिले, इसको ध्यान में रख कर इस बार का जो बजट रखा गया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

(९४)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

माननीय उप मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्रीजी ने यह जो बजट रखा है, इनका पहला अवसर था, इन्होंने इस प्रकार का बजट रखकर राजस्थान के विकास की ओर संभावनाएं बढ़ायी हैं। यही नहीं, राजस्थान को एक दिशा-दर्शन दिया है कि 15 वर्ष बाद राजस्थान की क्या स्थिति होगी, राजस्थान का पिछड़ापन कैसे दूर होगा और राजस्थान विकासशील प्रदेशों के साथ होगा। इसके लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बजट का जो पहला भाग है उसमें राजस्थान के लिए जो कल्पना की गयी है, राजस्थान के विकास के लिए जो आधारभूत योजनाएं रखी गयीं हैं, वह राजस्थान के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आयी। राजस्थान में जहां पीने का पानी नहीं है, राजस्थान में दूरदराज के गांवों में चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं और फिर भी चिकित्सा के बजट में जिस प्रकार से कटौती की गयी है उससे मुझे आघात लगा है। आज से एक वर्ष पहले जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें पूरा बजट चिकित्सा को समर्पित किया गया था और आज चिकित्सा के लिए जिस प्रकार की बात इस बजट में रखी गयी है उससे मुझे तो आघात लगा और राजस्थान के अन्दर जो चिकित्सा प्रेमी हैं, जो जनता की चिकित्सा और स्वास्थ्य के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं, उनको भी इससे ऐसा लगा, एक प्रश्न चिन्ह, उनके भी दिल और दिमाग में आया कि चिकित्सा का बजट क्यों कम कर दिया। हमारे जोधपुर में मेडिकल कॉलेज है, पूरे जोधपुर संभाग के रोगी वहां उपचार के लिए आते हैं और लम्बे समय से मेरी मांग थी कि जोधपुर में जिला स्तरीय अस्पताल बनाना चाहिये। जिला स्तरीय अस्पताल बनने से जोधपुर के अन्दर जो मेडिकल कॉलेज के अन्दर सुविधाएं मिल रही हैं वैसी सुविधाएं विशेष रोगियों को मिल पातीं। साधारण रोगियों को जिला स्तरीय अस्पताल में सारी सुविधाएं मिल जातीं। मेरा काफी लम्बे समय से मांग स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रीजी से भी थी कि जोधपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल से कम महत्व का अस्पताल नहीं है, इसमें सुविधाएं जुटायी जाएं। हृदय रोग के लिए वहां भी चिकित्सा प्रारम्भ की जाए। इसके लिए आपका आश्वासन भी था। अब आप क्या करें, 37 करोड़ रुपये बजट में कम कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से, चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा, उप मुख्य मंत्रीजी, चिकित्सा के बारे में जैसा उदार आपका हृदय है, आप महर्षि दधीची के वंशज हैं, आपको इसके बारे में विचार करना चाहिये कि रोगियों के विषय में आप क्या विचार कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर होमोपोलियो की जो बीमारी है इसके रोगी बहुत कम होंगे। यह बीमारी धीरे-धीरे उजागर हो रही है। इसके इलाज के लिए राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं है और राजस्थान के बाहर व्यवस्था करनी पड़ती है उससे उन रोगियों को कितनी परेशानी हो रही है इसके लिए भी व्यवस्था करने की कृपा करें। विशेषकर जोधपुर में ऐसे 13 रोगी चयनित हुए हैं। उन रोगियों

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

के इलाज के लिए व्यवस्था हो सके इसके लिए चिकित्सा का बजट है, वह बढ़ाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पिछले चार बजट इस सरकार ने यहां प्रस्तुत किये हैं। राजस्थान की जनता की जो भावना थी कि किसी प्रकार उन पर करों का भार नहीं पड़े और राजस्थान के उद्योग-धन्धे पनपें और उद्योग-धन्धों के माध्यम से यहां के लोगों को रोजगार मिल सके इस आधार पर राजस्थान के अन्दर उद्योग का अच्छा वातावरण बना। यहां के उद्यमी, यहां के व्यापारी इस बात के लिये प्रसन्न थे कि राजस्थान में इंस्पेक्टर राज का डण्डा था, वह समाप्त हुआ है। परन्तु मुझे ऐसी शंकाएं होने लगीं, इस बजट के अन्दर अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स लगाने की एक कार्यवाही की गयी है, वह टैक्सों वाला पार्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग हैं। कृषि आधारित उद्योग में तिलहन का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। उस तिलहन के उत्पादन का राजस्थान को लाभ मिले, राजस्थान का ऑयल उद्योग है उसका पूरा उपयोग ले सकें इस दृष्टि से उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। गत वर्ष बजट में दो प्रतिशत खरीफ पर जो टैक्स लगा उसके कारण राजस्थान का जो तेल उद्योग है, वह संकट में आ गया। इस बजट के अन्दर हम उम्मीद करते थे कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये जो तेल उद्योग है, उसकी खरीफ पर यह टैक्स माफ करेंगे और उसको प्रोत्साहित करने के लिये और सुविधा देंगे। आप राजस्थान पत्रिका का समाचार पत्र उठाकर देखें उसमें तेल मिलों की नीलामी का एक विज्ञापन राजस्थान वित्त निगम की ओर से निकला है। यह तेल मिलें नीलाम हो रही हैं और राजस्थान में आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों के अन्दर और उससे पहले हमेशा तेल उद्योग संकट में रहा है। आज तिलहन का उत्पादन होने के बावजूद भी राजस्थान में उसका लाभ नहीं मिल रहा है। राजस्थान की जनता को तेल बाहर से मंगाना पड़ रहा है। किस प्रकार से इसमें प्रावधान रखें। उन्होंने एक पाइंट पर तो जो टैक्स लगाया है वह वापस लिया जाए। तिलहन उद्योग को टैक्स से पूरी मुक्ति दी जाए। इसके लिये माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। साथ में कृषि आधारित उद्योग हमारा ग्वारगम है। ग्वारगम के लिये आपने जिस प्रकार की सुविधा दी है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु उसमें भी आपने इंस्पेक्टर का डण्डा लगा दिया। "रियायती दर पर छूट दी जाएगी दो प्रतिशत"। उसका मतलब यह हो गया डायरेक्ट "डी" फार्म दिया जाए और डी फार्म के आधार पर उद्योग को उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा और ट्रेडर्स को उसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उसमें दो-तीन शब्द में जो उलझाने की कोशिश की है, वह हटायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर भूमि व भवन कर हम समाप्त करेंगे। यह हमारे घोषणा-पत्र में भी था

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

परन्तु भूमि व भवन कर जो लगाया गया है और बाजार भाव से लगाया जाएगा। इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। राजस्थान की जनता पर इंस्पेक्टर का डण्डा लगाने की जो कोशिश की गयी है उसे माननीय वित्त मंत्रीजी कर समाप्त करें या नहीं करें, जो व्यवस्था आप लागू करने जा रहे हैं उसको वापस लें। इससे राजस्थान में विशेषकर शहर की जनता में बड़ा रोष है। मैं एक दिन के लिये जोधपुर गया था तो पचास ज्ञापन मुझे इस मामले में मिले कि यह क्या हो रहा है? या तो आप स्पष्ट करें और इस भूमि व भवन कर को किसी भी तरह समाप्त करें और इसके लिये आप कोई व्यवस्था करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जल नीति लागू की जा रही है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हमारे जोधपुर में पिछले तीन वर्षों के अन्दर 256 करोड़ रुपये की जोधपुर लिफ्ट कैनाल की योजना आज सम्पूर्ण हो गयी है। इसके लिये राजस्थान सरकार पूरी तौर पर और मुख्य मंत्रीजी, जलदाय मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रयासों से यह किया। जोधपुर की जनता एक-एक बूंद पानी के लिये तरसती थी आज हिमालय का पानी जोधपुर आ गया है। उसमें 256 करोड़ रुपये व्यय हुए। वह योजना आज पूरी हो चुकी है। साथ में 40 करोड़ रुपये की, एक 25 करोड़ रुपये की और एक 12 करोड़ रुपये की योजना और स्वीकृत हो चुकी है। इस कारण जोधपुर की जनता को फिल्टर का पानी मिलेगा। मैं जलदाय मंत्रीजी को इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम जल नीति बनाने जा रहे हैं, जल नीति के साथ-साथ हम इस बात पर विचार करें हमारे पश्चिम राजस्थान के अन्दर भूमिगत से वैदिक सरस्वती नदी का प्रवाह हो रहा है, भूमिगत नदी बह रही है। उस सरस्वती नदी के लिये सरस्वती जल शोध संस्थान है, वह उसके लिये प्रयास कर रहा है और रिसर्च कर रहा है। उसमें राजस्थान सरकार भी अपना सहयोग करे और जो भूमिगत सरस्वती नदी बह रही है उसमें अपार जल का भण्डार है, उसका उपयोग राजस्थान की जनता के पीने के पानी के लिये कर सकती है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की जनता के लिये कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से और वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वैदिक सरस्वती शोध संस्थान है उसमें राज्य सरकार सहयोग करे और दोनों मिलकर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में उस जल का उपयोग कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन मोहन।

श्री मदन मोहन (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज बजट पर चर्चा हो रही है, मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, जो उद्योग मंत्री भी हैं, उनसे दो-तीन सवाल ही पूछना चाहता हूं, ज्यादा लम्बी बहस नहीं करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : सवाल तो बाद में पूछ लेना। उत्तर के बाद सवाल होते हैं।

श्री मदन मोहन : अच्छा ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अलवर जिले में भूमि अधिग्रहण हो रहा है और एग्रीकल्चर और नॉन-एग्रीकल्चर बैल्ट की जहां तक चर्चा है, अलवर जिले में आज जितनी भी भूमि का रीको द्वारा एक्वायर-मेंट हुआ है वह ज्यादातर एग्रीकल्चर बैल्ट का हुआ है। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब अपना जवाब दें उस समय अलवर जिले में आज तक कितनी भूमि एक्वायर की गयी है, उसमें से एग्रीकल्चर बैल्ट कितनी एक्वायर की गयी और नॉन-एग्रीकल्चर बैल्ट कितनी एक्वायर की गयी और उसमें सिंचित क्षेत्र कितना था और असिंचित क्षेत्र कितना था?

उपाध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर पोल्युटेड इकाइयां जिस तरह से दिल्ली से ट्रांसफर होकर भिवाड़ी क्षेत्र में लगायी जा रही हैं और भिवाड़ी का जितना पोल्युटेड वाटर था उसको जिस तरह से हरियाणा सीमा की तरफ बढ़ाया जा रहा था तो हरियाणा गवर्नमेंट ने आदेश देकर उसे रोक दिया और अब राज्य सरकार ने यह तय किया है कि उसको वहां से दस इंची पाइप से निकाल कर और साबी नदी के अन्दर डालने की योजना बनायी जा रही है, इसका काम भी चालू है। जब वह साबी नदी के अन्दर गिरेगा साबी नदी के अन्दर मसानी बैराज बना हुआ है और वह भी हरियाणा गवर्नमेंट का है, वह आज से दस साल पहले करीब 166 करोड़ रुपये की लागत से बना था। आज वर्तमान में उसकी लागत कम से कम 600–700 करोड़ रुपये के आस-पास है। जब आप उस पोल्युटेड वाटर को वहां डालेंगे और उस भूमि में डालने की जो योजना बनायी जा रही है, वहां पर पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर बैल्ट है, पूर्ण रूप से सिंचित क्षेत्र है तो क्या वहां के जो बसने वाले गांव हैं, वह उस पोल्यूशन से पीड़ित नहीं होंगे? जब दिल्ली से पोल्यूशन होने पर वहां से इकाइयां हटायी गयीं तो क्या दिल्ली में बसने वाला इंसान, इंसान था और राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बसने वाला इंसान, इंसान नहीं है? क्या वह भेड़-बकरी के समान है? उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पानी मसानी बैराज में पहुंचेगा तो राज्य सरकार ने हरियाणा गवर्नमेंट से यह मंजूरी ले ली है कि वहां से उन्होंने पाताल तोड़ कुएं बना रखे हैं कि आप इस पोल्युटेड वाटर को इन कुओं के अन्दर डाल दीजिये। जिस पानी का इस्तेमाल वह पीने के पानी के रूप में करते हैं जब उसमें डालेंगे तो वह पानी पीने योग्य होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्यावरण के बारे में निवेदन कर रहा था कि वहां पर आज जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें जितने बड़े प्लांट लगे हुए हैं, उनमें ज्यादातर में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए हैं और पोल्यूशन लगातार फैला रहे हैं। वहां करीब चार-पांच फैक्ट्रियों में गत वर्षों में कई बार गैस का रिसाव भी हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण के बारे में मैं कह रहा था उसी में एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अलवर में भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, रीको द्वारा जो भूमि का अधिग्रहण हो रहा है, उसमें जो रेट तय की जाती है वह वहां की जो ऊंची रजिस्ट्री की हुई होती है उसके आधार पर

(श्री मदन मोहन)

वहां भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। उस गांव की टोटल भूमि की यदि पचास हजार रुपये बीघे के हिसाब से रजिस्ट्री है तो उस गांव के लोगों को पचास हजार रुपये के हिसाब से पैसे दिये जाते हैं। जबकि वहां की मार्केट वैल्यू 10 और 15 लाख रुपये बीघे के हिसाब से है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि वहां की जनता को यदि आप उस एग्रोकल्चर बैल्ट को भी बरबाद करने पर आमदा हो चुके है तो वहां के लोगों को बाजार भाव पर बेचने की अनुमति दी जाए। वहां पर रीको द्वारा एक्वायरमेंट नहीं किया जाना चाहिये। जब रीको उसको सस्ते दाम पर एक्वायर करती हैं और वहां के उद्योगपतियों को वह जब भूमि अवाप्त करती है तो उस समय उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर, उद्योगों से जो पैसा अधिक आता है उसी को लोन के माध्यम से उन्हीं उद्योगपतियों को दे दिया जाता है और जितने भी उद्योग भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लग रहे हैं, वह उद्योग मात्र जिसको करीब पचास बीघा या सौ बीघा में लगाया जा सकता है वहां पर पांच सौ, छः सौ और एक हजार बीघा तक की जमीन लेते हैं, उसका क्या औचित्य है? उपाध्यक्ष महोदय, उसका एक ही कारण है कि जिस दिन यह इण्डस्ट्री बन्द होगी उस दिन उस भूमि को बेचकर करोड़ों रुपये की सम्पत्ति उनके पास फिर भी सुरक्षित होगी। लेकिन किसान, जो वहां से उठा दिया गया वह बरबादी के कगार पर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब स्वास्थ्य के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जिस तरह से इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य विभाग के बजट में जो कटौती की गयी है वह पूर्ण रूप से निरर्थक है। मैं तो यह मानता हूं कि इस वर्ष 32 करोड़ रुपये की जो कटौती की गयी है, मैं यह चाहता था कि 64 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर करीब पचास गांव ऐसे हैं जहां पर पचास गांवों के बीच में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है और न वहां पर एक भी औषधालय है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि खैरथल मण्डी कितनी बड़ी है, वहां की आबादी एक लाख के आसपास है लेकिन वहां पर केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, रैफरल अस्पताल की स्थापना वहां पर आज तक नहीं की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, इन उद्योगों के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में जितने उद्योग लग रहे हैं, वहां के जिन गांवों की भूमि का एक्वायरमेंट किया जाता है? वहां के जितने भी नवयुवक हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर रोजगार दिलाया जाना चाहिए क्योंकि वहां के लोग बरबाद हो रहे हैं। यदि उनके बच्चों को रोजगार उन फैक्ट्रीज के अन्दर मिल गया तो वहां के लोगों को जीवन-यापन करने का एक साधन बनेगा और वहां पर जो लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर भी अंकुश लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र और अलवर जिले की कानून और व्यवस्था है उसके सम्बन्ध में भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आज राजस्थान के बजट

(श्री मदन मोहन)

में हम यह कर संतुष्टि कर लें कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की कानून और व्यवस्था ठीक है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि गत वर्षों के लगातार आंकड़े देख लीजिये, क्राइम बढ़ा है, घटा नहीं है। आप अगले से तुलना करते रहें और यदि यह बढ़ता रहा तो इसकी सीमा क्या होगी? आप अगले से तुलना मत कीजिये। अपने यहां पर रोकने की व्यवस्था कीजिये। जिस तरह से भिवाड़ी की पापुलेशन लगातार बढ़ रही है और वहां पर चौकियों की लगातार स्थापना हो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर एक एडीशनल एस. पी. की पोस्ट क्रिएट करके वहां क्राइम के ऊपर काबू पाने की चेष्टा की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बिजली पर भी चर्चा हुई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान में प्रोडक्शन लगातार घट रहा है और कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन घट रहा है और कंजपशन बढ़ रहा है। और उसके बढ़ाने के लिये आप जो व्यवस्था आज कर रहे हो उसके परिणाम दीर्घकालीन प्राप्त होंगे तो 600–700 करोड़ रुपये की यदि लगातार आप खरीदते रहे तो वह पैसा कहां जा रहा है आपका? उपाध्यक्ष महोदय, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्थायी समाधान ढूंढना होगा। जिन उद्योगों को आप बिजली देना चाहते हैं और जिस तरह से औद्योगिकीकरण यहां पर बढ़ रहा है, उन उद्योगों में जिन उद्योगों की यह क्षमता हो कि वह पावर प्लांट लगा सके, उनको आप पावर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान करें जिससे कि राज्य के किसानों का बिजली का हक कटे नहीं और यदि किसानों का बिजली का हक कटेगा तो राज्य की स्थिति काफी खराब होगी। राजस्थान में तीन-चार जिले हैं जो राजस्थान को खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं—अलवर, भरतपुर, जयपुर का आधा हिस्सा, श्री गंगानगर और बीकानेर। यदि ये जिले औद्योगिकीकरण के हिसाब से बरबाद हो गये तो आपको खाने के लाले पड़ जायेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अलवर जिला तिलहन के मामले में सरसों के उत्पादन में हिन्दुस्तान में 42 प्रतिशत उत्पादन करता है लेकिन उसका लगातार स्तर गिर रहा है, इसके कारण क्या हैं कि वहां पर जिस तरह से औद्योगिकीकरण के नाम पर जितने एग्रीकल्चर बैल्ट हैं वह सारे के सारे एक्वायर हो रहे हैं, उसको रोकने की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से राज्य सरकार ने फोर व्हीलर्स के ऊपर कर चार प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि या तो इसको चार प्रतिशत ही रखा जाए या ज्यादा से ज्यादा बारह की जगह छह मीडियम कर दिया जाए, वह ज्यादा बेहतर होगा। यह आम आदमी की आवश्यकता तो नहीं कह सकता लेकिन जिस किसान की यह स्थिति होगी वह फोर व्हीलर लाकर, ट्रक या जीप लाकर, बसें लाकर वह राजस्थान के ट्रांसपोर्ट को सहयोग करना चाहेगा, वह उससे पिछड़ जाएगा और उनको उसका भारी नुकसान सहना पड़ेगा।

(100)

(श्री मदन मोहन)

उपाध्यक्ष महोदय, आप अलवर जिले के रहने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिला हर वर्ष लगतार बाढ़ की चपेट में आ रहा है और बाढ़ की चपेट के लिए राज्य सरकार केवल वैकल्कि व्यवस्था कर पायी है। बाढ़ के अन्दर जो लोग डूबे हैं, जिनके मकान गिरे हैं, यदि आप उनके मकान बनाने के लिये मुआवजा दे दें या डूबते समय आप उनको रोटी के पैकेट डलवा दें, वह उनके लिये कोई स्थायी समाधान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से अलवर जिले को डार्क जोन घोषित किया गया उस डार्क जोन को ग्रीन जोन में परिवर्तित किया जाए और बाढ़ का जो मामला है, इसके अन्दर सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अन्दर एक गांव है, अजमेरीपुरा, उसके अन्दर बांध का निर्माण कराया जाए जिससे कि वहां का जल स्तर बढ़े और साबी नदी का जो पानी आता है तथा जो मसानी बैराज में जाता हैं जिससे पानी का सदुपयोग हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और भी निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने गतवर्ष पेयजल को समर्पित बजट पेश किया था। मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन पेयजल को समर्पित तो कर दिया, राज्य सरकार ने पैसा भी दे दिया लेकिन आज तक एक्जीक्यूट नहीं हो पाया है. उसके क्या–क्या कारण रहे हैं तो सिंचाई मंत्री जी जब जवाब दें तो इसके भी कारण सदन के पटल पर रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और भी निवेदन करना चाहूंगा। गत वर्ष बाढ़ की विभीषिका से जो बांध टूट गये थे, उसका निर्माण जो आज तक शुरू नहीं हुआ है, उसके क्या–क्या कारण रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बाढ़ के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि उस समय जितनी सड़कें टूटीं, बांध टूटे, जितने गांव डूबे, जिनके मकान डूब गये, वे अभी तक उस हालत में नहीं आये जिस हालत में वे थे और बांध तथा सड़कों का निर्माण तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। राज्य सरकार से मेरी पुरजोर शब्दों में यह मांग है कि जो बाढ़ की सहायता राज्य सरकार को देनी थी और जो केन्द्र से सहायता का पैसा मिला था उसमें से कितना-कितना पैसा अब तक लग चुका है और भविष्य में इसकी क्या-क्या योजनाएं हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर हैं, वह शिक्षा नीति के हिसाब से सही नहीं बैठते और उन ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर्स के पास बड़े–बड़े गांव हैं जिनकी पापुलेशन हज़ारों में है लेकिन वहां पर आज तक आपने शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं की, केवल उस पंचायत हैड क्वार्टर को सौंपकर, जहां पर मात्र चार या पांच घर रह गये हों और उसके आधार पर वहां पर जितने ग्राम पंचायत बस रहे हैं उनका भी शोषण होता रहे, यह निरर्थक है। उपाध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस तरह का संशोधन करें कि जो ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर हैं उनके अन्दर एक भी स्कूल नहीं है

(श्री मदन मोहन)

आठवीं तक का या दसवीं तक का, कम से कम दस–दस ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें एक भी स्कूल नहीं है। महिला शिक्षा की जहां तक बात की जाती है। किशनगढ़-बास सब डिवीजन है लेकिन वहां पर अभी तक लड़कियों का सीनियर स्कूल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि हरसौली जो गांव है। हरसौली गांव अलवर जिले का सबसे बड़ा गांव है और उसके अन्दर महिलाओं की जो शिक्षा है उसमें उत्तरोतर वृद्धि हो रही है लेकिन वहां पर सीनियर स्तर का कोई विद्यालय नहीं है इसकी वजह से को–एजुकेशन का जब मामला आता है तो वहां के ग्रामीण कल्चर की जितनी लड़कियां हैं वे पढ़ना ही छोड़ देती हैं जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन था कि यदि राज्य का विकास हो रहा हो तो सीमाओं को तोड़कर भी करना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और भी निवेदन करूंगा। जिस तरह से हरियाणा राज्य में शराब बन्दी की गयी है और राजस्थान में शराब चालू है तो अलवर जिले में क्राइम का जो कारण बढ़ा है, उसमें मूल कारण शराब भी एक है। बार्डर के पास जितनी भी जगह पड़ती हैं, आप जाकर देख लीजिये, वहां पर शाम के वक्त कोई इज्जतदार व्यक्ति निकल नहीं सकता। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार या तो पूर्ण रूप से शराब बन्दी करे और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे अन्यथा बार्डर का जो क्षेत्र है उसमें करीब बीस किलोमीटर की रेंज के ऊपर कोई भी शराब का ठेका नहीं होना चाहिये, यही आपके माध्यम से मेरा निवेदन था। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप और भी बोलना चाहें तो बोलें, सब कुछ बोल लिये ?

श्री मदन मोहन : बोल तो लिया लेकिन आपने कहा था इस वजह से बैठ गया।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। सरकार की तरफ से जवाब। माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आगामी वर्ष के बजट पर तीन दिन से सदन में चर्चा हो रही है और सदन के बाहर भी चर्चा हो रही है। सदन में जिन सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव इस बजट के दौरान बहस में दिये हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और यह आश्वासन भी देता हूं कि उनके सभी रचनात्मक सुझावों पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। सदन के बाहर भी, यद्यपि हमारे प्रतिपक्ष के बंधु सदन में नहीं आये लेकिन उन्होंने सदन के बाहर अपनी बजट पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और आज मैं उनका उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा ताकि यह न कहा जाय कि सदन में एक तरफा बजट पर बहस हुई। जो बात सदन के बाहर कही गयी है मुख्य रूप से वही बात प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यहां होते तो सदन में कहते। यह दुर्भाग्य की बात है कि

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जिस दिन बजट पेश हुआ, मैंने स्वयं प्रतिपक्ष के अनेक माननीय वरिष्ठ सदस्यों से व्यक्तिगत प्रार्थना की कि आज का यह बजट अधिवेशन का बजट प्रस्तुति का अवसर है और मैं समझता हूं यदि आपको बायकाट ही करना है तो आप बजट सुनकर फिर बायकाट करिये। लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने मेरी इस प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया और जिस तरह से वह सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, जिस आधार पर कर रहे हैं वह प्रजातंत्र की कौनसी परम्परा है यह मेरी समझ में नहीं आया अभी तक।

मान्यवर, जिस तरह से कोई आदमी खम्भे को पकड़ ले और फिर जोर-जोर से चिल्लाए कि खम्भे ने मेरे को पकड़ लिया, ऐसी स्थिति हो रही है। कुछ ऐसी बातें लेकर वह अड़े हुए हैं कि जिनकी लीगलिटी के बारे में वह जानते हैं। अनेक प्रकार के अपने विचार बदलते–बदलते वह इस स्तर पर आये हैं कि इस विधान सभा में 22 तारीख को जो प्रस्ताव पारित किया वह गैर कानूनी है। इस आधार पर विधान सभा उसको वापस ले। मतलब विधान सभा यह घोषणा करे कि हमने 22 तारीख को जो प्रस्ताव पास किया वह गैर कानूनी था और इसलिए अब यह प्रस्ताव है। अब यह मांग कितनी उचित है इस पर जनता भी विचार करे और हम लोग भी विचार करें। एक ओर तो स्थिति यह है कि आम जनता में और मतदाताओं में इस बात को लेकर निराशा हो रही है कि हमारे विधायक सदन में क्या दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। जिस तरह के हिंसात्मक और अनरूली सीनें पैदा करते है, आम जनता की आस्था प्रजातंत्र में और मतदान में घटती जा रही है और हमने यह पिछले कई चुनावों में देखा है। मतदान का प्रतिशत कम होने का कारण यह भी है कि लोगों की आस्थाएं कम हो रही है। अब यदि हमें इस देश में प्रजातन्त्र को बचाना है और आम जनता की आस्थाओं को हमें मजबूत करना है तो विचार करना पड़ेगा कि सदन में इस प्रकार के हिंसात्मक, जो जनता भी पसंद नहीं करती, जो प्रजातन्त्र की सभी परम्पराओं के विपरीत है, कोई भी माननीय सदस्य इस तरह का काम न करे और यदि करता है तो सदन को अधिकार है कि वह उसे दण्ड दे और आज यह सामयिक है यह कोई नई बात नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी सदन में समझौते की गुंजाइश होती है।

सत्ता पक्ष ने यह भी मान लिया कि यदि वह खेद प्रकट करे, प्रायश्चित्त करे तो उनका निलम्बन भी रद्द किया जा सकता है लेकिन प्रतिपक्ष यह भी मानने को तैयार नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो जहां इस तरह के हिंसात्मक कार्यों को रोकने के लिये दण्ड की व्यवस्था है वहां कोई दण्ड से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित्त तक नहीं करे, खेद तक प्रकट नहीं करे तो फिर जो कदम उठाया गया है इस प्रकार की परम्परा तोड़कर सदन में व्यवधान पैदा करना, हिंसा करना, विवशतापूर्वक उठाया गया है, वह बेमानी हो जाएगा और मतदाताओं को और ज्यादा निराशा होगी और विधान सभा के ऊपर यह आरोप लगेगा कि विधान सभा अपने कर्तव्य से

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

च्युत हुई है, जिन लोगों ने विधान सभा के अन्दर विशेषाधिकार भंग किया है उनको दण्ड नहीं दिया, इससे और निराशा होगी।

दूसरा सवाल वह उठाते हैं, विशेषाधिकार समिति के सामने जो पैंडिंग है उसको विथड्रा किया जाए। वह स्वयं जानते हैं कि रूल 235 में यह प्रावधान है कि एक बार जब कोई मामला विशेषाधिकार समिति के सामने चला जाता है तो उनको वापस लेने का अधिकार प्रार्थी को भी नहीं है। वह सारा अधिकार विशेषाधिकार कमेटी या सदन को है लेकिन वह इस बात तक की परवाह नहीं करते और इस कानून के बावजूद यह मांग करते हैं।

एक और मांग करते हैं, अध्यक्ष के व्यवहार के बारे में। पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में कभी भी कहीं पर भी अध्यक्ष पर आक्षेप लगाने की व्यवस्था नहीं है। है, यदि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और उस पर विचार किया जाए। वह मोका भी उनको मिला। वह अविश्वास का प्रस्ताव लाये। हम चाहते थे कि उस पर बहस हो और जो भी आरोप लगाना चाहें लगाएं। उनका उत्तर उनको मिलता। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष बहस करने से गुरेज कर रहा है और सदन के बाहर सारी परम्पराओं को तोड़कर जो आचरण कर रहा है यह राजस्थान के इतिहास में, मैं समझता हूं बल्कि हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ऐसा परिच्छेद होगा कि जिसको भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियां कभी प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखेंगी।

इसलिए पुरजोर शब्दों में मैं प्रतिपक्ष को निवेदन करना चाहता हूं प्रजातन्त्र के नाम पर, प्रजातन्त्र की दुहाई देकर निवेदन करना चाहता हूं कि वह सदन में आएं, वह बहस करें, जो मुद्दा उठाना चाहें उठाएं। सरकार उनके हर मुद्दे का जवाब देने को तैयार है लेकिन बायकाट करके बाहर रहकर और केवल समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करके और जिस तरह से वातावरण को और अधिक बिगाड़ा जा रहा है, उसको बिगड़ने से रोकें। आज तक जिस प्रकार यहां हमारे अच्छे सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं उन सम्बन्धों को बनाये रखें। हम उसके लिए उनकी वाजिब बात को मानने के लिए तैयार हैं। सत्ता पक्ष की कोई जिद नहीं है। हम तो केवल विधान सभा के अधिकारों का और आम जनता में जो भावनाएं है और मतदाताओं में जो विचार हैं, हम तो उनकी रक्षा करना चाहते हैं। उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विधान सभा अपने कर्तव्य से च्युत नहीं है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी जब मैं इस बहस का जवाब दे रहा हूं तो आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस बजट के बारे में कुछ विस्तार से बात कहूं, हम इस राजस्थान की स्थिति को जरा अपनी नजर में रखें। हमारा यह राजस्थान प्रदेश बहुत सी बातों में महरूम है जो और प्रदेशों को प्राप्त है हमको प्राप्त नहीं है और बहुत सी प्राकृतिक, प्रकृति हमारे यहां ऐसी है कि जिसका लाभ हम उठा नहीं पाते राजस्थान में। राजस्थान का दो तिहाई हिस्सा रेगिस्तानी है। यहां पर कोई नदियां और नाले नहीं है जो बारह

(104)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

महीने तक चलें और भूगर्भ में जो पानी है वह पानी भी बहुत नीचे जा रहा है। उसकी भी एक सीमा है। केन्द्रीय सरकार ने सारे राज्यों में पूंजी निवेश किया है। बीस प्रतिशत से लेकर तीस प्रतिशत तक किया है लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य है कि केन्द्र सरकार ने यहां पूंजी निवेश भी दो प्रतिशत से कम किया है, एक या डेढ़ प्रतिशत। सरकार ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

शिक्षा में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है यह हम सबको पता है। इसके मुझे आंकड़े देने की जरूरत नहीं। बार बार यहां आंकड़े दिये गये हैं। राजस्थान में अभी तक ब्रोडगेज की व्यवस्था भी पूरी नहीं है।

(15.00)

अभी तक राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहां जिला स्थान तक रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है ब्राडगेज तो जोड़िये। हमारा बांसवाड़ा जिले का मुख्यालय है लेकिन अभी तक वह रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। 50-52 साल की आजादी के बाद भी .... (व्यवधान) कई हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे जिले हमारे यहां पर हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं। हवाई अड्डों की जो व्यवस्था होनी चाहिये वह भी नहीं हो पा रही है। राजस्थान में पर्यटक भारी मात्रा में आना चाहते हैं लेकिन समुचित अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कमी के कारण और अन्य जगहों पर भी जो हवाई अड्डे बनने चाहिये अजमेर में, अन्य जगहों पर उनकी सुविधा नहीं होने के कारण वह भी हमको भुगतना पड़ता है। राजस्थान की नीति में अकाल, अतिवृष्टि, बाढ़ यह तो लिखा हुआ है। हमें हर दो-तीन साल में इनका सामना करना पड़ता है। हमारे यहां समुद्र नहीं है कि जिससे हम बन्दरगाह का फायदा उठा सकें। हमारे यहां उपजाऊ भूमि बहुत कम है। कुल मिलाकर यदि राजस्थान के पिछड़ेपन को देखें तो इसको ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान को भी इस देश के अग्रणी राज्यों में लाएं। इस आधार पर हमने हमारे बजट का सोच बनाया है। हमने परिकल्पना की है कि हम सम्वत् 2011 तक राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जिससे राजस्थान भी देश के अग्रणी प्रदेशों में हो हर क्षेत्र में, इसके लिये हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत कुछ किया गया है। लेकिन अभी तक बहुत कुछ बाकी है। अभी भी राजस्थान में सैकड़ों गांव हैं जहां पर पीने का शुद्ध पानी नहीं है, जहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। लगभग 244 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर अभी मेडिकल एण्ड हैल्थ की कोई व्यवस्था नहीं है। 18179 ऐसे गांव हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं और बिजली में भी लगभग साढ़े तीन हजार गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसी तरह से स्कूलों में भी यदि हम प्राइमरी स्कूल अनिवार्य करना चाहें, अभी भी राजस्थान में हमारे सामने 7500 से अधिक गांवों में स्कूलों की जरूरत है। हमारे सामने राजस्थान का नक्शा है। यह जो कमियां राजस्थान में आज हमको दिखाई दे रही हैं, इन कमियों को दूर करने का लक्ष्य बना कर हमने इस बजट की तैयारी की है।

मान्यवर, सबसे पहले हमने केन्द्रित किया है आबादी की रोक-थाम के लिये। राजस्थान की आबादी जिस गति से बढ़

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रही है यदि इसी गति से बढ़ती रही तो आने वाले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में राजस्थान में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हम कितना भी प्रयत्न पैदा करें तो भी राजस्थान में बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट नहीं भर पाएंगे। उनको काम नहीं दे पाएंगे। उनके रहने की समुचित व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगे। इसलिये हमने हमारा पहला ध्यान इस पर केन्द्रित किया है और हमने यह किया है कि हम 2007 तक राजस्थान की आबादी को साढ़े सात करोड़ पर स्थिर करेंगे और इसके लिये हमने बजट में प्रावधान किये हैं। हम मुस्तैदी के साथ इस कार्यक्रम को भी हाथ में लेंगे और राजस्थान की बढ़ती हुई आबादी पर निश्चित रूप से रोक लगाएंगे।

दूसरी सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में है वह पीने के पानी की है। इसलिये इस बजट में हमने तय किया है कि राजस्थान में पानी का प्रबन्धन, उसका दोहन, उसका उपयोग, उसका कंजर्वेशन, इन सारी बातों पर ध्यान देने के लिये एक समुचित जल नीति बनाने की आवश्यकता है। हमने यह तय किया है कि हम राजस्थान में सम्पूर्ण दृष्टि से जल को ध्यान में रखकर के एक नीति जल नीति के नाम से बनाएंगे। हमने इस बजट में यह भी तय किया है कि राजस्थान को शिक्षा में आगे लाना चाहते हैं। इसलिये सम्पूर्ण साक्षरता और शिक्षा को बढ़ाने के लिये हम बजट में अधिक से अधिक पैसा खर्च करें। हमारा सोच है कि 2001 में जब जनगणना होगी उस समय निश्चित रूप से राजस्थान का शिक्षा का प्रतिशत जो आज 38 है वह 50 से 60 तक ले जाएंगे और हम सम्पूर्ण राजस्थान को साक्षर कर देंगे। यह इस बजट का हमारा सोच है।

इसी तरह से हमने सड़कों के बारे में सोचा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे 18 हजार गांव हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिये क्रमबद्ध तरीके से सारे उन पंचायत मुख्यालयों को, जिनकी आबादी एक हजार है, हम सड़कों से जोड़ेंगे और क्रमशः इसी दृष्टि से सड़कों का काम चालू रखेंगे।

बिजली की समस्या भी राजस्थान में बहुत भारी समस्या है और इसलिये बजट में इस बात का प्रावधान किया है कि कम से कम अगले दो सालों में निश्चित रूप से राजस्थान को 1675 मेगावाट बिजली देना शुरू कर देंगे। आने वाले सात साल में हम राजस्थान को बिजली पर आत्मनिर्भर बना देंगे। इसके लिये भिन्न-भिन्न योजनाएं बनायी गयी हैं जिनका उल्लेख मैंने अपने भाषण में भी किया है और समय-समय पर भी होता रहता है। इसलिये मैं उसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता। जहां तक महिला और कमजोर वर्ग का सवाल है, हमने इस बजट में इस बात का अधिक ध्यान दिया है कि महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को काम देने की प्राथमिकता और उनको आगे लाने के लिये हम अधिक से अधिक कदम उठाएंगे। इसके लिये हमने बजट में प्रावधान भी किया है।

इसी प्रकार से जो कमजोर वर्ग है उस कमजोर वर्ग को भी चाहे वह शिड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हो

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

या ओ.बी.सी. हो या विकलांग हो। इन सबको आगे लाने के लिये क्रमबद्ध तरीके से विशेष ध्यान बजट में दिया है। लेकिन इस बजट में जो सबसे बड़ा ध्यान हमने दिया है वह यह दिया है कि यदि हम राजस्थान को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो किस तरह से ले जाएंगे ? यह बात बार-बार कही जाती रही है। विकास करने के लिये हमारे पास तीन तरीके हैं, या तो केन्द्र हमको पूरा पैसा दे या हम कर लगाकर पैसा पैदा करें या फिर कर्ज लेकर पैदा करें। इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि जिससे हम राजस्थान को आगे बढ़ा सकें। इसके लिये जरूरी है कि राजस्थान का बजटीय घाटा, कोषीय घाटा कम होता जाये। हम राजस्थान के फिस्कल पोजीशन को स्टेबल करना चाहते हैं। राजस्थान की माली हालत को सुदृढ़ करें यह हमारा मुख्य लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर यह बजट बनाया गया है। इसलिये हमने इसमें जो कदम उठायें हैं, हमारे गैर-आयोजना राजस्व खाते में जो घाटा था वह हमने पूरा कर दिया और राजस्व घाटे में भी जिसकी चर्चा रोज होती रहती है, इस साल उसमें केवल 157 करोड़ का घाटा है। हमारा अनुमान है कि अगली बार 31 करोड़ को लाकर अगले साल का जो बजट पेश होगा उसमें राजस्थान में राजस्व खाते में भी सन्तुलन ला देंगे।

इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी आमदनी का स्रोत या तो केन्द्र है या टैक्स बढ़ाना है या कर्जा लेना है। उसमें जहां तक केन्द्र का प्रश्न है, हमारा दुर्भाग्य है कि 1992–93 से लेकर आज तक केन्द्र जो हमको पैसा देता रहा है, प्लान साइड में, उसमें केन्द्र की सहायता कम होती गयी है। 1992–93 में यह सहायता थी 24.12 प्रतिशत, 1993–94 में यह सहायता हुई 23.80 प्रतिशत, 1994–95 में यह हुई 20.96 प्रतिशत और 1995–96 में यह हुई 7.7 प्रतिशत और 1996–97 में यह हुई 8.20 प्रतिशत। अब हम अनुमान कर रहे हैं कि यह होगी 11 प्रतिशत तक। जहां एक ओर केन्द्र की सहायता हमारी कम होती जा रही है वहां कर भी हम नहीं लगा सकते। हम राजस्थान में एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि जहां पर अधिक कर भार लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। हमारे सामने दुविधा है कि हम कर लगा नहीं सकते, केन्द्र की सहायता निरन्तर कम होती जा रही है। ऐसी हालत में सिवाय कर्ज लेकर विकास करने के और कोई दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। इसलिये कर्ज लेना विकास के लिये अनिवार्य है। वैसे तो जो विकसित प्रदेश हैं उनको भी कर्ज लेना पड़ता है, विकसित देशों को भी कर्ज लेना पड़ता है और विकासशील को भी लेना पड़ता है। विकास के लिये कर्ज लेना अनिवार्य है और यह कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इसमें बुरी बात यह निकलती है कि कर्ज ज्यादा नहीं हो, कर्ज में जो पैसा हम लेते हैं, उस पैसे को खर्च हम करते हैं वह अनुत्पादक वस्तुओं में या जिससे हमें कोई रिटर्न नहीं मिले, उनमें खर्च नहीं हो। प्रशासनिक खर्चों में खर्च नहीं हो और कर्ज को हम सीमा में रखें, कर्ज के दुष्चक्र में हम नहीं फंसे। यह हमारी चिन्ता का विषय है। और इसलिये इस बार हमने यह तय किया है कि एक सिंकिंग फण्ड हम बनाएंगे। इस

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

साल के बजट में हमने जबकि टोकन एक लाख रुपया रखा है लेकिन इस साल हम इसमें 86 करोड़ रुपये जमा कराएंगे और इस तरह से सम्वत् 2007 तक इस फण्ड में हम लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये जमा करेंगे और यह सारा का सारा पैसा केन्द्र सरकार की सिक्योरिटी में रहेगा और रिजर्व बैंक के अन्तर्गत रहेगा। राज्य सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर सकेगी, केवल उसमें से जो ब्याज आता है, उस ब्याज को खर्च कर सकती है अपने डैब्ट में। यह सिंकिंग फण्ड एक नयी बात है जो शायद अन्यत्र कहीं नहीं है और हमें विश्वास है कि इस फण्ड को बनाने के बाद निश्चित रूप से हम केन्द्र में हमारे जो डेट हैं उस डेट को हम अपने कण्ट्रोल में रख सकेंगे और किसी भी तरह से कर्ज के दुष्चक्र में नहीं फंस सकेंगे।

मान्यवर, इस बजट में जो कर्जे के बारे में स्थिति है वह मैं बाद में बताऊंगा। इस बजट में हमने और भी एक विशेष बात रखी है। राजस्थान में पैट्रोलियम और गैस प्राप्त होने की संभावनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसलिए इसको ध्यान में रखकर हमने यह तय किया है कि एक अलग से पैट्रोलियम निदेशालय हम बनाएंगे और उसके माध्यम से गैस और पैट्रोलियम की जो सम्भावनाएं है, उन सम्भावनाओं को हम एक्सप्लोर करके जल्दी से जल्दी उसकी प्राप्ति हो जिससे राजस्थान के फाइनेंस में, राजस्थान की आमदनी में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा, यदि भगवान ने मदद की और राजस्थान में गैस और पैट्रोलियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए तो निश्चित रूप से राजस्थान का भाग्य और भविष्य बदल जाएगा और हम अत्यन्त तीव्र गति से राजस्थान को विकसित प्रदेशों की स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे।

मान्यवर, इस भूमिका के बाद राजस्थान में अभी इस बजट में जो हमने व्यवस्थाएं की हैं, मैं उस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहले दो-तीन बातें, शायद मैं बाद में भूल जाऊंगा, बताना चाहूंगा।

यहां पर स्वास्थ्य पर व्यय के बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की गयी लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जहां हमने योजना में 20 करोड़ रुपये की कमी की है वहीं गैर-योजना में 96 करोड़ रुपये मेडिकल विभाग को दिया है और यह इसलिये दिया है कि आप हमेशा अस्पताल खोलते जाएं, रोज अस्पताल खोलते जाएं, मगर उसकी मेंटीनेंस नहीं हो, उसमें डाक्टर नहीं हों, ए. एन. एम. नहीं हों, कम्पाउंडर नहीं हो, दवाइयां नहीं हों, उपकरण नहीं हों तो केवल हर साल अस्पताल खोलने से जो जनता को लाभ मिलना चाहिये वह लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए हमारा यह सोच है कि पिछले सालों में हमने जितने अस्पताल, सब सैंटर, पी. एच. सी. वगैरह खोली हैं उनकी मेंटीनेंस हो। जो पिछले साल तक खुले हैं बाकायदा उसमें सारी व्यवस्थाएं बन जाएं इसके लिए 96 करोड़ रुपये की हमने व्यवस्था की है और इसलिये जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि राजस्थान के विकास में एक तो बात यह है कि हम बजट में पापूलिस्टिक घोषणा करें लोगों को प्रभावित करने के लिये और उसका कुछ परिणाम कुछ नहीं निकले, या यह है कि हम

(श्री हरिशंकर मामड़ा)

पापूलिस्टिक घोषणा से बचें और वास्तविक आधार पर घोषणाएं करें जिनका हम क्रियान्वयन कर सकें और जिसका लाभ निरन्तर जनता को मिलता रहे। उदाहरण के लिए आज यह घोषणा कर सकते हैं कि हम साल भर सबको मुफ्त बिजली देंगे, यह हो सकती है घोषणा। परन्तु यदि हमने ऐसा कर दिया तो उसका असर वित्तीय प्रबन्धन पर यह पड़ेगा कि साल भर के बाद आप एक यूनिट बिजली देने की स्थिति में नहीं रहेंगे और फिर सारा मामला जो आपने किया है वह गड़बड़ हो जाएगा। क्या आप यह चाहते हैं कि पापूलिस्टिक घोषणा करके हम साल भर में सब कुछ कर देंगे, या यह चाहते हैं कि हम धीरे-धीरे विकास की गति को बढ़ाएं और जो कदम हम बढ़ाएं वह मजबूती से बढ़ाएं, उस कदम से पीछे नहीं हटे और जनता को निरन्तर उसका लाभ मिलता रहे। इस बजट में यह हमारा सोच है और इसलिये फिर भी सब सदस्यों की मांग है तो इस पर हम दुबारा विचार करेंगे और इसमें जो कुछ भी किया जा सकता है वह निश्चित रूप से किया जाएगा।

लैण्ड बिल्डिंग टैक्स पर वी. पी. सिंह जी ने एक सवाल उठाया था कि इसमें जो टैक्स लगाया वह ज्यादा लगाया है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लैण्ड बिल्डिंग टैक्स में रेट्स रिवाइज करने की कानूनी बाध्यता है। अभी 1977 की रेट चल रही है। कानून में यह है कि 20 साल बाद में रेट रिवाइज की जाए। इसलिये इस साल हमको रेट रिवाइज करनी ही पड़ेगी, उससे हम गुरेज नहीं कर सकते और इसलिये वर्तमान दरों पर वह टैक्स लगेगा लेकिन हमने फिर भी उसमें बहुत छूट दी है। पहले जो 2 लाख रुपये की छूट थी उसको हमने 10 लाख बढ़ा दिया और अन्त में हमने उसका केपिंग कर दिया कि जो भी उसमें टैक्स बढ़ेगा, वह पिछले साल के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा। यह भी कह दिया कि जितना आप पिछला दे रहे थे और जिन लोगों ने एक बार टैक्स दे दिया, वन टाइम टैक्स दे दिया, उन पर दुबारा टैक्स नहीं लगेगा और 31 मार्च तक हमने लोगों को और मौका दे दिया कि पुरानी दरों पर जो भी एक साथ टैक्स देना चाहे, वह दे दें ताकि उन पर दुबारा कोई टैक्स असैसमेंट होगा भी नहीं और इसीलिये हमने कानूनी बाध्यता होने के बावजूद भी इसकी जो पिच है, उस पिच को हमने बहुत कम किया है।

वाहनों और मोटरों पर की बात बहुत उठायी गयी है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ जैसा कि उत्तरी राज्यों के सभी वित्त मंत्रियों ने मिलकर एक सहमति बनायी थी उस सहमति के आधार पर स्लेब्स कम करना था और इसलिये अब केवल जीरो, चार, आठ और बारह, इस पर सहमति हुई है कि सारे सेल्स टैक्स के आइटम्स इन्हीं स्लेब्स के अन्तर्गत आएंगे और एक फ्लोर रेट भी तय होगी जिससे नीचे कोई राज्य टैक्स नहीं लगायेगा, ज्यादा लगा सकता है, यह सहमति हुई। उस सहमति के आधार पर हमने चूंकि दस का कोई स्लेब नहीं है इसलिये इसको बारह किया है। बारह का स्लेब लाने के लिए, परन्तु हम देख रहे हैं हरियाणा का, दिल्ली का जब बजट आएगा, तब तक यह अधिकार हमने रिजर्व रखा है कि उनका

(श्री हरिशंकर भांमड़ा)

बजट देखकर यदि हमें लगेगा कि उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया तो हम भी इस पर दुबारा विचार करेंगे।

मान्यवर, इस बजट में जैसा कि मैंने आपको कहा हमारा गैर-आयोजना राजस्व घाटा, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। 1994–95 में 241 लाख का घाटा था, 1995–96 में 54 करोड़ का घाटा था, और 1996–97 में –77 था, उस घाटे को कम करके आज हम +16 में आ गये। हमारा जो गैर–आयोजना घाटा है, एक राजस्व खाते के इस घाटे को हमने समाप्त कर दिया।

जहां तक राजस्व घाटे का प्रश्न है, मैंने आपको पहले निवेदन कर दिया कि हम इसको अगले साल तक 31 करोड़ तक ले आएंगे और जो हमारा राजस्व घाटा बढ़ा उसके लिए भी हम जिम्मेदार नहीं हैं। नाईथ फाइनेंस कमीशन ने हमारे रेवेन्यू डेफिसिट के लिए 306 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया है लेकिन वह रुपया हमको नहीं मिला और इसलिये वह घाटा हमको सहन करना पड़ा। इसी तरह से नोन प्लान रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट में भी 98 करोड़ 37 लाख रुपया हमको मिलना चाहिये था, उन्होंने हमें केवल 33 करोड़ 45 लाख रुपये दिया, वह घाटा भी हमको सहन करना पड़ा। इसी तरह से वार्षिक योजना में केन्द्रीय अनुदान में 1994-95 में कुल योजना का 20 प्रतिशत, लगभग 484 करोड़ 47 लाख रुपये था, वह 1995–96 में घटकर केवल 7 प्रतिशत रह गया, वह भी हमको सहना पड़ा है और इसलिये हमको वित्त पोषण के लिए ऋण लेने पड़े, ऋणों से हमने हमारे इस घाटे को पूरा किया और आज के इस घाटे को अगले बजट में जैसा कि मैंने कहा पूरी तौर से हम समाप्त कर देंगे और जो बार–बार आलोचना होती है कि राजस्व में घाटा नहीं होना चाहिये, वह कलंक राजस्थान सरकार के माथे से तो हट जाएगा। वैसे इसकी सारे देशों में चर्चा होती रहती है। यहां केन्द्र की तो मैं क्या चर्चा करूं, उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

मान्यवर, हमारे प्रतिपक्ष के एक नेता ने आपत्ति उठायी कि हमने जो 350 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा पूरा करके, जो कम बताया है उसका कारण यह है कि हमने कैपिटल अमाउंट में जो सरप्लस आपका पैसा बचा, उसको छोड़ दिया। अब मैं समझता हूं कि यह बात तो सामान्य आदमी जानते हैं कि अलग–अलग बजट में अलग–अलग खातों के घाटे अलग–अलग होते हैं लेकिन जब सम्पूर्ण बजट का घाटा-नफा देखेंगे तो उसमें सारे आइटम्स होंगे। सब आइटम्स मिलाकर ही फिर वह खाता खतता है। उसमें कैपिटल अमाउंट अलग नहीं जा सकता। यदि उससे कोई फायदा हुआ है और उसको मिलाकर हमने उस घाटे को पूरा किया है तो वह बजटीय घाटे में ही आता है।

मान्यवर, एक बात वह बार–बार कहते रहते हैं फिस्कल डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट उनके राज में कितना था यह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हमने जो हमारा फिस्कल डेफिसिट 1996–97 में 5.29 प्रतिशत था उसको घटाकर रिवाइज एस्टीमेट में 4.82 कर दिया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अब आने वाले अनुमान के अनुसार यह हमारा घाटा केवल 4.54 रहेगा। मान्यवर, यह फिस्कल घाटा जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसमें और जो उसका घाटा हुआ है, उसके अनुपात से निकाला जाता है। हमारा सकल घाटा 2162.14 का है और सकल घरेलू हमारा उत्पाद 44881.1 है। हमारे अनुमान के अनुसार इस साल के अन्त तक सकल घरेलू उत्पाद हमारा 50715 होगा, घाटा 2303.29 होगा। अब इसका प्रतिशत निकालते हैं तो 4.54 होता है। यह बात हमने माननीय चन्दनमलजी बैद को जब टेलीविजन पर हमारी आपस में वार्ता हुई थी तब बतायी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अब यह तो किसी आदमी ने तय कर लिया है कि उसकी मुर्गी के तीन टांग हैं तो चाहे संसार उसको कह दे कि मुर्गियों के दो टांग होती हैं तो वह कहेगा कि मेरी मुर्गी के तो तीन ही टांग हैं। उसका तो इलाज नहीं है। बाकी यह तो केलकुलेशन का मामला है। यह 2303 और 50752 इसमें से आप घाटा निकाल लीजिये, किसी केलकुलेटर से दबाकर निकाल लीजिए तो 4.54 आएगा। इसमें कोई ज्यादा बहस–बाजी की बात नहीं है।

जहां तक ऋण भार का सवाल है, बार-बार चर्चा की जाती है कि हमने राजस्थान को डुबो दिया। ऋणों में डुबो दिया, मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ऊपर तीन तरह के ऋण हैं, अलग-अलग केटेगरीज के हैं। एक तो वह ऋण है जो राज्य सरकार अपने आंतरिक स्रोतों से लेती है। इसमें बाजार ऋण है, बाजार से लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम से लेते हैं। भारतीय सामान्य बीमा निगम से लेते हैं। नाबार्ड से लेते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लेते हैं। हाउसिंग डवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन से लेते हैं। यह ऋण हमारा 3811.19 है इस केटेगरी का। दूसरा, ऋण का हमारा स्रोत केन्द्र सरकार का है। केन्द्र सरकार का जो हमारा ऋण है, वह 8333.53 का है। तीसरा, ऋण होता है लोक पब्लिक अकाउंट से, जो हमारा पैसा है, हमारे कर्मचारियों का पैसा है। हम उसके ट्रस्टी है। उसको हम काम में लेते हैं। उसका ब्याज देते हैं। यह हमारे अपने घर का ऋण हैं। यह कुल 6827.17 है अर्थात 18971 का जो हमारा ऋण है उसमें से 6827 तो हमारा अपना पैसा है, जो हमने ब्याज पर अपने खातों से ड्रा किया और वापस उसको जमा करते हैं, ब्याज सहित, बाकी केवल 10 हजार करोड़ रुपये हैं और यह ऋण भी हमने एक दिन में नहीं उठाया यह 1981 से चल रहा है। कांग्रेस के राज से चल रहा है हमने तो हमारा पैसा खर्च करके धीरे-धीरे बढ़ोतरी की है. ऋण में तो वह केवल 6 हजार करोड़ की है उन्होंने तो बिना पैसे खर्च किये ही लगभग 5 हजार करोड़ से अधिक का ऋण उनके जमाने में हो गया था। हमको तो विरासत में मिला है। लेकिन हमने फिर भी जो ऋण लिया है वह विकास के कामों पर खर्च किया है.... (व्यवधान) इसलिये, मान्यवर, ऋण के बारे में जो चर्चा की जा रही है कि ब्याज का इतना ज्यादा भुगतान हो रहा है कि सरकार घाटे में आ रही है। सरकार डूब रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इस ऋण पर भी पूर्ण नियन्त्रण है

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि केन्द्र सरकार जो हमको ऋण देती है, उसमें भी भेदभाव किया जाता है। केन्द्र से हमको अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक से या और संस्थाओं से जो ऋण मिलता है वह केन्द्र के माध्यम से आता है। केन्द्र में वह ऋण चार या पांच प्रतिशत के करीब ब्याज पर आता है। केन्द्र उसमें से हमको जब ऋण देता है तो उसमें 100 प्रतिशत में 70 प्रतिशत ऋण के आधार पर देता है और 30 प्रतिशत हमें सहायता के आधार पर देता है। परन्तु 70 प्रतिशत जो हमको ऋण देता है उसका ब्याज 13 पर्सेण्ट लेता है, तीन या चार पर्सेण्ट पर लेकर के 13 पर्सेण्ट पर देता है। इस बार हमारे मुख्य मंत्री जी ने योजना आयोग के सामने यह प्रश्न रखा है और योजना आयोग ने इसको स्वीकार भी किया है कि इसकी जांच की जाये कि केन्द्र के पास हमारा जो पैसा आता है। यह 10 पर्सेण्ट या 9 पर्सेण्ट ब्याज में अधिक आता है, उसका केन्द्र क्या करता है। कौनसी रिस्क है जो केन्द्र उसमें पूर्ति करता है। बहाना यह किया जाता है कि फोरेन एक्सचेंज की रिस्क केन्द्र के जिम्मे रहती है, इसलिये हमसे ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन इसका हिसाब कहीं भी नहीं है। इसलिये इस बार योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह इसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद हमको बताया जाएगा और यदि उसमें ऐसा लगा कि यह पैसा एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश को दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें केन्द्र सरकार का भेदभाव भी स्पष्ट होगा। राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे मुख्य मंत्री निरन्तर ऐसे प्रश्नों को केन्द्र के सामने उठाते रहते हैं जिनसे राजस्थान का अंततोगत्वा हित होता है और उसमें से कुछ न कुछ राजस्थान को अधिक मिलता है। इस बारे में भी हम बहुत जागरूक हैं। शायद हमारी कांग्रेस की सरकार उतनी कभी जागरूक नहीं रही। चाहे वह पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो या राजस्थान के हितों का और कोई मामला हो, इण्टर स्टेट मामला हो, राजस्थान के हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस मजबूती के साथ कदम रोपकर राजस्थान के हितों की हमेशा वकालत की है यह भी अपने आपमें एक विशेष बात है।

मान्यवर, इस बजट में जैसा कि मैंने आपको कुछ आंकड़े बताये, हमने खासतौर से जैसा कि मैंने निवेदन किया वीकर सैक्शंस पर हमने इस बार काफी कुछ किया है। हमने आगामी बजट में समाज कल्याण और जनजाति और महिला विकास में जहां पिछली बार केवल 14 करोड़ रुपये थे, वहीं इस बार हमने 26.50 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास के लिये चालू वर्ष में 20 करोड़ के मुकाबले में 34 करोड़ रुपये एवं जनजाति विकास पर 283 करोड़ रुपये का व्यय अगले वर्ष प्रस्तावित किया है।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कई नवीन छात्रावास बनाने के लिये और छात्राओं के लिये, खास तौर से मेधावी छात्राओं के लिये एक करोड़ रुपये की लागत से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने की योजना पर हम विचार कर रहे हैं। 20 नवीन छात्रावासों के नवीन भवन बनायेंगे और इस तरह से समाज कल्याण के

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

क्षेत्र में हम और अधिक पैसा खर्च करेंगे। खास तौर से जो अनुसूचित जाति एवं जन-जाति विकास निगम की हिस्सा पूंजी में एक करोड़ रुपये की वृद्धि हमने की है और गरीब वर्गों के लिये जर्मन सहायता से 91 करोड़ रुपये की लागत से विशिष्ट आवासीय विद्यालयों का हम निर्माण करेंगे। सम्बल योजना के तहत 300 ग्रामों में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण भी प्रस्तावित है। अधिकाधिक विकास किया जाएं इस पर करीब 80 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे।

मान्यवर, इस बार विधवाओं की लड़कियों को जो हम विवाह पर तीन हजार की सहायता देते थे उसको बढ़ाकर हमने पांच हजार रुपये कर दिया है। हमने इस बार विकलांगों पर विशेष तरह से ध्यान दिया है। उनकी शिक्षा में, उनकी छात्रवृत्ति में और उनके लिये भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिये हमने इस सम्बन्ध में विचार किया है और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से विकलांगों को इससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। जहां तक महिलाओं को, जैसा मैंने आपको निवेदन किया तीन हजार से पांच हजार करोड़ रुपये के अलावा महिला विकास के लिये हमनें विशेष पैकेजेज प्रोग्राम के तहत लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च करेंगे और मेधावी छात्राओं के लिये तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु जो भी योजना हम शुरू करना चाहते हैं, उसमें इंजीनियरिंग, सी.ए., एम.बी.ए. तथा मेडिकल, इन क्षेत्रों में फीस और आवासीय कृत्यों का 90 प्रतिशत भार राज्य सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार से हमने इस साल जनजाति क्षेत्र में 283.88 करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया है। जनजाति क्षेत्रीय योजनाओं पर वर्ष 1996–97 में 35.15 करोड़ रुपये के मुकाबले में इस साल हम 38.7 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। अगले वर्ष जनजाति क्षेत्रीय शिक्षा विकास के लिए 4.79 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने प्रस्तावित किया है जिसमें 14 नये होस्टलों का निर्माण, विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें, स्टेशनरी का वितरण, कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों को 800 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता, विज्ञान के छात्रों को 1200 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता, महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु अधिक आर्थिक सहायता आदि प्रस्तावित है।

मान्यवर, इस प्रकार से वीकर सैक्शंस हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गयी हैं उनका मैंने उल्लेख आपके सामने रखा है। हमने जो टैक्स लगाये, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि इस बार इस बात पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या हम राजस्थान में उन गांवों को, उन लोगों को, उन वर्गों को जिन्हें 50 साल की आजादी के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जिनके विकास की गति अवरुद्ध है। यदि हम उनको विकास की धारा में लाना चाहते हैं, यदि हम उनकी उन्नति करना चाहते हैं, यदि हम उनकी बहबूदी चाहते है तो इसके लिए उन लोगों को, जिन्होंने 50 साल में बहुत कुछ प्राप्त किया है, जो सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको भी उसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अकेली सरकार उन लोगों को एकदम से उन्नत बना देगी यह सम्भव नहीं है। इसलिए करों का

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

प्रावधान करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो लोग सुविधाओं का उपभोग ज्यादा कर रहे हैं वे अपनी सुविधाओं में से कुछ त्याग करें और उसमें से कुछ पैसा राज्य सरकार को दें ताकि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं और जो अविकसित क्षेत्र हैं उनको राज्य सरकार विकसित कर सके। इसलिए हमने अधिकतर उन्हीं वर्गों पर टैक्स लगाया है जिसका असर किसी गरीब पर न हो। हमने यदि मोटर व्हीकल टैक्स की बात की है तो उसका असर सामान्य गरीब पर नहीं है। जो बिक्री करने वाले हैं उन पर उसका असर पड़ सकता है। लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स की बात हमने की है। वह भी 10 लाख रुपये की कीमत से अधिक का जिनके पास मकान हैं और वह भी कुछ महानगरों में है, हरेक लोग उसमें आते भी नहीं हैं। कुछ हमने टैक्स लगाये जिन पर चर्चा होती है, मेडिसन को लेकर या मोटर का। वह हमने स्लेब्स में, जो राष्ट्रीय आम सहमति हुई है उस आम सहमति को मानते हुए स्लेब्स में, कुछ टैक्स को हमने 6 से 8 किया, कुछ को 6 से 4 किया है, कुछ को 10 से 12 किया है, कुछ को 10 से 8 किया है ताकि कुल मिलाकर 4, 8, 12 के स्लेब में आ जाएं। इस अरेंजमेंट को ध्यान में रख कर हमने कुछ टैक्स लगाये हैं, परन्तु इन टैक्सों के बारे में निश्चित रूप से हमारा दिमाग खुला है कि बाकी के प्रदेश जो हमारी इस आम सहमति में शामिल थे वे भी इस कदम को उठाते हैं कि नहीं, इस पर हमारी नजर है और जिस तरह का बजट वे पेश करेंगे, जिस तरह से वे अपना सहयोग देंगे हम भी उसी प्रकार से उस पर विचार करेंगे।

मान्यवर, एक बात पर हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि आज जो उपभोक्ता सुविधाएं भोग रहा है, क्या उन सुविधाओं को आप चालू रखना चाहते हैं कि वे सुविधाएं पूरी और व्यवस्थित रूप से भोगते रहें, उसमें किसी तरह का व्यक्तिक्रम पैदा न हो, उनको परेशानी पैदा न हो और यदि वे सुविधाएं भोगना चाहते हैं तो इस बढ़ती हुई महंगाई में सुविधा शुल्क में भी समयानुसार जो बढ़ोतरी होती है उस बढ़ोतरी को उन्हें स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा यदि शुल्क में बढ़ोतरी नहीं हुई और महंगाई बढ़ती गयी तो एक दिन वह आयेगा कि उनको सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। उस सुविधा का जो लाभ वे उठा रहे हैं वह लाभ शायद उनको नहीं मिल पायेगा। इस पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि इस सम्बन्ध में शुल्क को बढ़ाने की अनुमति सरकार को होनी चाहिये। यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में उन पर कोई भार डालना नहीं चाहते लेकिन कम से कम बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार वे शुल्क अदा करें ताकि वह सुविधा उनको बराबर मिलती रहे। इस पर भी हमने विचार किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका अन्ततोगत्वा लाभ उस गरीब जनता को लाभ मिलेगा जिसकी बहबूदी के लिए हम बजट बना रहे हैं, जिनकी बहबूदी के लिए हम यह सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सदन इस सम्बन्ध में मेरे विचार से सहमत होगा।........

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जो वेतन आयोग आ रहा है उसके लिए भी कुछ

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

प्रोविज़न रखा है या नहीं, वह भार और बढ़ जाएगा। उसके कारण डेफिसिट ज्यादा बढ़ तो नहीं जायेगा ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : बात यह है, मान्यवर, कि नये वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार किस हद तक स्वीकार करती है यह अभी तय नहीं हुआ है। जब तक केन्द्र सरकार इस बारे में अपना रूख तय नहीं करेगी, फिर भी मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि बावजूद वह चीज अभी अंधेरे में हैं, हम नहीं जानते कि केन्द्र सरकार वेतन आयोग को किस हद तक स्वीकार करेगी और उसका कितना भार आयेगा, यद्यपि यह हमको पता है कि यदि वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने पूरी तौर से स्वीकार कर लिया तो राजस्थान सरकार पर अगले ही साल लगभग 1100 करोड़ रुपये का भार आयेगा। हमारे ध्यान में है यह बात, पर चूंकि अभी तक केन्द्र सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है इसलिए इस स्थिति में हम नहीं हैं कि आपको कुछ कह सकें लेकिन फिर भी हमने इस तरफ ध्यान दिया है और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में भी यदि कोई भार हमारे पर आया तो आपके सहयोग से, सदन के सहयोग से निश्चित रूप से उस भार को भी हम सफलतापूर्वक वहन करेंगे और उससे जनता को कोई हानि नहीं होगी।

हमने इस बार यह भी तय किया कि इस बजट के पास होने के बाद अप्रेल और मई के महीने में जितनी भी वित्तीय सैंक्शंस हैं वे सारी जारी हो जाय। अभी हमारे प्रतिपक्ष के कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि आपने वोट आन एकाउण्ट पास कर लिया है इसलिए अब आपको हाउस एडजोर्न कर देना चाहिये ताकि हमको भी आगे भाग लेने का मौका मिले। मेरा निवेदन है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसका परिणाम आम जनता पर पड़ेगा। हमने बजट में जो व्यवस्थाएं की हैं, जो खर्चा करने की बात की है वह पूरे साल भर खर्च होगा तब यह बजट पूरा लागू होगा। और यदि हम अभी हाउस एडजोर्न करके बजट पास नहीं कराते हैं तो दो महीने बाद, तीन महीने बाद इन तीन महीनों में कोई स्वीकृतियां जारी नहीं होगी, कोई काम चालू नहीं होगा और फिर तीन महीने बाद जब बजट पास होगा तो स्वीकृतियां जारी होने में दो महीने लगेंगे। इस तरह से साल के 7–8 महीने तो इसी में निकल जायेंगे। फिर आने वाले 2–4 महीने में इस बजट का क्रियान्वयन पूरी तौर से नहीं होगा। इसलिए यह जनहित में है कि हम बजट अभी पास करें और अप्रेल और मई में वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो जायें ताकि जून से हमारा विकास का विधिवत काम चालू हो जाय और मार्च के अन्त तक अपने बजट की जो भी हमने योजनाएं बनायी हैं, उन सारी योजनाओं को हम पूरा कर सकें।

इस बजट बहस में एक माननीय सदस्य, शायद घनश्यामजी ने एक सुझाव दिया था कि पी.डब्ल्यू.डी. और अन्य जगहों पर जो टेण्डर की प्रक्रिया है उसके कारण बहुत देरी होती है। इसलिए हमने तय किया है कि इस बार हम इस टेण्डर प्रक्रिया को संशोधित करेंगे और इस सम्बन्ध मे सार्व-

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

जनिक निर्माण लेखा नियमों का पुनर्लेखन किया जा रहा है। निविदा स्वीकृति में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए निविदाएं उच्चाधिकारियों द्वारा ही आमन्त्रित की जाएंगी, बड़े कार्यों की निविदाओं के लिये पहले प्री-क्वालिफिकेशन निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी ताकि सक्षम ठेकेदार ही बिना शर्त अपनी दरें दे सकें एवं बाद में विवाद उत्पन्न नहीं हो। ठेकेदारों को विलम्ब से किये जाने वाले भुगतानों पर ब्याज दिया जाना भी प्रस्तावित है। निविदा स्वीकृत करने की समय सीमा को पुनः निर्धारित किया जा रहा है ताकि निविदाएं जल्दी ही स्वीकृत हो सके। नेगोशिएशन बाबत यह संशोधन प्रस्तावित है कि सशर्त निविदाएं सीधे ही रद्द कर दी जाएं एवं अपवादस्वरूप मामलों में ही नेगोसिएशन किया जाय। छोटे ठेकेदारों को होने वाली कठिनाई को देखते हुए 5 प्रतिशत परफोरमेंस गारंटी पहले लेने के स्थान पर प्रथम भुगतान से काटने का विकल्प भी प्रस्तावित है। इस प्रकार से यह जो सुझाव आया है, हम निश्चित रूप से इसका सरलीकरण करेंगे और इसमें जल्दी से जल्दी निविदाएं स्वीकृत होकर काम चालू हो जाए, इस सम्बन्ध में हमने तय किया है।

जन जातीय क्षेत्रीय विकास में वर्ष 1996-97 में जनजातीय विकास के लिए कुल 265 करोड़ रुपये के विरुद्ध वर्ष 1997-98 में 284 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रीय योजनाओं पर 38.60 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जो विशेष केन्द्रीय सहायता सहित 45 करोड़ रुपये तक और बढ़ सकती है जबकि वर्ष 1996-97 में 35.15 करोड़ रुपये का ही प्रावधान था।

शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रीय शिक्षा विकास के लिए 4.79 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 14 नये होस्टलों का निर्माण किया जाएगा, 2 नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, 2 मिनी आई.टी.आई. को नियमित आई.टी.आई. में क्रमोन्नत किया जाएगा एवं कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों को 800 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता तथा विज्ञान के छात्रों को 1200 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु 5000 रुपये प्रति महिला आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सिंचाई के क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए 3.12 करोड़ रुपये का हमने बजट में प्रावधान किया है। 12 एनीकटों का निर्माण किया जाएगा जिसमें 108 लाख रुपये व्यय होंगे। 30 नयी सामुदायिक जलोत्थान योजनाएं चालू की जाएंगी, 250 डीजल पम्प सैट्स वितरित जाएंगे किए तथा 1546कुएं गहरे किये जाएगे। डूंगरपुर में पहल परियोजना है. इस पर आठ करोड़ दस लाख रुपये के स्थान पर आठ करोड़ इकरानवे लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उक्त राशि में से विशेष तौर पर वानिकी एवं भू-संरक्षण विकास कार्यों पर 5.56 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

ग्रामीण विकास पर पिछले साल 1996-97 में हमने पंचायती राज पर 118 करोड़

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

रुपये खर्च किए थे, इस साल इसको बढ़ाकर 148 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। विशेष योजनाओं में, जो राज्य का अंश हैं उसमें पिछले साल 200 करोड़ रुपये थे, उसे बढ़ाकर 215 करोड़ रुपये कर रहे हैं। विशेष योजनाएं जो केन्द्र का अंश है, उनमें वह 413 करोड़ के बजाय 460 करोड़ रुपये कर रहे हैं। कुल ग्रामीण विकास में 731 करोड़ रुपये के बजाय इस वर्ष 823 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना हमने बनायी है।

इसी तरह कृषि और पशु पालन में सातवीं योजना में कुल 203 करोड़ रुपये के व्यय के विरुद्ध आठवीं योजना में 1150 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वर्ष 1996-97 में कुल 167 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 1997–98 में 213 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है। वर्ष 1996–97 में कुल 604 करोड़ रुपये के व्यय के विरुद्ध 1997–98 में 679 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। सातवीं योजना में हमने 77 लाख टन प्रति वर्ष खाद्यान्न उत्पादन के विरुद्ध आठवीं योजना में औसतन 103 लाख टन का उत्पादन किया। वर्ष 1997-98 में खाद्यान्न का कीर्तिमान 127 लाख टन उत्पादन करने का है। इसी तरह सातवीं योजना में औसतन 113 लाख टन प्रति वर्ष तिलहन उत्पादन के विरुद्ध आठवीं योजना में औसतन 30 लाख टन का उत्पादन किया गया। वर्ष 1997–98 में तिलहन का कीर्तिमान 41 लाख टन उत्पादन करने का निश्चय किया है।

जल संरक्षण की उन्नत तकनीकों के लिए हमने 40 करोड़ रुपयें का प्रावधान किया है जिससे 35 हजार किसानों को लाभ पहुंचेगा। सिंचाई पाइप लाइन निर्माण की सीमा सौ मीटर से दो सौ मीटर तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। फव्वारा व ड्रिप सैट 52 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल में लगाए जाएंगे।

जल संरक्षण एवं भू-संरक्षण पर वर्ष 1996–97 में कुल 125 करोड़ रुपये व्यय के विरुद्ध वर्ष 1997–98 में 190 करोड़ रुपये का व्यय हम करेंगे।

कृषि क्षेत्र में, हम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को आगामी वर्ष में 13 करोड़ रुपये निर्माण कार्य एवं 11 करोड़ रुपये सामग्री एवं मशीनरी के काम के लिए देंगे।

इस वर्ष हम पशु पालन विभाग में 'कामधेनू नामक योजना अलग से चालू कर रहे हैं जिसमें 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राजकीय संगठन, गैर-राजकीय संगठन एवं निजी व्यक्तियों द्वारा उन्नत किस्म के मवेशियों की नस्ल सुधार की जाएगी। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा सेवाओं के निजीकरण पर जोर देने हेतु 50 लाख रुपये व्यय होंगे।

मान्यवर, इस बजट के मुख्य प्रावधानों को मैंने आपके सामने रखा। अब मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि हमारा सामाजिक सेवाओं पर खर्च था वर्ष 1993–94 में 2,447 करोड़ रुपये, 1994–95 में 2,893 करोड़ रुपये, 1995–96 में 3,558 करोड़ रुपये, 1996-97 में 3,924 करोड़ रुपये और 1997–98 में 4,731 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मान्यवर, अब मैं थोड़ा-सा योजना के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे प्रतिपक्ष के बन्धु कई बार बड़ी आलोचना करते हैं हमारी योजनाओं की, लेकिन जरा हम दृष्टि डालें तो, पांचवीं, छठी, सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कांग्रेस के राज में थीं ये तीनों योजनाएं कुल मिला कर 5,872 करोड़ रुपये की थीं, तीनों योजनाओं का टोटल बता रहा हूं। उसके अगेंस्ट में हमने आठवीं योजना बनायी जो 11500 करोड़ रुपये की थी। तीनों योजनाओं की तुलना में हमारी योजना बड़ी है। यदि मैं आगामी योजना को जोड़ दूं 25 हजार करोड़ की तो शायद अब तक की जितनी भी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई, वे सारी योजनाएं मिला करके भी इतनी भारी नहीं होंगी। इतना वजन हमने लिया। कभी-कभी वे इन्फ्लेशन की बात करते हैं। हमने 12,200 करोड़ रुपये आठवीं योजना में खर्च किये। उनकी तीनों योजनाओं के 5800 के अगेंस्ट में, यदि इसमें इन्फ्लेशन बाकी भी निकाल दिया जाए तो भी हमारी योजना इन्फ्लेशन नहीं मानकर नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। फिर भी 5,800 करोड़ रुपये से लगभग दुगुनी, एक पंचवर्षीय योजना जिस पर हमने खर्च किया है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसीलिए वे टिके नहीं, साहब आपके सामने।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मान्यवर, अब आप यह देखिए कि उनकी पांचवीं, छठी, सातवीं योजना में कुल मिला करके खर्च 6094.49 किया गया और हमारी अकेली आठवीं पंचवर्षीय योजना में 12,100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

वैसे तो हमारी वार्षिक योजना 3,500 करोड़ रुपये की है। आपने देखा है, लेकिन वास्तव में यह 3,500 करोड़ रुपये की नहीं है, 4000 करोड़ रुपये की है। 3,500 करोड़ रुपये तो वे हैं जो हमने योजना आयोग से स्वीकृत कराए हैं लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने जितनी सम्पत्तियां निर्माण कीं, जितनी कैपिटल हमने बनायी है, जो संस्थाएं हमने निर्मित की हैं, उनके संधारण के लिए, उनके रख-रखाव के लिए, उनकी देख-रेख के लिए इस बार हमने 500 करोड़ रुपये गैर-आयोजना मद में समाप्त कर दिये। इस तरह कुल मिला करके हमें 4000 करोड़ रुपये की योजना पूरी करनी है। अब इस योजना को पूरी करने के लिए हम अपने स्रोत, कई बार हमारे प्रतिपक्ष के नेता इस बात पर आवाज उठाते हैं कि आपका विकास व्यय कम होता जा रहा है। चन्दनमलजी बैद ने उस दिन भी यह सवाल उठाया था कि जब 1993–94 में विकास व्यय 66.30 था जो घटकर 62.97 हो गया। यह बात सही है लेकिन उनको हम बताना चाहते हैं कि यह विकास व्यय क्यों कम हुआ? वह कम इसलिए हुआ है कि हमने इसमें पूंजीगत व्यय ज्यादा बढ़ाया है, सम्पत्ति विनिर्माण में ज्यादा खर्च किया है। जो पैसा केवल खर्च होता है, जिससे कोई उत्पादन नहीं होता है, उसको हमने कम किया है। इसलिए यह 66 से 62 आया है। इसका मतलब हमने अधिक सम्पत्तियों का निर्माण किया है, इसलिए यह कोई घाटा नहीं है बल्कि हमने राजस्थान की असेट्स बढ़ाई है, राजस्थान की

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पूंजी में इजाफा किया है जबकि हमारे विकास के काम उसी प्रकार चल रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आयी है।

मान्यवर, एक बात वे और कहते हैं कि रेवेन्यू में जो-जो विकास के काम हो रहे हैं, इन विकास के कामों का प्रतिशत क्या है, इसमें काम करने की बढ़ोत्तरी का प्रतिशत है जिसके कारण व्यय ज्यादा होता है। 1993-94 में यह 15 प्रतिशत था, 1994-95 में 15.35 हुआ और 1995-96 में 14.81, 1996-97 में 18.26 और अब यह बढ़कर 20.39 है। यानि विकास पर व्यय बढ़ रहा है, उसके कारण से यह प्रतिशत बढ़ रहा है। हमारा जो जी.डी.पी. है उसकी बढ़ोत्तरी भी आप देखिए। बहुत लम्बा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बताना चाहता हूं। हमारा सकल घरेलू उत्पादन 44,881.38 है और हमारा जी.डी.पी. 36.49 है, जो किसी से कम नहीं है। हमारा सकल घरेलू उत्पाद अगली साल बढ़कर लगभग 50,700 टन से अधिक होगा। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में एक थोड़ी-सी कमी आती है कि हम उत्पाद तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पाद के कारण जो सरकार की आय का लिकेज होना चाहिए कि जैसे जैसे उत्पाद बढ़े, वैसे-वैसे सरकार की आय भी बढ़े, वह लिकेज अभी पूरा नहीं हुआ है। उत्पाद तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसमें से सरकार को जो हिस्सा मिलना चाहिए वह पूरा नहीं मिल रहा है। इसके कारण सरकार पर कर्ज बढ़ता जाता है।

चन्दनमल जी ने एक बात और कही थी कि इस बार राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा टैक्स लगाया 100 करोड़ का, जो राजस्थान के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक नहीं लगाया। संख्या में तो यह बात सही है कि 118 करोड़ ज्यादा है, लेकिन उनको इस बात का अंदाज होना चाहिए कि टैक्स से जी.डी.पी. का पर्सेन्टेज क्या है? आपने जो टैक्स लगाया और जी.डी.पी का पर्सेन्टेज है, उसका अनुपात क्या है?

यद्यपि 1982-83 में चन्दनमल जी ने 58.25 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया। लेकिन उस समय जी.डी.पी. का पर्सेन्टेज था 0.93, यानी लगभग एक पर्सेन्ट। 1983-84 में बृजसुन्दर शर्मा ने 18 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया और जी. डी. पी. का पर्सेन्टेज था 0.23। 1985-86 में हरिदेवजी जोशी ने 96 करोड़ का टैक्स लगाया, जो जी डी.पी. के अनुपात में 1.9 था। आज हमने 118 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया है, जो जी.डी.पी. के अनुपात में 0.23 है। यह सबसे कम टैक्स है। उन्होंने जो 18 करोड़ का सबसे कम टैक्स लगाया था उसके बराबर हमारा 118 करोड़ का टैक्स है और जी.डी.पी. के अनुपात में 0.23 है। इसलिए यह कहना कि हमने हाइएस्ट टैक्स लगाया है, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

माननीय सदस्यों ने कुछ चीजों पर आपत्ति की, खास तौर से दवाइयों के मामले में हमारे माननीय सदस्यों ने आपत्ति की है, असल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह हमारी आम सहमति थी, उसी को ध्यान में रखकर 10 से 12 पर्सेन्ट किया था और उसके पीछे एक आइडिया यह

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

भी था। चूंकि दवाइयों पर मैक्जिमम प्राइस लिखी रहती है "इंक्लुडिंग टैक्स"। इसलिए उन पर जो टैक्स लगते हैं वे आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन ऐसी दवाइयां भी हैं जिन पर "एक्सक्लुडिंग टैक्स" लिखा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से हम इस सम्बन्ध में दुबारा विचार करेंगे।

इसी प्रकार से अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछ टैक्सों की चर्चा की है। जो-जो भी आपने चर्चा की है निश्चित रूप से हम उसमें पुनर्विचार करेंगे और पूरे परिप्रेक्ष्य में, जैसा मैंने आपको पहले भी निवेदन किया कि आप राजस्थान में विकास में इंटरेस्टेड हो, राजस्थान का विकास चाहते हो तो जो लोग सुविधाएं भोग रहे हैं, जिनके पास पैसा है उनको सेक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी वित्तीय स्थिति में कहीं कमजोरी न आए और आज हम जो कदम बढ़ा रहे हैं, हम राजस्व घाटा भी समाप्त कर रहे हैं, राज्य का गैर-आयोजना घाटा भी समाप्त कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट भी कम कर रहे हैं, हमारी परिसम्पत्तियां भी बढ़ा रहे हैं और उसके साथ-साथ हम बिलकुल जमे हुए कदमों से विकास की गति को बढ़ा रहे हैं। इस तरह से सन् 2011 तक हम राजस्थान को एक उन्नत प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि इस सदन के सहयोग से निश्चित रूप से हम यह प्राप्त करने में कामयाब होंगे। आप सब लोगों ने इसमें जो कुछ भी रचनात्मक योगदान दिया उसके लिए मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

घोषणा

अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की घोषणा। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है वे प्रस्तुत होते हैं और यह मान लिया जाता है कि सदन में पेश हो गए हैं और बोलने के लिए कटौती प्रस्ताव में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती रही है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए हैं वे वापस ले लिए गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्ताव पर एक साथ, उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहे वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा।

(120)

(श्री उपाध्यक्ष)

जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर नहीं मिल सकें उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

आय-व्ययक (बजट) 1997–98। द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार। श्री ज्ञानसिंह चौधरी, कृषि राज्य मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 37–कृषि, श्री देवीसिंह भाटी, सिंचाई मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 46–सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) एवं श्री भंवरलाल शर्मा, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 29–नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। श्री ज्ञानसिंह चौधरी।

अनुदान की मांग
मांग संख्या 37–कृषि की प्रस्तुति

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37–कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,48,22,93,000/- (दो अरब अड़तालीस करोड़ बाइस लाख तिरानवे हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि :–

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण)

2. **डा० मूलसिंह शेखावत** (झुन्झुनूं) :

1. फसल बीमा योजना लागू किये जाने में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

2. सिंचित क्षेत्र खाजूवाला में कृषि कार्य में फव्वारा सिंचाई हेतु अधिक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

3. सरकार द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विश्व बैंक से मिलने वाली राशि का उदयपुर को कम आबंटन करने से दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

5. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सेवा निवृत्त प्रोफेसर को प्रोवीडेन्ट फण्ड का भुगतान नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

6. राज्य सरकार द्वारा कृषि जिन्स का पूरा मूल्य कृषक को नहीं दिलवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

7. पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में कृषि भूमि की उन्नति के लिये सरकार द्वारा सुधार के प्रयास नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46–सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,20,70,64,000/– (आठ अरब बीस करोड़ सत्तर लाख चौसठ हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखा-मुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि :-

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

डा. मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनू) :

1. मानसागर बांध जयपुर में बरसात के दिनों में 6 फुट चादर चले जाने से गांव जयसिंहपुरा खोर आदि को नुकसान से बचाने हेतु गांवों की नहर को तत्काल पक्का किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

2. केजेडी नहर की आ.डी. 17 से 93 तक मिट्टी निकालने हेतु व्यवस्था करके टेल के काश्तकारों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. इंदिरा गांधी नहर की आर.डी. 507 व आर.डी. 620 से क्रमश: लूण-करणसर तहसील क्षेत्र के अकाल संभाव्य ग्राम पंचायत व बीकानेर तहसील की ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिये लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के के लिये।

4. गंगा नदी की बाढ़ के पानी में राज्य का हिस्सा तय कराने में राज्य सर-कार द्वारा पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. कंवरसेन लिफ्ट नहर के पम्पिंग स्टेशन नं 1 व 2 के हैवी ड्यूटी पम्पस् एवं मोटरों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :

6. सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में कैलाश नगर बांध को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

7. सिरोही तहसील के कमेरी एवं मून बांध वर्ष 1990 में अतिवृष्टि के कारण टूट जाने से उन्हें पुनर्निर्मित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

8. अणगोर बांध की नहरों की मरम्मत व विस्तार एवं धान्ता बांध की नहरों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

मांग संख्या–29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की प्रस्तुति

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,77,96,000/– (उनसठ करोड़ सतहत्तर लाख छियानवे हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या–29 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–29 मुख्य शीर्षक नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100/– रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेगी/करेंगे कि :—

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):
डा. मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनूं) :

1. जयपुर नगर में बढ़ते अतिक्रमण की स्थिति के बाद भी विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

2. जयपुर शहर के नामों को जैसे ब्रह्मपुरी और बड़े छोटे नालों की वर्षों से सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं होने पर भी विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

3. जयपुर नगर के सन्तुलित विकास के अभाव के पश्चात् भी विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

4. उदयपुर शहर में अस्पताल व अनेक होटलों में पार्किंग की जगह नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

5. उदयपुर शहर में मल्टी स्टोरीज भवनों के बनने से उत्पन्न भयावह स्थिति पर भी अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

6. उदयपुर में सीवरेज का प्रबन्ध न होने से झीलों में गन्दा पानी जाने की स्थिति में भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

7. उदयपुर नगर का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. नगर परिषद उदयपुर द्वारा कस्तूरबा मातृ मंदिर चैरिटेबिल ट्रस्ट की जमीन को ट्रस्टियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से कामर्शियल कोम्पलेक्स में परिवर्तित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

9. सिरोही नगर में मास्टर प्लान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

10. सिरोही नगर पालिका में कच्ची बस्ती की टूटी फूटी सड़कें, नाले एवं नवीन सड़कें निर्माण नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

(16.00)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनियां।

मांग संख्या 37, 46 एवं 29 पर विचार

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या–29, 37 और 46पर हो रही चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करते हुए कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो माननीय ...चाई मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा ...होंने पिछले दो वर्ष में अन्तिम छोर ...पर्णी भी नहरें हैं उन सब में पानी ...है, काश्तकारों को लाभान्वित किया इसके ...ही सराहनीय कदम है। ...हुए हैं प...स्टम में काफी कुछ सुधार होना चाहिए था... से जितना सुधार ...ी तक नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, म... माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ... ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रथ... की जो नहरें हैं उनके आम रास्तों प... स्थानों पर अभी तक पुलों का निर्माण नहीं हुआ है जिससे काश्तकारों को अपने खेतों में जाने के लिए बहुत ही कठिनाई पैदा होती है। कई–कई जगह तो 4–4, 5–5 किलोमीटर घूमकर काश्तकारों को अपने खेतों में जाना पड़ता है। एक–दूसरे गांव में जाने के लिए भी बहुत कठिनाई होती है। घग्घर डिप्रेशन में कई गांवों के आवागमन का रास्ता है और वहां पर पुल नहीं बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कानोर, खेटार, जैसाबट्टी, ऐटा, चाडसर, रतासर, गुसाइंसर, मोटेर, बरमसर आदि कम से कम 30–35 गांव ऐसे हैं जिनको हनुमानगढ़ जाने के लिए कम से कम 100 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। अगर घग्घर डिप्रेशन पर पुल बना दिया जाय तो कम से कम 30–35 गांव इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा अगर सरकार पुल नहीं बनाना चाहती तो कम से कम काज वे टाइप साइफन भी बना दिया जाय तो भी काफी कुछ राहत, लाभ हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण की जितनी भी नहरें हैं उनके अन्दर मिट्टी भरी हुई है। नहरों की सफाई की आवश्यकता है। कई नहरों की सफाई जरूर हुई है परन्तु काफी नहरें ऐसी हैं जिनमें एक–एक, दो–दो फीट मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी भरी होने के कारण नहरें पानी की क्षमता से कम ले पाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रथम चरण की जितनी भी नहरें हैं उनकी सफाई करवाई जाए।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक चक से दूसरे चक में रकबा स्थानान्तरण करने के पावर पूर्व में एक्स.ईएन. और एस.ई. के पास थे जो वर्तमान में राज्य सरकार ने अपने अधीन कर रखे हैं। काश्तकारों को इससे परेशानी होती है, हर काश्तकार जयपुर आकर के रकबा स्थानान्तरण करवाने का काम नहीं करवा सकता। इस काम में शिकायतें आयी थीं इससे भी मैं सहमत हूं परन्तु मैं चाहूंगा कि फिर भी काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए रकबा स्थानान्तरण करने का काम, नाके स्वीकृत करने का काम, कई छोटे–छोटे काम हैं जिनके लिए काश्तकारों को जयपुर तक आना पड़ता है और इस [illegible] जो और [illegible] छोटे काम हैं उनके लिए सम्बन्धित [illegible] ईएन. और एस.ई. को ही अधिकृत किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण में फ्लो से सिंचित होने वाला हजारों एकड़ रकबा पड़ा है उसको पानी दिया जाय तो सरकार के लक्ष्य की पूर्ति होगी और साथ में पैदावार भी बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके द्वितीय और तृतीय चरण के अन्दर रकबा सिंचित करने के लिए नयी–नयी योजनाएं बना रही है, खर्चा भी उन स्कीमों पर काफी हो रहा है, प्रथम चरण की यह जो भूमि है इस पर प्रति एकड़ खर्चा भी कम होगा और साथ में प्रथम चरण की जो भूमि है, प्रति एकड़ जो पैदावार होगी वह द्वितीय और तृतीय चरण के एक मुरब्बा भूमि से ही एक एकड़ के बराबर होगी। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा रकबा सिंचित हो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। अध्यक्ष महोदय, प्रथम चरण में पानी देने से सरकार के दोनों ही लक्ष्यों की पूर्ति होती है और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने में खर्चा भी कम होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि द्वितीय और तृतीय चरण में पानी नहीं पहुंचाया जाय, जहां आवश्यकता है, वहां जरूर पहुंचाया जाय परन्तु इसके साथ-साथ प्रथम चरण की जो भूमि फ्लो से सिंचित होने वाली है, जो पानी से वंचित रह गयी है उसको भी पानी दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक ऐटा माइनर है, वह आर. डी. 191 पर जो आउटलेट लगा हुआ है, जिसमें कम से कम 40-45 मुरब्बा जमीन फ्लो से सिंचित हो सकती है। मैं आपके माध्यम से [illegible] [illegible] चाहूंगा कि मंत्री महोदय मौके पर पधारे थे और वहां उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस आउटलेट का तो सिर्फ साइज ही बढ़ाना है। बाकी कोई नया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 4–5 किलो सीमेंट लगेगी तो काश्तकार अपने ही खर्चे से करने को तैयार है। स[illegible] का इसमें कोई ज्यादा खर्चा न [illegible] वाली बात है।

इसके अलावा अध्य[illegible] [illegible] सोमा[illegible] [illegible] बुर्जी आगे सर [illegible] है [illegible]0–90 मुरब्बे बढ़ाकर के [illegible] सकती है। जो ऐटा माइनर [illegible] भूमि सिंचि[illegible] में कम से कम 20–25 [illegible] सिंचित हो सकती है, अगर मान[illegible] इस स्कीम की स्वीकृति दें तो 30-

(श्री रामप्रताप कासनियां)

35 ऐसे गांव हैं जिनमें सिंचाई सुविधा तो उपलब्ध होगी ही साथ ही पीने के पानी की भी सुविधा हो जाएगी। सरकार पी.एच.ई.डी. में करोड़ों रुपये खर्च करके पानी पहुंचाती है। सरकार जितना पैसा पी.एच.ई.डी. खर्च करती है उससे आधा पैसा इस पर खर्च करे तो इन गांवों को पीने के लिए पानी मिल सकता है और सिंचाई सुविधा के लिए भी पानी मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, रंगमहल गांव के पास डिप्रेशनों पर जो स्केप बन रहा है वहां डिप्रेशनों के इर्द-गिर्द जो रकबा है उसको सिंचित किया जा सकता है। डिप्रेशनों में पानी भरा पड़ा है। मौके पर किशनपुरा नाम की एक छोटी नहर है उसको आगे बढ़ाकर रंगमहल गांव की कम से कम सैकड़ों मुरब्बा भूमि सिंचित की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, रंगमहल गांव के पास जो स्केप बन रहा है, इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है परन्तु इस स्केप के ऊपर से पक्की रोड का काम अभी तक अधर में लटका पड़ा है। यह स्केप का काम 15 माह में पूरा होना चाहिए था, ब्रिज कारपोरेशन ने इसका टेण्डर लिया था, परन्तु आज 5–6 वर्ष हो गये हैं, अभी तक पूर्ण रूप से वह काम हुआ ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मई–जून से पहले-पहले अगर उस रोड का निर्माण नहीं हुआ तो स्केप पर जो खर्चा सरकार ने किया है उसका लाभ काश्तकार को नहीं मिलेगा और 12 महीने बाद ही यह काम हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस रोड को अगर मई–जून से पहले-पहले बना दिया जाए तो स्केप के जरिये डिप्रेशनों का पानी नाली बैड में खाली किया जा सकता है। एक तो नाली बैड के जितने भी काश्तकार हैं उनको चावल की फसल लगाने के लिए वह पानी दिया जा सकता है, पानी काम में लिया जा सकता है और डिप्रेशनों से पानी खाली होगा तो सेम की समस्या का कुछ हद तक समाधान भी होगा और दूसरी तरफ नाली बेल्ट के जो काश्तकार हैं, उनको चावल की फसल बोने के लिए पानी मिल जाएगा तो पानी भी उपयोग में आ जाएगा और सेम की समस्या का कुछ हद तक समाधान होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हाल ही में जो आउट-लेट उखाड़ कर नये सिरे से लगाने की बात है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आउटलेट उखाड़े नहीं जाए। जो कई आउट-लेट है या इंजीनियर समझते हों कि यह आउट-लेट बहुत बड़ा है, पानी ज्यादा ले रहा है और अन्तिम छोर की नहर इससे फीड नहीं हो रही है। अगर कोई मोघा ठीक करने के लायक हो, बहुत ही ज्यादा पानी ले तो उसको ठीक करें फिर भी इस आदेश के बहाने कई इंजीनियरों ने लूट का रास्ता निकाल रखा है उसको रोका जाए। मैं एक-एक का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा परन्तु फिर भी मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वे समझ जायेंगे। सूरतगढ़ और रामसरा गांव से आगे लेकर निरवाणा न्योलावाला गांव तक एक ए.ईएन, और जे.ईएन. की इतनी हिम्मत है, इसमें मैं एक्स.ईएन. और एस.ई. को शामिल नहीं मानता; मैंने स्वयं बात की है, मौके पर गया हूं,

(श्री रामप्रताप कासनियां)

उन लोगों ने प्रति बीघा के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया है। मैंने आज तक मंत्रीजी से शिकायत नहीं की। अभी मैं 5–6 दिन पहले होकर आया था तब मेरे आगे यह बात आई थी तो मैं यह चाहूंगा कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। सरे आम प्रति बीघा के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया गया है, यह बहुत ही गलत बात है, इसकी जांच होनी चाहिए और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी इंजीनियर्स हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं अलग से भी माननीय मंत्री महोदय को लिखित में दे दूंगा और एक-एक का नाम बता दूंगा। अभी यहां मैं किसी के खिलाफ ज्यादा चार्ज लगाऊं तो उचित बात नहीं होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, अभी तो कृषि पड़ी है, नगरपालिका है। अध्यक्ष महोदय, मोटे रूप में मैं इस बात से तो पूर्णतया सन्तुष्ट हूं कि पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। सही बात को स्वीकार करने में कतई दिक्कत नहीं है परन्तु फिर भी जो सिस्टम बरसों से बिगड़ा हुआ हैं वह कोई 2–4–5 वर्ष में सुधर जाएं, यह बड़ा नामुमकिन है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि इस सिस्टम को सुधारा जाए और जितनी कोशिश हो, करें और हम लोग भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि और सी. ए.डी. मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। प्रथम तो आपने जब से कृषि विभाग संभाला है, तब से लेकर आज तक हमारे सुझावों के मुताबिक मोनीटरिंग करके सुधार किया है और उसका लाभ भी काश्तकारों को मिला हैं परन्तु कुछ त्रुटियां सी.ए.डी. विभाग में भी है, कृषि विभाग में भी है। आज काश्तकार को पूरा लाभ पहुंचा उसका तो मोटे रूप में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और अब छोटे-छोटे काश्तकारों की परेशानी है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। प्रथम तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो सुपरवाइजर लगे हुए हैं, सहायक कृषि अधिकारी लगे हुए हैं, वे सफेद हाथी हैं। काश्तकार के कोई काम की चीज नहीं है। करोड़ों रुपये राज के खजाने से वर्षों से वेतन के उठाये जा रहे हैं परन्तु मौके पर काश्तकार को कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी का कोई लाभ नहीं है। न वे खेतों में जाते हैं, न वह काश्तकार को मौके पर जाकर अगर कोई बीमारी फसल में पड़ जाएं तो न वह बताते हैं। अव्वल तो वह अपने घर पर रहते हैं और महीने के अन्तिम दिन आकर अपना वेतन ले जाते हैं। कृषि विभाग में सुधार हुआ है वह रिसर्च की वजह से हुआ है और वह काफी कुछ हर तरफ से सुधार हुआ हैं। परन्तु नीचे के स्तर पर यह बिलकुल सही बात है कि इन लोगों का कोई उपयोग नहीं है। इस व्यवस्था में मैं तो यह चाहूंगा कि यह पद ही समाप्त कर दिये जायें। सिर्फ रिसर्च के सिवाय इन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। काश्तकार आजकल इतना जागरूक है कि कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी तो जानता ही नहीं है कि कौनसा बीज आ गया, कौनसी दवाई आ गई। उलटा काश्तकार जाकर उनको

(श्री रामप्रताप कासनियां)

बताता है कि फलां दवाई फलां बीमारी में लगेगी तो काश्तकार इतना जागरूक है, सिर्फ रिसर्च का काम कृषि विभाग में रहना चाहिए। नीचे के स्तर पर फील्ड के जो लोग लगा रखे हैं कर्मचारी अधिकारी, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सी.ए.डी. विभाग ने पक्के खाले कराने का काम अपने हाथ में ले रखा था इसमें अब तो बहुत सुधार हुआ है परन्तु पूर्व में जो पक्के खाले बने हुए थे उनका तो वहां आज नामो–निशान ही मिट गया है। अब तो बहुत सुधार हुआ है, गुणवत्ता आई है, निर्माण कार्य भी ठीक हो रहे हैं परन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में जो सी.ए.डी. विभाग ने पक्के खाले बनाये थे वे जर्जर हालत में हो गये, जगह-जगह से टूट गये, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। काश्तकार तो वैसे ही नहीं कर रहा है। उनको तो यह भय सता रहा है कि हमारा हाथ लगा नहीं और पैसा हमारा लग जायेगा। काश्तकार तो उधर आंख उठाकर भी नहीं देखता। वह तो मानता है कि ये खाले सरकार के हैं तो जो इस तरह के खाले हैं, जगह-जगह से टूटे पड़े हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए और प्रथम स्टेज में कुछ खाले बनने से वंचित रह गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, अब आप द्वितीय और तृतीय चरण के अन्दर करोड़ों रुपये लगाकर खाले बना रहे हैं, नहरों का निर्माण कर रहे हैं, डिस्पेन्सरी बना रहे हैं, पक्की रोड बना रहे हैं तो प्रथम चरण में ही यह काम क्यों नहीं करवाये जा रहे हैं। हम कोई विदेशी तो है नहीं, हम भी राजस्थान के निवासी हैं तो हमारे साथ यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रथम चरण के जो शेष खाले हैं वह बनने चाहिए और जहां रोड और डिस्पेन्सरी वगैरह बनाने की आवश्यकता है वह भी बननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा जिन मण्डियों के अन्दर पैसा पड़ा है और पैसा यूं ही पड़ा है। रोड बनाने की आवश्यकता हो, चाहे पुल बनाने की आवश्यकता हो तो इस तरह की जो भी मण्डी हैं राजस्थान के अन्दर, जिनके पास पैसा पड़ा है, उनसे प्रस्ताव मंगवाकर माननीय सदस्यों के सुझावों के मुताबिक जल्दी से जल्दी स्वीकृतियां जारी की जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां सेम की समस्या है। उसका काम मंत्री महोदय के विभाग के नीचे है। अक्टूबर तक 220 ट्यूब वैल लगने चाहिए थे, अभी 120 नलकूप लगने के लिए मार्च तक टाइम दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे क्षेत्र में यह लोस हो गया कि 220 ट्यूब वैल अक्टूबर तक लगने चाहिए थे, मार्च तक 120 लगेंगे और आगामी वर्ष में सरकार ने बजट में 80 नलकूप और लगाने का जो प्रस्ताव रखा था, उसके लिए तो मैं सरकार से बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा परन्तु इसके साथ–साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कार्य के अन्दर गति प्रदान करें और साथ ही नलकूप की संख्या भी बढ़ाई जाये और इसके अलावा बडोपल गांव है, वहां पर माननीय कपूर

(श्री रामप्रताप कासनियां)

साहब, सिंचाई सेक्रेटरी सी.ए.डी. कमिश्नर वगैरह मौके पर गये थे .... वहां हम लोगों ने, बडोपल गांव से लेकर डिप्रेशन तक दो-तीन किलोमीटर लम्बाई है, वहां पाइप लाइन डालकर के पानी पम्पिंग करके डिप्रेशन में डाल कर नाली बेड में खाली करने की बात कपूर साहब ने और इन्होंने वहां तय की थी और यह भी कहा था कि स्कीम बनाकर लाओ, देखेंगे कि यह नलकूप वाली जो स्कीम है, इससे महंगी है या सस्ती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि नलकूपों से तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। नलकूप अपनी जगह हैं और यह पानी पम्पिंग करना अपनी जगह है। दोनों ही चीजों की आवश्यकता है। आवश्यकता है पानी निकालने की, तो नलकूपों से भी पानी निकलेगा और जो पाइप लाइन है उससे पानी पम्पिंग करके डिप्रेशनों में खाली करने से भी जो पड़ा पानी है उसका स्टाक जल्दी निल हो जाएगा और जो स्थायी समाधान है वह नलकूपों से होगा, इसको मै मानकर चलता हूं। नलकूप लगाना तो अति आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही आवश्यक हैं मतलब।

श्री रामप्रताप कासनियां : हां। परन्तु आज मौके पर जो पानी का स्टाक पड़ा है उसको बहुत ही ज्यादा गति से पम्पिंग करके डिप्रेशनों में डाले तब जाकर वह पानी कुछ ऊपर की सतह पर जो पड़ा है, कम हो जाएगा, और जमीन में जो पानी है वह ट्यूब वैल और नलकूपों के माध्यम से नीचे चला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सेम एरिया के अन्दर जो ऊसर और क्षारीय भूमि है, जिस तरह से राजस्थान के अन्दर दूसरे जिलों में कृषि विभाग काश्तकारों को सुविधा प्रदान करता है उसी तरह से सेम एरिया की ऊसर और क्षारीय जो भूमि है उसके अन्दर सरकार सौ, दो सौ बीघा, चार सौ बीघा अपने कब्जे में लेकर डेमोस्ट्रेशन के तौर पर जिप्सम वगैरह उपलब्ध करवाकर, जिप्सम की बहुत ही ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो हमारे वहां है परन्तु हमारे वहां एक कट्टा ही नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सेम वाले एरिया में भी जिप्सम उपलब्ध करवायें, और भी जो सुविधा है वह उपलब्ध करवायें।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्रथम चरण के अन्दर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जिन काश्तकारों के खेतों में पानी मीठा है और ट्यूब वैल लगाना चाहते हों तो सरकार की तरफ से मशीन की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाए और इसके साथ-साथ काश्तकार को यह भी बताया जाए कि यहां पानी मीठा है या खारा है, यहां फसल के काम का है या नहीं। यह दोनों ही चीजें काश्तकार को निःशुल्क वहां उपलब्ध होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मिट्टी टेस्ट की जो बात है, काश्तकार को मिट्टी उठाकर जिला हैडक्वार्टर पर ले जानी पड़ती है। मैं यह चाहूंगा कि कृषि विभाग गांवों में कैम्प लगाये, वहीं मौके पर मशीन ले जाकर मिट्टी टेस्ट करके काश्तकार को

(श्री रामप्रताप कासनियां)

वहीं बताये कि यह जो मिट्टी है, फलां फसल के काम की है, फलां फसल इसमें कम होगी या ज्यादा मात्रा में होगी, कौन सी फसल बोई जाए या कौन सी नहीं बोई जाए। इस तरह की सुविधा काश्तकार को मौके पर ही उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सरकार से यह चाहूंगा कि राजस्थान सरकार काश्तकारों की फसल की बीमा योजना लागू करे तो काश्तकार भी कुछ इन्सान की लाइन में आ सकें। आज के दिन अगर घाटे का सौदा है तो वह खेती करना है। खेती करना घाटे के सिवाय कुछ नहीं है, अध्यक्ष महोदय, खर्चा बहुत बढ़ गया है, पेस्टीसाइड महंगी हो गयी है, खाद महंगी हो गयी है और प्रमाणित बीज भी महंगे हो गये हैं, मजदूरी महंगी है। खेती करना कोई लाभकारी धन्धा नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तो काश्तकार को लाभकारी मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाए। मूल्य तय करना केन्द्र के बस की बात है, यह मैं मानता हूं, परन्तु फिर भी कुछ न कुछ राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रति क्विंटल काश्तकार को कोई सहायता के रूप में, पचास रुपये, सौ रुपये क्विंटल, जिन्सवार अलग-अलग, सब्सिडी कह दो, चाहे कुछ भी सहायता कह दो, काश्तकार को उपलब्ध करवानी चाहिए। इस काम में मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है। एक तो काश्तकार की फसल अतिवृष्टि के अन्दर नष्ट हो जाती है जिसमें सरकार वर्तमान में जो मुआवजा देती है, वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, एक तो यह मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, दूसरा लाभकारी मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि सेम का काम जो आपके हाथ में है, अभी जैसे 80 नलकूप का तो सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है, और इसके अलावा सौ नलकूप और लगाये जावें और पानी बडोपल गांव से पम्पिंग करके डिप्रेशनों में डाला जाए।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का....

श्री अध्यक्ष : आपका तो कोई लेना-देना ही नहीं है वहां।

श्री रामप्रताप कासनियां : नगर पालिका, अध्यक्ष महोदय, है मेरे भी। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी म्युनिसिपैलिटी, और हमारी ही नहीं, बल्कि करीब-करीब सभी म्युनिसिपैलिटी की यही हालत है कि चुंगी से जो पैसा आता है वह तो तनख्वाह में ही चला जाता है, और कई म्युनिसिपैलिटी की तो जैसे मेरी ही म्युनिसिपैलिटी है, उसमें तो तनख्वाह ही पूरी नहीं होती चुंगी से, तो म्युनिसिपैलिटी के पास कोई और आय का साधन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम मेरी नगरपालिका की तो हालत ऐसी है, मुझे पता है कि चुंगी से तो उसकी तनख्वाह ही नहीं चुकाई जाती, मैं मंत्री

(130)

(श्री रामप्रताप कासनियां)

महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आगामी वर्ष में मार्च के बाद नगरपालिका पीलीबंगा को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता, कुछ न कुछ क्या, कम से कम एक करोड़ आर्थिक सहायता कर दो ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : तनख्वाह बाकी है क्या आपके कोई ?

श्री रामप्रताप कासनियां : तनख्वाह तो बाकी है ही है, तनख्वाह के अलावा हमें विकास के लिए भी, मंत्री महोदय, कुछ न कुछ उपलब्ध करवायें और कम से कम पचास लाख रुपये आप आगामी वर्ष में पीलीबंगा नगरपालिका को उपलब्ध करवायें, हमने वर्षों से कोई सहायता नहीं ली है ।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया । श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांगों पर चर्चा हो रही है । सबसे पहले तो मैं सिंचाई मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे क्षेत्र में गत वर्ष जूट का नाका और मोतीपुरा बांध की स्वीकृति हुई थी, इस वर्ष वह बनकर करीब-करीब पूरे हो गये हैं, नहरों का काम चल रहा है । तीन करोड़ रुपये की लागत के करीब यह दोनों बांध थे । अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का इसलिए जिक्र किया कि मैंने देखा है, कांग्रेस के शासन में वर्ष 1971 में मेरा मण्डोल बांध सेंक्शन हुआ था, 1977 में जब जनता पार्टी का राज आया तो माननीय ललितजी सिंचाई मंत्री बने, उस बांध की नींव तक नहीं भरी गयी थी और वह 1979 में जाकर कम्पलीट हुआ । यह भारतीय जनता पार्टी के शासन की कार्य प्रणाली है, कोई काम स्वीकृत किया है तो उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर दिया जाए जिससे कि उसकी लागत में बढ़ोतरी नहीं होती है । परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बांध बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बांध बनता है, नहर आती है या पानी आता है खेत में, तो किसान के मन में एक उमंग, एक आशा और एक उत्साह का संचार होता है और कई बार देखा है कि जिन क्षेत्रों में बांध बने हैं तो जो लोग मजदूरी करने जाते थे उनकी मजदूरी छूट गयी, उनके चेहरों पर रौनक आई, उनके रहन-सहन का स्तर बढ़ा । परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो राज्य में बांधों की, नहरों की हालत है, वह बड़ी सोचनीय और दयनीय है । मेरे क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय, बांडरमूता, सुशीलासागर, पनगड़िया, विगरण, नाथजी का खेड़ा, डामटी, अनुवासा, गोडा, थल आदि कई बांध हैं, मैं सब का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ऐसे ही पूरे राजस्थान की स्थिति है कि जितना पानी बांध से निकाला जाता है उतना पानी खेतों में नहीं पहुंचता है । नहरें टूट-फूट गयी हैं और कई जगह तो पक्की भी नहीं हैं । गरज हो किसान को तो वह मिट्टी प्रति वर्ष साफ करे उन नहरों से और पानी खेत में ले जाए । तो यह स्थिति है । जब विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं, माननीय मंत्री महोदय से बात करते हैं, सदन में

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

माननीय वित्त मंत्री महोदय नहीं हैं, मुख्य मंत्री महोदय भी नहीं हैं तो इनसे जब बात करते हैं तो बार-बार यही कहा जाता है कि मेंटीनेंस का बजट नहीं है। आखिर में जिस उद्देश्य को लेकर हमने बांध बनाये हैं, हर खेत में पानी देने के उद्देश्य से हमने बांध बनाये हैं, कमाण्ड एरिये की प्रत्येक जमीन को पानी देने के उद्देश्य से हमने बांध बनाये हैं और उसके कमाण्ड की आधी भी जमीन की पिलाई नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय टेल तक पानी नहीं पहुंचता और स्थिति यह आती है कि जो आज नीचे का किसान है, जो टेल का किसान है, जो इस कमाण्ड का है, कमाण्ड की पिलाई की वह दर देता है, पानी से महरुम रह जाता है। कई बार तो दो पिलाई ही उनको मिलती है। सबसे ज्वलन्त समस्या मैं इसको मानता हूं और मेरी मुख्य मंत्रीजी से, जो सदन में नहीं हैं शायद चैम्बर में सुन रहे होंगे, वित्त मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग है कि इन नहरों के रख-रखाव की ओर सरकार को युद्धस्तर पर ध्यान देना चाहिए। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह हालत जरूर खराब होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि नहरें ठीक नहीं होंगी तो यह जो आउटलेट्स हैं और आज जितना पानी हम नहरों से छोड़ रहे हैं, हजार बीघा जमीन पी रही है उसकी जगह तीन हजार बीघा जमीन पीएगी। इतने पानी का वेस्टेज हुआ है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह एक बहुत पीड़ाजनक स्थिति है।

मेरे क्षेत्र में दो बांध बने हुए हैं रेणुन्दा का और नाथजी का खेड़ा का। अब बांध कैसे बने जब प्रति वर्ष पानी उसमें टिकता ही नहीं है। इधर बरसात खतम हुई और उधर पानी का उसमें से पूरा या सम्पूर्ण दस या ग्यारह दिन में पिलाई बिलकुल नहीं होती है। कई बार विभागीय अधिकारियों को लिखा, प्रस्ताव भी बनाकर भेजे। माननीय मंत्री महोदय, एक तो आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बारे में थोड़ी जांच करें कि बांधों के सम्बन्ध में उस समय कौन अधिकारी थे और क्या कमी रही? यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि रेणुन्दा और नाथजी का खेड़ा में पानी बिलकुल टिकता नहीं है। कहीं न कहीं उनमें ऐसी टैक्निकल कमी रही है कि पानी उनमें टिकता नहीं है। इनके प्रस्ताव भी बनाकर विभाग ने आपके पास भेज रखे हैं जिससे कि पानी टिक जाए और जो खेतों को पिलाई होती है वह पिलाई होने लग जाए, कृपया इनको स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में तीन बांध हैं–जैतपुरा, गोरटा और आरोई। आरोई तो खैर चित्तौड़ में है पर मेरे क्षेत्र में भी उसकी नहरें आती हैं, इनकी नहरों के माडर्नाइजेशन के लिए गत वर्ष विश्व बैंक की सहायता से कोई योजना बनी थी वहां टीम आयी, योजना बनाकर आयी और घोषणा भी हो गयी कि विश्व बैंक की सहायता से जैतपुरा और आरोई की जो नहरें हैं ये स्वीकृत हो गयी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अधिकारियों के कहने पर अखबार में स्टेटमेंट भी दे दिए कि डेढ़ करोड़ रुपये जैतपुरा बांध की नहरों के लिए और डेढ़ करोड़ रुपये आरोई बांध के लिए स्वीकृत हो गए। परन्तु वह योजना

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

जयपुर में आकर अटकी है या दिल्ली में जाकर अटकी है। कई बार निवेदन करने के बाद भी उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहां पर भी विश्व बैंक से या जिस किसी भी संस्था की सहायता हमें मिलती है राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्व बैंक की भागीदारी है, तो इस बारे में जब हम योजना बनाते हैं, भेजते हैं तो उसको छोड़ देना नहीं चाहिए। उसके पीछे बराबर लगा रहना चाहिए जिससे कि वह काम जल्दी हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो मेरे प्रस्ताव बनाकर भेजे हुए हैं उन्हें जल्दी स्वीकृति दिलायें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जरा धीरे-धीरे नाम बता दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : हां, जैतपुरा, आरोई और गोरटा। माननीय अध्यक्ष महोदय; बांध बना दिया। कई बांधों में तो मिट्टी भर जाती है जिस कारण से कैपेसिटी कम हो जाती है पर मेरे क्षेत्र में पिथाका मंड करके बांध बनाया है उसकी जो पिलाई क्षमता है और जो और इन्होंने कमाण्ड एरिया घोषित कर रखा है वहां पानी ज्यादा भरता है और बांध का पानी वहीं भरा रहता है पिलाने के बाद भी। उस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों ने कमाण्ड एरिया बढ़ाने के लिए और नहरों का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज रखे हैं। जैसे मेरे राजपुरा है, सालनपुरा है, सात-आठ गांव हैं, उससे उनके काश्तकारों की जमीन पिलाई होती है और ये प्रस्ताव कहां अटके हुए हैं। अतिरिक्त चीफ इंजीनियर के यहां अटके हुए हैं कि चीफ इंजीनियर के यहां अटके हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इस ओर भी ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं बोलूंगा बहुत पाइंटेड बात कर रहा हूं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता था कि सामुदायिक सिंचाई योजना सरकार की है कि पांच-सात कुएं वाले मिलकर कोई सिंचाई करना चाहें, परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी अधूरी भी हो सकती है, हमारा भीलवाड़ा जिला उसमें नहीं आता है। जिन क्षेत्रों में न तो बांध बन सकते हैं और न पानी जा सकता है और जहां वाटर टेबल गहरा चला गया हो तो वहां ट्यूबवैल पर राजस्थान सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी को एक आम काश्तकार के लिए लागू कर दिया जाए ताकि पांच-सात किसान मिलकर यदि अपने खेत पर ट्यूबवैल खुदाकर और सिंचाई करना चाहें तो कर सकें। उनको भी वह फायदा हो।

दूसरी बात सबसे बड़ी यह होती है कि उस ट्यूबवैल का बीमा राज्य सरकार करवाती है। यदि ट्यूबवैल में पानी नहीं आता है तो उसमें दूसरा हो जाता है। इस बारे में भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें। अभी माननीय मंत्री महोदय,....

श्री अध्यक्ष : यह कहो कि ट्यूबवैल पर सब्सिडी दो। यह तो बहुत छोटी-छोटी बात में कह सकते हो। घुमा घुमा कर मत कहो इसमें ज्यादा समय लगेगा।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि मेरा

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

जिला उसमें नहीं ले रखा है। इन्होंने कुछ जिले चयन कर रखे हैं, उसका चयन किया जाए।

श्री अध्यक्ष : सीधा-सीधा कहें आप।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : हां, मैं यह कह रहा हूं कि यह समझ में नहीं आए तो थोड़ा विश्लेषण कर दें तो अच्छा रहता है।

श्री अध्यक्ष : वे सब समझदार हैं। वे सब जानते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय मंत्री महोदय, अभी राजेन्द्र जी गहलोत के किसी प्रश्न के जवाब देते समय कह रहे थे कि क्या हम जयपुर की जनता को बीसलपुर बांध बनाकर पानी नहीं दें? फलाणां नहीं करें। माननीय मंत्री महोदय, जयपुर की जनता को और पूरे राजस्थान की जनता को पीने का पानी पिलाने का दायित्व आपका नहीं है। पीने का पानी पिलाने का दायित्व पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी जो स्थिति बनी है, उसमें एक बड़ी विकट स्थिति यह है कि जितने बांध सिंचाई के लिए बने हैं वे बांध धीरे-धीरे पेयजल की कमी की वजह से पेयजल रूप में परिवर्तन होते जाते हैं और इसका नतीजा यह हुआ कि वह जमीनें जिसमें खेती अच्छी होती थी, जिसमें फसलें अच्छी होती थीं उनसे काश्तकार वंचित होते जा रहे हैं। माननीय पी.एच.ई.डी मंत्रीजी भी यहां बैठे हुए हैं, हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो रही है पर वाटर वर्क्स विभाग अपने तालाब बनाये, इस बारे में भी ध्यान दें। बजट की आवश्यकता हो तो पेयजल का तो हमने ले ही रखा है पर सिंचाई विभाग के बजट में यह कमी नहीं हो। बीसलपुर के बारे में तो मंत्रीजी कह रहे हैं पर उदयपुर से लेकर जिन किसानों के खेत पर बांध बनते और पानी पहुंचता, उनको रोजी-रोटी मिलती, उनके पेट से हमने उनकी रोटी छीनी है। उनका क्या होगा? क्या उनको हमें रोजी-रोटी देने का अधिकार नहीं है? उनकी भी पिलाई हो, जयपुर को भी पानी मिले। यह जो बीसलपुर के सम्बन्ध में आपने कैचमेंट एरिया के नाम पर रोक हमारे पूरे मेवाड़ अंचल में लगा रखा है उसको हटायें, आपने दो मीटर बांध की स्वीकृति दी है कि दो मीटर का एनीकट बना सकते हो। अब दो मीटर का एनीकट क्या होता है और बनास में तो रेत आती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो उसी बनास के एरिया के हैं। आप तो स्वयं जानते हैं कि वह दो मीटर का एरिया तो चार साल में पूरा भर जाएगा तो कम से कम तीन-चार मीटर के एनीकट बनाने की आप उसमें छूट दें। जिससे कि उसमें पानी टिके। अब जैसा आपने फैसला किया कि जो बसीलपुर के कैचमेंट एरिये में जो बांध बनाने की स्वीकृतियां हुई थीं और अधूरी रह गयी हैं या उनमें 10, 20, 50 लाख रुपये खर्च हो गये हैं तो उनको हम मंजूरी देंगे। ऐसे मेरे क्षेत्र में दो बांध हैं– एक तो देवरीनाला और दूसरा भैंरूदा है। उनमें काफी पैसा पहले लग चुका है। इनकी स्वीकृति यदि मिल जाय तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपने मुझे दो बांध दिये, शिवचरणजी माथुर से वहां के क्षेत्र की जनता मांग करती रही, वह बांध भी नहीं बन सके और जिनको हमारे मुख्य

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

मंत्रीजी ने एक साल में स्वीकृति देकर उनको कम्पलीट करा दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि, मैं मेरे क्षेत्र की जनता की मान रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। अब तो कुछ नहीं कहना।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : थोड़ा सा कृषि पर कहना है।

श्री अध्यक्ष : बहुत कह दिया कासनियां जी ने।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं पाइंटेड बात करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कासनियां ने बहुत थॉरोली कहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंटेड बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, फरमाश्रो।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : सबसे पहले तो मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि इसी विधान सभा में उन्होंने मेरे क्षेत्र में एक कृषि उपज मण्डी समिति की सड़क बनाने की घोषणा की थी, खण्डार से खेड़ा गोविन्दपुरा मानगढ़ तक। माननीय मंत्री महोदय ने राशि स्वीकृत कर दी 27 लाख रुपये, इसमें से 20 लाख रुपये भेज दिये, काम चल रहा है, काम प्रगति पर है। माननीय मंत्री महोदय, बाकी के 7 लाख रुपये, आपने इसी विधान सभा में घोषणा की थी, 7 लाख रुपये और भेज दो तो वह सड़क पूरी हो सकती है। ऐसे ही मेरे कोटड़ी क्षेत्र में भीलवाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति में वह क्षेत्र आता है, भीलवाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति लाभ में है। पहले भी मैंने निवेदन किया था, आपने मेरे प्रश्न के जवाब में बताया था। मैंने सायपुर से सोपरा और काकोला से घिवाईखेड़ा दो सड़कों के लिए निवेदन किया था जहां लोग बरसात में आ-जा भी नहीं सकते हैं, फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं, उनकी फसल का उनको पूरा मूल्य नहीं मिलता है। आपने कहा था कृषि उपज मण्डी समिति प्रस्ताव बनाकर भेज देगी तो स्वीकृत कर दी जाएगी। कई बार कृषि उपजमण्डी समिति को लिखने के बाद भी आज दिन तक शायद आपके पास प्रस्ताव आये, नहीं आये तो कृपा करके प्रस्ताव मंगवाकर उनको स्वीकृत करायें।

एक मैं निवेदन कर रहा था, मैं राम प्रताप जी कासनियां जी की उस मांग का समर्थन करता हूं कि फसल बीमा योजना सब जगह लागू की जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपका यह भू-संरक्षण और भू-जल संरक्षण कौन-सा विभाग है, मेरे जिले में भी काम कर रहा है पर हमें तो पता ही नहीं कि वह विभाग क्या काम करता है, कभी कोई चर्चा नहीं। पहली बार अभी हमने उसकी मानिटरिंग की थी तो कई प्रकार की ऐसी बातें सामने आयीं, सुनकर आश्चर्य चकित रह गये। वह कमेटियां बना देते हैं खुद ही बैठकर, पता ही नहीं लगता कौन-सी कमेटियां बना रखी हैं, कौन-सा क्या कर रखा है। इस महकमे में करोड़ों रुपये का बजट आता है। इससे पता ही नहीं लगता कि वह कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है ? इस बारे में कम से कम आप अपने स्तर पर इसकी मानिटरिंग

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

करें तो मैं समझता हूं कि बहुत भला होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, एक पाइपों के लिये अनुदान की राशि देते हैं पर तहसीलदार सर्टिफिकेट नहीं देते है। जैसे लघु सीमान्त में जब किसी को जमीन अलाट करते हैं तो 6 बीघा पिओल होती है तो उसको 12 बीघा जमीन मान लेते हैं और कह देते हैं जमीनं अलाट नहीं हो सकती। जब 6 बीघा ही उसके पास जमीन है, पाइप भी ले जाता है तो कह देते हैं नहीं, नहीं, आपकी यह 12 बीघा हो गयी, तो कम से कम इस बारे में माननीय मंत्री जी ध्यान दें कि 6 बीघा जमीन ही उसके पास पिओल की है परन्तु वह तहसीलदार 12 बीघा कहकर उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। इसको थोड़ा रेक्टिफाई कराइये कि उनको अनुदान के लिए सर्टिफिकेट आराम से मिल जाए। दूसरा, सामूहिक कुओं की जहां पास बुक है, सर्टिफिकेट को तो छोड़ दीजिये उनकी पास बुक के आधार पर ही कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष . कृपया समाप्त करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं पाइंटेड बहुत अच्छे सुझाव दे रहा हूं, जो जन समस्याएं हैं ...

श्री अध्यक्ष : लम्बी–लम्बी बात क्यों कह रहे हैं, पाइंटेड तो कासनियां जी ने कहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : नहीं, मैं लम्बी बात नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कह तो आप बहुत अच्छा रहे हैं पर लम्बा–लम्बा घुमा–घुमा कर मत कहो (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : +++ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जैसे अपना एक कुआ है और उस कुएं में 5 काश्तकार हैं, खातेदार अलग-अलग हैं पर आपके पाइप का लोन एक ही खातेदार को मिलता है तो बाकी को नहीं देते हैं। एक कुएं में 20 बीघा जमीन हैं, कुआ एक है जो सामलाती है और सामलाती कुआ होने की वजह से यदि एक काश्तकार ने उसमें से अनुदान ले लिया तो बाकी को नहीं देते हैं जबकि उनकी जमीन अलग–अलग है और जब उनके धोरे अलग–अलग हैं तो उन सब को पाइप लाइन मिले, उसका अनुदान मिले इसकी व्यवस्था करायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपना अभी जो बीज आया है, बहुत घटिया आया है रबी का, इसको दिखायें और कम से कम भविष्य में कोई घटिया बीज आये, जैसा मेरे क्षेत्र में आया है, पूरे राजस्थान का तो पता नहीं, कम से कम इसको दिखायें कि भविष्य में घटिया बीज नहीं आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक नगरपालिका है माण्डलगढ़, उस नगरपालिका को नगर पालिका बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने, जनसंख्या पूरी नहीं होती थी, आस पास के 7 किलोमीटर के 18 गांवों को जोड़ दिया। अब स्थिति यह हो गयी कि नगरपालिका की आय ही नहीं है और वह 18

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

गांव आज नारकीय जीवन जी रहे हैं। इस समय माननीय मंत्री जी बिराज रहे हैं, उस समय तो जनसंख्या ही नहीं बैठती थी पर आज प्रॉपर माण्डलगढ़ की जनसंख्या ही नगरपालिका की जनसंख्या के बराबर है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उन गांवों को हटाकर उनको पंचायतें बना दें तो कम से कम वह गांव वाले तो सुख पायें। माण्डलगढ़ नगरपालिका रह सकती हैं तो उसको नगरपालिका रख दें ताकि माण्डलगढ़ का भी विकास होगा और वह गांव वाले भी आराम पायेंगे। क्योंकि जो राजनैतिक आधार पर नगरपालिकाएं बनायी गयी थीं उनमें जनहित का ध्यान नहीं रखा गया। माननीय मंत्री जी बिराज रहे हैं और जो बीमार नगरपालिकाएं हैं उनका कैसे क्या करें यह तो माननीय मंत्री जी देखेंगे कि किनको अभी कितना दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : बहुत राशि देते हैं फिर भी तनख्वाहें बाकी हैं, धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से सदन का समय 6 बजे तक बढ़ाया जाता है।

श्री कालीचरण सराफ।

मांग संख्या 37, 46 एवं 29 पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या–37-कृषि, मांग संख्या–46 सिंचाई और मांग संख्या–29....

श्री अध्यक्ष : आपको तो नगर आयोजना से मतलब है।

श्री कालीचरण सराफ : नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास पर विचार हो रहा है। जैसा आपने कहा कि मेरा मतलब केवल नगर आयोजना से है इसलिए मैं मेरे विचार मांग संख्या–29 नगर आयोजना तक ही सीमित रखूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आज से दो वर्ष पूर्व राजस्थान की सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव राजस्थान प्रदेश में सम्पन्न हुए और हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार राजस्थान की स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी। 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण, 16 प्रतिशत ओ. बी. सी. को आरक्षण और जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। इतना ही नहीं, हमारी

(श्री कालीचरण सराफ)

कार ने चेयर परसंस के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की और उसी का यह परिणाम है कि आज जोधपुर नगर निगम में ओ. बी. सी. का व्यक्ति और कोटा नगर निगम में महिला प्रतिनिधि मेयर के पद पर आरूढ़ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के बारे में ज्यादा लम्बी–चौड़ी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जयपुर शहर से विधायक हूं इसलिए मैं केवल अपने आपको जयपुर शहर तक सीमित रखूंगा। स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव हुए उसके परिणामस्वरूप शहर में भी नगर निगम के चुनाव हुए और जनता के भारी समर्थन के परिणामस्वरूप यहां 70 में से 52 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जयपुर शहर में बना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम में जयपुर शहर में जब से बना है इन दो सालों में इतने विकास के काम जयपुर शहर में हुए हैं, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस के 40 साल के शासन में जितने विकास के काम जयपुर शहर में नहीं हुए उतने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आने के बाद जयपुर शहर में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने बिना राजनैतिक भेदभाव के हर वार्ड में समान राशि लगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह तय किया कि 20 लाख रुपये के विकास के काम प्रत्येक वार्ड में होंगे। चाहे उस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद चुना गया हो और चाहे उस वार्ड से कांग्रेस का पार्षद चुना गया हो या कोई निर्दलीय पार्षद चुना गया हो।

श्री टीकम चन्द कांत (सिवाना) : यह शासन की आदर्श स्थिति कहलाती है।

श्री कालीचरण सराफ : आज इसी का यह परिणाम है कि जयपुर शहर के किसी कोने में चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, किसी कालोनी में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए हर क्षेत्र में आपको सीमेंटेड सड़कें मिलेंगी। डामर की सड़कें मिलेंगी। पूरे जयपुर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ गया है। दो वर्ष के अन्दर हमने जयपुर शहर में आठ हजार सोडियम लाइट और 25 हजार ट्यूबलाइट, यानि जहां पहले गलियों में अंधेरा रहता था, आज ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसा कोई चौराहा नहीं है, ऐसा कोई तिराहा नहीं जहां पर सोडियम लाइट की जगमगाहट नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हमने पार्कों का भी बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के विकास किया है और इन दो सालों में लगभग 70 पार्क, जो पहले कचरा डिपो बने हुए थे, डम्पर डिपो बने हुये थे उनका हमने समुचित विकास किया और उनका लोकार्पण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ हजार कच्ची नालियां, जो कई सालों से पक्की नहीं हो रही थीं, हमने एक साल के अन्दर–अन्दर आठ हजार कच्ची नालियों को पक्की नालियों में परिवर्तित कर दिया। जहां हमने नगर

(श्री कालीचरण सराफ)

निगम के माध्यम से जयपुर शहर में करोड़ों रुपये के विकास के काम किये वहीं हमने हमारी चुंगी की आय बढ़ोतरी की। हाऊस टैक्स के मामलों में बढ़ोतरी की। जयपुर शहर की सबसे प्रमुख समस्या बाहरी कॉलोनीज में चाहे वह जनता कालोनी हो, सेठी कालोनी हो, बर्मीज कॉलोनी हो, राजा पार्क हो, तिलक नगर हो, सिविल लाइन हो, सी-स्कीम हो कहीं पर सीवरेज लाइन नहीं थी। बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल जिन कॉलोनीज को बने हो गये वहां पर कांग्रेस के राज में सीवरेज लाइन नहीं डली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक अरब सत्तर करोड़ रुपये की योजना हमने सीवरेज लाइनकी बनायी और इस छोटे से अन्तराल में, पिछले दो सालों में यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जयपुर शहर के 70 प्रतिशत इलाकों को हमने सीवरेज लाइन से जोड़ दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हमने यह उपलब्धियां हासिल कीं वहीं कुछ इस प्रकार की समस्याएं नगर निगम से सम्बन्धित हमारे सामने हैं जिनका निदान होना अत्यन्त आवश्यक है। आज जगतपुरा, पहले वहां आबादी नहीं थी, परन्तु आज लगभग 40 हजार लोग जगतपुरा के आस-पास रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी कांस्टीट्यूएंसी होगी ?

श्री कालीचरण सराफ : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। जब वहां आबादी नहीं थी तो पूरे जयपुर शहर का कचरा वहां डाला जाता था। कचरा डिपो वहां बना रखा था। उस समय किसी का विरोध भी नहीं था, क्योंकि जंगल पड़ा था। परन्तु आज लगभग 40 हजार लोगों की आबादी वहां बस गयी है घनी आबादी बसी है पर वहां कचरा डिपो हटने का नाम तक नहीं ले रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि 40 हजार लोग प्रदूषित वातावरण में न रहें, नारकीय जीवन व्यतीत न करें इसलिये जितना जल्दी हो सके इस कचरा डिपो को वहां से निश्चित रूप से हटाया जाना चाहिये।

इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में और विशेषकर मुस्लिम इलाकों में बूचड़खाने की बड़ी जबरदस्त समस्या है। आज जयपुर शहर में लगभग 500 अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। घनी आबादियों में भी बूचड़खाने चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : 500 ?

श्री कालीचरण सराफ : हां, 500 वैध और अवैध मिलाकर बता रहा हूं। और मोती डूंगरी रोड पर जहां इतनी घनी आबादी है, वहां पर कई सालों से बूचड़खाना चल रहा है। मांस के लोथड़े जगह-जगह पड़े रहते हैं। मरे हुए जानवरों की खालें, खून टपकता रहता है। जब खालें वहां से जाती हैं। मेरा कहना यह है कि यह बूचड़खाने तुरन्त प्रभाव से घनी आबादियों के बीच में से हटाये जाएं और ऐसी जगह पर बूचड़खानों का निर्माण किया जाए जो आबादी से दूर हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई सालों

(श्री कालीचरण सराफ)

पहले संजय मार्केट का जयपुर शहर में निर्माण किया गया था। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। जयपुर की जनता में इस आशा और विश्वास के साथ कि जिस प्रकार बापू बाजार, इन्दिरा बाजार, नेहरू बाजार अपने पूरे यौवन पर चल रहे हैं। उसी प्रकार से संजय मार्केट भी चलेगा, वहाँ नीलामी में दुकानें खरीदीं। किसी ने 5 लाख में खरीदी, किसी ने 7 लाख में खरीदी, किसी ने 10 लाख में खरीदी। परन्तु आज इतने साल उस मार्केट को बने हो गये परन्तु उस मार्केट का समुचित विकास नहीं हो पाया है। उसका केवल एक मात्र कारण यह है कि उस मार्केट में 4–5 मकानों का डिस्प्यूट चल रहा है। पहले तो नगर निगम उन मकानों को इसलिए नहीं हटा सकता था कि कोर्ट में उनका केस चल रहा था अब एक साल हो गया, कोर्ट ने भी उनका मुआवजा तय कर दिया। उन्होंने भी स्टे आर्डर हटा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि संजय मार्केट के बीच में अवरोध के रूप में खड़े हुए इन 5–7 मकानों को उचित मुआवजा देकर यदि हटा दिया जाए तो यह मार्केट जहां करोड़ों रुपया जयपुर के व्यापारियों का फंसा हुआ है, वह मार्केट अच्छा चल सकता है और एक अच्छा मार्केट जयपुर में हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : बस ?

श्री कालीचरण सराफ : साहब, अभी तो शुरू ही नहीं किया। क्या कर रहे हो साहब ?

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट में कह दो आप।

श्री कालीचरण सराफ : 5 मिनट में तो नहीं होगी साहब नहीं, तो मैं बैठ जाता हूं। टाइम लगेगा साहब।

इसी प्रकार से जयपुर शहर के बीच में आतिश मार्केट, "महारानी गायत्री देवी मार्केट", के नाम से एक मार्केट स्थित है। यदि आपने कभी उस मार्केट को देखा हो तो बीच में जो मैदान है वहां पर इस बेतरतीब तरीके से लोगों का सामान पड़ा है कि वह गन्दगी का ढेर नजर आता है। जयपुर शहर, में पार्किंग की बड़ी जबरदस्त समस्या है। आज चांदपोल गेट से लेकर और सूरजपोल गेट तक कहीं पर कोई पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि आतिश मार्केट के व्यापारी भी इस बात के लिये तैयार है कि यदि बीच के मैदान में अण्डर ग्राउंड पार्किंग देकर, वहां के व्यापारियों को दुकाने निर्मित करने की इजाजत दे दी जाए तो हमारी पार्किंग की समस्या भी हल हो जाएगी, जो मार्केट कचरे का घर बना हुआ है उसकी सफाई भी रहेगी और व्यापारियों को दुकानें भी मिल जाएंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर शहर के चाहे जौहरी बाजार में चले जाएं, चाहे चांदपोल बाजार में चले जाए या किसी भी बाजार में चले जाए, हर बाजार में दो–दो, तीन–तीन मंजिल के मकान बने हुए हैं दुकानों के ऊपर। परन्तु बापू बाजार इन्दिरा बाजार और नेहरू बाजार, किस

(श्री कालीचरण सराफ)

कारण से और क्यों मेरी समझ में नहीं आता कि वहां दूसरी मंजिल बनाने की इजाजत नहीं है ? और परिणाम क्या हो रहा है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधान सभा के चुनाव होते हैं या नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उनमें से कुछ दुकानों के ऊपर दूसरी मंजिल चढ़ जाती है, क्योंकि उस समय कोई तोड़ने नहीं जाता। आज यह स्थिति है कि हम तो नक्शा पास नहीं करते, हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रही और 50 प्रतिशत से ज्यादा दुकानों पर दूसरी मंजिल बन गयी। मेरा कहना यह है कि करोड़ों रुपये की रेवेन्यू का लोस जयपुर शहर के नगर निगम को हो रहा है। यदि मंत्री महोदय इनके नक्शे स्वीकृत कर दें, दूसरी मंजिल बनाने की इजाजत दे दें तो एक तो सब व्यवस्थित रूप से बनेंगे और करोड़ों रुपये की आय नगर निगम को होगी।

(17.00)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को इस बात के लिये तो साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वायत्त शासी संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। अब नगर निगम बिना राज्य सरकार की अनुमति के एक करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है। नगर परिषदें 50 लाख रुपये तक का व्यय कर सकती हैं, जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकती हैं और छोटी नगर पालिकाएं 5 लाख रुपये तक खर्च कर सकती हैं। परन्तु मैं इसके साथ–साथ यह भी कहना चाहूंगा कि आज जन प्रतिनिधि चुनकर तो आ गये और वे दिन रात काम भी करते हैं, परन्तु उनके लिये भत्तों की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि नगर निगम में जो जन प्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनको कम से कम 3 हजार रुपये प्रतिमाह, जो नगर परिषदों में चुनकर आए हैं उनको कम से कम 2 हजार रुपये, जो जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं हैं उनको कम से कम एक हजार रुपये और छोटी नगर पालिकाओं में जो चुनकर आए हैं उनको 5 सौ रुपये प्रतिमाह यदि मानदेय के रूप में दिये जाएं तो निश्चित रूप से वे सुगमता के साथ यह कार्य कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर, कोटा और जोधपुर में नगर निगम तो बना दिये गये हैं परन्तु अभी तक कारपोरेशन एक्ट का निर्माण नहीं हुआ है। कारपोरेशन एक्ट का निर्माण नहीं होने के कारण, आज नगर परिषद का बोर्ड हटाकर नगर निगम का बोर्ड तो लग गया, परन्तु नगर निगम में वास्तव में जो अधिकार होने चाहिए, आज दिल्ली नगर निगम को जो अधिकार प्राप्त हैं या मुम्बई में जो अधिकार प्राप्त हैं, या कलकत्ता में अधिकार प्राप्त हैं या बैंगलोर में जो अधिकार प्राप्त हैं, उनसे नगर निगम महरूम है। छोटी–छोटी बातों के लिये उनको राज्य सरकार के पास जाना पड़ता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : जैसे, कोई बता दो।

श्री कालीचरण सराफ : मैं बता दूंगा।

जैसे आज नियमन के अधिकार, किसी छोटे से छोटे कर्मचारी के ट्रांसफर का

(श्री कालीचरण सराफ)

अधिकार भी उसके पास नहीं है। आज आर. ए. एस. अफसर बैठा है, डायरेक्टर लोकल बाडीज। जयपुर शहर के प्रथम नागरिक का दर्जा तो हमने महापौर को दे दिया परन्तु उनको हर चीज के लिये डायरेक्टर लोकल बाडीज के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वह आदेश दे तो हो जाए, नहीं दे तो नहीं दे। अब बजट की स्वीकृति है, पिछली बार नगर निगम ने अपने बजट में यह प्रावधान कर दिया था कि सदस्यों को भत्ता दिया जाएगा। डायरेक्टर के पास गये। तो नगर निगम स्वयं सेवी संस्था हो और उनको ये सारे अधिकार मिलें इसके लिये आवश्यक है कि कारपोरेशन एक्ट का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो मनोरंजन कर दिया जाता है उसके बारे में घोषणा की कि "मनोरंजन कर से अर्जित राजस्व में से वर्तमान में केवल 60 नगरपालिकाओं को ही इसका अंशदान मिल रहा है जबकि राज्य की कुल 182 नगरपालिकाओं में से 122 इससे पूर्णतया वंचित रही हैं। इनमें से अधिकांश नगरपालिकाओं में अब सिनेमा घर बन गये हैं। नगरपालिकाओं को विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं, वर्तमान में अंशदान प्राप्त कर रही नगरपालिकाओं की इस राशि को तीन गुना बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। जिन नगरपालिकाओं को अंशदान नहीं मिल रहा है, उनके क्षेत्र से वर्तमान में प्राप्त हो रही मनोरंजन कर राशि का 25 प्रतिशत भाग प्रथम चरण में उन्हें दिया जाना प्रस्तावित है।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्व में यह व्यवस्था थी कि जितना मनोरंजन कर मिलता था, वह पूरा का पूरा इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को दे दिया जाता था, परन्तु फिर यह व्यवस्था कर दी गयी कि 1970 में जितना मनोरंजन कर मिलता था, केवल उतना ही दिया जाएगा। क्यों? आज जयपुर शहर में मनोरंजन कर से जितनी राशि प्राप्त होती है, वह यदि यहां के नगर निगम को मिले तो उसके आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे। आज कोटा के नगर निगम को यदि वहां के मनोरंजन कर की सारी राशि मिलती है तो वहां के आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो इन्होंने घोषणा की है कि हम तीन गुना कर रहे हैं, यह अपर्याप्त है और जो 25 प्रतिशत राशि की बात की, यह भी अपर्याप्त है। जिनका मनोरंजन कर–जिस स्वायत्त शासी संस्था के इलाके का मिलता है, निश्चित रूप से वह उसको मिलना चाहिए।

यह तो मैंने नगर निगम के बारे में आपके सामने कुछ बातें कहीं। अब मैं जयपुर विकास प्राधिकरण के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

जयपुर शहर में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगर में आवास, पर्यावरण, यातायात एवं जल निकासी की पेचीदा समस्याओं के निराकरण के लिये 16 जुलाई, 1982 को जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी। जे.डी.ए.

(श्री कालीचरण सराफ)

की स्थापना के 15 वर्षों के बाद यदि जे. डी.ए. के कामों की समीक्षा की जाए तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि यहां कांग्रेस के राज में जयपुर विकास प्राधिकरण को जयपुर विनाश प्राधिकरण के नाम से जाना जाता था और विकास का कोई काम जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से नहीं होता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से जयपुर विकास प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष शहरों के सुधारीकरण के क्रम में 50 किलोमीटर सड़कों पर साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से पेवर का काम जयपुर विकास प्राधिकरण ने करवाया है। यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष 91 किलोमीटर नयी सड़कों का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हुआ है और 3 करोड़ 27 लाख रुपये इसमें खर्च किये गये हैं। एक करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से 27 किलोमीटर नालियों का निर्माण जे.डी.ए. के माध्यम से हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में कई रेलवे क्रासिंग्स पर ओवर-ब्रिज बनाने की मांग कई सालों से चली आ रही थी। चाहे वह झोटवाड़ा हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू मार्ग हो, चाहे मालवीय नगर हो और चाहे गोपालपुरा बाईपास हो। मैं इस बात के लिये माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ष झोटवाड़ा रेलवे क्रासिंग्स पर 12 करोड़ 50 लाख की लागत से, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मालवीय नगर में 13 करोड़ की लागत से और गोपालपुरा बाईपास रेलवे फाटक पर 13 करोड़ 50 लाख की लागत से ओवर ब्रिज बनाने का काम आरम्भ किया है, राशि स्वीकृत की है। आज मुझे खुशी है कि जिस तेज गति से 24 घंटे वहां काम चल रहा है, इस वर्ष के अन्त तक ये तीनों ओवर ब्रिज बन जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। काफी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखनी है अभी।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, केवल 5 मिनट।

श्री अध्यक्ष : 16-17 मिनट हो गये।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर के बारे में मैं अकेला ही बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट प्लीज।

इसी प्रकार मालवीय नगर के दक्षिण भाग में अण्डर-ब्रिज की मांग कई सालों से चली आ रही थी। मैं जे.डी.ए. के अधिकारियों को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं मंत्री महोदय को साधुवाद देना चाहूंगा कि उस अण्डर-ब्रिज का निर्माण भी बड़ा युद्ध स्तर पर चल रहा है और निश्चित रूप से यह भी जल्दी पूरा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई सालों से यह मांग चली आ रही थी, जन प्रतिनिधियों ने भी यह मांग की थी कि जयपुर शहर में जिस प्रकार से जनसंख्या का

(श्री कालीचरण सराफ)

दबाव बढ़ रहा है, मुम्बई पैटर्न पर, आसपास के कस्बों को सैटेलाइट टाउंस में कंवर्ट किया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछली बार जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस ओर कदम उठाए हैं और 8 करोड़ रुपये इस बात के लिये स्वीकृत किये हैं तथा चौमूं, शिवदासपुरा, अचरोल, रामगढ़, बस्सी तथा बगरू इन 6 कस्बों सैटेलाइट टाउंस में कंनर्ट करने की मांग इन्होंने मानी है। वहां पर विकास के काम हो रहे हैं।

इसी प्रकार से जयपुर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, जो आगरा रोड पर स्थित है, वहां पर जब से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हुआ है, तब से एक बार भी सड़कों का पुर्ननिर्माण नहीं हुआ। कई सालों से वहां के व्यापारी और जन प्रतिनिधि यह मांग कर रहे थे कि इस ट्रांसपोर्ट नगर के चारों ओर चार दीवारी बननी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार 3 करोड़ 92 लाख रुपये जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिये स्वीकृत किये और वहां पर सड़कों का पुर्ननिर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। जयपुर शहर में एक ट्रांसपोर्ट नगर अपर्याप्त है। कई सालों से यह मांग चल रही थी कि जयपुर शहर में कम से कम 3 ट्रांसपोर्ट नगर और बनने चाहिए। इसके लिये भी जे. डी. ए. ने योजना स्वीकृत की है तथा अजमेर रोड पर 138 बीघा क्षेत्रफल में, आगरा रोड पर 200 बीघा क्षेत्रफल में और सीकर रोड पर 500 बीघा के क्षेत्रफल में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की राशि स्वीकृत हुई है और यह कार्य चालू हो गया है। निश्चित रूप से इससे जयपुर को फायदा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री अमरारामजी।

श्री कालीचरण सराफ : 5 मिनट तो बोलने दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : 20 मिनट से ऊपर हो गये।

श्री कालीचरण सराफ : बस 5 मिनट और बोलूंगा। जयपुर की प्राब्लम्स पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर जयपुर से कोई नहीं बोलेगा?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : ये अपने क्षेत्र की बात बोल रहे हैं और हमको बोलना हो तो आप रोक देंगे? इनको बोलने दीजिए, हमको भी, बोलने दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर की समस्याओं पर बोल रहा हूं, साहब। इस सत्र में तो पहली बार बोल रहा हूं, 5 मिनट तो बोलने दीजिए, प्लीज।

जहां जे.डी.ए. ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं कुछ इस प्रकार की जयपुर शहर की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनका निराकरण अब भी सम्भव नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय

(श्री कालीचरण सराफ)

जयपुर शहर की सबसे प्रमुख समस्या कच्ची बस्ती निवासियों की है। लगभग 4 लाख लोग जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं और यह प्रमुख समस्या है। सबसे पहले 1971 में कच्ची बस्तियों का सर्वे हुआ। 73 कच्ची बस्तियों में 15163 परिवारों का सर्वे उस समय किया गया और यह तय किया गया कि जो सर्वेधारी हैं, उनको हम 110 वर्गगज के प्लाट देंगे। उसी प्रकार से 1981 में पुनः सर्वे हुआ। 142 कच्ची बस्तियों में 1971 और 1981 के मिलाकर 42816 सर्वेधारी परिवार पाये गये। जे.डी.ए. ने अभी तक 1971 में सर्वे हो गया, 1981 में सर्वे हो गया, इन 42816 सर्वेधारी परिवारों में से आज तक केवल 33 हजार परिवारों को समुचित रूप से बसाया है, इनका नियमन किया है और आज भी दस हजार परिवार इस प्रकार के हैं, जो नियमन के इन्तजार में बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने लोकसभा चुनावों के पहले यह घोषणा की थी कि 1991 की वोटर लिस्ट के आधार पर सर्वे करवाया जाएगा। जब यह घोषणा की गयी तो इसकी चारों ओर प्रशंसा की गयी, परन्तु इस घोषणा के नौ–दस महीने बाद भी 1991 के आधार पर सर्वे कब होगा, कितना भूखण्ड उनको दिया जाएगा, किस रेट पर दिया जाएगा, उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि 1991 की वोटर लिस्ट के आधार पर जो सर्वे घोषणा राज्य सरकार ने की है, यह अपर्याप्त है क्योंकि अब हमारे पास 1996 की वोटर लिस्ट उपलब्ध है और इस कच्ची बस्ती की समस्या का स्थाई समाधान करने के लिये यह आवश्यक है कि हम 1996 की वोटर लिस्ट के आधार पर सर्वे के आदेश प्रदान करें। सर्वे में कितनी जमीन दी जाएगी, किस रेट पर दी जाएगी, इस बात का निर्णय लें। आज तक जितने भी सर्वे हुए हैं, वे राज्य सरकार की भूमि पर जो कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं, उनका ही सर्वे हुआ है। अब कई इस प्रकार की निजी भूमियां भी हैं जहां पर कच्ची बस्तियां बस गयीं। जैसे यूनिवर्सिटी में मोहनलाल सुखाड़िया कच्ची बस्ती के नाम से एक कच्ची बस्ती है, 1964 से बसी हुई है और वहां पर 2000 नागरिक रहते हैं। पृथ्वीराज रोड पर, रामबाग वाले भवानी सिंह रोड पर कठपुतली नगर बसा हुआ है, पांच हजार लोग उसमें रहते हैं पर क्योंकि वह प्राइवेट लैंड पर बसी हुई है, उसका सर्वे नहीं होता। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब इस बार सर्वे करवाया जाए तो जो निजी भूमि पर बसी हुई कच्ची बस्तियां हैं, वे भी गरीब लोग हैं, वे भी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके पास भी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है तो निश्चित रूप उनको भी सर्वे में शामिल किया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये अब। माननीय अमरारामजी।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष : 22 मिनट हो गये।

श्री कालीचरण सराफ : हो गये तो पांच मिनट तो आपने खराब कर दिये मेरे।

श्री अध्यक्ष : मैं एक-एक नोट कर रहा हूं। यूं नहीं करें।

श्री कालीचरण सराफ : साहब, बोलने दो।

श्री अध्यक्ष : अभी कम से कम 20 माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर के लिये पहला ही तो बोल रहा हूं मैं और पहली बार बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : चलिये, बोलिये। दो मिनट और बोल लीजिये।

श्री कालीचरण सराफ : दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या आज जयपुर शहर में है, वह है कृषि भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से जो विकसित कॉलोनिज हैं, उनके नियमन की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। कम से कम पांच लाख नागरिक जयपुर के इन गृह निर्माण सहकारी समितियों की कॉलोनिज में रहते हैं। 1981 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने समाचार पत्रों के माध्यम से बड़े-बड़े विज्ञापन दिये और उन्होंने घोषणा की थी कि रूपान्तरण शुल्क जमा करवाओ और नियमन करवाओ। जयपुर की जनता उनके चक्कर में आ गयी। 28 करोड़ रुपये उन्होंने 1981 में जमा करवाये। परन्तु मुझे अत्यन्त खेद है कि 28 करोड़ रुपये 1981 में जमा करवाने के बाद भी, 16-17 साल हो गये आज तक उनका नियमन नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने इस समस्या के समाधान की कोशिश की और यह घोषणा की कि 31 मार्च, 1982 तक जितने भी लोगों ने कन्वर्जन जमा करवा दिया और 1981 तक एग्रीमेंट टू सेल से जिन्होंने जमीन ले ली, उनका नियमन कर दिया जाएगा। जयपुर के नागरिकों ने सोचा कि बहुत बढ़िया हुआ, घोषणा हो गयी, अब तो नियमन होगा ही। परन्तु नियमन कैसे हुआ, यह मैं आप को बताना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि 102 गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से 1159 योजनाओं के नियमन के लिये लोगों ने आवेदन किया और इनमें से केवल 54 योजनाओं का नियमन हुआ है। 1105 योजनाएं ऐसी हैं, जिनका नियमन अभी तक नहीं हुआ। 1,18,648 भूखण्डधारियों में से मात्र 5,995 भूखण्डधारियों का नियमन हुआ और 1,12,663 भूखण्डधारी आज भी ऐसे हैं, जिनका नियमन नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि जब राज्य सरकार ने घोषणा कर दी, नियमन किया जाएगा, 1981 के पहले के जितने लोग हैं, सबका ही नियमन किया जाएगा तो आखिर कारण क्या है? जे.डी.ए. कहती है कि, साहब, यह भूमि अलवर में है, यह भूमि सीलिंग में है, इसका लैंड यूज दूसरा है, यह ग्रीन बैल्ट में आती है, इनका नियमन नहीं हो सकता। हजारों, लाखों लोग चक्कर लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या एक लाख मकान प्रजातन्त्र में तोड़ना सम्भव है? और यदि तोड़ना सम्भव नहीं है तो इनका नियमन नहीं करने के कारण आज वे जे.डी.ए. के अधिकारियों के अत्याचार के शिकार हो रहे हैं। आज उनको नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आज कोई भी इस प्रकार की कॉलोनी में मकान बनाता है, जे.

(श्री कालीचरण सराफ)

डी.ए. का इंस्पेक्टर पहुंच जाता है। मकान कैसे बना रहे हो, इसका तो अभी नियमन नहीं हुआ। पांच हजार रुपये दक्षिणा दी, मकान बना लिया। यानि, भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के चुंगल से इन भूखण्डधारियों को निश्चित रूप से निकाला जाना चाहिये। आज गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से इनका नियमन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि वह जे.डी.ए. को निर्देश दे, जे.डी.ए. ऐसे भूखण्डधारियों का सर्वे करवाये, उनसे गृह निर्माण सहकारी समितियों के पट्टों को अपने कब्जे में ले, उनको जे.डी.ए. के पट्टे दे और अपना निर्धारित शुल्क लें, जिससे कि सबका नियमन हो सके और जयपुर शहर की यह प्रमुख समस्या जो कई सालों से चल रही है, उससे निश्चित रूप से लोगों को निजात मिले।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी समस्या जयपुर शहर की यह है कि हमारा जयपुर विकास प्राधिकरण आनन-फानन में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा करता है। पिछली बार घोषणा की कि नया जयपुर बनाया जाएगा। साठ हजार बीघा जमीन किसानों से लेकर नया जयपुर बनाया जाएगा। किसानों ने विरोध किया। उस योजना को वापस लेना पड़ा। फिर घोषणा की गयी कि पृथ्वीराज नगर योजना बनायी जाएगी। 11,000 बीघा जमीन पर। दस हजार वहां पर मकान बन गये, उनका क्या होगा? जो पन्द्रह हजार किसान उसमें रहते हैं, उनका क्या होगा? उनके बारे में कोई योजना नहीं है। वह अधर में लटकी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि इन बड़ी योजनाओं के चक्कर में जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं पड़ना चाहिये। दो-दो, तीन-तीन हजार मकानों की छोटी-छोटी योजनाएं यदि जयपुर विकास प्राधिकरण बनाये तो उनका क्रियान्वयन निश्चित रूप से किया जा सकता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब कोई भी आवासीय योजना की घोषणा जयपुर विकास प्राधिकरण करता है तो किसानों को पच्चीस हजार रुपये बीघा के हिसाब से पैसे देंगे। क्यों? जब जयपुर विकास प्राधिकरण उस कॉलोनी का निर्माण करके बाजार मूल्य के हिसाब से भूखण्डधारियों को मकान देगा तो किसानों के साथ यह अन्याय क्यों? मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि, मंत्री महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण हो, चाहे आवासन मण्डल हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे अन्य कोई संस्था हो, यदि किसी भी काम के लिये किसानों से जो भूमि अवाप्त की जाती है, उनको निश्चित रूप से बाजार भाव से उस भूमि का पैसा देना चाहिये। जब बाजार भाव से उनको पैसा देंगे तो वे अपनी भूमि को सरेण्डर करने में विरोध नहीं करेंगे, उनसे हम भूमि निश्चित रूप से ले सकेंगे और वहां पर कॉलोनीज का निर्माण हो सकेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समस्या जयपुर शहर की बाई-पास रोड की है। आज जितने भी बाई-पास जयपुर शहर में निकल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आज ही सारी समस्याओं का निपटारा करवाना चाह रहे हो क्या?

श्री कालीचरण सराफ : आज ही है साहब, नगर आयोजना पर।

जो बाई-पास जयपुर शहर में निकल रहे हैं, वे सब आज घनी आबादियों के बीच में आ गये। जैसे दिल्ली बाई-पास रोड जो जवाहर नगर कच्ची बस्ती और जवाहर नगर के बीच में से निकलता है, वहां पर आये दिन एक्सीडेन्ट होते हैं। आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की मौतें होती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली पैटर्न पर जयपुर शहर में रिंग रोड का निर्माण किया जाए, रिंग रोड का निर्माण बस्ती से दूर किया जाए और इन बाई-पासों को जितनी जल्दी हो सके, निश्चित रूप से उनको स्थानांतरित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में आपको जानकारी होगी कि आठ बड़े नाले हैं। उनकी कभी सफाई नहीं होती और भगवान की दया से 1981 के बाद कभी बाढ़ भी नहीं आयी। आज उन नालों के अन्दर कच्ची बस्तियां बस गयी हैं। हजारों लोग उन नालों के अन्दर झोंपड़ियां बनाकर रह रहे हैं। भगवान नहीं करे, 1981 जैसी यदि कभी बाढ़ आ गयी तो उन परिवारों का क्या होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो कस्बों में बसी हुई बस्तियां हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से स्थानांतरित किया जाए और उनको व्यवस्थित रूप से कहीं अन्यत्र बसाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बात और कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब एक ही कहनी है।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर शहर में कई बड़े-बड़े काम्प्लैक्सेज बन गये, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गयीं। अब जे.डी.ए. के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी उनको तोड़ने पहुंच जाते हैं कि यह अवैध बन गयीं, इनको हम तोड़ेंगे। एक दिन में तो कोई बिल्डिंग बनी नहीं। किसी बिल्डिंग को बनने में चार साल लगे होंगे, किसी बिल्डिंग को बनने में पांच साल लगे होंगे। वह बिल्डिंग बनी कैसे? किस अधिकारी के कारण वह बिल्डिंग बनी, उसकी तरफ तो कोई जाता नहीं। यहां माया कोन्टिनेंटल होटल, कलक्टरी रोड पर पहुंच गये, चार करोड़ की बिल्डिंग है, जे.डी.ए. और नगर निगम के अधिकारी पहुंच गये कि हम इसको तोड़ेंगे। हमने पूछा कि क्यों तोड़ोगे? बोले साहब, यह गलत बनी हुई है। गलत बन गयी तो एक दिन में तो बनी नहीं, कई साल इसको बनने में लगे होंगे। मेरा कहना यह है कि जो इस प्रकार की लगभग 300 बिल्डिंग्स जयपुर शहर में हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि यह अवैध रूप से बन गयीं, जिसके नक्शे पास नहीं हैं, उन पर आप पैनल्टी इम्पोज कीजिये और आपको कोई उनसे राशि लेनी हो तो वह राशि लीजिये पर उनको निश्चित रूप से रेगुलराइज किया जाना चाहिए। क्योंकि 200 बिल्डिंग्स इस प्रकार की यदि जयपुर शहर में तोड़ी गयीं तो यह नेशनल वेस्टेज होगा, करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। यह बिल्डिंग्स जिन अधिकारियों के जमाने में बनी उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। उनके खिलाफ तो कोई कार्यवाही होती नहीं है और बिल्डिंग तोड़ने के लिए अधिकारी पहुंच जाते हैं। यह बिल-

(श्री कालीचरण सराफ)

कुल गलत है और इस प्रकार की परम्परा जयपुर शहर में नहीं चलने दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए जो पुलिस दस्ता और सतर्कता दस्ता जे. डी. ए. ने रख रखा है उस पर सात लाख रुपया प्रति माह खर्च होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी क्या आवश्यकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे जो काम्प्लैक्सेज बने हुए हैं उनको रेगुलराइज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप। काफी बोल लिया आपने। अच्छा बोले, बहुत अच्छा। अब यह बहुत हो गया। बाद में कहना आप। श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी और इंदिरा गांधी नहर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। काफी अर्से से इंदिरा गांधी नहर का कार्य चालू है और बाड़मेर जिले में इंदिरा गांधी नहर को लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यही मांग करता हूं कि आप इस इंदिरा गांधी नहर को गडरा तक कब तक ले जायेंगे ? क्या एक साल-डेढ़ साल में गडरा तक पानी पहुंच जायेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं और मांग करूंगा कि यह जो पोकरण लिफ्ट कैनाल है इसका भड़ियाणा से होकर उतरणी तक का कभी कोई सर्वे हुआ था ? नाचना से पोकरण, पोकरण से भड़ियाणा और भड़ियाणा से उतरणी बाड़मेर जिले में सर्वे हुआ था ? यदि पहले हुआ था तो उसके बाद आज तक क्या कार्यवाही हुई ? पिछले 15 साल पहले उतरणी तक सर्वे किया गया था कि यह लिफ्ट कैनाल है वह नाचना से पोकरण, पोकरण से भड़ियाणा और लीक नदी, बहुत पुरानी लीक नदी जो लूणी नदी के अन्दर जाकर मिलती है, उस लीक नदी के सहारे-सहारे नहर लाने का जो कार्यक्रम था वह कार्यक्रम ड्राप कर दिया या अभी भी आप यह विचार करते हैं कि इसको प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि किया जायेगा तो कब प्रारम्भ किया जायेगा ? अध्यक्ष महोदय, जब तक इंदिरा गांधी कैनाल का पानी बाड़मेर जिले में नहीं आयेगा तब तक हम चाहे पेयजल की समस्या पर कितने ही करोड़ों रुपये खर्च कर दें, स्थानीय नलकूपों से हम पानी खोद-खोद कर, जमीन में से निकाल कर ढाणियों में, गांवों में पहुंचाएं, कभी भी हम भविष्य में आगे चलकर सफल नहीं होंगे, हमारा यह पैसा बहुत सालों तक बरबाद होता रहेगा। इसलिये हमें दूरगामी योजनाएं बनानी पड़ेगी और वह योजना है इंदिरा गांधी नहर योजना के माध्यम से लिफ्ट कैनाल बाड़मेर जिले के अन्दर गडरा तक पहुंचाना। और यह लिफ्ट कैनाल लीक नदी होते हुए, उतरणी होती हुई, दूदवा होती हुई सीधी लूणी नदी में मिलायें तभी पूरे रेगिस्तान के लोगों को पानी उपलब्ध होगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो भूमि बंजर पड़ी हुई है वहां पर आबादी ज्यादा नहीं है, यह जो आबादी बढ़ रही है वह भी वहां बस जायेगी और हरियाली होगी। यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री अमराराम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में कुछ पहाड़ भी हैं। आपने एनीकट भी बनाये हैं, लूणी नदी के तटबंदी भी बनायी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

एक हमारा बांध है वरियावरेछा बांध, जिस पर आठ लाख की लागत आयी है। कोई ज्यादा लागत नहीं है। यह पहले बना हुआ था और 1990 की बाढ़ आयी उसमें यह टूट गया। इसकी आप शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें। इस बांध के बन जाने से इसके पेटे में जो कुएं होंगे उनसे आस-पास के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था हो सकेगी और खास तौर से मल्लीनाथजी का तिलवाड़ा में जो विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है, वहां भी पानी वरियावरेछा के कुओं से जाता है, वह पर्याप्त हो सकेगा। इसलिए यह बांध बनाया जाए। यह मेरी मांग है।

लूणी नदी का पानी जब इसमें बाढ़ आती है या कभी दस-दस फुट पानी आता है तो यह कच्छ की खाड़ी में होकर समुद्र में गिर जाता है। इतना कीमती पानी सारा चला जाता है। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों ने 18 करोड़ की यह योजना बनायी है लूणी बेसन योजना, इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? मेरा यह कहना है कि पानी बेकार जाता रहता है। सिणधारी के पास लूणी नदी एक माइल लम्बी है। एक जगह इसकी एक किलोमीटर चौड़ाई है, दूसरी जगह बहुत सकड़ी हो जाती है, करीबन दो सौ-चार सौ फुट। चारों तरफ पक्के किनारे आ जाते हैं। या तो वहां से यह पानी कच्छ में जा रहा है, समुद्र में गिरता है, उसको रोक कर मोरणिया के पार और इधर बांध बन सकता है। यदि आप यह भी नहीं बनायें तो कम से कम लूणी नदी के बीचों बीच जगह-जगह आधा-आधा किलोमीटर से आप दीवार बनायें जो दो-चार फुट ऊपर हों। एक बार चीफ इंजीनियर, श्री दवे कह रहे थे कि आपके स्टुडेंट्स हैं, यह लूणी नदी बहुत ऊपर आ रही है, पानी बाहर जा रहा है, फ्लड आ रहा है, इसको आप गहरी क्यों नहीं करवा देते हो। मैंने कहा, यह विद्यार्थियों से गहरी नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा, इसको आप गहरा करवा दो। मैंने कहा कि पहले गहरी थी, धीरे-धीरे बाढ़ आयी, धोरों की रेत आने से लूणी नदी की गहराई कम हो गयी। तो आप कम से कम जो पानी जा रहा है, उसमें पांच-पांच, दस-दस फुट पानी चला जाता है, दोनों किनारों पर कुएं हैं उसके कारण से वहां के लोग हरे-भरे हैं और उन लोगों की हालत थोड़ी ठीक है, आप दोफुट, चार फुट दीवार बना दें, लम्बी दीवार हो जायेगी, चौड़ी हो जाएगी तो बाद में जब लूणी नदी का पानी धीरे-धीरे जायगा तो वो रुकेगा। ऐसे आधा-आधा किलोमीटर में वह पानी रुक जायेगा और कम से कम छह महीने, बारह महीने रहेगा। इससे आस-पास के दोनों किनारे के कुओं में पर्याप्त पानी मिलेगा, उनका पानी सूखेगा नहीं। यह मेरी मान्यता है।

मैंने यह देखा है कि समदड़ी से करमावास की रपट बनी हुई है और रपट के

(श्री अमराराम चौधरी)

कारण से पानी उधर रुकता है और रुकने के कारण कुएं हो गये। वहां नदी के अन्दर कुएं खोदकर काश्तकार अपनी फसल को पानी पिला रहे हैं। मीलों तक पानी ले जा रहे हैं। थोड़ी-सी रुकावट होगी, पानी एकदम नहीं जायेगा और धरती के अन्दर जो पानी जायेगा उससे हमारे कुएं गहरे होंगे, खेती ज्यादा होगी, काश्तकारों की हालत अच्छी होगी। इसके लिए आप सर्वे करवायें और लूणी नदी का जो पानी बेकार जा रहा है उसको समुद्र में नहीं जाने दिया जाए। वह कुछ रुके और बाड़मेर को ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिले।

सड़कों के बारे में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दो-तीन रोड्स तो बना दी हैं लेकिन आपके कुछ नोर्म्स ऐसे हैं, मार्च से पहले प्रस्ताव नहीं भेजो, पांच किलोमीटर से ज्यादा सड़क नहीं बने या दो किलोमीटर हो। हमारे तो गांव ही दूर-दूर हैं, अब दो किलोमीटर में कौनसा गांव और कौनसी जगह मिलेगी? इसलिये मेरा निवेदन है कि बाड़मेर के लिये जो नोर्म्स हैं, उनमें आप कुछ परिवर्तन करें तो हमारी सड़कें बन सकती हैं अन्यथा नहीं बन सकती।

नगर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ बालोतरा के लिये किया है और वैसे बालोतरा को मिनि बॉम्बे कहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है आपकी कृपा से। अब आप कुछ मदद कर सकते हैं, ताकि इसका सौन्दर्यीकरण और बढ़े। बालोतरा दोनों तरफ विभाजित हो गया है। बीच में लूणी नदी है। इसके पुल के लिये आप पैसा दे सकते हैं आपके फण्ड्स से तो दें। पुल के बिना हम दूसरी तरफ जा नहीं सकते, कट-ऑफ हो जाते हैं। आप भी कुछ मदद करें, कुछ पी. डब्ल्यू. डी. विभाग भी मदद करे ताकि यह पुल बन जाए और शहर सुन्दर बन जाए। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री मदान साहब।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहले सिंचाई पर माननीय देवीसिंह जी भाटी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय, मैं आज बहुत वेदना, पीड़ा और कुंठा के साथ अपनी बात कह रहा हूं और मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक से अधिक बार निरन्तर लिफ्ट स्कीम के बारे में, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करता चला आ रहा हूं। इस सदन में भी (व्यवधान) आपको कुछ बोलना है तो पहले आप बोल लो मैं बैठ जाता हूं। आप बोलेंगे मंत्री महोदय?

श्री मदन दिलावर : (राज्य मंत्री समाज कल्याण) नहीं, नहीं।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : यह तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : तो फिर आप शांत रहें मेहरबानी करके।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह निरन्तर तीसरा वर्ष है मुझे अपनी बात कहते-कहते और पिछली बार भी मैंने माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और मैंने कहा था कि, मान्यवर, जब आप कैथून पधारे थे, आपने वहां उन कस्बों की स्थिति देखी थी। ज्ञान सिंह जी चौधरी उसका इंस्पेक्शन कर आये हैं, चीफ इंजीनियर उसका इंस्पेक्शन कर आये हैं। एक ज्वाइंट कमेटी की बैठक हो गयी। देवीसिंह जी साहब वहां पर चले गये और संध्या का समय था, अग्नि समा हो रही थी और उस समय इन्होंने यहां तक भी कहा कि, बन्धुओं, सूर्य को साक्षी रखकर में कहता हूं कि मुझ से जो कुछ भी बन सकेगा, मैं आपके लिये जरूर करूंगा। पिछली बार तो इसी सदन में पूरे विश्वास के साथ इन्होंने मुझसे यह कह दिया कि, आपके लिफ्ट स्कीम की योजनाएं बनेंगी। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एक विधायक के धैर्य की परीक्षा कहां तक लेना चाहते हैं? अगर मर्यादाओं का खण्डन होता है तो अविश्वास की बात आती हैं और मर्यादाओं के बीच में अगर रहते हैं और अपनी बात को नहीं कह पाते तो उन लोगों के प्रति, जिनके प्रति हमारा कुछ नैतिक दायित्व बनता है, जिनकी मेरी सभाओं में हमने साफे बांधकर घोषणाएं करायी, जिन्होंने हमारा स्वागत किया और स्वागत के बीच में हम लोगों पर कुछ विश्वास किया। मेरे इलाके के सांसद महोदय जसवंत सिंह जी इस बात को एक से अधिक बार कह चुके लेकिन एक लेटर हिण्डरेंस आ सकता है। मैंने मुख्य मंत्री महोदय को भी दो पत्र दिये हैं इसके बारे में। एक लेटर है, 12 सितम्बर, 1988, का। तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय, माननीय शिवचरण जी माथुर ने एक लेटर भेज दिया कि कोई भी लिफ्ट स्कीम बिना मुख्य मंत्री की अनुमति से नहीं बनायी जाए। एक छोटा-सा प्रश्न था। मान्यवर, मंत्रिमण्डल का वह कोई निर्णय नहीं है। वह केवल एक मुख्य मंत्री को जिस आदमी ने कोई सुझाव दिया और वह बात रह गयी। मैं केवल आपसे निवेदन करता हूं, मैं अपनी तरफ से पत्र भेज चुका हूं, मैंने कोई दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर मैंने मस्तक जाकर न झुकाया हो। मैं पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी के साथ सब लोगों के पास गया हूं। एक अंतिम आशा की किरण मेरे पास बची है, और वह है माननीय मुख्य मंत्री जी। उनसे भी समय लूंगा और उनसे यह बात कहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय, जब देवीसिंह जी जैसे मंत्री, जिनके बारे में लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूं कि वह जो कहते हैं, उसका कुछ अर्थ होता है, एक मंत्रिमण्डल का वरिष्ठ सदस्य इस विधान सभा में अपनी बात कह दे और उसकी पूर्ति न हो तो फिर दुःख नहीं होगा क्या?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आम का झाड़ तो नहीं हूं कि आप मुझे पत्थर मारें और मैं मीठे-मीठे आम गिराता रहूं। मैं भी इंसान हूं। मुझे प्यार मिलेगा तो मैं प्यार बांटूंगा और मुझे कड़वाहट मिलेगी तो मैं कड़वाहट बांटूंगा। इसलिये मैं बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आप और इम्तिहान मत लो। क्योंकि हो

(श्री अर्जुनदास मदान)

सकता है कि संवेदनशील व्यक्ति अपनी मर्यादा का कभी खण्डन कर बैठे। इसलिये अन्तिम शब्दों के साथ प्रार्थना करता हूं, याचना करता हूं, अर्चना करता हूं, अभ्यर्थना करता हूं देवीसिंह जी से कि आप मेरे इन शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और जो वचन आपने सदन में दिया था, उसकी पूर्ति करें, नहीं तो फिर ईश्वर जाने क्या होगा।

दूसरी, बात मैं निवेदन करना चाहता हूं अलनिया बांध के बारे में। अलनिया बांध के बारे में मेरा निवेदन है, हालांकि वह ज्ञानसिंह जी के अंडर में आता है लेकिन फिर भी, उनसे भी कृषि के बारे में एक आग्रह करूंगा कि अलनिया बांध की स्थिति बहुत खराब है। जिन गांवों की मैं चर्चा कर रहा हूं, वह अलनिया और कोटा चम्बल के बीच के गांव हैं, केवल 12 गांव हैं, विश्वास कीजियेगा वहां पीने को पानी नहीं मिलता। मैं वह गांव भी जानता हूं जहां पर लिफ्ट स्कीम्स बनायी गयीं। एक जमाना था जब गाड़ियों से वहां पानी पहुंचाया जाता था, यह ध्यान में आता था कि अर्जुनदास मदान को दो मटके मिलेंगे, देवीसिंह जी को चार मटके मिलेंगे और ज्ञानसिंह जी चौधरी को छह मटके मिलेंगे लेकिन लिफ्ट स्कीम बनने के बाद आज वहां हरियाली आयी है। जिन गांवों की मैं यहां पर पैरवी करने जा रहा हूं वह गांव भी उसी स्थिति में हैं और आज वह पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं और उस स्थिति में मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो अलनिया बांध की मरम्मत करावें और जो वचन इस सदन में दिया गया है, उसकी पूर्ति करें। मैंने जो पत्र आपको भेजा है उसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्रीजी को भी दी है, संगठन को भी उसकी प्रतिलिपि भेजी है। मैं कोई भी काम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं करना चाहता, लेकिन, माननीय जैसा मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि परीक्षा जब होती है तो वही भरतजी का दोहा मुझे याद आता है–"मांगहूं भीख छोड़ निज धरमू, आरत काहे न करेऊ कुकमू" आदमी जब परेशान हो जाता है, दुःखी हो जाता है, आहत हो जाता है, हालांकि भरतजी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, दान देना मेरा काम है, दान लेना मेरा धर्म नहीं है लेकिन मैं चूंकि व्यथित हूं, पीड़ित हूं, उपेक्षित हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देवीसिंह का तो काम है दान देने का।

श्री अर्जुनदास मदान : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं आज अर्जुनदास मदान भरत के रूप में, एक भिखारी के रूप में आपसे मांगता है, मुझे आप दें। नहीं तो "आरत काहे न करेऊ कुकमू", दुःखी आदमी किसी भी कुकर्म को कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी बात तो मैं यहां समाप्त करता हूं।

पिछली बार मैंने इनको दो शेर भी सुनाये थे। एक तो यह कहा था, मुझे अभी तक वह याद है, मैं जब बहुत दुःखी हो गया तो मैंने यही कहा था कि "उम्मीदें वफा होगी तुमसे जिन्हें होगी, मुझे तो देखना है यह कि तुम जालिम कहां तक हो"। और दूसरा शेर कहा था–"क्यों साहिल के तमाशाई, अफसोस तो सब करते हैं इमदाद नहीं करते"। जब आदमी डूबता

(श्री अर्जुनदास मदान)

है तो सब कहते हैं बचाओ बेचारे को, लेकिन कोई माई का लाल कूदकर उसको बचा लाये, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। खैर, यह बात मैंने अपनी समाप्त की। मुझे उम्मीद है कि मेरे शब्द, मेरी भावनाओं को आप तक पहुंचाने में सक्षम होंगे।

एक बात निवेदन करना चाहूंगा माननीय ज्ञानसिंह जी से। महोदय, आपके प्रति इतनी बात तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बात है। आपने सड़क नीति बनायी। महोदय, हमारे दो क्षेत्र हैं, लाड़पुरा और अभी थोड़े दिन पहले सुल्तानपुर भी उसमें मिल गया। पिछले तीन वर्षों से थोड़ा-सा पैसा बचा हुआ था, मैंने प्रार्थना की, मैं सचिव के दरवाजे पर भी गया, उन्होंने कृपा की, मुख्य मंत्री महोदय ने भी मुझ पर बहुत दया की और 65 लाख की सड़कें आज से तीन–चार साल पहले उन पैसों की जो 8–10 साल पहले मंजूर तो हो गयी थीं लेकिन उनका निर्माण नहीं कराया गया, उसके बारे में मिला था। लेकिन पिछले तीन–चार वर्षों से आप भी एक सड़क नहीं दे रहे हैं। मैं कल्पना करता हूं, मेरे मन में कई बार यह होता है कि हुडको ने लोन दे दिया इनको कि आप यार्ड बना लें। आप हुडको का पैसा अपनी जेब से तो देंगे नहीं, वह भी मंडी चुकायेगी। लेकिन आज आप बताओ कि तीन साल से यह नीति बनाकर बैठे हैं कि जब तक वह यार्ड नहीं बनेगा तब तक नयी सड़कें नहीं बनेंगी। माननीय, यह हो जायेगा तो आपका तो यार्ड बन जायेगा लेकिन जिस जनता के बीच में डेढ़ और पौने दो साल बाद हमें जाना है वह जब हम से पूछेगी कि कांग्रेस के राज में तो इतनी सड़कें बनी थीं तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के राज में विधायक होने के नाते तुमने कौनसी सड़क बनायी, तो अर्जुनदास मदान और विजय सिंहजी क्या जवाब देंगे? यह एक मूल प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने आपको भी एक लैटर लिखा और मैं जिन्दगी के साढ़े छब्बीस साल नौकरी करके आया हूं इसलिये मेरे पास फाइनल में सारे कागज हैं। आज मेरे से चार साल पुराना कोई भी कागज मांगेंगे तो मैं निकालकर दे दूंगा। मैंने इनको लिखा। माननीय मंत्री महोदय, यार्ड तो बनेंगे, कम से कम हमारा भविष्य भी बन जाए, इसकी कृपा भी आप करें। मैं फिर निवेदन करूंगा, सचिव भी यहां बैठे हैं, सोचें। मंडी का यार्ड बनेगा लेकिन आज अगर सड़कें नहीं बनेंगी तो डेढ़ साल के बाद सुल्तानपुर के विजय सिंहजी क्या जवाब देंगे? और मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई संकोच नहीं कि पुराने टाइम पर जितनी सड़कें बनी उतनी सड़कें आज हम नहीं बना पा रहे हैं। नीति के अन्तर्गत भी कई सड़कें ऐसी हैं जो एक किलोमीटर की छूटी हुई हैं। सचिव को यहां से चिट्ठी गयी। श्री रमेश चन्द जैन ने यहां से पत्र भेजा। वे उसको भी ठंडे बस्ते में समेटकर बैठ गये, उन्होंने भी प्रस्ताव नहीं भेजे। ऐसी स्थिति में जब हम आपसे निवेदन करते हैं कि पैसा कोटा का है, कोटा में ही सड़कें बननी हैं, यार्ड ही उसको चुकायेगा। आपके ऊपर क्या अन्तर पड़ने वाला है। उसका ब्याज दो साल बाद चुका देगी। वह मण्डी लेकिन पांच साल बाद आप हमें रूखा रखोगे तो "का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन

(श्री अर्जुनदास मदान)

क्या पछताने" यह दोहा मैं आपको समर्पित करता हूं, ज्ञान सिंहजी साहब।

तीसरा और अन्तिम निवेदन माननीय भंवर लालजी से भी करूंगा। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक स्थान है जिसको विज्ञान नगर कॉलोनी कहते हैं। विज्ञान नगर कॉलोनी में आपने सीवरेज लाइन बनायी और सीवरेज लाइन बनाकर नगर विकास न्यास को समर्पित कर दी। नगर निगम के जुरिस्डिक्शन में आता है। आबादी बढ़ी, छोटी–छोटी बस्तियां थीं, क्वार्टर थे। लोगों ने दो–दो क्वार्टर बनवा लिये, किसी ने तीन करवा लिये, किसी ने डबल स्टोरी कर ली, आज आबादी बढ़ गयी। सीवरेज लाइन आज इतनी छोटी हो गयी है उस इलाके की। आपके सत्यनारायणजी गुप्ता उसका इंस्पेक्शन कर चुके हैं, वहां के डिप्टी कमिश्नर उसका इंस्पेक्शन कर चुके हैं और यहां के आपके अधिकारियों को लेकर मैं इंस्पेक्शन कर चुका हूं। मान्यवर, विश्वास करें कि रसोई के अन्दर मैला तैरता रहता है। आप कल्पना कीजिये उस महिला की जो आज खाना बना रही हो और उसकी रसोई के अन्दर मैला तैरता रहे, उसकी भावनाओं के ऊपर कितना असर पड़ता होगा, कितना प्रभाव पड़ता होगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इसकी चाहे आप सामूहिक योजना बनायें और मेरे क्षेत्र की इस समस्या का समाधान करें। मैं तीनों मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की मांगों की चर्चा में मैं भी अपने आपको शामिल करते हुए माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में चवली डेम स्वीकृत किया, इसके लिये तो माननीय सिंचाई मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय का मैं अत्यन्त आभारी हूं। इस डेम के निर्माण में काफी समय से बाधा आयी हुई है। वहां के किसानों के मुआवजे का मामला अभी तक निपटा नहीं है। माननीय मंत्रीजी जब इस डेम का शिलान्यास करने पधारे थे तो वहां के किसानों ने अपना दर्द आपके सामने बयान किया था। आपने कलक्टर को उस विवाद को हल करने के लिये अधिकृत किया था कि एक कमेटी बनाकर वे इस जमीन की किस्म को निश्चित करने की रिपोर्ट भिजवायें, हम मुआवजा वहां से तय करवा देंगे। कलक्टर ने अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया। उसकी रिपोर्ट भी कलक्टर ने माननीय रेवेन्यू सेक्रेटरी को भिजवा दी है लेकिन अभी तक भी मुआवजे का मामला जहां का तहां अटका पड़ा है। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि किसानों को तुरन्त मुआवजा दिलवाया जाकर डेम का कार्य प्रारम्भ करवाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक मथानिया लघु सिंचाई योजना कार्यरत है जिसका पिछले दिनों माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय, श्री अनंग कुमार जैन ने शुभारम्भ भी कर दिया है। वहां के किसानों की मांग थी कि इस डेम की हाइट को एक फुट रेज कर दिया जाए

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

ताकि कुछ अधिक किसान लाभान्वित हो सकेंगे। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि उस लघु सिंचाई योजना की एक फुट हाइट रेज की जाए। मंत्री महोदय जब मेरे क्षेत्र में पधारे थे उस समय किसानों ने मांग की थी कि हमारे क्षेत्र में दो–तीन नदियां बहती हैं यदि उनके ऊपर लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत कर दी जाएं तो मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र को ही नहीं अपितु पाटन विधान सभा क्षेत्र के किसानों को भी उसका काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। वैसे भी मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में डार्क जोन है। जमीन के अन्दर पानी नहीं है और किसानों के लिये सबसे सुलभ साधन, यदि पानी का कोई स्रोत है तो वह नदियां हैं। इसलिये आहू नदी, रीछड़ नदी और कालीसिंध इन तीनों नदियों के ऊपर छोटी-छोटी योजनाएं बनाकर यदि स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तो निश्चित रूप से हमारे झालावाड़ जिले के किसानों का काफी फायदा हो सकता है। एक-दो स्कीम के लिये मैंने एस्टीमेट आदि भी तैयार करवा लिये है, मैं शीघ्र ही माननीय मंत्री महोदय के पास पहुंचवा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में एक पिपलाद मध्यम सिंचाई योजना काफी दिनों से पेंडिंग है। इसके ऊपर सी.डब्ल्यू.सी. के कुछ आब्जर्वेशंस थे लेकिन वे सारे आब्जर्वेशंस भी रिमूव हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उस योजना को भी स्वीकृत कर कार्यरूप दिया जाए।

मैं थोड़ा सा निवेदन कृषि मंत्री महोदय, से भी करना चाहूंगा। अभी मैं आठ–दस दिन पूर्व माननीय कृषि मंत्रीजी से मिला था। हमारे झालावाड़ जिले में फव्वारा सिंचाई की मात्र सौ स्कीम स्वीकृत की गयीं जबकि अन्य जिलों में लगभग हजार-बारह सौ फव्वारा सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हैं। मैंने माननीय कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि हमारे जिले का टारगेट भी बढ़ाया जाए। किसानों का रूझान इस योजना की तरफ काफी बढ़ रहा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में डार्क जोन है, कुएं खोदने पर पानी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को फव्वारा सिंचाई योजना से लाभान्वित कराया जाना नितान्त आवश्यक है। माननीय मंत्रीजी ने भी तुरन्त मेरी एप्लीकेशन पर टारगेट बढ़ाने बाबत डिप्टी डायरेक्टर को लिखा था। मैं अधिकारी लोगों से मिला लेकिन उन्होंने मुझे नकारात्मक ही जवाब दिया कि हमारे पिछले वर्ष का अनुदान भी अभी तक केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है और इस बार हम आपकी कोई मदद नहीं कर पायेंगे।

मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि झालावाड़ जिले के लिए इस बार कम से कम एक हजार लक्ष्य निर्धारित करें। कृषि मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि-उपज मण्डी समिति से दो सड़कें, रोशनबाड़ी और ओड़ियाखेड़ी, लगभग सात–आठ साल से स्वीकृत हैं लेकिन इन दोनों सड़कों के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है। हमारी कृषि उपज मण्डी भवानी मण्डी लगती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री महोदय सम्बन्धित

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

कृषि उपज मण्डी को आदेशित कर दोनों सड़कों का काम शीघ्र प्रारम्भ करावें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों के लिये ट्राली का सेल टैक्स तो माफ कर दिया लेकिन ट्रेक्टर का टैक्स बढ़ा दिया गया। ट्रेक्टर विलासिता की चीज नहीं है और ट्रेक्टर का क्रेता कोई करोड़पति या अरबपति नहीं होता, एक साधारण किसान होता है और लोन लेकर ट्रेक्टर खरीदता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ट्रेक्टर के ऊपर जो टैक्स बढ़ाया है उसको रिमूव किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बारानी जमीन का लगान माफ किया, छोटे किसानों का टोटल लगान माफ किया। जब हम 90 प्रतिशत लगान माफ कर चुके हैं तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जितना लगान और शेष रहता है, किसानों का, टोटल लगान माफ कर दिया जाए ताकि पूरे राजस्थान में और पूरे देश में एक हमारी सरकार का बहुत बढ़िया संदेश पहुंचेगा जैसाकि अन्य राज्य मध्य प्रदेश ने बिजली मुफ्त कर दी। हरियाणा ने शराब बंदी कर दी। पंजाब ने बिजली मुफ्त कर दीं। अपने-अपने राज्यों की इन्होंने कुछ विशेषताएं बनायी हैं तो हम भी अपने राज्य की एक विशेषता बनाते हुए यदि थोड़ा सा लगान जो हम लेते हैं, उससे पटवारी की तनख्वाह भी नहीं निकलती, यदि हम किसानों का सारा लगान माफ कर देंगे तो यह एक बहुत बढ़िया संदेश हमारा प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश में भी पहुंचेगा।

अन्त में मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सुनेल जो पूर्व में नगरपालिका थी, मध्य प्रदेश के समय में भी नगरपालिका थी, अभी दो वर्ष पूर्व उसे ग्राम पंचायत में बदल दिया गया है और पिछले दो साल से लगातार सभी सुनेलवासियों की मांग है कि इसे वापस नगरपालिका बनायी जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां के लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसे पुनः नगरपालिका बनायी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मी नारायण जी बैरवा।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 46, सिंचाई की मांग पर मैं भी अपने को सम्मिलित करते हुए अनुरोध कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री भैरोंसिंह जी शेखावत का, सिंचाई मंत्री श्री देवीसिंह जी भाटी और उनके विभाग के सहयोगी अधिकारी और जिला अधिकारियों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी में छापरवाड़ा बांध से टेल तक 33 किलोमीटर तक पानी आया था तो 1977 में पानी पहुंचा था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का राज था और माननीय श्री भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे। बीस साल के बाद वह इतिहास फिर दोहराया गया है 1997 में हैड से लेकर, छापरवाड़ा बांध से लेकर

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

अराणा तक 33 किलोमीटर पानी नहर द्वारा मेरे क्षेत्र में पहुंचाया गया। उसके लिए मैं पुनः इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें मेरे क्षेत्र के जितने भी किसान थे उनकी फसल अच्छी हुई, आर्थिक स्थिति सुधरी, उनमें सम्पन्नता आयी। इसमें सभी अधिकारियों और मंत्री महोदय ने पूरा सहयोग दिया।

इसके साथ ही मैं उसमें कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यह 33 किलोमीटर जो नहर बनी हुई है वह कच्ची बनी हुई है। चाहे धीरे–धीरे ही बने पर इसमें थोड़ा पक्की बनाने का काम चालू करें जिससे कि पानी की जो सीपेज होती है वह कम हो जाए। आउटलेट जो कच्चे बने हुए हैं, उनको पक्का बनाया जाए और इनमें स्लूज गेट भी बनाये जाएं जिससे कि पानी वेस्ट कम हो और किसानों को पानी ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सके, क्योंकि जब फसल का टाइम होता है उस वक्त किसानों के लिए पानी नहीं होता। यह एक अमृत के समान होता है। एक एक बूंद का बहुत बड़ा मूल्य होता है वह पानी व्यर्थ नहीं जाए, इसलिये इन नहरों को पक्का बनाने की कार्यवाही की जाए। बरसात आने से पहले और जब नहर खोदने का टाइम आता है उसके बीच में इनकी सफाई की जाए जिससे नहर खुदे तो टाइमली पानी सुचारू रूप से खेतों में जा सके।

चौथा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जब भी सिंचाई विभाग के टेण्डर निकलते हैं तो जब बरसात का टाइम होता है उसके आस पास ही टेण्डर निकाले जाते हैं जिससे कि खुदाई नहीं हो पाती। बरसात आ जाती है और पानी वापस नहरों के अन्दर आ जाता है, भराव हो जाता है। इसलिये टाइमली इनकी सुचारू रूप से सफाई की जाए। मेरे क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत के बांध बने हुए हैं। यह बांध जिस स्थिति में बने थे आज भी वह उसी स्थिति में हैं। जैसे अचुकडा का है, छापरी का है, लदाना का है, नीमेड़ा का है, चितोड़ा का है। इसमें करोड़ों रुपये सरकार के लगे हुए हैं परन्तु यह पूर्णतया बन नहीं पाये। मेरा अनुरोध है कि इनके रख-रखाव के लिये या इनको पूरा करने के लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करायी जाए जिससे किसानों को पानी उपलब्ध हो सके और यह पानी सिंचाई के काम आ सके। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

इसी के साथ मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें चाकसू और फागी दो कृषि उपज मण्डी बनी हुई हैं। गत तीन साल से कृषि उपज मण्डी की तरफ से इसमें एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है क्योंकि यह हमेशा घाटे में चलती रहती है। मैं कृषि मंत्रीजी से विशेष अनुरोध करूंगा कि यहां से नरायणा 70 किलोमीटर दूर है, बस्सी है, इनको आपने जयपुर की गौण मण्डी में शामिल कर लिया। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि फागी की इस कृषि उपज मण्डी को भी जयपुर की गौण मण्डी में सम्मिलित किया जाए जिससे कि मुझे कुछ पैसा मिल सके और मैं अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करा सकूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं इसके बारे में मुझे अभी कुछ आश्वा-

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

सन देंगे। ऐसी मुझे आशा है। माननीय कृषि मंत्री जी, यही मेरा आपसे अनुरोध है। जिससे मैं अपने पिछड़े क्षेत्र में सड़कें बनवा सकूं और मेरे क्षेत्र का भी विकास हो सके। मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद। श्री खंगार-सिंह चौधरी।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 37 और 46, कृषि और सिंचाई के विषय में यहां जो बहस चल रही है उसमें मेरे से पहले कई वक्ताओं ने अच्छे–अच्छे सुझाव दिये और अच्छी-अच्छी बातें कहीं। जहां जल है वहां जगदीश है, जहां जल है वहां लक्ष्मी है। यह नियम है और इसी नियम के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 80 प्रतिशत लोग खेती करने वाले हैं जबकि खेती का बजट कम रखा गया है और खेती के हिसाब से जो योजनाएं केन्द्रीय प्रवर्तित हैं, भू-जल अधिग्रहण, भू-संरक्षण और भी कई योजनाओं के पैसे यहां पर मिलते हैं उनका एक पैसे भर भी उपयोग एरिया में नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाली जिले में देखिये, अजमेर जिले में देखिये, जहां कहीं भी यह काम चल रहे हैं उस पैसे से, अगर पचास लाख रुपये की स्कीम मंजूर होती है वहां पर अगर साबित कर दो कि यहां पांच लाख रुपये लगे हैं तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। भू-संरक्षण और जल अधिग्रहण विभाग, यह काश्तकारों को ले बैठेगा। आने वाली औलादों के लिये आप राजस्थान पर कर्जा करते जा रहे हो। डूब जायगी आने वाली औलादें। यह मैं आज स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। जहां पचास लाख की स्कीम है और पांच साल में पूरी करनी है, आप बताइये कितनी स्कीमें हैं आपकी जो पांच साल में पूरी हो गयी हैं, वहां पर मौके पर चलकर देखिये आपको पांच लाख रुपये भी लगे नजर आएंगे कि नहीं आएंगे।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं पाली जिले में, अजमेर जिले में, भीलवाड़ा में, जहां कहीं भी यह स्कीम चली है, इस पैसे का बिलकुल दुरुपयोग हुआ है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कृषि का इस पर खर्च हुआ है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

पानी की समस्या दिनों दिन गम्भीर होती जा रही है। हमारे यहां पाली जिले में जवाई बांध, हेमावास बांध और सरदार समंद बांध, यह तीन ही बांध हैं। जवाई और हेमावास का पानी जोधपुर की पिलाई के लिए काम में आता है। बहुत कम पर्सेंटेज खेती को मिलता है। इसके अलावा अरावली पहाड़ आया हुआ है। बारहमास नदी कोई बहने वाली नहीं है, कैचमेंट एरिया के हिसाब से वहां पर छोटे-मोटे एनीकट भी गवर्नमेंट नहीं बना रही है क्योंकि वह नीचे वाले सरदार समंद, जवाई और हेमावास यह कैचमेंट एरिया में आते हैं इसलिये एनीकट बनना बिलकुल ही बंद है। आपके भू-संरक्षण विभाग वाले कहीं-कहीं नदियों और नालों में छोटे-छोटे पत्थर डालकर उसको बनाते हैं तो वह उसको पक्का नहीं बनाते। पक्का नहीं बनाते तो मिट्टी आती है फिर कुछ लोग पत्थर ले जाते हैं और वहां पर कोई नामो-निशान नहीं रहता।

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

जहां तक केन्द्र का पैसा है, केन्द्र वाले जो स्कीम बनाकर भेजते हैं वह स्कीम वहां पर एयर कंडीशन और पंखों के नीचे बनती है। भौगोलिक दृष्टि से पाली जिले की क्या समस्या है, पहाड़ी एरिया है, मैदानी एरिया है और रेतीला एरिया भी है, इस तरह से बनाकर इसका उपयोग नहीं होता तो वहां इस पैसे का उपयोग होने वाला नहीं है। इसके अलावा भू-जल दस फीट नीचे जा रहा है हर साल और नीचे जाने का कारण है कि दोहन बहुत हो रहा है। पहले पी.एच.ई.डी. का हिसाब देखिये। सुबह–सुबह आदमी गांव में घर से निकलता था लोटा हाथ में लेकर, धोती कंधे पर ले कर जंगल में जाता था और वहां नहा–धोकर वापस आता था। उसको नहाने के लिए अब घर पर दस बाल्टी पानी चाहिए।

(18.00)

तो पानी समस्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। पानी घटेगा, क्योंकि पानी का दुरूपयोग ज्यादा हो रहा है। एक घर के अन्दर चार माथे पानी लाते थे और उससे पूरे दिन काम चल जाता था। आज चार मटके पानी तो पेशाब के काम में ही आ जाते हैं। इतना पानी का दुरूपयोग हो रहा है। मेरा यह निवेदन है कि पहले जितना पानी काश्त में उपयोग होता था वह सही हिसाब से होता था। आज पानी वेस्टेज जा रहा है। इस पर भी आपको प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। पानी का उपयोग पीने के लिए और खेती के लिये आपको करना पड़ेगा। पहले पानी है बाद में खेती है। अगर खेती को पानी नहीं मिलेगा तो इसका उपयोग आप कैसे करोगे। आप खाद्य उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं परन्तु पानी नहीं होगा तो खाद्य उत्पादन बढ़ने का कोई जरिया ही नहीं होगा। सूखा सम्भावित योजना भी आपकी बनी हुई है। कई उद्यान वगैरह लगाने की योजना बनी हुई है। हमारे पाली में दुर्गारामजी ने दो सौ बीघा में बेर लगाये थे। बेर लगाने के बाद गये साल थोड़ा बहुत पैदा हुआ और इस साल बेर की बोरड़ियां नहीं फलीं। इसका कारण बताते हैं कि इस पर लिंक नहीं हुआ इसलिए नहीं फलीं। दिल्ली से जाकर मधु मक्खियां खरीदी गयीं। एक छाता 14 हजार रुपये का मिला और वहां जाकर लगाया। 200 बीघा का फार्म, जिस जगह बोरड़ी लगी हुई थी अगर वह रायड़ा बोता तो उससे उनको 10–15 लाख की इनकम यों ही हो जाती। परन्तु आपके विभाग द्वारा उसका कोई इलाज नहीं किया गया न दवाइयों का उपयोग किया गया।

पाली जिले में क्षारीय और लवणीय जमीन भी बहुत है इसके लिये जिप्सम का उपयोग पाली जिले में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये, क्योंकि एक तिहाई हिस्सा मीठा है बाकी दो तिहाई हिस्सा क्षारीय और लवणीय है, इसलिये वहां पानी भी खारा है। गेहूं भी हमारे पाली जिले में पैदा होता है, इसलिये इस खारे पानी के निवारण के लिये ज्यादा से ज्यादा जिप्सम का उपयोग पाली जिले में होना चाहिए।

इसके अलावा एनीकट वगैरह अन्य जो सिंचाई के साधन हैं ये हमारी छोटी-छोटी नदियों और नालों पर बनने चाहिए, जिससे नदी का पानी भी नहीं रुके और जमीन

(160)

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

का वाटर लेवल भी ऊपर आए। एनीकट के अलावा बेस फ्लो, नदियों और नालों में जगह-जगह पर कई किलोमीटर की दूरी पर रोके जाए और बेस फ्लो बनाये जाए तो काफी पानी का फर्क पड़ेगा और वाटर लेवल ऊपर आएगा।

मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र के अन्दर अगर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो पहले पानी का इन्तजाम करना पड़ेगा। मैंने जियोलोजिकल सर्वे करवाया था। पाली जिले में 8 सौ फीट नीचे पानी बताया है। 100 से 125, 150 फीट तक तो जमीन है और उसके ऊपर पत्थर आता है। ज्यादा से ज्यादा जमीन खोदने लायक डेढ़ सौ फीट तक आती है उसके बाद में चट्टान है नीचे 600 फीट की अगर भू-संरक्षण का पैसा, जलग्रहण का पैसा लगाकर हर तहसील के अन्दर एक-एक 12 इंची बोर करके 8 सौ फीट गहराई तक बोर किया जाए और नीचे के पानी का पता लगाया जाए और पानी आ गया तो खड़े-खड़े पैसा मिल जाएगा। काश्तकार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वह 5-7 लाख रुपया एक साथ खर्च कर सके। खर्च कर भी सकता है, परन्तु आगे जाकर पानी नहीं मिले तो उसकी रिस्क कौन भोगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर तहसील हैडक्वार्टर पर एक–एक ट्यूबवैल 12 इंच बोर का सरकार बनाए इसी पैसे से तो उसका उपयोग हो सकता है। वहां पर पानी मिल गया तो काफी आपकी सिंचाई होगी और पी,एस.पी. का काम भी काफी पूरा हो सकता है। तो बहुत से गांवों में पानी की समस्या है, खारे पानी की समस्या चल रही है, इसका भी निवारण हो सकता है। खारे पानी को मीठा करने के लिए हमारे यहां मारवाड़ जंक्शन के पास में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक योजना बनायी गयी थी। उस गांव की आबादी पांच सौ की है। परन्तु पांच सौ आदमियों के पीने के लिए भी पानी उस वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध नहीं हो सका। यह कारण है। इसलिए कई स्कीमें आपकी बनती हैं जो बिलकुल फेल्योर हैं। मैं यह चाहता हूं कि बतौर एक्सपेरीमेंट भू-संरक्षण और जल-अधिग्रहण के पैसे का उपयोग हर तहसील के अन्दर एक–एक ट्यूबवैल बना कर किया जाए तो काफी बड़ा सिंचाई का साधन हो सकता है और काश्तकार को इससे फायदा हो सकता है।

हमारे यहां कपास भी होती है। आज से दो साल पहले कपास का 25 सौ रुपये क्विटल का बाजार भाव था, गये साल 2 हजार 6 सौ तक का भाव था और इस साल 15 सौ रुपये में भी कोई लेने वाला नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखे और उसका निर्यात किया जा सके तो कराए, नहीं तो अगले साल लोग फसल बहुत कम पैदा करेंगे, क्योंकि इसकी जगह अगर दूसरी फसल पैदा करते तो काफी बड़ा फायदा होता। इसमें दवाइयां भी बहुत चाहिए। कम से कम एक खेत वाले को करीब 5–7 हजार की दवाई लगानी पड़ती है। दवाई लगाने के बाद में भी उसका उपयोग सही नहीं होता और उसको बाजार भाव से पैसे नहीं मिलते हैं तो मार

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

उसके ऊपर ही पड़ता है। हमारे यहां कुएं हैं, नहरें नहीं हैं। नहर नहीं होने के कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर नहरी इलाका है वहां पर एक मुरब्बा-25 बीघे का होता है और वहां पिलाई के ढाई सौ रुपये लगते हैं चार पाण के। अगर हम कुओं से सिचाई करते हैं और अगर पानी खूब है तो 50 बीघा जमीन में पिलाई कर सकते हैं और 50 बीघा की पिलाई करने के लिए फ्लेट रेट से बिजली का हिसाब लगाए तो कम से कम 10 हजार का खर्चा साल का आता है। कहां ढाई सौ रुपये और कहां दस हजार रुपये। हम इस तरह उनके मुकाबले बाजार में कहां खड़े रह सकते हैं। उनकी माली हालत में और हमारी माली हालत में कितना अन्तर हो सकता है, यह आप भी सोचिये। जिस तरह से बांध बांधकर नहर ले जाकर यह सहूलियत उनको दी जाती है, उसी तरह से हमारे पाली जिले के काश्तकारों को भी सहूलियत दी जाये। मैंने पहले भी कहा था इस बात को कि राजस्थान में पानी की खांच है। पानी है नहीं। अगर यह राजस्थान कैनाल वहां से निकली है, अगर इस कैनाल को हरियाणा में होते हुए चूरू, झुन्झुनूं, सीकर और जयपुर होते हुए आनासागर में डाल दिया होता तो आज नहर बनाने की जरूरत नहीं थी। कच्छ के रण तक पूरी जमीन की पिलाई होती और पश्चिम में भी पाकिस्तान तक इसका पानी नहरों से बिना कोई बांधे, बिना कोई ऊंचा किये चला जाता। आज जोधपुर में पानी 205 किलोमीटर से लाया जाता है। जहां नहर से पानी आयेगा वहां से लगा कर जोधपुर तक, 700 फीट की ऊंचाई पर है जोधपुर अब 8 जगह इसकी लिफ्टिंग होगी और जोधपुर में पानी पीने के लिए आएगा, आप अन्दाज लगा सकते हैं अगर यह नहर यहां से निकलती आनासागर होकर के कच्छ के रण तक चली जाती, लूणी नदी के साथ चली जाती तो बांधने की भी जरूरत नहीं थी। अगर इस योजना को गवर्नमेंट आज से हाथ में ले, इसका सर्वे करवाए और इस पर विचार करे तो आगे जाकर हिन्दुस्तान के अन्दर चौथाई अनाज अकेला राजस्थान पैदा कर सकता है और यहां की जमीन, लोगों की माली हालत काफी अच्छी हो सकती है। जो सीपेज का पानी कुओं को मिलता है, अभी राजस्थान कैनाल निकली है उसके पास में सीपेज के पानी से भी जमीन खराब हो रही है। जमीन में पानी बहने से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता है। कुएं वहां के ऊंचे आएंगे। हमारी जमीन और भी बिगड़ेगी इस नहर के पास में। थोड़े दिनों के बाद वह जमीन नाकाबिल काश्त हो जाएगी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार इस पानी को लाने की स्कीम बनाए तो पश्चिम राजस्थान पूरा हरा-भरा हो सकता है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भवानी जोशी। अब संक्षेप में कहें आप।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-46 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए सर्वप्रथम माननीय सिंचाई मंत्रीजी को बहुत

(श्री भवानी जोशी)

(18.10)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस वर्ष बांसवाड़ा क्षेत्र में किसानों को बराबर पानी मिला। कहीं कोई जन आन्दोलन नहीं हुए, काश्तकारों की तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, माही परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से है। पावर प्रोजेक्ट्स चलते हैं और इन पावर प्रोजेक्ट्स से जो आय होती है करीब-करीब उससे पूरे डेम का पैसा वसूल हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि आज उसके रख-रखाव के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। विशेष बजट देने का कोई प्रावधान नहीं है। आज वहां की कैनाल टूट रही है। उन कैनाल्स के टूटने से जगह-जगह रिसाव हो रहा है और उस रिसाव से सारी जमीन ऊसर होती जा रही है। उस क्षेत्र में जगह-जगह एरा नाम की घास लग गयी है, जो पशु भी नहीं खाते हैं, बड़ी अनुपयोगी है। माही के अधिकारियों से जब निवेदन करते हैं और उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माही को अधिक से अधिक बजट दिया जाए और जो भी काम उसके अधूरे हैं उन्हें पूर्ण करवाया जाए। बांसवाड़ा माही की एक सागवाड़ा कैनाल की योजना चल रही हैं, उसका कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे लेकिन अभी तक वह काम पूरा नहीं हो पा रहा हैं। आने वाले वर्षों में भी हम सागवाड़ा पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माही के पानी का अधिक से अधिक क्षेत्रों में उपयोग हो, सागवाड़ा की जगह डूंगरपुर तक पहुंचे, जिससे वहां के जनजाति के लोगों में खुशहाली और समृद्धि बढ़े।

माही के समकक्ष एक नदी बांसवाड़ा जिले में अनास नदी के नाम से बहती है। उस परियोजना में पहले विचार-विमर्श किया गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है इस बड़ी परियोजना को भी राज्य सरकार अपने हाथ में ले तथा इस परियोजना को भी पूरा करवाया जाए।

मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से निवेदन है कि अधिक से अधिक उस क्षेत्र में लिफ्ट लगायी जाएं। उस क्षेत्र में यह कहा जाता है कि 20 प्रतिशत राशि जन सहयोग से और 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र है और जनजाति क्षेत्र में 20 प्रतिशत की राशि वहां के स्थानीय लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यह लिफ्ट योजना राज्य सरकार स्वयं लगाए और उस लिफ्ट से ही वहीं उसकी वसूली की जाए। वहां के धोरों को भी ठीक किया जाए। बांसवाड़ा में कई जगह केनाल्स टूट रही हैं, उनकी मरम्मत की जाए। बगोरा नहर का कार्य अधूरा पड़ा

(श्री भवानी जोशी)

है, उसको भी पूरा करवाया जाए। खेरन-कापाड़ला में माही की नहर का निर्माण जो अभी चालू नहीं किया, उसको भी चालू किया जाए।

बांसवाड़ा की तहसील गढ़ी में गांव मेथवाला में जब माही के पानी की वजह से काश्तकारों की भूमि डूब में आ चुकी थी तब उनको मुआवजा देने की बात की थी। राज्य सरकार ने उनको अवार्ड भी दे दिये, 31 अवार्ड उनको दे दिये गये लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। गरीब काश्तकार आफिसों के चक्कर लगा-लगाकर थक गया उसकी जमीन भी गयी और उसको जो मुआवजा मिलना चाहिये था, वह भी नहीं मिला। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी तत्काल इस कार्य को पूरा कराने में सहयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी को एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आसपुर में कनोड़िया बांध की स्वीकृति आपने दी है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हो पाने के कारण उसका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अतः उसकी तत्काल स्वीकृति दी जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या 46, 37 और 29 पर जो चर्चा हो रही है- उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए तीनों माननीय मंत्रियों को एक साथ ही धन्यवाद दे देता हूं। राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री देवीसिंह जी भाटी, ज्ञानसिंह जी चौधरी और भंवर लाल जी शर्मा पी. एच. ई. डी. मंत्री.... (व्यवधान) ऐसा है, गांवों में कई बार भंवरलाल जी शर्मा कहते हैं तो गांव वालों का ध्यान दूसरे भंवरलाल जी शर्मा की तरफ चला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि भंवरलाल जी शर्मा का नाम लो तो साथ में पी. एच. ई. डी. मंत्री भी कहा करो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हवामहल भी कह सकते हो।

श्री राकेश मेघवाल : हवामहल तो गांव वाले समझते नहीं हैं। वह देखते हैं कि हवामहल में उड़ नहीं जाएं.... (व्यवधान) इसलिये पी. एच. ई. डी. मंत्री का नाम लेते हैं तो थोड़ासा मन में या जीभ में पानी आ जाए. (व्यवधान) पानी मंत्री (व्यवधान) गांव वाले किसानों को क्या मालूम हवामहल क्या होता है? उनके लिए तो नहर, बांध और खेतों में जो सुबह शाम हवा आती है उसको ही वे हवामहल समझते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी का ध्यान मैं उस नागौर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें तीन साल के इस कार्यकाल में राजस्थान के मुख्य मंत्री, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने गौर किया लेकिन देवीसिंह जी भाटी ने इस जिले की परबतसर तहसील पर गौर नहीं किया। मैं धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूं कि तीन साल तो पूरे हो गये, चौथे साल में प्रवेश किया है और नागौर

(164)

(श्री राकेश मेघवाल)

जिले में सबसे ज्यादा बांध परबतसर विधान सभा क्षेत्र में हैं। वहां सभी बांध क्षतिग्रस्त हैं, उनमें मिट्टी भरी हुई है, जगह-जगह से टूट-फूट है, आज उन बांधों की मैन्टिनेंस के लिए बजट नहीं है। आपके ए.ईएन. जे.ईएन. से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि आपके तो मंत्रीजी हैं, आपकी सरकार है, इनके रख-रखाव के लिए बजट दिलाइये। मंत्री जी, आप नये स्वीकृत कर देते हैं, नये बना देते हैं और फटाफट घोषणा करके उद्घाटन कर देते हैं लेकिन जो पूर्व में बने हुए हैं उनकी तरफ भी आप जरा ध्यान दें। आपको तो अभी अरबों में बजट दिया है, तो अरब का चौथा हिस्सा कम से कम परबतसर तहसील में लगा दें आप। क्योंकि 25 बांध हैं इस तहसील में और 25 बांध का मतलब, आपको चौथा हिस्सा तो देना ही चाहिए। वैसे भी यह रिजर्व सीट है तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, और रिजर्व सीट में भी रिजर्व बांध हैं। माननीय मंत्री जी, आपने विधान सभा में एक उच्च अधिकारियों की कमेटी बुलायी, तब भी मैंने आपको निवेदन किया था और आपने अधिकारियों को इतने जोर से निर्देश दिये तो मैंने सोचा कि कल ही ये बांध रिपेयर हो जायेंगे या नये बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारे इतने पावरफुल मंत्रीजी के होते हुए भी उनके आदेश की पालना आज तीन साल तक नहीं हुई उसके लिए मुझे खेद है। इससे पहले भी तीन महीने पहले भी आपके चैम्बर में आपके अधिकारियों के सामने फिर एक बार आपने आश्वासन दिया कि यह हमारे माननीय विधायक हैं, आप इनको साथ लेकर सभी बांधों का दौरा करना, सभी को देखकर रिपेयर करवाना और जो कच्चे हैं उनको पक्के बनाने के लिए पैसे की कमी नहीं है चाहे जितना बजट आप ले लीजिये। यह आपने अधिकारियों को निर्देश दिया था लेकिन तीन महीने तक अधिकारी तो छोड़िये आपका जे. ईएन., ए. ईएन. भी नहीं आया। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक महीने, छह महीने में प्रत्येक तहसील वाइज या प्रत्येक जिले वाइज एक कमेटी नियुक्त करें जिससे सभी जन प्रतिनिधि हों, सभी अधिकारी हों, आप स्वयं उसकी अध्यक्षता करें और मीटिंग लें कि कौनसी तहसील में कौनसा बांध है। इसकी पूरी जानकारी उस मीटिंग में दें ताकि किसानों के बीच में वह बात आएगी और किसानों को पता चलेगा कि राजस्थान की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री जी किसानों के बीच में आकर किसानों की समस्याएं सुनते हैं और जो बांध के विकास कार्य हैं उनकी किसानों के बीच में खड़े होकर घोषणा करते हैं और कार्य करवाते हैं। इसलिये आपको एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिए। केवल अधिकारियों के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि थोड़े दिनों में हमें उन बांधों के एरिया में फिर वोट मांगने के लिए फिर जाना पड़ेगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि डेढ़ या दो साल रहे हैं तो आज आप जो स्वीकृति देंगे वह साल भर में जाकर तैयार होंगे (व्यवधान) पहले तो नहीं हो सकते हैं (व्यवधान) अब यह इस सदन में कहने की बात नहीं है कि पहले हो सकते हैं (व्यवधान) लोकसभा के लिए

(श्री राकेश मेघवाल)

तो कल ही जा सकते हैं हम, उसके लिए तो तैयार हैं। आप इस बजट में स्वीकृति अतिशीघ्र जारी करावें ताकि 2–3 महीने में ही बन जायें।

एक यह भी है कि आज तक कुछ बांध तो बने ही नहीं है और वह इंतजार कर रहे हैं कि हमको कब बनाया जाएगा। किसान बार–बार चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी को हम आपके पास भेज देते हैं। लेकिन वह चिट्ठी, चिट्ठी बनकर ही रह जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि "जाजम की बैठक" प्रत्येक उप तहसील में, तहसील स्तर पर हो और वहां कलक्टर साहब आएंगे, पी. डी. साहब आएंगे, सिंचाई विभाग के अधिकारी आएंगे, कृषि उपज मण्डी के अधिकारी आएंगे, कृषि विभाग के अधिकारी आएंगे या जो जो भी विभाग हैं उनके अधिकारी आएंगे। अधिकारी सब आ जाते हैं? वे कागज लेकर जिले में चले जाते है। इस तरह की मीटिंग हमारे पीलवा में हुई थी, इस तरह की मीटिंग गच्छीपुरा में हुई थी। इस मीटिंग में हमारी जो कृषि की समस्या थी, बांधों की जो समस्या थी, सभी किसानों ने सभी अधिकारियों को लिखित में दी थी। संबंधित विभागों को दी। लेकिन आज तक उन बांधों का कुछ नहीं हुआ। न, सिंचाई विभाग में मेडबन्दी हुई। यह "भू-संरक्षण" नाम इतना लम्बा–चौड़ा दिया है कि किसान इसको बराबर समझता ही नहीं है कि यह "भू-संरक्षण" है क्या चीज। तो इसका आप नाम बदल दीजिये (व्यवधान) किसान यह नहीं जानते हैं। किसान यह नहीं जानते कि यह विभाग ही क्या है? यहां तक कि किसान उस अधिकारी से या आपके कर्मचारी से बात करते हैं तो वह भू-संरक्षण करके उसको ऐसा पता नहीं कौनसे संरक्षण में फंसा देते हैं कि उसको पता ही नहीं। वह कहता है कि, एम. एल. ए. साहब, यह विभाग ही क्या पता क्या है? इसलिये आप इसका नाम भी बदलें। किसानों को इससे जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। अभी माननीय विधायक महोदय ने कहा कि 50 लाख का बजट और लगता 5 लाख है। 5 लाख तो नहीं लगता होगा, 10 लाख लग जाता होगा, 25 लाख लग जाता होगा या आधा लग जाता होगा। लेकिन आधा तो वह कागजों में हवामहल की तरह उड़ जाता है, हवा में ही (व्यवधान) हमारे गांव का हवामहल कह रहा हूं, आपके जयपुर का नहीं। माननीय कृषि मंत्री जी, आप खुद किसान हैं, मैं भी किसान हूं और जमीन में किसानों को किस तरह की क्या दिक्कत होती है, सभी से आप वाकिफ हैं, आपको प्रत्येक जानकारी है। आप परबतसर पधारे थे तो मैंने विस्तार से आपको बताया भी था लेकिन आपको बताने के बाद में भी उस कार्य में कहीं प्रगति नहीं हुई।

एक आप छोटी–छोटी सड़कें बना रहे हैं। उस सड़क नीति के अनुरूप ही आपने कृषि उपज मण्डी की सड़कें ले लीं 1971 की जनगणना, 1981 की जनगणना और 1991 की जनगणना के अनुसार माननीय कृषि मंत्री जी, आपको सड़क नीति से क्या लेना देना है? आपको तो किसानों के लिए, किसान के हित में,

(श्री राकेश मेघवाल)

चाहे एक छोटा-सा गांव है, जो सड़क नीति में नहीं आता है, आपको वहां सड़कें बनानी चाहिए। किसानों के गांवों की सड़कें बनानी चाहिये। उस सड़क नीति में जो बात रखी गयी हैं उसको आप छोड़ दीजिये उसमें आपको परिवर्तन करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़कें आप बनाए वे वही सड़क बनाए जो सड़क नीति में नहीं आए। पी. डब्ल्यू. डी. की नीतियां छोड़कर आप अपनी नीति अलग से बनाइये, किसानों की नीति बनाइये और उसमें अगर आप आबादी करें तो कम से कम पांच सौ या साढ़े सात सौ ही करना, कहीं एक हजार की आबादी मत ले लेना नहीं तो हम उसी नीति के चक्कर में रह जायेंगे और आपकी कृषि उपज मण्डी की एक भी सड़क नहीं बन पायेगी। आप यह कह देंगे कि माननीय विधायक महोदय, मैं उपयोगिता को दिखवा रहा हूं, आपकी यह कृषि उपज मण्डी की सड़क नीति में नहीं आती। इसलिये, माननीय कृषि मंत्री जी, आप नीति तो नहीं बनाए, आप किसानों के हित में। बात को समझते हुए किसानों के गांवों में वह सड़क बनाने का प्रयास करें, जो सड़क नीति में नहीं आती हैं। और मैं तो यह कहूंगा कि जो मिसिंग लिंक हैं, एक गांव मुख्य सड़क से अगर आधा किलोमीटर दूर है, वह आप बतायें ताकि आप 25 किलोमीटर सड़क से 50 गांव कवर कर सकते हैं। इसलिए छोटे-छोटे टुकड़े जो भी जिस तहसील में हैं, आधा किलोमीटर हैं, पौन किलोमीटर हैं, एक किलोमीटर हैं या आसपास के छोटे-छोटे गांव हैं आज फोर व्हीलर जीप नहीं जा सकती तो वहां का किसान किस तरह से उस गांव में जाता है? भैंसा और छकड़े से या ऊंट और छकड़े से जाता होगा। वहां का किसान अगर कहीं शहर में जायेगा तो आजकल ट्राफिक इतना है कि छकड़े को शहरों में घुसने ही नहीं देते हैं इसलिये आप उसको ध्यान में रखें।

माननीय कृषि मंत्री जी, आपने एक कृषि उपज मण्डी की गच्छीपुरा के लिये स्वीकृति दी, उसके लिये मैं आपको और माननीय मुख्य मंत्रीजी को तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसमें थोड़ा-सा काम अटका हुआ है। पहले भी आप जब मकराना पधारे तब आपसे मैंने निवेदन किया था कि व्यापारियों की मांग है कि गच्छीपुरा कृषि उपज मण्डी तक व्यापारियों के आवागमन का साधन हो, कृषि उपज मण्डी में जो दूकानें हैं उनमें और गच्छीपुरा शहर के बीच रेल्वे क्रासिंग नहीं आये और वे मेन सड़क पर हों। सरकारी जमीन देने को तैयार हैं। जिलाधीश महोदय से मेरी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि कृषि उपज मण्डी की जमीन का प्रपोजल राज्य सरकार से पास हो चुका है। तो उसको आप दुबारा दिखवाए और मैं तो यह कहूंगा कि उस कृषि उपज मण्डी की जमीन के लिये मैं आपको आमंत्रित करता हूं और कहीं न कहीं कोई भवन उद्घाटन के लिये वहां आपका प्रोग्राम रख देता हूं। आप अपने अधिकारियों को बुला लीजिए और एक कमेटी के रूप में उस जमीन को आप खुद देखें जो आपने स्वीकृत की है, डेढ़ लाख रुपया आपने दिया है जमीन का, जबकि हमारे लिए बिना पैसे की सरकारी जमीन पड़ी है तो पैसा देने की कहां आव-

(श्री राकेश मेघवाल)

श्यकता है ? वह पैसा किसी सड़क में लगायें । इसलिये इस बात को ग्राप ध्यान में रखें ।

माननीय सिचाई मंत्री जी, एक बांध है वह बहुत जरूरी है । हीर का बांध राबड़ियाद ग्राम पंचायत में है और ग्रमी माननीय गृह एवं खनिज मंत्री, कैलाश जी मेघवाल राबड़ियाद पधारे थे तो इन्होंने कहा था कि ग्रमी चुनाव ग्रायोग का बेन है, मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं, राकेश तुम घोषणा कर दो । तो मैंने इनके ग्राशीर्वाद से हीर का बांध, राबड़ियाद में घोषणा कर दी । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके ग्राप भी थोड़ा सिफारिश कर देंगे और इसको शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करके बनाने का पूरा प्रयास करेंगे तो ग्रापकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

माननीय मंत्री महोदय, नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मांग काफी अर्से से चली ग्रा रही है । हम तो ग्रापका नागौर जिले की जनता की ओर से तहेदिल से स्वागत करेंगे कि ग्राप इन्दिरा गांधी नहर परियोजना नागौर जिले में लाये । ग्रापको लोकसभा सीट एक नहीं, ग्रापको लोकसभा सीट दो दी हैं । नागौर जिले की जायल तहसील माननीय महेन्द्र सिंह जी, सांसद महोदय के क्षेत्र में आती है और दूसरी जिले की आठ तहसीलें माननीय भानु प्रताप जी मिर्धा, सांसद महोदय के क्षेत्र में ग्राती हैं । आपको नागौर जिले ने एक सांसद नहीं दो सांसद दिये हैं । इसलिए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट कैनाल द्वारा नागौर जिले में लायी जाए, यही मेरा आपसे निवेदन है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई.डी. मंत्री जी को तो क्या कहूं, माननीय पी.एच.ई.डी मंत्री जी, आप बांका पट्टी जल योजना का ध्यान रखें । इसमें इतने में ग्राप समझ गये होंगे । उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण लाल मीणा ।

श्री नारायण लाल (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 ग्रौर 46 पर ग्राज विचार हो रहा है । मैं भी जाखम की नहरों के बारे में ग्रपने कुछ विचार रखना चाहता हूं । जाखम के टेल व ग्रासपास काश्तकारों को पानी नहीं पहुंचता । इसके बारे में कभी विभाग द्वारा जानकारी नहीं की गयी होगी । मुझे इसकी पूरी जानकारी है । जाखम का निर्माण हुग्रा नहरों का निर्माण हुग्रा वह राजस्व भूमि के खाते के ग्रनुसार हुग्रा जिसके कारण से क्षेत्रफल बढ़ गया ग्रौर इस वजह से भी टेल पर पानी नहीं पहुंचता है । ग्राज हैड पर पानी सीपेज हो रहा है ग्रौर इससे काश्तकार की सारी जमीन बिगड़ रही है । इसलिए वहां ड्रेनेज बनाकर इस सीपेज को रोका जाए । टेल पर पानी नहीं पहुंचने का क्या कारण रहा ? उसमें रेती भरने की जरूरत पड़े तो रेती भरके वहां पानी पहुंचाया जाए ताकि काश्तकारों को ग्राज जो परेशानी हो रही है ग्रौर हैड पर पानी नहीं पहुंचता है, उसका फायदा उनको मिले । मंत्री माननीय महोदय इसको देखें ।

(श्री नारायण लाल)

एक हाई कैनाल, सोम कमला अम्बा प्रोजेक्ट का सर्वे बहुत पहले हो चुका है जिसमें झलारा मादासुला, घटेल, मानपुर, बगराना आदि पंचायतों के 27 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए इसको आप चालू करने की कृपा करें।

दूसरा, अम्बा माता है जिसमें राज्य सरकार के 20 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन क्या कारण रहा पता नहीं।....

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री): कौन सी माता ?

श्री नारायण लाल : अम्बा माता। यह उलझा हुआ काम है इसको दुरूस्त किया जाय। दूसरी एक स्कीम है रावत लघु सिंचाई परियोजना जो लसाड़िया में है। नायब तहसील है जिसमें 18 पंचायतें हैं, वहां पर सभी आदिवासी रहते हैं, ऊपर पहाड़ी इलाका है, पानी वहां रूकता नहीं है। गत साल यह लघु योजना प्रस्तावित थी लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा, पहले मुर्गी हुई या अण्डा, वह वाली कहावत होकर रह गयी। पहले राज्य सरकार सहमति दे फिर वन विभाग और सिंचाई विभाग वाले सहमति दें। लेकिन इस साल मैं धन्यवाद देता हूं सिंचाई विभाग और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, जो सहमति मिल गयी हैं, शायद आज आप इसकी घोषणा करें तो मैं आपके स्वागत के लिए और शिलान्यास के कार्य में आज से ही लग जाऊं।

दूसरी बात कृषि की है। कृषि के बारे में जाखम बहुत प्रशिक्षित एरिया है वहां गत साल अकाल पड़ने से, काश्तकारों के पास बीज नहीं था और बीज नहीं होने से इस साल कंट्रोल के गेहूं सड़े हुए बोये और कृषि विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। बीज होता तो वह सही बीज होता और इससे काश्तकारों को उपज में फायदा मिलता। तो भविष्य में इस बारे में ध्यान रखें। जाखम जैसे बांध के किसानों को समय पर बीज मिलें, सही बीज मिले ताकि पैदावार बढ़े।

अभी मेरे एक साथी पूर्व में कह रहे थे कि यह भू-संरक्षण विभाग पता नहीं क्या है, मैं भी नहीं समझ पाया। लसाड़िया, कालीगंज में एक काम हो रहा है। वहां बहुत गड़बड़ हो रही हैं। वहां कमेटी बना दी और वह कमेटी भी अपने आप कहीं कमरे में बैठ कर काम करती है जिसके कारण मजदूरों को पेमेंट भी पूरा नहीं मिलता है और पेमेंट अपने आप उठ जाता है। इस पूरे को सत्यापित किया जाय और सारी जांच करेंगे तो सही तस्वीर आपके सामने आयेगी। आज मेरे को दो मिनट का बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह डांगावास

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं शहरी विकास मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। मेड़ता नगरपालिका क्षेत्र में चार छोटे-छोटे तालाबरूपी गंदे पानी के खड्डे हैं। उस पानी की निकासी कहीं करने की सम्भावना यूं नहीं है कि अगर उस पानी को नालों से बाहर ले जाया गया तो पड़ोस के खेत खराब होते हैं। एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा था कि बगरू के अन्दर एक ऐसी मशीन लगायी गयी है

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

जिससे गन्दे पानी को और प्रदूषण युक्त पानी को साफ किया जाकर सिंचाई के काम में लिया जा रहा है। यदि ऐसा है तो, मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेड़ता नगरपालिका को ऐसी मशीनें अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में देकर मेड़तावासियों का यह कष्ट निवारण करने की कृपा करें।

मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि इन्होंने मेरी एक प्रार्थना जो दो साल पहले की थी, नदी के तल के नीचे एनीकट की डी.आर.डी.ए.से स्वीकृत हुई थी और अब उसका कार्य चालू है। इसको आप देख लें और यदि यह वास्तव में आस-पास के कुओं में पानी का स्तर ऊपर उठाने के काम आये, रीचार्जिंग के काम आये तो ऐसी योजनाएं और भी लें ताकि आगे बंधों में जाने वाला पानी रूके नहीं और जमीन के तल में जो पानी बहता है उससे आस-पास के कुएं रीचार्ज हो सकें।

मांग संख्या 37 कृषि के सम्बन्ध में है। निवेदन करूंगा कि हमारे वित्त विभाग का भार सम्भालते हुए राजस्थान के उप मुख्य मंत्रीजी ने अभी अपने भाषण में किसानों के दर्द के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि उपजाऊ नहीं, पानी गहरा है, अकाल बहुत पड़ते हैं, अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान होता है और हर वर्ष प्राकृतिक प्रकोप होता है। इसके बावजूद मैं, कृषि मंत्री महोदय, आपके अधीनस्थ इस विभाग के तमाम अधिकारियों को यह बधाई देता हूं उन्हीं के भाषण के अंशों को वापस दोहराता हुआ कि राजस्थान के उन वीर किसानों ने, उन कर्मठ किसानों ने, उन मेहनती किसानों ने तिलहन और खाद्यान्नों का उत्पादन रिकार्ड तोड़ा है। यह कृषि विभाग के सहयोग से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। नयी तकनीक बतायी गयी, नये काम की ओर किसानों को अग्रसर कराया परन्तु बजट के अन्दर, बजट भाषण में जो मैंने निवेदन किया उसकी ओर, भाषण में कमी रही। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, क्योंकि किसानों की आप पैरवी कर सकते हैं, आगे हमारे आप है, मैं एक और प्रार्थना करूंगा कि कृषि यन्त्रों का, कुओं में से पानी निकालने के यन्त्रों का, खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयों का जो टैक्स लगता है, किसानों के इस टैक्स को माफ किया जाय। यह सारी इन्पुट्स हैं, सारे किसान के सहायक हैं जिससे यह उपज होती है विशेष तौर से, उपाध्यक्ष महोदय, आपका और सदन का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि इनकी कीमतें बढ़ती गयीं और पिछले 15-20 साल से किसानों की उपज की कीमत इसके मुकाबले में इतनी नहीं बढ़ी। तो किसान दिन पर दिन अपनी उपज की कम कीमत ले रहा है और इसको कम्पनसेट करने के लिए आप समर्थन मूल्य से हमारी कृषि उपज को नहीं खरीद सकें, ऐसा प्रतीत होता हैं, क्या पता राज्य सरकार की वित्त क्षमता नहीं है या और कोई कारण है, तो कम से कम हमारे ऊपर लगने वाले इन टैक्सेज को माफ करवाने के लिए आप पैरवी करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान इस सरकार में आस्था रखता है और आस्था की कद्र की जानी चाहिये। आपकी मण्डियों की जो नीति बनी हुई है

(170)

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

उसमें "सी" और "डी" मण्डियों को आप प्रोत्साहित करते हैं, उनको राशि देते हैं, मण्डियों के निर्माण के लिए देते हैं और अन्य काम के लिए भी देते हैं। देना चाहिये, मैं सहमत हूं। मगर जो एक करोड़ से ऊपर की उपज करती है, वह मण्डी जो एक करोड़ से ऊपर टैक्स लाती है उसके अन्दर ज्यादा किसानों की आमद है, ज्यादा किसानों की उपज आती है तो उसको भी प्रोत्साहित करना चाहिये। इसलिए "ए" श्रेणी और उससे ऊपर की जो मंडियां हैं उन्हें भी आप प्रोत्साहित करें।

मेरी प्रार्थना पर एक यह घोषणा हुई थी, आदेश भी प्रसारित हुए थे कि किसानों को मण्डियों में 10 प्रतिशत दुकानें दी जाएंगी। न मालूम किस स्तर पर इस आदेश को विदड्रा किया गया। मुझे तो मालूम है, लेकिन मैं सदन में ऐसी बात नहीं करना चाहता। कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग ने ऐसी कुचेष्टा की कि किसान मण्डी में उनके समानान्तर न आ जाएं, किसान को सही मूल्य न मिल जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें दुकानों की आवश्यकता नहीं है। आप प्लान दीजिए, हमें जमीन लीज पर दीजिए और हमें दुकानें बनाने की इजाजत दीजिए। हम किराया देंगे, जब तक हमारा पैसा, जो दुकान बनाते हैं उसका किराये के रूप में वसूल न हो जाए तब तक हमसे किराया मत लीजिए, तत्पश्चात उस दुकान का स्वामित्व आपकी मंडी का होगा, हमसे किराया ले लिया जाए। यह मेहरबानी आप कीजिये।

सड़क नीति के सम्बन्ध में भाई राकेश जी ने काफी प्रकाश डाला, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। राष्ट्रपति शासन के समय एक बात हुई, मास्टर प्लान बने और मास्टर प्लान इस सैक्रेटेरियट में बिना किसी जन प्रतिनिधि की राय के बने थे। वह मास्टर प्लान यह बने कि चाहे उस गांव में कृषि की उपज हो या न हो, चाहे उस गांव का आदमी कृषि मण्डी तक आए या न आए मगर उसको सड़क से जोड़ा जाए। इन्होंने आबादी के अनुसार लिया, पंचायत मुख्यालय के अनुसार लिया। मेरी यह प्रार्थना है कि कृषि उपज की जहां बहुतायत है, जहां किसानों को सड़क की परम आवश्यकता है, जहां काली और चिकनी मिट्टी के गांव हैं, जहां से ट्रेक्टर और बैलगाड़ी आ नहीं सकते, उन गांवों में आपके द्वारा यदि आप मण्डी सड़क नीति को खतम नहीं कर सकते हैं तो इतना तो आपके पास अधिकार लें कि ऐसी सड़कें जो उस नीति में नहीं आती, उसको आप स्वीकृत कर सकें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। थोड़ा सरलीकरण चाहता हूं। यद्यपि ज्यादा बाधा मागने वाले को कहीं नहीं आती है। जो आदमी कागज के पीछे चलता है उस आदमी को कभी बाधा नहीं आती मगर हर व्यक्ति हर सड़क को मंजूर कराने में बहुत कष्ट पाता है।

मेरी प्रार्थना है कि एक किलोमीटर सड़क कृषि मण्डी के प्रशासक और सचिव को स्वीकृत करने के अधिकार दिये जाएं, दो किलोमीटर या ढाई किलोमीटर सड़क निदेशक, कृषि विपणन विभाग को स्वीकृत करने के अधिकार दिये जाएं और तत्पश्चात् बाकी सड़क राज्य सरकार में निहित हो जाए। इस तरह से हम छोटे-छोटे टुकड़े लेकर गांव को सड़क से जोड़ पायेंगे, यह मेरी प्रार्थना है।

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

समय को देखते हुए अन्तिम निवेदन है, काफी खर्च हुआ, दो यात्राएं हुईं कुछ कृषकों की और हमारे कृषि मंत्रीजी की, एक यात्रा हमारे मुख्य मंत्रीजी की इजराइल की हुई, वहां से बहुत-सी उपयोगी बातें आयीं, इसमें कोई शक नहीं, परन्तु राजस्थान में आज तक मुझे जानकारी है, किसी भी किसान ने आधा बीघा में ग्रीन हाउस नहीं बनाया। इसका कारण क्या हुआ, एक तो प्रचार नहीं, दूसरे, आपने अनुदान की राशि रखी वह 50 प्रतिशत है, आधी अनुदान की राशि है। हम आपसे कोई अनुदान नहीं चाहते। मशीनें आप उपलब्ध कराएं, ग्रीन हाउस हम बनायेंगे, जमीन हमारी होगी, जल हमारा होगा और प्रत्येक कृषि उप निदेशक (विस्तार) के क्षेत्र में कम से कम एक ग्रीन हाउस बनाने की योजना बनायी जाए, यह मेरी प्रार्थना है।

मैं इन बातों को समाप्त करते हुए पुनः दोहराता हूं कि किसानों के इन्पुट्स पर, किसानों के द्वारा काम लिए जाने वाले यंत्रों पर और किसानों की उपज पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिये, यह मेरी प्रार्थना है। यह कृषि लाभप्रद नहीं है। किसान मजबूरी से, कोई दूसरा काम न होने के कारण, कोई धन्धा न मिलने के कारण खेती करता है और अब वह समय आ गया है, उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के टुकड़े हो गये हैं, किसानों के बच्चे पढ़-लिख गये हैं और धीरे-धीरे यह हो जाएगा कि किसानों के बच्चे दर-दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। इसलिए कृषि को लाभप्रद बनाना परम आवश्यक है, तभी बच्चों के दिमाग में आएगा कि हम लाभप्रद धन्धा कर सकते हैं, यह अन्तिम निवेदन है।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीनों ही मंत्रियों को धन्यवाद देती हूं कि वे बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों में थोड़ी सुचारुता आए। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी।

सिंचाई के सम्बन्ध में माननीय कृषि मंत्री महोदय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरे कुछ सुझाव उनके लिए सहायक होंगे। मैं कहना चाहूंगी कि विभाग के लम्बित प्रकरणों पर वे जरा ध्यान दें और उनका निपटारा थोड़ा जल्दी करें। नहर बनाने के लिए विभाग को जो राशि मिली है, उसकी मेंटीनेंस के सम्बन्ध में भी थोड़ा ख्याल रखें और इन कार्यों को भी बड़ी सजगता से करें। विभाग में जो अधिकारी सस्पेंड हैं, उनके बारे में कुछ भी निर्णय लें, निकालना हो, निकालें, रखना हो, रखें, लेकिन कोई निर्णय होना चाहिये, सुनवाई होनी चाहिये, जल्दी न्याय मिलना चाहिये, मेरा यह कहना है। कहीं शिकायतें झूठी भी होती हैं, सही भी होती हैं। इस पर जरा ध्यान दें।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृति)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 37, 46 एवं 29 पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कहना चाहती हूं कि कार्य का मूल्यांकन और वेतन, इन दोनों बातों को जोड़ा जाना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि नहर की सीमेंट की परीक्षा के सम्बन्ध में कई बार बात आती है, आप देखेंगे कि यह कार्य किस प्रकार से होना चाहिये। मैं जोधपुर गयी थी, जोधपुर में जो नहर टूटी थी उसको बनाने में विलम्ब हुआ, अभी भी कुछ कसर है, आप उसको देखेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : नहर कहां है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जोधपुर में। बरसात से टूटी थी.... (व्यवधान).... राजस्थान कैनाल। आपकी बात कर रही हूं, मैं आपके अलावा नहीं जाऊंगी ....(व्यवधान).... वितरिकाएं होंगी। मैं खुद गयी थी मौके पर।

मैं जानना चाहती हूं कि जयपुर में 1981 की बाढ़ के निवारण के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, तो उसमें कुछ नालों के निर्माण का कार्य आपके विभाग को दिया गया, कार्य अच्छा हुआ है, जहां-जहां भी हुआ है। लेकिन एक नाला है अमानीशाह का नाला, उस पर कार्य नहीं हुआ है। एक खानिया का नाला है, उस पर कार्य चल रहा है, नागतलाई का नाला है, उसमें काम बाकी है। नगर निगम ने वायदा किया था कि 25 लाख रुपये और 48 लाख रुपये देकर ब्रह्मपुरी का नाला बनाएंगे, वह कार्य नहीं हुआ और वह कार्य आपके विभाग द्वारा होना है। मंत्री महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये पर्याप्त राशि आपको देनी पड़ेगी। जयपुर में अगर फिर बाढ़ आ गयी तो विभीषिका होगी, यह राजधानी है, इसका ध्यान आपको करना पड़ेगा। कम से कम आपको 50 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट दिया है, आप इस वर्ष में 8 करोड़ रुपये विभाग को कार्य करने के लिए देंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नगर निगम और स्वायत्त शासन मंत्री इन नालों पर बढ़ रहे एंक्रोचमेंट को तत्काल रूप से हटवायेंगे। नागतलाई का जो नाला बन गया है उस पर भयंकर एंक्रोचमेंट हुआ है, यह कार्य आपके विभाग का है, आपके विभाग द्वारा किया जाना है।

मान्यवर, मैं कृषि के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव देना चाहूंगी। कृषि की भूमि पर जो अतिक्रमण हैं उनको हटाने के लिये मंत्री महोदय शीघ्र कार्य करवायेंगे।

कृषि उपज मण्डियों के तहत जो सड़कें हैं उनमें यह तय किया गया कि 10 या 12 साल में दोबारा से उनको पूरा बनाया जाएगा। जयपुर नगर में, मेरे निर्वाचन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्षेत्र में भी सड़कें हैं, मैं अन्य जगहों की भी जांच करके आयी हूं, तो वे सड़कें उस समय में नहीं बन पा रही हैं जिससे लोगों को आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप ऐसी सड़कों का पूरा विवरण मंगवाएं और उनको तत्काल बनवाने की कोशिश करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आज फसल बीमा की बात हमने कहीं। वह कहकर रह गये लेकिन फसल बीमा होगा तो एक बहुत अच्छी बात होगी, यह जरूरी है। एरिड जोन के बारे में शिक्षा देने के लिए हमारे वहां एक लाइब्रेरी है, यह लाइब्रेरी कृषकों के लिए है, सारी पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अब वहां कौन कृषक अंग्रेजी पढ़कर आएगा? जो वहां रहने वाले अंग्रेजी पढ़ते हैं वे कृषकों से थोड़ी दूरी रखते हैं। इन दोनों की दूरी समाप्त हो, उन पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद हो, इस तरह की व्यवस्था आप जरूर करवाइये, यह मेरा निवेदन है। इस क्षेत्र में जो नयी-नयी चीजें आती हैं....।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्य भी आ गए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा मन दुःखी होता है, मैं उनकी तरफ नहीं देख रही हूं। मैं घटती हुई कृषि भूमि की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। शहरों के बीच जो कृषि भूमि है वह आवासीय योजना में बदलती जा रही है। मेरा निवेदन है कि आप अच्छी कृषि भूमि को कृषि भूमि ही बने रहने दें और इस तरह से आवासीय कालोनियों के लिए न बंटने दें। अगर आप उसमें कालोनी बनाएंगे तो कृषि की उपज घट जाएगी। पथरीली जमीन पर, अनुपजाऊ जमीन पर कालोनियां बनें, कोई आपत्ति नहीं है।

मैं भू-संरक्षण के बारे में कहना चाहूंगी। मेरे खुद के इलाके में अरावली की शृंखला होने से सारी कृषि योग्य भूमि कटाव में आ गयी है, जयपुर सहित राजस्थान में यह हाल है कुल 11 जिले भू-संरक्षण के लिए हुए हैं, इसमें और बढ़ाइए। जयपुर को और बढ़ाइए तथा भू-संरक्षण को लागू कीजिए। यह मैं नहीं कह सकती कि आप इसको "कंदरा सुधार कार्यक्रम" कहेंगे या "भू-संरक्षण कार्यक्रम" कहेंगे, लेकिन अभी-भी भूमि सुरक्षित कर दी जाए तो गांव के लोगों का बड़ा भला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जिस समय नगर निगम व पंचायतों के चुनाव कराए उस समय हमारा संकल्प था कि हम कोई भी समस्या नहीं रहने देंगे और हम सबने विचार किया था कि जयपुर को समस्या रहित बनाएंगे, उस तरफ मेरे थोड़े से सुझाव हैं।

मैं कहना चाहूंगी कि मनोरंजन कर को विभाग ने नगर निगम और नगर परिषदों को दिया। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको बहुत दिनों से दुबारा जांचा ही नहीं गया। जिस समय हमारे यहां 7-8 सिनेमाघर थे, वे उस समय जो संचय करते थे वही आज चल रहा है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में होगा। अब उसके बाद जो दूसरे सिनेमाघर बने हैं उन सबकी भी आप जांच करा लें और पूरी राशि नगर निगम, नगर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

परिषद और नगरपालिकाओं को दें जिससे वे अपना विकास कर सकें।

बहुत-सी बातें भाई कालीचरण जी कह गए, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि महंगाई बढ़ी है। सब चीजों पर दाम बढ़ गए इसलिए पर-कैपिटा अनुदान आप अपनी ओर से और बढ़ाइए जिससे कार्य और सम्पन्नता से हो सकें।

थोड़े दिन पहले मास्टर प्लान बना, लेकिन उसमें कुछ कालोनियां डाली ही नहीं गयीं, कुछ योजनाएं डाली ही नहीं गयीं। इसमें नगर विकास न्यास की योजनाएं हैं। अब उन्होंने सुमेल में आवासीय कालोनी बनायी, आगरा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर योजना बनायी, लेकिन उसमें नारदपुरा को शामिल नहीं किया, चित्रकूट नगर को शामिल नहीं किया और जयपुर को शामिल नहीं किया। किसने रोका था? अगर नगर विकास न्यास उसको सम्मिलित कर लेता तो निश्चित रूप से मास्टर प्लान में वे चीजे आ जातीं, लेकिन मास्टर प्लान में न होते हुए बिना जन-प्रतिनिधियों से राय लिए सरपंचों के हिस्से में आने वाली पंचायतों की भूमि पर अनाप-शनाप योजनाएं थोपना और उनको राशि न देना सरासर गलत है। मंत्री महोदय, आप इसका ध्यान रखें। सरपंच, पंच, विधायक और लोकसभा सदस्य, इन सबसे राय करके ही इस तरह की योजनाओं को लागू करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत से सिनेमाघरों को शापिंग सेन्टर में बदल दिया गया है। वे इतने ऊंचे चले गये हैं कि लगता है जैसे "गगनचुंबी" हों। उनके कोई नियम नहीं हैं। आप बाई-लॉज में परिवर्तन करके उनका नियमन कीजिए और अगर यहां नहीं बनाने देना है तो उनको रोकिए, उनको बढ़ने मत दीजिए। बिना बाई-लॉज के इस तरह की गगनचुंबी इमारतें बनाना अच्छी बात नहीं है। विकास हो, इस पर रोक नहीं, लेकिन कुछ तो नियम के हिसाब से चलें। अब यहां पर कुछ बाजार बन गये, कुछ परकोटे बने हुए हैं। जब राजस्थान बना तब इनकी सुन्दरता के लिए, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक संधि हुई थी, लेकिन उस संधि को माना नहीं जा रहा है। गंगापोल परकोटे में दरवाजा खुल गया, किसी और परकोटे पर बाजार बन गया, किसी और परकोटे पर कुछ हो गया, यह अच्छी बात नहीं है। इस पर पर्यटन मंत्री, पुरातत्व मंत्री और नगर निगम के स्वायत्त शासन मंत्री, इन सबको मिलकर निर्णय लेना चाहिए। शहर को होचपोच कर दिया। नेहरू बाजार यों ही पड़ा है, बापू बाजार यों ही पड़ा है, इन्दिरा बाजार यों ही पड़ा हुआ है। इसमें एक निर्णय लेने की जरूरत है। आप जाएं या न जाएं, लेकिन हम लोगों से जरूर बातचीत हो जाती है और हम पकड़ में आ जाते हैं। हम उनको क्या जवाब दें? आप इसमें एकमुश्त निर्णय लें। यह शामिल सरकार की जिम्मेदारी है।

मैं कच्ची बस्तियों के विकास के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। 107 थीं, 234 हो गयीं। मैं अभी भी यह कह सकती हूं कि एक भी कच्ची बस्ती सम्पूर्णता से नहीं बसायीं गयीं। उनके पट्टे नहीं दिए गए, उनमें पानी, बिजली और सड़कों की

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व्यवस्था नहीं की गयी। होना तो यह चाहिए था कि आप कैम्प लगाकर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। जिनके पास कागजात हैं उनको तो पट्टे दिलवाए जाएं। जो नई हैं, बीच में बसी हैं उनके बारे में निर्णय लिया जाए। आप उनको फेंक तो नहीं सकते और अगर फेंके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसको सब लोग अतिक्रमण की संज्ञा देते हैं, इसलिए इस अतिक्रमण का या तो नियमन कीजिए या इसको हटाइए। इस तरह की स्थिति अच्छी नहीं है।

मेरा निवेदन है कि गन्दी बस्तियां कुल मिलाकर 36 हैं, हरिजन बस्तियां 36 हैं। उनके नियमन में की जा रही देरी अच्छी नहीं है। कई तो 1977 में विकसित हो गयी थीं और कई बाद में विकसित हुईं। लेकिन उनको पट्टे देने में क्या दिक्कत है? क्राउन एक्ट के तहत एक रुपये में उनको पट्टा दें तथा उनको बसाएं।

इसी तरह कंवर नगर की आधी बस्ती मेरे इलाके में आती है और आधी हवामहल में आती है। आप जल्दी निर्णय कीजिए, क्योंकि समय जा रहा है। जिस समय मैं बोल रही हूं यह क्षण दुबारा आने वाला नहीं है। तीन-साढ़े तीन साल का समय तो निकल गया, लेकिन बाकी के बचे समय में हमने कुछ कार्य कर लिया तो प्रशंसा रहेगी। बात तो लोग बहुत ऊंची-ऊंची करते हैं लेकिन काम पूरे नहीं होते। यह स्थिति अच्छी नहीं है।

कृषि भूमि में 1144 कालौनियां थी। (व्यवधान) उनमें से कांग्रेस के समय में 554 बस्तियों को छांट लिया था कि इनका नियमन कर दिया जाएगा। नियमन के नियम हो गए, नियमन के लिए राशि तय कर दी, लेकिन पट्टे दिए जाने जरूरी हैं। आपने कुल मिलाकर 154 ही छांटी। अब आप इनको कब तक करेंगे? यह स्थिति अच्छी नहीं है। आप कैम्प लगाइए और किसी प्रकार से उनको स्वामित्व का अधिकार दें। जहां मास्टर प्लान लागू हो वहां आवासीय कालोनी को कृषि भूमि, कच्ची बस्ती कहा जाना कहां तक उचित है? वह आबादी भूमि में आ रही है आप उसको नियमित कीजिए।

जब जयपुर बसा तब आपको ध्यान होगा यहां पर वीर मीणा लोग रहते थे। आधी से अधिक जमीन यहां मीणा व मालियों की है। अब उसके नियमन के लिए भी आप हां नहीं करते। आधा काम तो आपने ही रोक दिया। आप इसको करें और नियमन के लिए आप अपने जवाब में मुझे जवाब देंगे कि आप क्या करने वाले हैं। (व्यवधान)...क्या काम नहीं होता? मनुष्य का कार्य मनुष्य के लिए क्यों नहीं होता? ये नियम किसके लिए है? मनुष्य के लिए नियम हैं। क्यों नहीं नियम बनेंगे? नियम नहीं बनेंगे तो लोग होचपोच करेंगे। फिर आपकी बदनामी होगी। मैं तो आपको राय ही दे सकती हूं।

जब आप विधायक थे, तब आपने मेरे साथ स्वयं ने भी कहा कि फायर ब्रिगेड की सेवाओं के नियम बनने चाहिए, नियुक्ति व प्रमोशन के नियम बनने चाहिए। लेकिन अटके पड़े हैं तो अटके ही पड़े हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि बार-बार कहने के बाद भी विभाग सुनता ही नहीं है। कहते हैं, बड़ा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मुश्किल है। फायर ब्रिगेड का निर्माण करना जरूरी है, लेकिन उनके सेवानियम बनाना, नियुक्ति के नियम बनाना जरूरी नहीं है और आप ठेके से नए आदमी लेकर उससे कहेंगे आग बुझाओ तो वे क्या आग बुझाएंगे? मैं समझती हूं कि अग्नि-शमन सेवाओं को दुरुस्त करना चाहिए और इनके नियम जल्दी बनाने चाहिए।

हम जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें नाली बनाते हैं, मोखे बनाते हैं और उसके पानी तथा वेस्टेज के लिए जगह तय करते हैं। जयपुर नगर का बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां पर कूड़ा डालने की जगह नहीं है और आंख बचाकर गलता के नीचे डाल रहे हैं, जलमहल में डाल रहे हैं और मुर्दा मवेशी कहीं भी डाल रहे हैं। किसी भी आवासीय कालोनी के पास गारबेज प्लांट बना रहे हैं।

(19.00)

यह तकनीकी ज्ञान कहां से आएगा। आप अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को सिखाइये कि वे मानवता के साथ में इस तरह का मजाक नहीं करें कि लोग उनके विरुद्ध खड़े हो जायं।

इसी तरह मैं पर्यावरण के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी। जलमहल योजना बनायी, क्या मजाक की बात है। जलमहल के चारों ओर झील खोद दी और जलमहल में 6 फीट मिट्टी भर दी। मिट्टी में जो नाले आने वाले थे उनका प्रवाह रोक दिया और यह कहा जा रहा है कि यह जो गन्दा रोका गया पानी है यह इसमें नहीं जाने दिया जाएगा। नहीं जाने दिया जाए तो बहुत अच्छा है, बधाई है आपको। उसको कहा ले जाएंगे यह तो बताइये। नाले रोक देना, आस-पास की बस्तियों को सड़ाना, उनमें बीमारियां फैलाना, मक्खी, मच्छर का दुष्प्रभाव फैलाना कहां तक उचित है? नाले रुके हुए पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें, इतना बड़ा मजाक कहीं हो नहीं सकता जो राजधानी में जलमहल योजना का हो रहा है। मजाक के रूप में बनायी गयी योजना है कि उस गन्दे पानी में लोग तैरेंगे, उसमें लोग होटल बनायेंगे। जहां आप नाक बन्द किये बगैर एक सैकण्ड खड़े नहीं रह सकते वहां पर यह योजना चल रही है। यह शेख चिल्ली की योजना, यह मजाक की योजना है। लोगों के जीवन के साथ मजाक किया जा रहा है। पर्यावरण वाले पता नहीं कहां सो गये। उनको मालूम है कि पिछले दिनों मलेरिया फैला था। गर्मी आ रही है और यह व्यवस्था अगर बिगड़ी तो बहुत बिगड़ेगी। मैं समय रहते चेतावनी देना चाहती हूं कि लोगों को बाध्य नहीं करें कि वे कहीं उच्छृंखला पर उतारू हो जाएं।

महिला कर्मचारियों के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि गांवों में जाओ, हम कहते हैं कि शहर में ही सर्विस करें। इक्की–दुक्की महिलाओं के लिए रहने की जगह नहीं होती। आप उनके लिए महिला हॉस्टल क्यों नहीं बनाते? 2–4 घर गांवों में नर्स के लिए, मास्टरनी के लिए वहां आवासीय योजना बनायें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अभी चार बातें कह कर बन्द करती हूं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सिनेमाघरों को बदलकर इन्होंने शॉपिंग सेण्टर बनाये उन पर विचार करें कि उनका क्या करना है। यहां पर एक और मीनार खड़ी हो गयी, मैं नहीं समझती कि वह पूरी होगी या नहीं होगी, अमरापुरा के सामने। या तो उसको बनवाइये या फिर उसको हटवाइये। कुछ तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। मामला अटका पड़ा रहे तो उचित नहीं लगता।

मान्यवर, मैं आवासन मण्डल के बारे में निवेदन कर दूं। आवासन मण्डल भी आपके विचाराधीन है, आप ही के तहत चलता है। वहां पर रिकार्ड नहीं मिलता है। मुझे तो लोग आकर शिकायत करते हैं। एक दे दिया 1986 में और दुबारा दे दिया अभी 1996 में। 10 साल बाद वही मकान दूसरे को आबंटित कर दिया। जो भी वहां जाते हैं उनसे कहते हैं कि हिसाब लाओ। तो फिर इतना अमला आपने क्यों रखा हुआ है? कितना खर्च करते हैं आवासन मण्डल पर? सारा पैसा वहां जमा होता है, बैंक की रिसीप्ट वहां जमा होती हैं जैसी मैंने जानकारी प्राप्त की है। आप इस मामले को सम्भालें। यह बदनामी का घर होने वाला है।

आपने मेरे इलाके में एक गौतम छात्रावास बनाया है। मैंने कहा कि धन्यवाद दूं। उसमें एक कर्मचारी, वह प्रवर्तन अधिकारी है, उसने कब्जा कर लिया। उसने दीवार खींच ली, डंडा लगा लिया और वहां तस्वीर रखकर पूजा करता है। यह क्या शासन है? जो अतिक्रमण हटाने वाला है वही अतिक्रमण कर रहा है। और वह बहुत प्यारा है आपको। मैं समझती हूं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिये जो हमारी सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पर पैसा खा रहे हैं, चाहे वह नगर निगम के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, चाहे जे.डी.ए. के कर्मचारी–अधिकारी हों। मेरे यहां रामगढ़ रोड पर पूरा अमला लेकर गये। सड़क तोड़कर किसी ने सात दुकानें बना लीं और उन सात दुकानों को हटाया नहीं। उनके मोखे खुल आये और अब चुनावों में जब उन्होंने दीवारें बनानी शुरू कीं तो मुझे लगा शटर लगेंगे। मैंने महापौर को दिखाया कि महोदय यह क्या हो रहा है, इनको हटवाइये। तो ऐसा लगा जैसा भस्मासुर का हाथ। जितनी मैंने कही कि अतिक्रमण हटाओ, उसकी ना देखी की गयी, अनदेखी की गयी और अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं शहर के बीचों बीच। गुलाम मंजिल में टीन डाल लिये, ईंटे रख लीं, पत्थर रख लिये, दीवारें खींच लीं। मैंने दिखाया कि हटाओ, नहीं हटाया। शफी मंजिल के सामने नहीं हटाया। मैंने कहा कि यह बढ़ते जा रहे हैं क्या करें आपका। आप इसमें सुधार लाइये वरना कल इन सब का परिणाम हम सब को भुगतना पड़ेगा यह मैं निवेदन कर रही हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूं और तीनों मंत्रियों से कहना चाहूंगी कि जो मैंने सुझाव दिये उन पर काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और तीनों मंत्रियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि राजस्थान के अन्दर 50 साल तक कांग्रेस के राज करने के बाद भी जोधपुर शहर के अन्दर कभी ऐसी सड़क नहीं देखी थी वह सीमेंट की सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनायी हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं।

इसके साथ साथ मैं जलदाय मंत्रीजी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा कार्य शुरू किया है। जोधपुर की जनता को रोजाना पानी देने का जो हमारा प्रयास था और आपके और हमारे बीच में जो बात हुई थी, आपने उस बात को मान लिया और सर्वे शुरू करवा दिया। जोधपुर की जनता को रोजाना पानी देने के लिए योजना में सफलता प्राप्त की इसलिये मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शहरी क्षेत्र की विधायक हूं और मेरा क्षेत्र शहरी है। मेरा कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है फिर भी मैं कुछ शहर की समस्याओं के बारे में आपके माध्यम से मंत्रीजी को कुछ बताना चाहूंगी। जोधपुर शहर के अन्दर काफी कुछ ऐसे तालाब हैं जिनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है और न कोई नहरों की सफाई ही हो रही है। इसकी वजह से, अब बरसात का समय आने वाला है, उसमें हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे यहां गंगलाव तालाब है, महाराजा गंगासिंह जी ने बनाया था। वह सिवांची गेट के ऊपर है। पिछले साल उस तालाब के अन्दर उमट डाल दी गयी, कचरा डाल दिया गया और यहां तक कि लोगों ने उसमें मकान बना लिये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि वहां पर हर समय, जब कभी मैं 15-20 दिन के बाद उधर जाती हूं तो 4-5 मकान नये बनाये मिलते हैं और रोज एनक्रोचमेंट होते जा रहे हैं उनको अविलम्ब रोका जाय और विशेषकर तालाब के अन्दर जो मकान बन रहे हैं उनको। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या होगा, तालाब किसके लिए होता है और किस तरह से बुजुर्गों ने तालाब बनाये हैं। उनके अन्दर मकान बनाये जा रहे हैं और उनको नहीं रोका जा रहा है। जब कोर्ट से एक ऐसा आदेश हुआ है कि इसके अन्दर पानी के निकास के लिए व्यवस्था कीजिये, मगर उन्होंने कहा है कि इसके अन्दर अतिक्रमण है उसको हटाइये। तो वह पानी निकाल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल गर्मियों में, बरसात भी नहीं थी और उसका एक मोखा खोलकर के पानी निकालना शुरू किया तो पूरे शहर में इतना बदबू देता पानी आया कि लोगों में त्राहि-त्राहि मच गयी। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि अभी भी कल उसके अन्दर ट्रेक्टर ट्राली वगैरह उतार रहे थे। उसके अन्दर और हरिजन भाई की मृत्यु हो गयी तो फिर कहेंगे कि दो लाख रुपये लाओ। जान से जाएगा वह तो अलग है और फिर कहेंगे पैसा लाइये, यह करिये, नौकरी दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस बारे में विशेष रूप से उस गंगलाव तालाब की ओर ध्यान दें ताकि वहां की सुरक्षा हो सके ताकि वहां पर रहने वालों

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

से तुरन्त खाली कराया जा सके और उनको कहीं बसाने की योजना करें उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के परकोटे के अन्दर रानीसर हैं, पदमसर है, फतेहसागर है, गुलाब सागर है, बाईजी का तालाब है और गंगलाव है। इनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है और नहरें गन्दगी से भरी पड़ी हैं। बरसात आयेगी तो पानी की आवक भी नहीं होगी। गन्दगी होती जा रही है और इसके अन्दर गटर का पानी भी दे दिया गया है उससे यह जलस्रोत दूषित होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसके बारे में तुरन्त कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे शहरी क्षेत्र के अन्दर सिवांची गेट से चांदपोल तक एक सड़क जाती है। मंत्रीजी ने खुद ने उसका शिलान्यास किया था मगर वह सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई। इस सड़क के बारे में भी यह तय किया गया था कि यह सड़क आर.सी.सी. से बनायी जाएगी मगर उस सड़क की काफी दुर्दशा है, जिस ठेकेदार ने बनाई है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

यह भी पता लगाना चाहिये कि ऐसी सड़क क्यों बनाई गई। इसके बारे में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको 2–4 बातें और कहना चाहूंगी कि शहर के अन्दर मेरे हिसाब से हो सकता है कि सफाई कर्मचारियों की कमी होगी मगर शहर में जो कंजस्टेड जगह हैं, इतनी कंजस्टेड जगह है, छोटी-छोटी गलियां है, एक आदमी के अलावा दूसरा आदमी नहीं आ जा सकता मगर उस शहर के अन्दर गन्दगी इस तरह की है तथा अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, जोधपुर के अन्दर इतने मच्छर हो रहे हैं। वह इसलिए हो रहे हैं कि नालियों के अन्दर पानी भरा हुआ रहता है और सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है।

अभी परसों शाम का समय था। 5–7 अंग्रेज मेरे मकान के अन्दर घुसकर आ गये। मैंने देखा कि ये गायें देखने के लिये आये हैं, क्योंकि मैं गायें रखती हूं। मैंने सोचा कि वे गायें देखने के लिए आये होंगे परन्तु वे मुझे हाथ पकड़कर ले गये और ले जाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन यह काम तो नगरपरिषद का है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं जलदाय मंत्रीजी से कह रही हूं, माननीय भंवरलाल जी को मेरी बात कह रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी बोलती हूं, मुझे थोड़ा बोलने दीजिये वरना मैं अपनी बात भूल जाऊंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को वह ले गये। ले जाकर सारे नाले-नालियां वगैरह दिखाये। उसके बाद जोधपुर शहर की एक जालप बावड़ी है, उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत पैसा लगाकर उसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनी, वे भी देखकर खुश हुए, उन्होंने वह भी मेरे को दिखाई। जब मैंने उनको कहा कि अभी यहां हरिजनों की हड़ताल चल रही है इसलिए गन्दगी रहती है बाकी हमारे यहां ठीक रहता है। उन्होंने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कहा, नहीं आप गलत कह रही हैं। यहां जगह जगह गन्दगी है और चार जगह मुझे ले गये और चारों ही जगह खूब कचरे पड़े मिले तो मुझे बहुत खराब लगा। मैंने कहा, यह क्या चीज हमारे यहां से लेकर जा रहे हैं। इसलिये मैं यह चाहती हूं कि पर्यटन की दृष्टि से भी जोधपुर के अन्दर पर्यटक खूब आते हैं और वे जैसलमेर जायेंगे तो इधर से ही जायेंगे और अपने यहां जब सफाई की ऐसी व्यवस्था है, जोधपुर शहर है, जयपुर से नैक्स्ट नम्बर जोधपुर का है और जोधपुर को कभी सोने की चिड़िया कहते थे, वह जोधपुर सूर्य नगरी जोधपुर है, उसके अन्दर अगर इस तरीके की स्थिति हो, जबकि अपना खुद का बोर्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी. जोधपुर शहर के अन्दर अगर सीमेंट की सड़कें बनी हैं तो इसके अन्दर नगर सुधार न्यास का भी पूरा सहयोग रहा है। उसका सहयोग नहीं होता तो जोधपुर शहर के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में इतनी सड़कें बनाना नामुमकिन हो जाता। आज शहर के अन्दर लाइटें इतनी मात्रा में लगी हैं। मैं उसके लिए मंत्रीजी को धन्यवाद भी देती हूं। काम अच्छा हो तो अच्छी बात कहने में कोई तकलीफ नहीं। लाइटें खूब लगी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं मगर सीवर लाइन की समस्या बहुत ही विकट है। मैं समझती हूं कि मास्टर प्लान बनाकर उसको भी ऐसा किया जाये जिससे जोधपुर शहर की सुन्दरता बढ़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें सीवरेज लाइन की है। सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें श्री देवीसिंह जी भाटी से भी कहना चाहूंगी। वैसे मेरे क्षेत्र में तो कोई ऐसी बात नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इनके विभाग में बारे में कहिये। इनका जो विभाग है, उसके बारे में कहिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : श्री देवीसिंह जी का जो विभाग है, उसके बारे में ही कह रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, परसों सुबह मेरे पास कुछ ग्रामीण लोग भी आये थे। मेरे श्वसुर बहुत ज्यादा बीमार है। मैं अस्पताल में थी तो वे मेरे पीछे-पीछे अस्पताल आ गये। उन्होंने लूणी क्षेत्र की बात बताई। लूणी नदी में पालासनी गांव से लेकर ढूंढाड़ा तक कोई बांध या एनीकट नहीं है। यदि सर्वे कराकर बांध का निर्माण किया जाए तो जो पानी कच्छ की खाड़ी में बहकर चला जाता है, उसको रोका जा सकता है। लूणी बेसिन योजना जो 402 करोड़ रुपये की है, भारत सरकार से तुरन्त स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिये ताकि इसका पैसा तुरन्त मिले। यह जो लूणी बेसिन योजना का पैसा स्वीकृत होगा उससे अजमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर, ये पांचों जिले प्रभावित होंगे। मैं समझती हूं कि राज्य सरकार चाहेगी तो भारत सरकार से यह पैसा जल्दी मिल जायेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं मगर मैं जलदाय मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि हमारे शहर के अन्दर सबसे ज्यादा पानी की समस्या रहती है। इन्होंने मेरे शहर के अन्दर बाईजी के तालाब के ऊपर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जो टैंक बनवाया है, मैं समझती हूं कि महीने-बीस दिन के अन्दर वह काम तुरन्त पूरा होकर जोधपुर की जनता को पानी से भरपूर कर देगा इसलिए जलदाय मंत्रीजी भंवरलाल जी शर्मा को बहुत-बहुत बधाई देती हूं और इनके विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने बहुत ही जल्दी की और काम बनाया।

मैं एक आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे सोजती गेट के अन्दर हनुमानजी की भाकड़ी के ऊपर एक टैंक बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से वह अभी शुरू हुआ नहीं है तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगी कि इसको तुरन्त चालू करवाकर वहां के निवासियों को तुरन्त पानी पहुंचाये क्योंकि सकड़ी गली होने के कारण और ऊंचाई वाले क्षेत्र में टेल एण्ड वालों को पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए और जो कोई भी ऐसे कार्य हैं उनको भी करवाया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। यह "धन्यवाद" में बहुत समय चला गया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 29, 37 व 46 पर चर्चा हो रही है, उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हुआ मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, कृषि मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी का धन्यवाद देता हूं कि बजट में जिस तरीके से इन्होंने योजनाओं को प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर राजस्थान में एक ऐसी आशा की किरण जागृत हुई है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करने की दृष्टि से प्रतिबद्ध है, इसलिए मैं इनको और मंत्रिमण्डल के समस्त सदस्यों को बधाई देता हूं। मैं विस्तार में नहीं जाता हुआ संक्षेप में ही, क्योंकि समय की सीमा से मैं भी बंधा हुआ हूं, अपनी बात कहूंगा।

मान्यवर, आज उदयपुर विश्व के मानचित्र पर केवल अपने इतिहास से नहीं, बल्कि आज अपने पर्यावरण की दृष्टि से भी वह विश्व के इतिहास पर है। इसलिए मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर जो अपनी झीलों के लिए जाना जाता है, उदयपुर जो महाराणा प्रताप की स्थली होने के लिए जाना जाता है, चाहे वह चावण्ड हो, चाहे हल्दीघाटी हो, चाहे उदयपुर की मोतीमगरी हो, चाहे वह कुम्भलगढ़ का किला हो, इन सबको देखने के लिए आज आकर्षित होकर पर्यटक आते हैं, वे उदयपुर में ठहरते हैं और जब उदयपुर में ठहरते हैं तो झीलों के किनारे भी जाते हैं और आज झीलों की जो स्थिति है, सारे शहर का गन्दा पानी उन झीलों में जाता है। जैसा अभी जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या बोल रही थीं कि वह जो गन्दगी का अम्बार है उससे सारे विश्व के पर्यटक और इस देश के पर्यटक उसी दृष्टि से उसको देखते हैं। यू. आई. टी. ने, नगर परिषद ने और कलक्टर ने मिलकर सीवरेज की एक योजना तैयार की। गुलाब चन्द जी कटारिया, शिक्षा मंत्रीजी से कहा कि आप इसका शिलान्यास कीजिये तो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उन्होंने कहा कि योजना क्या है । हम सब लोगों को योजना बताई गयी कि इतने लाख रुपये यू. आई. टी. खर्च करने वाली है, इतने लाख रुपये नगर परिषद खर्च करने वाली है और आवास विकास संस्थान को वह काम सौंपा गया है । वह सब देखने के बाद भूमि पूजन के लिए गुलाब चन्द जी कटारिया और हम सब लोग उस समारोह में इकट्ठे हुए । मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो यहां पर सचिवालय में बैठे हुए जो लोग हैं, आज अखबार जिस तरह से उसका मखौल कर रहे हैं, अखबार में फोटो छाप रहे हैं तथा शिलान्यास का पत्थर वहां पड़ा-पड़ा रो रहा है, वह राजस्थान की सरकार की सोच को प्रदर्शित करता हूं कि उदयपुर में झीलों में गन्दा पानी आज भी गिर रहा है और वही पानी सारे उदयपुर शहर को सप्लाई किया जा रहा है लेकिन उसके लिए सीवरेज की योजना पूरी नहीं हुई । जब मैंने पूछा कलक्टर से तो कलक्टर ने कहा कि एक नई योजना बन रही है और दिल्ली का पर्यावरण विभाग जो सारे देश में जितनी झीलें हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है । उसके लोग आये, कमिशनर के साथ बातचीत हुई । उस योजना का भी पता नहीं लगा । एस. अहमद कमिशनर थे, झील संरक्षण वालों ने एक सर्वे किया, बाहर के लोगों को बुलाकर सीवरेज की एक योजना बनाई और कहा कि राज्य सरकार इसके लिए जमानत दे देगी कि इस कर्ज को अगर यू. आई. टी. और नगर परिषद धीरे-धीरे चुकाएगी और सीवरेज की योजना बनाकर इन सारी झीलों के पानी को स्वच्छ रखा जायेगा । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस आयर नदी के अन्दर आज भी प्रदूषित पानी जा रहा है, झीलों में प्रदूषित पानी आ रहा है और आने वाले समय में उदयसागर की झील भी उसी तरह से प्रदूषित हो जाएगी । जब तक यह कचरा, मल-मूत्र और यह जो गन्दा पानी है इसके निकास के लिए योजनाएं नहीं बनेंगी तब तक इसी तरीके से उदयपुर के लोग तड़पते रहेंगे ।

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बात कालीचरणजी ने कहीं, जो माननीय उजलाजी ने कहीं, वह की वहीं स्थिति केवल उदयपुर की नहीं, बल्कि प्रत्येक उस नगर की हो गई है जो धीरे-धीरे महानगर होता चला जा रहा है । लेकिन हमारी सोच वही है कि जब सीमित जनसंख्या थोड़े से क्षेत्र में रहती थी । आज उदयपुर सेक्टर्स में बंट गया है, आज 14-14 सेक्टर्स, बड़े-बड़े सेक्टर्स बन गये हैं और हम आज भी 1991 की जनसंख्या के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं । मुझे तो बहुत हंसी आती है कि जब बजट हम वहां पास करते हैं, नगर परिषद का बजट पास हो गया, वह बजट पास होने के लिये यहां आता है, यहां से निदेशक व सचिवालय वाले उस बजट को पास करके भेज देते हैं, उसके बाद भी प्रत्येक मद के लिए वहां के जन प्रतिनिधियों को और वहां के कर्मचारियों को दौड़ना पड़ता है, उन्हें वह अधिकार नहीं है । जब बजट एक दफा पास हो गया तो उनको अधिकार होना चाहिए कि वह अपने यहां एम्पलाइज रख सकें, उन्हें अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी योजना बना सकें और उन योज-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नाओं की क्रियान्विति कर सकें। लेकिन उन्हें निदेशालय के चक्कर खाने पड़ते हैं, उन्हें भटकना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नियमों में वह परिवर्तन किए जाएं कि जब कोई बजट पास हो जाए तो उसके बाद उनको यहां तक नहीं आना पड़े।

मान्यवर, जहां जमीन की स्थिति जिस तरीके से शहरों में हो रही है तो निश्चित रूप से बहुमंजिले मकान बनेंगे। लेकिन इनके एक्ट जो बने हुए हैं उनमें उनको रेगुलराइज करने के लिए कोई स्थान नहीं है। यू.आई.टी. अपने तरीके से रेगुलराइज कर रही है, नगर परिषदें अपने तरीके से उनको रेगुलराइज कर रही हैं और बहुमंजिले मकान बनते चले जा रहे हैं, बिना किसी नक्शे के बनते चले जा रहे हैं, बिना पार्किंग के बनते चले जा रहे हैं और वह बहुमंजिले मकान आवासीय गृह बनेंगे या होटल बनेगा या किसी हास्पिटल में परिवर्तित हो जाएगा, इसका कुछ पता नहीं। कुछ रुपये दिये और अधिकारियों के सामने बीच शहर के अन्दर ऐसे भवन खड़े हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कि उदयपुर के किनारे एक मील के अन्दर, एक किलोमीटरके अन्दर, डेढ़ किलोमीटर के अन्दर जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में झीलों को देखते हुए कोई होटल की साईड यह तय कर दें, होटल बना दें, वहां पर दस-बीस होटलों के लिए बड़े-बड़े प्लाट बना दें, जो बड़े लोग हैं, जिनकी पहुंच यहां तक है, वह तो हर होटल की परमीशन ले जाते हैं; चाहे उसका यू.आई. टी. विरोध करे, चाहे नगर परिषद वाले विरोध करें लेकिन वह तो माथे पर आकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको यहां का सचिवालय इजाजत देता है कि हां, तुम होटल बनाओ। यहां से कागज जाता है कि यू. आई.टी. से इस प्रस्ताव को भेज दो।

मान्यवर, मैं इसीलिए आज सुबह जिक्र कर रहा था कि उदयपुर का भी मास्टर प्लान होना चाहिए, इसे रिवाइज्ड कीजियेगा होटल तो बनेंगे, क्योंकि आने वाला पर्यटक है उसे रोका नहीं जा सकता, बहुमंजिली इमारतें तो बनेंगी, उन्हें रोका नहीं जा सकता लेकिन प्लानिंग के साथ अगर बनें। आज जो महानगरों में समस्या पैदा हो गयी है, वही पार्किंग की समस्या, आज जौहरी बाजार में चले जाए, चौड़ा रास्ता में चले जाएं, जब इनको बसाया गया था तो कल्पना की होगी चौड़े रास्ते लेकिन आज वह किस तरीके से सकड़े होते चले जा रहे हैं, किस तरीके से पार्किंग की समस्या हो गयी है, तो जो नगर बस रहे हैं, कम से कम वहां पर तो राजस्थान सरकार को अपना पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह बहुमंजिले मकान, यह कामशियल काम्पलेक्स जो मकान बनते चले जा रहे हैं, इजाजत तो दी काहे की, हमारे यहां पर एक कस्तूरबा ट्रस्ट है, उस कस्तूरबा ट्रस्ट को राज्य सरकार ने कभी इस शर्त पर जमीन दी कि वह अपने यहां पर कस्तूरबा मातृ मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट, वह केवल एक हास्पिटल चलाएगा, उन्होंने स्कूल चला लिया, कोई बात नहीं चेरिटी की बात थी। लेकिन उन्होंने बाद में उस कस्तूरबा ट्रस्टशिप में क्योंकि बहुत प्रभावशाली लोग हैं और इसलिए उन प्रभावशाली लोगों ने उसे कामशियल काम्पलेक्श में बदल दिया। नगर परिषद ने उन्हें इजाजत दी थी इसलिए कि वह अपने यहां

(184)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

स्टोर के लिए, अपने काम के लिए कमरे बनाना चाहते थे, उन्होंने शटर्स डालकर मेन जहां से नेशनल हाइवे निकलता है, वहां पर उसको खड़ा कर लिया और नगर परिषद वाले उनको नोटिस देते रहे। कलक्टर ने कहा कि यह तो नगर परिषद का क्षेत्र है, यू.आई.टी. वालों ने कहा, यह नगर परिषद वालों ने कहा, उन्होंने इसकी इजाजत दी और इस तरीके से डिपार्टमेंट्स की लड़ाई में आज वह काम्पलेक्स बनकर तैयार हो गया। आज हांडी होटल वहां पर खड़ा हो जहां कलक्टर की दीवार लगती है। आज यह सब बनते चले जा रहे हैं, इनको कैसे रेगुलराइज किया जाएगा, इन्हें कैसे रोका जाएगा, इसके ऊपर राजस्थान सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछोला झील है उसके किनारे रिंग रोड बना दी जाए जैसे फतेह सागर के किनारे एक रिंग रोड बनाई हैं। यू.आई.टी., नगर परिषद मिलकर इसकी योजना बना रहे हैं लेकिन जब तक राजस्थान सरकार उन्हें मदद नहीं करेगी, क्योंकि अतिक्रमण करने वालों ने तो कितना अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन एक रिंग रोड निश्चित रूप से वहां पर बननी चाहिए।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा उजलाजी ने कहा, यह अग्निशमन नगर परिषद के अधीन है, इनके पास अपने सीमित साधन हैं लेकिन आज जिस तरीके से आग भड़कती है और कहां कहां से वह गाड़ियां मंगानी पड़ती हैं, यह बहुमंजिले मकान बनते चले जा रहे हैं, मुझे याद है जयसमंद की जब बस दुर्घटना हुई, वहां से लाशें निकालने के लिए जब गोताखोरों की आवश्यकता हुई तो वही नगर परिषद के जो हमारे बन्धु थे, जो अग्निशमन में हैं, वही गये और वहां से गोताखोर, उनके पास पूरे साधन नहीं हैं जो गोताखोरी का रात्रि में काम कर सकें लेकिन वह लाशें निकालते हैं वहां। कलक्टर का तो तबादला हो गया लेकिन उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई जो गोताखोर वहां पर काम करते रहे। इसलिए राजस्थान सरकार को विचार करना चाहिए कि किस तरीके से फायर बिग्रेड और गोताखोर वगैरह का करने वाले लोगों को नियमित किया जाए, उनके नियम बनाये जाएं, उनके प्रमोशन्स किये जाएं और इनको किस तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 1948 के अन्दर चुनाव हो रहे थे तो गोली चली, चुनाव नहीं हो पाये 1948 में, जब मेवाड़ की रियासत थी, गुलाब सिंहजी शक्तावत को उसी समय गोली लगी, आज भी वह माननीय सदस्य हमारे बीच में हैं, आनन्दी और शांति शहीद हुए लेकिन उसके बाद 18 अप्रेल, 1948 को माननीय माणिकलालजी वर्मा को वहां का प्रधान मंत्री घोषित किया गया। उन माणिकलालजी वर्मा ने वहां एक एकलव्य कालोनी भीलों के लिए बसाई थी, उन जनजाति के लोगों के लिए जो वहां रहते थे, एकलव्य कालोनी के पट्टे यू.आई.टी ने दे दिये कुछ लोगों को, लेकिन जो शेष लोग रह गये उन शेष लोगों को पट्टे नहीं दिये जा सके। हम लोगों की गुहार पर एक कमेटी तो मंत्रीजी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ने गठित कर दी, हम भी उसके सदस्य हैं, लेकिन मीटिंग कौन बुलाएगा, कलक्टर बुलाएंगा, यू.आई.टी. के लोग बुलायेंगे और जब उनकी नीयत ठीक नहीं होगी तो यह रेगुलराइज कैसे होगी। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि वह अपने यहां उन अधिकारियों को बुलायें और हम लोगों को भी यहां बुला लें। उसके बाद जो एकलव्य कालोनी के लोग हैं, जिसे स्वर्गीय माणिकलालजी वर्मा ने कभी बसाया था, जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं, उनकी याद में एकलव्य कालोनी के सारे लोगों को वह पट्टे दिये जाने चाहिये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

आज जिस तरह से नगरों का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से कच्ची बस्तियों का हो रहा है, मैंने इस बजट में पढ़ा, यह जो 63वें पेज पर है– "कच्ची बस्तियों की वर्तमान भूमि को सरकार को सौंपने की एवज में सम्बन्धित व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के स्तर का बना–बनाया मकान निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना चयनित क्षेत्रों में लागू करने पर विचार किया जाएगा।" मुझे बहुत खुशी हुई उसको देख कर कि यह जो कच्ची बस्तियां बस गई, जो माफिया लोग हैं जिन्होंने अपना धन्धा बना रखा है, वह राजनैतिक पार्टी के लोग भी हैं लेकिन धन्धा बना रखा है, हमारे यहां आवरी बस्ती थी, जो कच्ची बस्ती के नाम से बसी हुई थी, लेकिन जब उसका आपरेशन किया गया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को और मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों के ऊपर भी कितना दबाव था मानसिक रूप से कि कच्ची बस्ती उजाड़ रहे हो और आप लोग कल वोट मांगने के लिए जाएंगे, लेकिन अपने राजनैतिक जीवन को दांव पर लगाकर भी हमने सरकार को यह नहीं कहा कि इसको नियमित नहीं किया जाए। लेकिन मैं राजस्थान सरकार को यह कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कदम उठाये और निश्चित रूप से उसे उठाने चाहिए, और जो इस तरीके से दलाली का धन्धा करते हैं, बेईमानी करते हैं उन लोगों को जेल भेजना चाहिए। आज हमारे यहां पर पुराने सरपंच ने जमीन बेच दी, वहां के प्रधान ने जमीन बेच दी, वहां के विकास अधिकारी ने उस जमीन को बेच दी, जो सरकारी जमीन थी और यह पता लग गया रिकार्ड के अनुसार लेकिन आज भी कार्यवाही हो रही है। यह कार्यवाही कब तक होगी? अगर यह कार्यवाही हो जाती और तुरन्त कार्यवाही हो जाती कानून के अनुसार तो लोगों को यह संकेत जाता कि राजस्थान की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसमें कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं और स्वायत्त शासन मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, उस बस्ती में जितने भी लोग थे उनके ऊपर निश्चित रूप से ये कैसेज चलने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं बस अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। उनसे एक बात और निवेदन कर रहा हूं।

मान्यवर, ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि जिस तरीके से शहर बढ़ा है डबोक से उदयपुर,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कुछ लोगों ने मिल करके एक ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन लेकर उसको डवलप किया लेकिन यू. आई. टी. ने उसको सहयोग नहीं दिया। आज भी उसको रेगुलराइज नहीं किया गया। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट नगर बसा है वह उदयपुर से खैरवाड़ा के रोड पर बसा है और वह सारा का सारा ट्रांसपोर्ट नगर यू. आई. टी. ने बनाया है। वहां के सारे प्लाट्स वगैरह बिक गये हैं। लेकिन एक ट्रांसपोर्ट नगर से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पैसा लेना है और जिस तरीके से नियमित करना है उस ट्रांसपोर्ट नगर को भी आप नियमित कर दें। जो एकलिंगजी की तरफ रास्ता जाता है और जहां बाइ-पास बन रहा है उस बाइ-पास के ऊपर भी एक नये ट्रांसपोर्ट नगर बसा दें ताकि वहां से जो नाथद्वारा की तरफ से आने वाले ट्रक-वगैरह हैं, वे वहीं मार्बल लेकर के रवाना हो जाएं और आयें। इस तरीके से तीन ट्रांसपोर्ट नगरों की उदयपुर में आवश्यकता है उसकी निश्चित रूप से आप प्लानिंग करायेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करते हुए कि जो अन्य महानगरों की स्थिति है वही उदयपुर की स्थिति है और इसलिए समग्रता में सारे राज्य को ध्यान में रखते हुए जो महानगरों की स्थिति है उसको ध्यान में रख करके इस पर विचार करें।

मैं कृषि मंत्री जी से केवल एक अपनी बात पांच मिनट में कह कर समाप्त करूंगा। मान्यवर, राजस्थान राज्य को देश का द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ है और वह उदयपुर की भूमि पर खुला। बाद में जाकर के दोनों विश्वविद्यालयों को उसे बहुसंकाय करके 1964 में बदल दिया गया। उसके बाद में वह जो कृषि विश्वविद्यालय था उसकी आवश्यकता महसूस की गयी और वह कृषि विश्वविद्यालय उस उदयपुर विश्वविद्यालय से काटकर के बीकानेर भेज दिया गया। बीकानेर में उन्होंने जितनी उन्नति की है मैं बधाई देना चाहता हूं श्री ज्ञान सिंहजी चौधरी को कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने इतने थोड़े समय में वहां पर संकाय बना करके, बिल्डिंग्स खड़ी करके यह सारा काम खड़ा किया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को और उनकी सम्पूर्ण टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा वहां पर काम खड़ा किया है। लेकिन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को अगर ध्यान में रखें तो मैं माननीय चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस राजस्थान में दो कृषि विश्वविद्यालय हों और वे इसलिए हों कि राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, वह जो दक्षिण की स्थिति है उसमें आज उदयपुर सम्भाग, कोटा सम्भाग, सवाईमाधोपुर और जयपुर का जो सारा सम्भाग है वह एक दूसरी दृष्टि से और इधर रेगिस्तानी दृष्टि से तो जो रिसर्च ...

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : मैं आपके सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जो रिसर्च आज हो रही है उसमें आवश्यकता है, आज आप कृषि में कितनी तरक्की कर रहे हैं। आप

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

रिसर्च कर रहे हैं। आप सिंचाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह विश्वविद्यालय उसमें काम आने वाले हैं। आज उदयपुर में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर तो एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी थी। उसका सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वहां सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आपको तो केवल एक वाइस चांसलर की और एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करनी है। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जो कहा जाता है कि एक राज्य में दो कृषि विश्वविद्यालय नहीं हो सकते। मैं उस दृष्टि से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान को भौगोलिक स्थिति और जलवायु की दृष्टि से स्पष्टतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। बीकानेर सम्भाग में बीकानेर, गंगानगर के सारे क्षेत्रों को ले लें, जनसंख्या के आधार पर ले लें, इनकी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर ले लें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बार-बार कहा जाता है कि राज्य में दो विश्वविद्यालय नहीं चल सकते दो विश्वविद्यालयों का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में चार-चार तथा मध्यप्रदेश बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश प्रत्येक में दो–दो कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगर एक ही स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, मध्यप्रदेश में जबलपुर, तथा रायपुर, आन्ध्रप्रदेश में हैदराबाद, कर्नाटक में धारवाड़, उड़ीसा में भूवनेश्वर तथा दिल्ली ऐसे शहर हैं जहां अनेक विश्वविद्यालय एक ही शहर में चल रहे हैं। उदयपुर में जब सारा ढांचा तैयार है केवल एक वाइस चांसलर की नियुक्ति और एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जानी है. उसके बाद यह सम्पूर्ण पैसा तो दिल्ली से आई. सी. आर. से आने वाला है, वहां से मिलने वाला है। मान्यवर, आपके माध्यम से सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल से आग्रह करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस योजना पर विचार किया जाए। इसका राजनीतिक लाभ तो होगा ही लेकिन हमारी रिसर्च में, हमारे क्षेत्र में भौगोलिक स्थितियां हैं उनमें भी लाभ होगा। मान्यवर, यह मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से खास करके निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से बीकानेर को डवलप किया है उसी तरीके से उदयपुर को भी डवलप करें। यही मेरा इनसे निवेदन है।

मैं एक संकेत और देना चाहता हूं कि यह जो कृषि का क्षेत्र है, इस कृषि में अनेक रिसर्च हुए हैं और उनके माध्यम से यह पता लगा है कि कृषि में जो लोग नहीं लगे हुए हैं ऐसे 40 लाख लोग राजस्थान में हैं जो कृषि में सम्बन्धित नहीं हैं लेकिन वे गांवों में रहते हैं। उनके रोजगार के लिए और उनकी रोजी रोटी के लिये निश्चित रूप से, क्योंकि शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिये जो रिसर्च हो रहे हैं उनके आधार पर इन्हें ऐसे उद्योग–धन्धे वहां पर गांवों में खोलने चाहिए, जो कृषि पर आधारित हों ताकि लोग अपना काम वहीं पर निकाल सकें।

मैं माननीय श्री देवीसिंह जी भाटी से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। बात तो बहुत कहने को है लेकिन समय नहीं है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने डिपार्टमेंट का रिआर्गेनाइजेशन करिये। आज माही बांध बंध गया।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

माही बांध जब बंध रहा था तो वहां जितने लोगों की आवश्यतता थी, वहां चीफ इंजीनियर की आवश्यकता थी। आज मैं सोचता हूं कि माही बांध से अगर हम इस रिआर्गेनाइजेशन को देखें, आज हम उदयपुर के रिआर्गेनाइजेशन को देखें, हम बीसलपुर के रिआर्गेनाइजेशन को देखें, अगर हम रिआर्गेनाइजेशन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास जो मैन पॉवर है उस मैन पॉवर से हम काम चला सकेंगे और आज यह ठेके की जो प्रथा है इसके कारण वह जो मजदूर बैठा हुआ है उसके मन में पीड़ा है। कभी उसके मन में संकल्प था कि इन नहरों को मुझे साफ करना है। यह नहर मुझे साफ करनी है तो वह जो डिपार्टमेंट का आदमी था उसके सामने आज चुनौती है। आज हमारे यहां बड़ी से एक नहर आती है फतहसागर के तालाब में जिसमें सूअर, कुत्ते न जाने कौन–कौन से जानवर मरे होते हैं और वह सारी नहर साफ करवाने के लिए जब इरिगेशन के लोगों को कहा जाता है तो वे कहते हैं कि यू. आई. टी. वालों से कराओ और यू. आई. टी. से कहो तो यू. आई. टी. वाले कहते हैं कि हम क्यों करें नगर परिषद करेगी। आखिर यह डिपार्टमेंट किसके हैं? आज उदयपुर की झीलों के अन्दर जिस तरीके से जलकुम्भी पनपती है। वहां के महाराणा हैं वह कहते हैं कि यह तालाब मेरा है। कभी कोई मुकदमा उन्होंने किया होगा इसलिए हमारी नाव नहीं चल सकती उस तालाब में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें जलकुम्भी पनपती है। इरिगेशन वाले कहते हैं कि यह पानी तो वाटर वर्क्स वालों का हैं इसलिये वाटर वर्क्स इसको रोकें।

श्री देवीसिंह भाटी : तो किसको करना चाहिए ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह करना चाहिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को। कौनसा डिपार्टमेंट करेगा ? मैं कह रहा हूं आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं करे, यह आपका स्वायत्त शासन विभाग या जलदाय विभाग कोई भी करे उसमें खर्चा कितना आने वाला है, किसी को भी आज लाख दो लाख रुपये का ठेका दे दें वह जलकुम्भी को पनपने नहीं देगा लेकिन जलकुम्भी पनपती है। उसकी एवज में कहा जाता है कि चूंकि यह गन्दगी को खाती है और पानी को साफ करती है इसलिए जलकुम्भी पनपना बहुत आवश्यक है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट में नहीं इनको टुकड़ों–टुकड़ों में सोचने की आदत है, उनकी टुकड़ों में सोचने की आदत बंद करें। समग्रता के ऊपर इस पर विचार करें तो निश्चित रूप से इनका समाधान हो सकेगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

37, 46 और 29 पर माननीय सदस्य बोलें, मंत्रीगण उनका जवाब दें और आगे मांगें पारित हों तब तक के लिए समय बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की आज्ञा से आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है। श्री गोपीराम जाट। आप भी इतना ही लम्बा बोलेंगे ?

मांग संख्या 37, 46 एवं 29 पर विचार

श्री गोपीराम जाट : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 29, 37, और 46 पर चर्चा चल रही है जो कृषि, सिंचाई और नगर विकास से सम्बन्धित है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के जो 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, गांवों में निवास करते हैं और जिनकी अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है उस कृषि को ज्यादा अच्छे ढंग से खेतों को तैयार करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो इस बजट में व्यवस्था उन्होंने की है। क्षारीय जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रोविजन इसमें किया गया है जिसके माध्यम से जिप्सम खरीद कर खेत को उपजाऊ बनाया जाने वाला है। फव्वारों के ऊपर फव्वारा सैट के अलावा 200 मीटर पाइप को कर मुक्त किया गया है, ट्रेक्टर ट्राली को कर मुक्त किया गया है। यह सब कृषि कार्य को इन यांत्रिक साधनों के माध्यम से और ज्यादा उपजाऊ और उपयोगी बनाये जाने के लिए जो प्रावधान किया है, उसके लिए मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य श्री कन्हैया लाल पाटीदार ने कहा था कि यह ट्रेक्टर किसान के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है, यह कोई किसान की सुख–सुविधा के लिए नहीं है। जमीन का सीना चीरकर किसान अन्न पैदा करता है, उसमें ट्रेक्टर का सहयोग होता है इसलिये उसके ऊपर जो टैक्स का प्रोविजन किया है उसको कम किया जाना चाहिए। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को और माननीय वित्त मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर से जो टैक्स लगता है उस टैक्स को कम किया जाना चाहिए।

मान्यवर, पीलीबंगा से आने वाले सदस्य ने एक बात यह कही थी कि गांव के अन्दर किसान गरीब होता है काफी दूर रहता है, उसके पास कोई संसाधन नहीं होते और वह अपने खेत की मिट्टी को टैस्ट कराने के लिए यहां की लेबोरेटरी में नहीं ला सकता, क्योंकि उसमें इतनी जागरुकता भी नहीं होती है। इस सन्दर्भ में मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत हैड क्वार्टर या तहसील हैड क्वार्टर पर प्रचार करके इस तरह के केम्पों का आयोजन किया जाए कि जहां किसान अपने खेत की मिट्टी को लेकर वहां टैस्ट करा सके जिससे उसके खेत में वह किस तरह की फसल पैदा करे और किस तरह की सब्जी पैदा करे। इस बात का सही ज्ञान उसको यदि हो जाता है तो जो किसान

(190)

(श्री गोपीराम जाट)

महंगा बीज, महंगा खाद और महंगे पानी का उपयोग करता है इसका सही उत्पादन उसको मिल सके। इसके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि गांवों की मिट्टी टैस्ट कराने की व्यवस्था की जाए।

इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय को एक धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर जयपुर के तीन तरफ बसा हुआ है। इसके अन्दर किसान अनाज पैदा करते हैं, वहां से सब्जियां शहर को आती हैं, वहां से अधिकांश दूध जयपुर शहर को सप्लाई होता है। मंत्री महोदय, जब से आप, 3–4 साल से आप काम कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र के अन्दर सड़कों की काफी द्रुत गति से विकास हुआ है, विकास तो हुआ है लेकिन उनके रखरखाव के लिए जो भी व्यवस्था हुई उससे सड़कों की मरम्मत समय समय पर नहीं हो सकी है। अब जैसा सरकार ने तय किया है कि कृषि उपज मण्डी जो भी सड़क बनाएगी, सड़क बनने के बाद में उसका रखरखाव पी.डब्ल्यू.डी. करेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 120 किलोमीटर सड़कें कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तान्तरित हुई हैं और उसके रखरखाव के लिए, मेंटिनेंस के लिए, डामरीकरण के लिए करीब पौने दो करोड़ रुपये की पी.डब्ल्यू.डी. ने डिमाण्ड की है लेकिन विभाग की तरफ से पैसा नहीं मिलने की वजह से गयी बरसात से लेकर आज तक उन सड़कों की हालत बहुत खराब है। हजारों लोग, रोजाना एक-एक गांव से सौ-सौ, दो-दो सौ, पांच-पांच सौ लोग शहर में आते हैं, उन सड़कों का उपयोग करते हैं लेकिन उन सड़कों की जो खस्ता हालत है उससे उन ग्रामीण लोगों को, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी मण्डी समिति का जो पैसा है वह पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर हो जाए तो आने वाली बरसात से पहले उन सड़कों की मरम्मत हो जाए वरना उनकी हालत आने वाली बरसात में और ज्यादा खराब होने वाली है।

फव्वारों पर सब्सिडी की योजना के लिये सरकार ने अभी 40-50 करोड़ का प्रोविजन बजट रखा है, मैं उसके लिए मंत्री महोदय आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन सब्सिडी का जो काम विभाग के द्वारा निस्तारित किया जाता है उसके अन्दर काफी कठिन पेचीदगियां आ जाती हैं उनको सरल किया जाए और अधिकारियों को इस बात के लिए पाबन्द किया जाए कि वे डायरेक्ट किसान जो आता है, उसको सब्सिडी उपलब्ध करायें। इसमें जो ठेकेदारी प्रथा है उस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। मुझे जानकारी है कि मेरे ही क्षेत्र के अन्दर इस तरह का एक सहायक कृषि अधिकारी का कार्यालय है, वहां पर कार्य ही शाम को 6 बजे शुरू होता है, दिन में अधिकारी नहीं बैठते, शाम 6 बजे बाद आते हैं, 9 बजे तक ठेकेदार आपस में चर्चा करते हैं। इस प्रकार से सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोकने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, जैसे मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने मांग की थी कि गयी बार कृषि उपज

(श्री गोपीराम जाट)

मण्डी समिति में 10 प्रतिशत दुकानों का आबंटन किसानों को होना चाहिए था वह किन्हीं कारणों से नहीं हो सका था। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि किसानों को मण्डी समिति के अन्दर दुकानों का आबंटन किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहर मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में नहरें बहुत कम हैं लेकिन कम होने के साथ-साथ कई ऐसी महत्वपूर्ण नहरें हैं जिनके विकास की आवश्यकता है, जिनके सुधार की व्यवस्था आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में भावसागर बांध है, उस भावसागर बांध के अन्दर हरमाड़ा और नींदड़ के आसपास के जो पहाड़ हैं उनसे पानी आता है। जो पानी आता है वह नहर कच्ची खुदी हुई है, कई बार अकाल में उसका काम कराया जाता है, उसकी मरम्मत करायी जाती है लेकिन उसकी सही ढंग से मरम्मत नहीं होने से उसमें जो पानी आता है, वह पानी उस नहर के ओवरफलो होने की वजह से किसानों के खेतों में आ जाता है, किसानों की खड़ी फसल चौपट हो जाती है, उसके अन्दर बहकर आने वाली मिट्टी उपजाऊ खेत में फैल जाती है और उस किसान का खेत चौपट हो जाता है। मैं चाहूंगा कि यह जो हरमाड़ा से भावसागर को आने वाली नहर है। इसकी निश्चित रूप से मरम्मत करायी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मैं गुणावता के बांध की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। 1990 में जब हमारी सरकार बनी थी उस समय गुणावता बांध की लागत करीब 26 लाख रुपये थी। इसके बाद में आप जब मंत्री बने, 2–3 बार आपने मेरे आग्रह पर अधिकारियों को भी बुलाया लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से उन योजनाओं को निरस्त कर दिया गया या अब भी वे लम्बित हैं। आज उसकी अनुमानित लागत करीब सवा करोड़ रुपये है। गुणवता बांध दिल्ली नेशनल हाइवे पर स्थित है और इस बांध के निर्माण नहीं होने की वजह से हर साल बरसात आती है और उस वरसात के साथ में इतनी मिट्टी आती हैं कि हजारों बीघा जमीन पर किसानों की बरसात को समय की फसल तो चौपट होती ही है लेकिन आने वाली शीतकालीन फसल जो जौ, गेहूं की होती है वह भी वहां पर नहीं हो हाती, क्योंकि इतनी कमजोर और अन–उपजाऊ मिट्टी वहां आ जाती है। पूर्व में मंत्री महोदय के सचिव मीणा साहब थे। मैं आपसे मिला भी था। उस क्षेत्र में अधिकांश लोग मीणा ही रहते हैं। उस समय सचिव और मंत्री महोदय ने यहां विधान सभा में मीटिंग बुलायी थी, इस मैटर पैंडिंग रख दिया कि इसकी कोई खास उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता खास नहीं हो सकती लेकिन वहां के हजारों किसानों के खेत चौपट हो जाते हैं उन खेतों को बचाये जाने के लिए इस गुणवता बांध को बनाया जाना चाहिए। ज्यादा बांध भी नहीं बनायें तो मिट्टी का जो कटाव होकर खेतों में आता है उस कटाव को कम से कम रोका जा सकता है।

(श्री गोपीराम जाट)

इसके अलावा, मेरे क्षेत्र में एक छोटा-सा एरिया है, आमेर पीली की तलाई का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां जलमहल से सिंचाई होती है। वहां अधिकांश किसान लोग रहते हैं, 5-5, 4-4 बीघा जमीन से खेती करके अपना जीवन-यापन करते हैं। वहां की नहरें कच्ची नहरें बनी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि उन नहरों को पक्का बनाया जाए और जहां रास्ते हैं, उनको पक्का बनाया जाए, क्योंकि रास्तों में आने-जाने में काफी असुविधा होती है। अतः उन नहरों को रख-रखाव की दृष्टि से ठीक किया जाना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में कूकस एक नहर जाती है, हालांकि वह नहर आधी से ज्यादा तो पक्की हो चुकी है लेकिन उसको और पक्का बनाये जाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आज के दो महीने पहले आपने एक घटना पढ़ी होगी कि इस नहर का दुरुपयोग होता है उस दुरुपयोग को भी रोका जाना चाहिए। एक प्रभावशाली आई. ए. एस. अधिकारी ने नहर में फंटे खड़े करके उस नहर का सारा पानी अपने खेत में भर लिया जो करीब 46 बीघा पक्का खेत है। खेत में 4-4 फीट पानी भर गया और 4-4 फीट पानी भरने से विनोद, जिसका खेत पास में पड़ता था, उसके खेत में सरसाई चली गयी। वह इंजन स्टार्ट करने के लिये आया और कुएं के साथ में जो तेलीय जमीन थी उसके अन्दर कुएं के पेंदे में चला गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्वायत्त शासन मंत्री जी को कि नगर निगम के अधिकारियों ने रात-दिन एक करके तीन दिन बाद की लाश को निकाला। विभाग को करीब 4 लाख का खर्चा वहन करना पड़ा। इस तरह से जो अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके पानी का दुरुपयोग करते हैं इस सम्बन्ध में भविष्य में सतर्कता बरती जानी चाहिए; यह मेरा निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय विकास महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जयपुर के तीनों तरफ मेरा विधान सभा क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर आवासीय योजना, "करधनी योजना" का शुभारम्भ आपके सौजन्य से, आपके कर-कमलों से हुआ। जिससे जयपुर की बढ़ती हुई आबादी कम होगी, गांवों में लोग प्रदूषण से बचेंगे, वहां पर पीने के पानी की समस्या, सब्जी की समस्या और दूध की समस्या का निराकरण रहेगा और वहां पर रहने वाले हमारे क्षेत्र के ग्रामीण लोग और सुशिक्षित लोग भी वहां रहेंगे तो संस्कृति का आदान-प्रदान भी निश्चित रूप से होगा।

इसी के साथ-साथ मेरे क्षेत्र में जयपुर जिले के जे.डी.ए. के अन्दर करीब चार सौ-साढ़े चार सौ गांव आते हैं। उस क्षेत्र के विकास के लिये जे. डी. ए. के माध्यम से 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था गत वर्ष में रखी गयी थी। उन गांवों में स्कूलों के कमरे, बाउंड्री वाल, श्मशानों का सुधार, गांव में चौपाल, जहां हैण्ड पम्प है वहां पर एक गड्डा और खेली बना कर वृक्ष लगाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू करने के लिये इस योजना का शुभारम्भ किया, पैसा राशि भी दी। लेकिन इस कार्य में

(श्री गोपीराम जाट)

विलम्ब हुआ। यदि कार्य 6 महीने पहले हो जाता तो वहां पूरी राशि का उपयोग हो जाता। लेकिन अभी लास्ट वीक में इसका आवंटन हुआ है और कार्य काफी मुस्तैदी के साथ चल रहा है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में नगर निगम के माध्यम से जो विकास के कार्य किये गये उसके लिये भी मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले दो साल में विकास के जो कार्य हुए हैं वे गत 40 सालों में नहीं हुए। कृषि भूमि पर बनी हुई कालोनियां, हालांकि उनका नियमन जो नियमों के अनुसार करेंगे वह तो होगा ही लेकिन फिर भी नगर निगम के माध्यम से वहां रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं, सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं, लाइटें लगी हैं, ये बहुत ही तेज गति के साथ दो वर्ष में जो विकास के कार्य किये हैं निश्चित रूप से नगर निगम उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। इसके साथ-साथ सीवरेज लाइन का काम जयपुर में किया जा रहा है उसके लिये भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जयपुर नगर के साथ-साथ झोटवाड़ा क्षेत्र, आमेर मेरा विधान सभा क्षेत्र है और आमेर कस्बा भी है। जिस आमेर कस्बे में रोजाना देश-विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं उसके अन्दर भी सीवरेज लाइन का काम शुरू किया जाना चाहिए। झोटवाड़ा की करीब डेढ़-दो लाख की आबादी हो चुकी है। वहां पर भी सीवरेज लाइन का काम किया जाना चाहिए मंत्री महोदय के आशीर्वाद से झोटवाड़ा की एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हो रहा है। वहां रेलवे पुलिया का निर्माण इतनी तीव्र गति के साथ हो रहा है। अब मैं महसूस करता हूं कि जो समयावधि दी गयी थी उस समयावधि से एक साल पूर्व उसका निर्माण कार्य हो जायेगा। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारियों ने किस कुशलता के साथ उस कार्य को जल्दी निष्पादन करने में गति पकड़ी है, उसके लिये मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन यह सीवरेज लाइन का काम आमेर और झोटवाड़ा में जल्दी कराया जाए।

इसके साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में करधनी योजना के माध्यम से लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, यह तो बहुत बढ़िया स्कीम है। लेकिन जिस तरह से माननीय उजला जी ने और कालीचरण जी ने आपसे निवेदन किया कि इतनी उपजाऊ जमीनें, बहुत कीमती जमीनें जिनके ऊपर "पृथ्वीराज नगर योजना" जैसी महत्वपूर्ण योजना को आप ला रहे हो, जहां 11 हजार, पता नहीं कितनी बीघा जमीन को आप एक्वायर कर रहे हो। यह तो आप कर ही रहे हैं और जैसी जानकारी मिली है जयपुर का मास्टर प्लान भी बदला है। मास्टर प्लान में अजमेर रोड और कालवाड़ रोड के बीच जहां पर हजारों भूखण्ड थे, खेत थे, वहां कई हजार मकान बन चुके हैं। मुझे यह जानकारी है कि उसको किसी सरकारी योजना के लिए रिजर्व रखा गया है। यहां पर कोई ऑफिस बनेंगे, कोई

(श्री गोपीराम जाट)

कालेज बनेंगे, क्या बनेगा यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों रिजर्व रखा गया है ? जब कि वहां हजारों मकान बन चुके हैं तो क्यों नहीं उनके नियमन के लिये जिस तरह से गत बजट सत्र में कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनायी थी। उसकी रिपोर्ट लेनी चाहिये थी। उसकी रिपोर्ट लेकर उसको रेगुलाइज करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये थी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ जो किसानों की जमीनें हैं। जैसी कि चित्रकूट योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। जिसके लिये किसान सुप्रीम कोर्ट तक चले गये। सुप्रीम कोर्ट ने उसका मुआवजा 27 हजार रुपये बीघा का तय किया। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं मंत्री महोदय का कि उन्होंने उन किसानों के आग्रह पर 12 प्रतिशत विकसित भूमि उन्हें देकर और उनके परिवार को पालने और बसाने में बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि पृथ्वीराज नगर योजना में भी यदि आवश्यक हो तो किसानों के साथ इसी तरह से बैठकर नेगोशिएशन किया जाए। रजिस्ट्री की दर पर जमीन नहीं ली जाए। नेगोशिएशन करके उस जमीन का उचित मुआवजा उन लोगों को मिल सके इसके लिये मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ जैसा माननीय उजला जी ने और कालीचरण जी ने कहा कि हमारे जे.डी.ए. में 7 लाख रुपये महीने का खर्चा अतिक्रमण रोकने के काम पर होता है। लेकिन अतिक्रमण का जो काम होता है कई बरसों में, कई महीनों में जाकर पूरा होता है और पूरा होने के बाद इनका अतिक्रमण दस्ता उनको तोड़ने के लिये पहुंचता है। यदि पहले उसको रोक दिया जाता तो मैं समझता हूं कि उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन बाद में यह सौदेबाजी करने के लिये लाखों रुपयों का मकान बन जाता है तब वो जायेंगे, नोटिस टिकायेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और सौदेबाजी करने के लिये जायेंगे ताकि उनको कुछ अर्थ लाभ हो सके। इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिये, इस तरह के निर्माण शुरू नहीं हो उसके लिये पहले उनको काम करना चाहिये। इस तरह का एक जीता-जागता उदाहरण देना चाहता हूं कि झोटवाड़ा में बजरंगदास जी की बगीची के ऊपर एक निःशुल्क औषधालय के लिये दुकानों पर चार कमरों का निर्माण हुआ। उसको तोड़ने के लिये तो जे.डी.ए. वाले पहुंच गये लेकिन बिलकुल उसके दोनों तरफ चार-चार दुकानें जो जमीन पर बनीं उनको हाथ तक नहीं लगाया। मंत्री महोदय से काफी आग्रह करने के बाद यह निःशुल्क औषधालय का भवन बच सका। दूसरी मंजिल पर तो तोड़ रहे हैं और नीचे जो बन रहे हैं उनको नहीं तोड़ रहे हैं। इस तरह का भेदभाव जो बरता जा रहा है, मैं समझता हूं इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिये। एक निवेदन और करना चाहूंगा जो आमेर की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। 1990 में हमारी सरकार बनी उसके पूर्व वहां नोटिफाइड एरिया कमेटी काम कर रही थी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री गोपीराम जाट : बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। मैं तो आज ही बोल रहा हूं। कभी बोलता ही नहीं।

(श्री गोपीराम जाट)

481 भूखण्ड जिनका पैसा नोटिफाइड एरिया कमेटी ने जमा कर लिया और वह पैसा जमा करने के बाद आज तक उन फाइलों का निस्तारण नहीं हुआ। उसका निस्तारण नहीं होने की स्थिति में जो भू-खण्डधारी वहां काबिज हैं वह न कोई निर्माण कर सकते हैं और निर्माण करेंगे तो तोड़-फोड़ होगी। उनका जो भी जायज है, नाजायज है, 481 को छोड़िये दो सौ का, ढाई सौ का, जो भी फैसला होता हो वह फैसला करें तो वह अपनी योजना के मुताबिक वहां पर नक्शे बनाकर मकान बना सकते हैं।

माननीय उजला जी ने जलमहल की समस्या का जिक्र किया। मैं भी इनकी बात की सराहना करूंगा और उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जलमहल योजना जो बनाई गयी है, उसको पूर्ण किया जाना चाहिए। जयपुर शहर में हजारों पर्यटक देश–विदेश से आते हैं, आमेर जाते हैं और वास्तव में जब जल-महल के पास से निकलते हैं तो उस वक्त की स्थिति क्या होती है। वह अपनी नाक मींच कर वहां से निकलते होंगे तो हमारे यहां से क्या उदाहरण लेकर जाते होंगे, क्या संदेश लेकर जाते होंगे। यही कि गुलाबी नगरी, जयपुर में और दर्शनीय स्थान आमेर जाते वक्त कितनी गन्दगी और बदबूदार एक एरिया बना हुआ है। इसको सुधारे जाने की आवश्यकता है।

(20.00)

मैं हाउसिंग बोर्ड के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज से 27 साल पहले करीब 2 लाख 7 हजार लोगों ने हाउसिंग बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें से करीब डेढ़ लाख लोगों को तो मकान मिल गए लेकिन आज तक 53 हजार लोग इस बात की प्रतीक्षा में हैं कि हमारे को कब मिलेगा, कहां मिलेगा? इसके साथ–साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड ने जो डबल-स्टोरी मकान बनाए हैं, उन डबल स्टोरी के फ्लेट्स में से आज भी 5 हजार फ्लेट इस तरह के हैं जो खाली पड़े हुए हैं जिनमें पैसा लग चुका है, करोड़ों रुपये उनमें खर्च हो चुके हैं। इस बात के लिये भी निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरा, यह कि हाउसिंग बोर्ड बहुत बड़ी संस्था है। यह विकास के काम करती है, मकान बनाती है। लेकिन मकान बनाने से पहले योजना बनाकर रोजमर्रा की चीजों के लिये उसमें व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जैसे— पान की थड़ी है, नाई की दुकान है, पंचर निकालने की दुकान है। ये व्यवस्थाएं तो होती नहीं हैं और वहां लोग थड़ियां लेकर के बैठ जाते हैं। उनसे सारी कॉलोनी का शो खराब हो जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की ओर से वाद-विवाद पर उत्तर, श्री ज्ञानसिंह चौधरी (कृषि राज्य मंत्री)।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी को मैं मेरी दुःख भरी दास्तान सुनाना चाहता हूं, मुझे दो मिनट का समय दिया जाए।

196

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक जी के द्वारा मुझे जो सूची दी गयी है, वह पूरी कर दी गयी है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, दो बजे नाम दिया था। (व्यवधान)

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के बारे में कोई बोला ही नहीं है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, नाम दे रखा है। (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी ने मुझे 2 मिनट बोलने के लिये आश्वासन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश जी शर्मा, दो मिनट।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 29, 37 और 46 पर संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा। नगर पालिकाओं के बारे में अतिक्रमण पर चर्चा आयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह नियम बनाया है कि जो भी अतिक्रमण करता है, उसके खिलाफ एफ.आई.आर. लॉज की जाए। मैं पूछना चाहूंगा कि कितनी एफ.आई.आर. लॉज हुई और एफ.आई.आर. लॉज नहीं हुई तो क्या अतिक्रमण नहीं हुए? जब अतिक्रमण हो रहे हैं और एफ.आई.आर लॉज नहीं हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वहां पर बैठे हुए अधिकारी स्वयं अतिक्रमण करवाते हैं। अतिक्रमण रोकने के लिये वहां के व्यक्ति को इ.ओ. को, सक्षम अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाए। जो आपके पास सूची है, सर्वे हो चुका है, उस सूची के आधार पर, सर्वे के बाद में जो मकान बनते हैं उसमें सक्षम अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाए तो अतिक्रमण रुकेंगे वरना अतिक्रमण नहीं रुकेंगे।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि मकान बन चुके हैं, उन्हें पट्टे दे दें। पट्टे देते नहीं हैं, पैसा आ नहीं रहा है, नगर पालिकाएं गरीब हैं, नगर पालिकाओं की स्थिति दयनीय है। मेरा निवेदन यह है कि उन्हें तत्काल पट्टे दिये जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी यहां पधार गये हैं। पिछले वर्ष 7 करोड़ रुपये सफाई के उपकरणों के लिये यहां पर आपने महोदय ने कहा था। मैं समझता हूं कि उसमें से एक पैसा भी नहीं दिया गया है। मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। मैं चाहूंगा कि जो नगर पालिकाएं गरीब हैं, उनको यह पैसा जो पिछले वर्ष आपने कहा था, वह दिया जाए इसी प्रकार सहभागिता के नाम पर 10 करोड़ रुपये देने थे। उनमें से केवल 4 करोड़ रुपये दिये गये हैं। जो 6 करोड़ रुपये बाकी हैं, वे भी दिये जाएं। इसी के साथ मास्टर प्लान के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि मास्टर प्लान तो सारे राजस्थान में फेल ही रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं जानकारी करना चाहूंगा कि उपकरण के लिये कहा था या तनख्वाह चुकाने के लिये कहा था।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपकरण के लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तनख्वाह के लिये बोला था।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरे ध्यान में उपकरण था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मास्टर प्लान के बारे में निवेदन कर रहा था। मास्टर प्लान 15 साल पुराना बना हुआ है। मास्टर प्लान का नियोजन अधिकारी विभाग स्तर पर यहां जयपुर में बैठता है मेरा निवेदन है कि जहां भी नगर पालिकाएं हैं, उनको वहां पर महीने में एक बार जाना चाहिए। मास्टर प्लान के लिये नियोजन अधिकारी और नगर पालिका, दोनों मिलकर भूमि अवाप्त करें। भूमि अवाप्त हो जाती है और उसके बाद में कहते हैं कि ग्रीन-बैल्ट आ गयी, मकान बन रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि मास्टर प्लान के आधार पर मकान बनें तो उससे शहर सुन्दर लगेंगे।

मैं इसके साथ ही आवासन मण्डल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में लगभग 53 हजार मकानों की सूची पड़ी हुई है परन्तु मकान आबंटित नहीं किये गये हैं। अगर आवासन मण्डल को केन्द्रीयकृत करने के बजाय विकेन्द्रीकृत कर दिया जाए तो यह ज्यादा ठीक रहेगा, सबको लाभ मिल पाएगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि लाटरी निकाली जाती है, बताएं कि इस एक वर्ष में कितनी लाटरी निकाली गयी? मकान बने पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। अब मुझे यह लगता है कि अधिकारी या ऐसी कोई मशीनरी तो कहीं नहीं है जो मंत्री महोदय को फेल करने में लगी हुई हो। इसलिए इसकी व्यवस्था को सुधारा जाए।

बूंदी में ढाई हजार बीघा जमीन अवाप्त की गयी थी और आवासन मण्डल ने कहा था कि हम इस जगह को लेंगे। ढाई हजार बीघा जमीन अवाप्त करने के बाद आज तक आवासन मण्डल ने एक बीघा जमीन भी नगर पालिका से नहीं ली। नगर पालिका की स्थिति दयनीय है। वहां पैसा है नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है उस भूमि को लें। इसके साथ ही....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सिंचाई के बारे में दो मिनट कहूंगा।

नहरों की स्थिति और ड्रेनों की स्थिति, मेरे कोटा सम्भाग में, बूंदी में दो मुख्य नहरें हैं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। 90 प्रतिशत नहरें और ड्रेनें खराब हो चुकी हैं। यदि उनके लिये पैसा नहीं दिया जाएगा तो टेल पर वहां पानी नहीं पहुंचेगा। बूंदी जिले में किसान चावल पैदा करता है। बासमती चावल विदेशों में जाता है। आज वह चावल भी कम पैदा होने लगा है, क्योंकि टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। किसान लड़ता है, अधिकारी भी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हैं कि पानी खेतों तक पहुंचे। लेकिन सारी नहरें जर्जर हो चुकी हैं। इन नहरों के लिये विशेष रूप से पैसा दिया जाए तो ही नहरें ठीक हो पाएंगी। इसके साथ-साथ जो मशीनें दी जाती हैं, उन मशीनों को सहायक अभियन्ता लेवल पर या एक्स.ईएन. के पास सारे अधिकारों सहित मशीन नहीं दी जाएगी तो काम नहीं चलेगा। आज मशीनें दे दीं और मशीनें खराब हो गयीं तो कोटा में ठीक होंगी। उसके लिये अलग अधिकारी है, डीजल के लिये अलग अधिकारी है। मशीन खराब पड़ी है तो उसे सम्भालने वाला कोई अधिकारी जाता ही नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिये एक व्यक्ति को सक्षम अधिकारी बनाया जाए। उमसे स्थिति ज्यादा ठीक होगी और वे ज्यादा काम कर सकेंगे।

सिचाई के बारे में एक मिनट में निवेदन कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय बूंदी जिले में बरखू बांध था। एक गांव है बरखू। उस गांव में सौ प्रतिशत वोट बी.जे.पी. को मिलते हैं। कांग्रेस राज में....

श्री उपाध्यक्ष : यह शायद सुबह भी आप बोले थे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर नहीं बोला।

उस गांव को उठाने की योजना कांग्रेस राज में बनायी। कोर्ट से स्टे लिया गया। अभी मंत्री महोदय ने कहा था कि बरखू बांध बना देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बरखू बांध के बारे में मंत्री महोदय बोलें। जो छोटे–छोटे एनीकट हैं, बरदा बांध के ऊपर 2 फीट से 5 फीट तक चद्दर चलती है। अगर उसके ऊपर छोटे एनीकट बन जाएं तो पानी नदी में नहीं जाएगा और एनीकट बनने से किसानों को लाभ होगा। वह आदिवासी इलाका है। आदिवासी लोग वहां रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एनीकट बनाए जाएं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पराक्रम सिंह।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों विभागों की मांगों पर मेरी दुःख भरी दास्तान आपके माध्यम से मंत्रियों के सामने रखने से पहले मैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सनाढ्य जी द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की रखी गयी मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं कृषि मंत्रीजी से ही चालू करता हूं। तीन साल से लगातार मैं इनसे निवेदन करता आ रहा हूं कि गुलाबपुरा कृषि मण्डी तोड़कर जो कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर है, उसको अजमेर जिले में मिला दिया। उसके लिये मैं 3 साल से लगातार इनको निवेदन करता आ रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी पत्र लिखा, परन्तु अभी तक उस ओर ध्यान नहीं गया और इस वजह से आज 3 साल से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी से एक भी सड़क नहीं बन पायी। मंत्रीजी, कृपया इस ओर विशेष ध्यान देकर के आप हमें राहत प्रदान करें।

(श्री पराक्रम सिंह)

मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब जीतकर आया था तो एक ही निवेदन किया था कि झांथल टैंक, जो अधूरा पड़ा है, उसे बनाने के लिये। इनके विभाग ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्य तो खूब किये परन्तु मैंने जो मांग की थी, और जो वास्तव में मांग है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी उसकी प्रति दी थी, वह कार्य भी नहीं हुआ। झांथल बांध को शीघ्र ही चालू कराने की व्यवस्था करें। आपने निकाल तो दिया, परन्तु मैं समझता हूं कि वित्त विभाग से आपको स्वीकृति नहीं मिली। माननीय वित्त मंत्रीजी बिराजे हुए हैं, मैं वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इनके विभाग को पैसा तो खूब दिया लेकिन मेंटिनेंस के नाम पर इनको एक पैसा भी नहीं दिया इस वजह से आज जितने भी तालाब बने हुए हैं, उनकी मेंटीनेंस बराबर नहीं हो पा रही है और वर्षा होती है तो ऐसी स्थिति आती है कि इर्रिगेशन के तालाब टूट जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा के अन्दर सिर्फ मेरा ही विधान सभा क्षेत्र ऐसा है, जिसमें तीन साल से आज तक एक जल योजना स्वीकृत नहीं हुई, जिले के अन्य विधान सभा क्षेत्र में हो गयी, पता नहीं इनकी मेरे पर मेहरबानी है कि नहीं ? मेरी जो योजनाएं बनी हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज नगरीय विकास का है।

श्री पराक्रम सिंह : नगरीय विकास के लिये तो इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने गुलाबपुरा नगरपालिका के लिये बहुत अच्छा काम किया। एक सुझाव मैं सिंचाई मंत्रीजी को और देना चाहता हूं कि बाढ़ बचाव कार्य वर्षा से पूर्व करा लिये जाएंगे तो लाभ पहुंचेगा। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीरजी भगोरा कृपया दो मिनट में ही समाप्त करें।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : सिर्फ दो मिनट में ही साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मांग संख्या 29, 37 और 46 पर चर्चा हो रही है, यह तीनों मांगें एक दूसरे के अनुपूरक हैं। प्रमुख जो मांग है, उसमें सिंचाई का विषय है। उस सन्दर्भ में मैं दो लाइन कहना चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने अभिभाषण के समय और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल संसाधनों के नियोजन के लिये जो पक्ष रखा है, वह इस बात को मध्यनजर रखते हुए रखा है, उसके लिये मैं एक दोहा बोल रहा हूं–

"जल जोरी जल हीरा जल
मोतियन की खान।
निगाह उठा के देखिये,
जल बिन जग कंगाल।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रहीमदास जी ने यह कहा है कि :–

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून
पानी गये न उभरे, मोती मानस चून।।

(श्री महावीर भगोरा)

मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं कि उदयपुर सम्भाग जो है, पहाड़ी क्षेत्र है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सब कुछ कह दिया और क्या चाहते हैं ?

श्री महावीर भगोरा : नहीं कहा है, साहब। फिर भी एक बार बोल देता हूं। उदयपुर सम्भाग पहाड़ी क्षेत्र हैं और यहां पानी बहकर गुजरात और मध्यप्रदेश चला जाता है। मैं माननीय सिचाई मंत्रीजी का आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पिछले तीन वर्षों में जनजाति उप योजना क्षेत्र में काफी डेम और एनीकट्स की स्वीकृतियां दी हैं। इनका जो मास्टर प्लान बनना था, किन्तु इनका सर्वे विंग, मैं स्पेशल कह रहा हूं आज की तारीख में बिलकुल काम नहीं कर रहा है, परन्तु हमारे जनजाति विकास विभाग के जो मंत्री हैं, उन्होंने पूरी जनजाति उप योजना क्षेत्र का सर्वे करा लिया है और मैं यह चाहूंगा कि इसी हिसाब से मास्टर प्लान बनाकर पानी को रोकने के लिये छोटे-छोटे डेम, एनीकट आदि बन जायं तो कम से कम वह पानी खेत की ओर मोड़ पाएंगे। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इन्होंने जो एनीकट की दो मीटर की हाइट का मानदंड रखा है, समतल एरिया में, मैदानी इलाके में तो दो मीटर की हाइट के डेम, एनीकट अच्छे हैं, पानी क्षमता बढ़ सकती है, परन्तु पहाड़ी क्षेत्र में दो मीटर तक तो उसकी नींव भी नहीं भर पाती है। आप इसमें ऊंचाई के बजाय भराव क्षमता का मापदण्ड रखेंगे तो मैं यह समझूंगा कि हमारे क्षेत्र के लिये आपने उस पर कोई पुनर्विचार किया है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर जिले में, कोटड़ा और झाड़ोल सब डिवीजन में, यह दोनों ऐसे सब डिवीजन हैं, जिसमें मात्र तीन-तीन जे.ईएन. की पोस्ट है। सभी सब डिवीजनों पर चार चार जे.ईएन. की पोस्ट है। मैं चाहूंगा कि कोटड़ा जो आज की तारीख में जल संसाधन के लिये रिच सैक्टर है और एक मात्र वही क्षेत्र बचा है, जहां पर पानी रोका जा सकता है तो आप जो डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन है, उसमें तो एक जे.ईएन. की पोस्ट बढ़ायें ही बढ़ायें साथ ही एक नया सब डिवीजन और खोलें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। क्योंकि पिछले वर्ष में चार डेम स्वीकृत हुए हैं, इस वर्ष के दो प्रपोजल आपके विचाराधीन हैं, एक हरकानाका और एक क्यारी तो उसकी भी आप स्वीकृति दिलाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री महावीर भगोरा : एक ही मिनट में कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक डेम्स की रिपेयर, नहरों की मरम्मत आदि के रख-रखाव की बात है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके लिये विशेष बजट का प्रावधान किया जाय ताकि जो एसेट्स हमारे पास निर्मित हो चुकी है, उन एसेटस की सुरक्षा हो सके। नये काम के लिये तो बहुत पैसा देते हैं पर उनकी सुरक्षा के लिये और

(२०)

(श्री महावीर भगोरा)

रख–रखाव के लिये व्यवस्था नहीं हो रही है तो इसके लिये आप प्रावधान करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं ।

मैं कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारा उदयपुर सम्भाग को जनजाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर कृषि विश्वविद्यालय की हमारी मांग है, उस मांग को निश्चित रूप से पूरा करें । पैसे की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हमें जनजाति विकास विभाग से जो राशि मिलती है और राशि की हम मांग करेंगे, केन्द्र सरकार से भी हमें सहयोग मिलेगा तो जनजाति क्षेत्र के लोगों को हम कृषि के क्षेत्र में बढ़ा पाएंगे, यही मेरा निवेदन है ।

अन्त में नगर आयोजना मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप मास्टर प्लान तो बनाते हैं दस या पन्द्रह साल का और जब तक आपका मास्टर प्लान बनता है, इसके पहले भू-माफिया या अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, उसको चकनाचूर कर देते हैं । मेरा आपसे यह आग्रह है कि आपके जो भी वहां पर संस्थान काम करते हैं, चाहे नगर विकास न्यास हो या नगर परिषदें हों, आप उनके अन्दर जो कार्यरत अधिकारी हैं, उन्हें पाबन्द करें और अतिक्रमण जो होते हैं, उनको किस तरह से रोका जाए इस ओर ध्यान देंगे, बाकी सारी बातें आ गयी हैं । समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 29, 37 और 46 पर चर्चा हो रही है । मैं अपने आपको इसमें शरीक करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी को क्षेत्र की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिरोही जिले के अन्दर जो एक वर्ष पूर्व दो बांध निम्बाहेड़ा बांध और करोड़ीध्वज बांध जो लगभग छह करोड़ के बनकर एक ही साल में पूर्ण हो गये और उसी से किसानों को सिंचाई मिली है, इसके लिये जनता की ओर से आपको और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा ।

दूसरी बात, सिरोही जिला लगभग गुजरात सीमा पर आया हुआ क्षेत्र है । पहाड़ी एरिया होने के कारण बरसात में पूरा पानी बहकर गुजरात चला जाता है । मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सुकुली सेलवाड़ा बांध लगभग पन्द्रह–सोलह सालों से विचाराधीन चल रहा है । 1984 में लगभग पांच करोड़ की राशि इसके लिये सैंक्शन भी हुई थी । परन्तु अभी तक सैण्ट्रल गवर्नमेंट से क्लीयर होने के बाद में भी वित्तीय सैंक्शन या इस बजट में इस बांध को नहीं लिया गया है । मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस सुकुली सेलवाड़ा बांध के बारे में इस विधान सभा में घोषणा करें और इस बांध की सैंक्शन दिलवायें । इसके साथ-साथ में दो–चार एनीकट भी हैं, जो अधूरे पड़े हैं, उनकी वजह से आस-पास के किसानों को भी राहत मिल सकती है । सिंचाई हो सकती है, इनको भी पूर्ण कराने की व्यवस्था करिये । जैसे पंचदेवल महा-

(श्री जयन्ति लाल कोली)

देव का है, हनुमानसागर है, भीलाभगरी है और मीठन का एनीकट है। इसके अलावा एक हमारा धवली बांध जो आधा-अधूरा पड़ा है, उसको भी पूर्ण कराने का कष्ट करें। इसके अलावा मैं माननीय कृषि मंत्री जी को आपकी तरफ से दो सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे सिरोही और जालौर दोनों जिलों के अन्दर कृषि की एक भी मंडी नहीं है, जिसमें वहां पर रायड़ा सौंफ, टमाटर, गेहूं, जीरा आदि की बहुत ही ज्यादा पैदावार है। पूरा का पूरा सामान हमको गुजरात में बेचने के लिये ले जाना पड़ता है। अतः वहां एक कृषि उपज मण्डी बनाने की व्यवस्था करिये। इसके साथ–साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा दो–चार रोड्स बनायी हुई है, पर उनकी आज तक कोई रिपेयर नहीं की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : रोड की कोई मांग नहीं है यहां।

श्री जयन्ति लाल कोली : कृषि उपज मण्डी की है, साहब। उसमें सिरोही से उडवादिया वाया असावा बनायी हुई रोड है। उस पर एक साल पूर्व एक पुल बनाया गया था। उस पर बिना गाड़ी चले ही, एक ही बरसात में पानी आने से वह बह गया। मान्यवर, ऐसे अगर किसी ने पुल बनाया है तो उस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करिये। एक अनादरा से सेलवाड़ा तक रोड बनायी थी, वहां पर गिट्टियां तो डाल दीं लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कोई डामरीकरण नहीं किया गया तो वहां पर बैलगाड़ी या पैदल भी कोई नहीं चल सकता। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उसके ऊपर डामरीकरण किया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री महोदय।

श्री कन्हैयालाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले बोल चुके, माननीय सदस्य। नहीं कृषि मंत्री महोदय को पुकार लिया, आप बिराजें। कृपया बिराजें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : एक मिनट का टाइम दे देते।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सवाल हो तो पूछ लेना बाद में।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कृषि और सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की मांग के बारे में काफी मूल्यवान सुझाव दिये। मेरा यह प्रयास रहेगा कि संक्षेप में इन कटौती प्रस्ताव के जरिये आपने जो बातें रखी हैं, कुछ समस्याएं रखी हैं, कुछ सुझाव रखें हैं मैं उनका उत्तर दे सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि विभाग का सम्बन्ध है, राजस्थान ने कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में निश्चित रूप में पिछले पांच–छह सालों में हमारे मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में अगवानी है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में 103 करोड़

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

रुपये खर्च हुए और वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना में 467 करोड़ रुपये का व्यय राजस्थान कृषि विभाग पर हुआ। उससे राजस्थान में कृषि को स्थायित्व मिला है। इसके साथ–साथ कृषि को हमारी जो भी समस्याएं हैं, आज हमारी 78 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर करती है सिर्फ 22 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था है। इसके साथ–साथ जो भी हमारी खाद्य उत्पादन की स्थिति है, हमारी सातवी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में आठवीं पंचवर्षीय योजना में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई है। खाद्यान्न के उत्पादन में और विशेष कर तिलहन के उत्पादन में हमारा पूरे देश के अन्दर दूसरा स्थान है। कपास के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छे किस्म की कपास जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में छह लाख गांठ का उत्पादन था वहां आंठवीं पंचवर्षीय योजना में बिलकुल दुगुना, अर्थात् 11 लाख गांठों का उत्पादन हमारे यहां हुआ है। इस प्रकार के हर क्षेत्र में राजस्थान में खाद्य के उत्पादन में प्रगति हुई है।

जहां तक सिंचाई प्रबन्धन का प्रश्न है, क्योंकि यह अब अहम समस्या है कि राजस्थान के प्रायः सभी सूबों के लिए कि बरसात के पानी का संचय कैसे किया जाय, जो धरातल का पानी नीचे जा रहा है उसको कैसे ऊंचा किया जाए, कैसे पानी उपलब्ध हो, कम पानी से कैसे ज्यादा खेती की जाय? यह अहम प्रश्न और बहुत बड़ा चैलेंज राजस्थान के काश्तकारों के सामने, हमारी सरकार के सामने और प्रशासन के सामने है।

मुख्य मंत्री जी इजरायल गये थे, उन्होंने वहां पर काफी विचार-विमर्श किया। मुझे भी काश्तकारों के साथ जाने का मौका मिला। मुख्य मंत्री जी के इजरायल से आने के बाद जो भी उन्होंने बैठक में निर्देश दिये थे उनको हमने हमारे जितने भी राजस्थान के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, कृषि विभाग के एग्रीकल्चर फार्म हैं उनमें हमने यह प्रयास किया है कि वहां पर हमारी स्प्रिंकलर, ड्रिप पद्धति का ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन हो। अच्छे बीज का उत्पादन हो। इसके साथ–साथ हमने इस साल अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया है कि अगले साल से इन सब बातों को प्रदर्शित करने के लिए हम सबडिवीजन स्तर पर, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के जो भी विभाग हों, चाहे सोइल कंजर्वेशन है, मार्केटिंग हैं, एग्रीकल्चर का कृषि विज्ञान केन्द्र है, इन सब के साथ सामुहिक तरीके से हम वहां पर कृषि प्रदर्शनी आयोजित करना चाहते हैं जिससे काश्तकारों को, राजस्थान के किसानों को इस प्रगति के बारे में, नयी टैक्निक के बारे में ज्ञान हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा किसान तक, खेत तक नयी टैक्निक को ले जा सकें। यह हमारा मुख्य रूप से अगले साल प्रयास रहेगा।

(20.25)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

जहां तक हमारी अन्य गतिविधियों का प्रश्न है, हमारे काफी विधायकों ने अलग-अलग तरीके से बात कही, सड़कों के बारे में बात कही। सड़कों के बारे में मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

नीति पी. डब्ल्यू. डी. की बनी हुई है। इसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि कृषि विभाग में जो कृषि मण्डी से सड़कें बनें वे व्यवहारिक हों और क्षेत्र की आवश्यकतानुसार बनें। मैं भी इस बात से काफी हद तक सहमत हूं। मुख्य मंत्रीजी से मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि हम सड़क नीति के अन्तर्गत किस प्रकार से, जरूरत के हिसाब से, आवश्यकतानुसार हम उसमें क्या ढील दे सकते हैं जिससे क्षेत्र की आवश्यकतानुसार उन सड़कों से जो भी ज्यादा जरूरतमंद हों उनको जोड़ा जा सके। अप्रेल, 1995 तक राजस्थान में 5755 किलोमीटर सड़कें बनीं। उससे पहले तीन साल तक कोई भी सड़कों की मरम्मत का प्रावधान नहीं था। हमने मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर इस बात का निर्णय लिया कि निश्चित रूप से सड़कों का रख-रखाव होना चाहिए। तीन साल के अन्दर 39 करोड़ रुपये हमने सड़कों की मरम्मत पर खर्च किये और एक नीतिगत निर्णय लिया कि 1995 के बाद जो हमारी सड़कें बन रही हैं वह रख-रखाव के लिए सीधी हम पी. डब्ल्यू. डी. को सुपुर्द कर रहे हैं और जो बची हुई सड़कें हैं उनका 30 अप्रेल तक सारा का सारा पैसा हम पी. डब्ल्यू. डी. को दे देंगे। 30 जून तक पी. डब्ल्यू. डी. ने हमको एश्योरेंस दिया है कि राजस्थान में सारी की सारी मण्डियों की सड़कों की निश्चित रूप से मरम्मत कर दी जायेगी। इससे आज भी हमारी सड़क मरम्मत की समस्या है उस समस्या को हम दूर कर पायेंगे।

इसके साथ-साथ हमारी कृषि विभाग की अन्य गतिविधियां हैं। भू-संरक्षण के बारे में, जल संग्रहण विभाग के बारे में बातें कही गयीं। पिछले माह कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थीं तब मैंने तो खुद इनको कहा था कि जो केन्द्र परिवर्तित योजनाएं हैं वह हमारे पर लादी जाती हैं। क्योंकि हमें क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार, प्रदेश की आवश्यकतानुसार, परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता है। ऐसी ही स्थिति में हमारी भू-संरक्षण एवं जल संग्रहण विभाग के बारे में है। कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जहां पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, जो योजनाएं व्यावहारिक रूप से बननी चाहिए। अभी हम जल ग्रहण के तहत बाड़बंदी करते हैं, कुछ एनीकट बनाते हैं लेकिन वास्तव में वह व्यावहारिक रूप से सही नहीं हैं। जैसे अभी हमारे काफी विधायकों ने बताया। इसके बारे में हमारी केन्द्र सरकार से, सचिव स्तर पर यहां अधिकारी आये, हमने भी बातचीत की और हम यह चाह रहे हैं कि इन योजनाओं में इस प्रकार के कुछ हमारे सुझाव स्वीकृत किये जाएं जिनसे कि हम राजस्थान के काश्तकारों के लिये भूमि सुधार में पुख्ता काम कर सकें और जो पानी नीचे जा रहा है उस पानी को एनीकट के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा ऊंचा उठा सकें। हमारी जो बंजर भूमि है उसको हम चारागाह के जरिये, अन्य साधनों के जरिये हराभरा बना सकें। इस प्रकार की बात हमारे समक्ष विचाराधीन है। हम आवश्यकता अनुसार मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि वो भी केन्द्रीय सरकार से इसके बारे में बातचीत करके एक व्यावहारिक योजना बनायें जिससे उस पैसे का सही मायने में उपयोग हो सके।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

कुछ विधायकों ने जल संग्रहण और भू-संरक्षण के बारे में जो बातें कहीं उनके बारे में मैं विधायकों से निवेदन करूंगा और मैं हमारे सचिव को, डायरेक्टर को निर्देश दूंगा कि वे डिप्टी डायरेक्टर के साथ जाकर मौके पर इस बात का फिजिकली वैरीफिकेशन करें कि वास्तव में कही इस प्रकार की व्यवस्था तो नहीं हो रही है कि मौके पर काम नहीं हो रहे हैं। वैसे तो हमारे यहां यूजर्स कमेटियों का प्रावधान है। यूजर्स कमेटी के बारे में शिकायतें आयीं कि कुछ प्रभावशाली लोग अपने तरीके से गठन कर लेते हैं। क्योंकि यूजर्स कमेटियों को भुगतान का काम करने का सारा अधिकार है सिर्फ एग्रीकल्चर विभाग टैक्निकली सुपरवीजन करता है। इसके लिए हमने इस बात की व्यवस्था की है कि इनमें पंचायत का प्रतिनिधि हो, महिलाओं का प्रतिनिधि हो, कम से कम उस क्षेत्र के 100 लाभान्वित होने वाले काश्तकार उसके अन्दर सम्मिलित हों और कृषि विभाग का, सोइल कंजर्वेशन को छोड़कर अन्य विभाग का अधिकारी उसमें चुनाव करे। उसमें कुछ तो सुधार हुआ है। और भी मैं विधायकों से अलग से बैठकर के उस क्षेत्र के जो हमारे सोइल कंजर्वेशन विभाग के लोग हैं, उनसे मैं यह चाहूंगा कि वे इसमें व्यावहारिक सुझाव दें जिससे इस पैसे का भी पूरा उपयोग हो, सही मायने में व्यावहारिक योजना बन सके और राजस्थान में कृषि के मामले में काफी सुधार हो सके।

जहां तक अन्य हमारी योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में अभी श्री सनाढ्यजी ने बात कही, कुछ उदयपुर सम्भाग के विधायकों ने भी बात कही कि अलग से उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। वैसे तो हमारे स्टेट के हिसाब से बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले तीन वर्षों में जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने ढांचा तैयार किया, राजस्थान के काश्तकारों के अनुसंधान के लिए और कार्यक्रम के लिए वैसा ढांचा शायद अन्य किसी भी प्रदेश में तीन वर्ष के अन्दर नहीं बना। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो समन्वित कृषि अनुसंधान केन्द्र था बाजरे का पूना के अन्दर उसको मंडोर में हस्तांतरित किया गया और उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। तिलहन के लिए अनुसंधान केन्द्र दिल्ली के अन्दर था। जो पूरे राष्ट्रीय स्तर का था, उसको बीकानेर में शिफ्ट किया गया है और अब हमारा मसाले का जो विशेष रूप से राजस्थान में है, उसके अनुसंधान केन्द्र के लिए भी आई.सी.आर. से हमें इस बात की स्वीकृति मिली है कि राजस्थान में जयपुर के अन्दर एक अनुसंधान केन्द्र मसाले का हो, जिससे मसालों में ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को भाव मिल सकें। इस प्रकार की विशेष रूप से तीन साल के अन्दर प्रगति हुई।

ए.डी.पी. कार्यक्रम के तहत 50 करोड़ रुपये का इस साल प्रावधान हुआ। उसमें काफी बिल्डिंग्स और भवन भी बनें और एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होना था वह तैयार हुआ।

दूसरा, जहां तक हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, वैसे तो जैसा उदाहरण के तौर पर बताया गया कि कहीं दो,

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

कहीं चार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी कि इसके लिये शुरू में हमें करीबन 25-30 करोड़ रुपयें की आवश्यकता होगी और उसके बाद सालाना पांच-सात करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं आप सब माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम नेता महोदय के समक्ष इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे और जो भी इसमें हो सकता है वह हमारे नेता महोदय करने का प्रयास करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : नेता महोदय बहुत उदार हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : नेता महोदय ने याद दिलाया कि राजस्थान से निर्यात की कभी कल्पना नहीं थी कि यहां से निर्यात होगा। मुख्य मंत्रीजी की विशेष रूचि और हमारे यूरोप दौरे के बाद कीन्नू के बारे में (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टोंक की मिर्ची का एक्सपोर्ट कर रहे हो ना ?

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जैसा अभी मुख्य मंत्रीजी ने टोंक की मिर्ची और फल-सब्जी के बारे में बताया। हमने टोंक की मिर्ची, सन्तरा और कीन्नू का निर्यात। उससे काश्तकारों को 40 प्रतिशत अधिक भाव मिले हैं। आज कीन्नू के पौधे देने के लिये हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। यह मांग हमारे गंगानगर जिले में है जहां सन्तरा बोया जाता है। वहां से यह मांग हमारे सामने आयी है।

इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारा इस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकें। इसके लिये हमने पूंजी निवेश, अनुदान योजना बनायी है। मुख्य मंत्रीजी के निदेश पर हिन्दुस्तान में सबसे पहले अनुदान योजना को चालू किया है जिससे कृषि आधारित योजना का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। निर्यात के लिये हमने 20 लाख रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की है और इस व्यवस्था को हम और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी उस समय केन्द्र सरकार से मैंने बात की थी। उन्होंने इसको एप्रीशिएट किया और इस बात के लिये हमें आश्वस्त किया कि इस योजना में हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं, हम भी अनुदानित करना चाहते हैं जिससे कृषि आधारित उद्योग फल-फूल सके और काश्तकारों को अच्छा भाव मिल सके। काश्तकारों को भाव अच्छा कैसे मिले, क्योंकि मिनिमम प्राइस केन्द्र सरकार तय करती है और उसके बाद भी आज काश्तकार के सामने सबसे ज्यादा समस्या भावों की ही है। हमें कपास का भाव अच्छा नहीं मिला लेकिन हम भी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम यह बहाना लेकर नहीं चल सकते कि यह दिल्ली सरकार का काम है। ठीक है, कानूनी रूप से तो यह सही हो सकता है लेकिन हमारी भी जिम्मेवारियां हैं कि काश्तकारों की माली हालत सुधरे। माली हालत जब सुधरेगी जब किसानों को अच्छे भाव मिलेंगे। उनकी प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ा है राजस्थान में, इसमें तो दो राय नहीं है लेकिन और उत्पादकता बढ़नी जरूरी है। प्रति हैक्टेयर

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

उत्पादकता बढ़ेगी, काश्तकारों को अच्छे भाव मिलेंगे तभी काश्तकारों की माली हालत सुधर सकेगी। इसके लिये प्रति हैक्टेयर ज्यादा उत्पादन बढ़े और कृषि विज्ञान केन्द्र हो। हमारा राजस्थान इस मामले में भाग्यशाली है कि हर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों का चयन कर लिया गया है और जैसा मैंने अभी बताया कि हम कृषि विज्ञान केन्द्र को, साइंटिस्ट को, हमारे एग्रीकल्चर के सब लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा कृषि मेलों के जरिये, अन्य संस्थाओं के जरिये इस तकनीक को काश्तकारों तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छी तकनीक काश्तकारों के पास पहुंचेगी, अच्छा बीज काश्तकारों को मिलेगा और उसके साथ-साथ हमारी नयी तकनीक, सलाह मिलेगी तब काश्तकार आगे बढ़ेंगे।

जहां तक बीज का प्रश्न है, बीज को जो प्रमाणीकरण संस्था है या हमारा जो बीज निगम है वह स्थापना के बाद 18 साल से निरन्तर घाटे में रहा है। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में दो साल पहले मुख्य मंत्रीजी के सामने भी समस्या आयी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह आज लाभ की स्थिति में आया है। बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो बीज का प्रमाणीकरण करती है उसने तीन साल में दो करोड़ रुपये कमाये। काश्तकारों को अच्छा बीज मिला। पिछले साल गेहूं का 10 रुपये किलो भाव था इस बार साढ़े सात रुपये किलो से हमने अच्छा बीज दिया है। हम चाहते हैं कि हम मुनाफा नहीं कमायें, काश्तकारों को सही कीमत पर अच्छा बीज मिले। इसके लिये मैंने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश भी दिये हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन बीज सही मिले, बीज के अन्दर मिलावट बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, क्योंकि बीज पर ही किसान का लाभ और खेती निर्भर है। अच्छा बीज मिले, सही दाम पर और अच्छी तकनीक मिले।

इसके साथ-साथ खाद के बारे में आज आश्चर्यचकित होंगे कि खाद की उत्पादकता दर पूरे देश में 30 पर्सेंट एवरेज है और हमारे प्रदेश के अन्दर 115 पर्सेंट हमने खाद का उपयोग हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा किया है। इसका मतलब यह है कि तकनीक की तरफ, नयी व्यवस्था की तरफ राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैंने कृषि की सम्भावनाओं के बारे में कई पेपर पढ़े, जैसी मेरी रूचि भी है और मैंने कृषि अधिकारियों से और रिसर्च वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। अगर परिस्थितियां सामान्य रहीं और इस पानी का हम ज्यादा से ज्यादा सही उपयोग कर सके तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान इसमें आगे बढ़ेगा। मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी का अगर पांच साल तक हमें नेतृत्व मिलता रहा तो राजस्थान कृषि के मामले में पूरे देश में आगे से आगे बढ़ता रहेगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि हमारे यहां अभी सेच्युरेशन पाइंट नहीं आया है। पंजाब के अन्दर सेच्युरेशन पाइंट आ गया। वहां अब आगे नहीं बढ़ सकते।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी प्रदेशों-हरियाणा, पंजाब, यू.पी. मध्य प्रदेश और गुजरात, हमारी

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

कृषि पर जो पूंजी निवेश हुआ है उसमें पिछले छह साल के अन्दर सबसे ज्यादा 24 पर्सेण्ट राजस्थान में पूंजी निवेश हुआ है। हरियाणा के अन्दर 13 पर्सेण्ट, मध्यप्रदेश के अन्दर 6 पर्सेण्ट, गुजरात के अन्दर 10 पर्सेण्ट और पंजाब के अन्दर माइनस गया है। इस प्रकार से यह जो पूंजी निवेश बढ़ रहा है यह इस बात का संकेत है कि हम स्थायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं और पूंजी निवेश की जो बात आज कही जाती है, कृषि में हमारा जैसा प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे पूरे देश के स्तर पर एग्रीकल्चर में बहुत कम पूंजी निवेश हुआ है। पूंजी निवेश बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी, कृषि में एक नया ढांचा तैयार होगा और राजस्थान में अभी बहुत एक्सप्लायटेशन की गुंजाइश है। कुछ ऐसी धरतियां हैं जहां हम स्प्रिंकलर्स के जरिये, ड्रिप के जरिये आगे बढ़ सकते हैं और मुख्य मंत्रीजी के आशीर्वाद से और उनकी शुभकामनाओं से स्प्रिंकलर की बहुत प्रगति हुई है और उसकी बहुत डिमाण्ड है। पहली पंचवर्षीय योजना में जहां 3100 पम्प सैट्स स्प्रिंकलर के लगे और इस साल के अन्दर हमने 22 हजार पम्प सैट्स लगाने का लक्ष्य तय किया है लेकिन उसके बाद भी मांग और बढ़ती जा रही है। क्योंकि इससे 20 से 40 पर्सेण्ट पानी की बचत भी होती है और काश्तकार उससे ज्यादा फायदा उठा सकता है, कम पानी से खेती कर सकता है।

गंगानगर जिले के काश्तकारों की सेम की वजह से समस्या है। वहां ज्यादा पानी की वजह से समस्या निश्चित रूप से आयी है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का हामी हूं कि कम पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाएं और हमारी आई.जी.एन.पी. या जो भी दूसरी नहरें हैं उनको आगे से उस प्रकार से नियोजित किया जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें चूने का भय है, वहां तो कम से कम फ्लो इरिगेशन को पाबन्द किया जाए। वहां ड्रिप और स्प्रिंकलर से खेती की जाए जिससे खेती को भी बचा सकें और काश्तकार की भी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। जैसे लवणीय और क्षारीय भूमि है उसके अन्दर खेती कम होती है। इस धरती की पोषणता के लिये जिप्सम का होना बहुत आवश्यक है। मैं वित्त मंत्रीजी को और विशेषकर मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक करोड़ रुपये अनुदान की व्यवस्था की जिससे हमारे काश्तकारों को बहुत फायदा हुआ है। 60 पर्सेण्ट उसमें अनुदान मिलेगा और बहुत सारी लवणीय और क्षारीय भूमि में हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ा पाएंगे, उत्पादन को बढ़ा पायेंगे।

हमारी मंडियों के बारे में कुछ बातें कही गयीं। वैसे 12 कमजोर मण्डियों को तोड़कर हमने सम्पन्न मण्डियों में जोड़ा है। इसलिये जोड़ा है कि एस्टेब्लिशमेंट खर्चे के साथ-साथ कुछ विकास के काम कर पाएं। आज भी फागी से आने वाले विधायक ने चाकसू को जयपुर से मिलाने के लिये और गुलाबपुरा से आने वाले विधायक ने विजयनगर किसी वजह से दूसरे जिले में मिल गयी, वह भीलवाड़ा में मिलाने के लिये कहा है। मैं इस अवसर पर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रार्थना-पत्र दे दें। गुलाबपुरा को भीलवाड़ा में और फागी को हम जयपुर में मिलाने लिये के मुख्य मंत्रीजी से

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

निवेदन करेंगे जिससे उन क्षेत्रों में सड़कों का और ज्यादा विकास का काम हो सके।

सी.ए.डी.क्षेत्र के बारे में अभी कुछ विधायकों ने कहा, माननीय श्री ओमप्रकाश जी ने भी कहा। वास्तव में मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे चम्बल क्षेत्र की जो सी. ए.डी. योजना है, उसमें वास्तव में वाटर सिस्टम को अडॉप्ट भी किया है। किस प्रकार से वाटर का मिस-यूज किया जा रहा है, यह देखने योग्य है। मुख्य मंत्रीजी ने कई बार इस बात के लिये कहा कि क्रिमिनल वेस्टेज वहां किया जा रहा है।

माननीय श्री कौशल जी भी इस बात से सहमत हैं लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य मंत्रीजी की विशेष मदद से वहां पर पिछले साल, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये विधायक बैठे हैं, इनसे पूछा जाए कि पानी टेल तक पहुंचा है, काश्तकार को टेल पर पानी मिला है। इस साल बीस किलोमीटर नहरों और ड्रेनों की खुदाई और सफाई की है और अगले साल 250 किलोमीटर हम ड्रेनों की सफाई और खुदाई का काम करेंगे जिससे कि उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो सके और टेल के अन्तिम छोर के काश्तकार को पानी दे सकें। हमने वहां जन सहभागिता योजना का प्रोग्राम भी चालू किया है। जन यूटिलाइजेशन कमेटियां बनायी हैं, तीन माइनरों का सारा का सारा काम उनको दे दिया और इसके लिये 27 लाख रुपये की ए.डी.पी. से हमने स्वीकृति दी है जिससे माइनर्स का रख-रखाव खुद करें, माइनर्स को पक्का करें और खुद चलाये और काश्तकार से भुगतान हो।

इसी सन्दर्भ में हमने छह माइनर्स पर नाबार्ड की सहायता से 107 लाख रुपये दिये जिससे वे माइनर्स को पक्का करें, उसकी सफाई का काम करें। जन सहभागिता को ज्यादा से ज्यादा हम सिंचाई में सम्मिलित करना चाहते हैं जिससे काश्तकार अपनी जिम्मेदारी को समझें और किसी सरकार की अन्य कोई बात न समझकर अपनी नहर समझें ताकि नहर से उत्पादन भी ज्यादा हो और की बचत भी कर सकें। हमारे बीकानेर क्षेत्र में इस साल सी.ए.डी. के इतिहास में सबसे ज्यादा 71 हैक्टेयर में खालों का काम हुआ है जो आज तक कभी सी.ए.डी. के विभाग में बात नहीं थी, डिग्गियां बनी हैं।

सेम के बारे में जैसा कि कासनियां जी ने कहा। मुख्य मंत्रीजी ने कई बार बैठकें ली हैं। सेम के बारे में हमारे 120 कुएं 31 मार्च तक बनकर तैयार हो जायेंगे। अगले साल भी 80 कुओं का प्रावधान रखा गया है। मुख्य मंत्रीजी ने भी यह कहा है और मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम कासनियां जी से निवेदन करना चाहते हैं कि उसमें और कुएं भी स्वीकृत किये जा सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार का और मुख्य मंत्रीजी का यह ध्येय है कि अमूल्य धरती को किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। इसलिये जो हमारा ड्रेंस का मामला है। भूड़ों पर पानी ड्रेंस के जरिये निकालने की बात हुई है। उसके लिये हमने तखमीने तैयार कर लिये हैं और मुख्य अभियन्ता को भेज दिया गया है। ड्रेन के जरिये जो भी कुछ हो सकता है, हमारे कपूर साहब ने देखा है, उसको भी हम लागू करना चाहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत अमूल्य सुझाव दिये....

210

एक माननीय सदस्य : ज्ञानसिंह जी, आपके ज्ञान का लोहा मान रहे हैं।

कई माननीय सदस्य : फसल बीमा !

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : फसल बीमा योजना के बारे में जो बात कही गयी, हमने 1985-86 में खरीफ-रबी में इस फसल योजना को राजस्थान में चालू किया था, परन्तु करीब 23 करोड़ रुपये का घाटा होने के बाद उसको समाप्त कर दिया गया। अब हमारे मुख्य मंत्रीजी को केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी ने पत्र लिखा है, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास भी आयी है। उस पर हम विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नयी गाइड लाइंस भी दी हैं, कृषि मंत्रियों की बैठक में भी दी गयी थी और अब भी दी है। पहले क्या था कि उसमें हमारे माइनर फार्म जुड़े हुए नहीं थे, उसमें वही लोग थे जो लोनी थे। अब हम भी इस बात से सहमत हैं कि बगैर लोन के भी लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए, हमारे माइनर फार्मों को भी सम्मिलित किया जाए और पहले जो तहसील को यूनिट मानते थे उसको पंचायत यूनिट मानी जाए। उस वास्ते तो हम सहमत हैं लेकिन उन्होंने एक बात जो कही है, हमारी आबादी का आधार होता है सेन्टर और स्टेट के पास उसको हमारी फसल बीमा में तोड़ना चाहते हैं।

मैंने कृषि मंत्रियों की बैठक में भी कहा और अब भी मुख्य मंत्रीजी के जरिये इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारी केन्द्र और स्टेट की योजना है उसको कम से कम, क्योंकि हमारे लिये वह इसलिये भी जरूरी है कि हमारे यहां अकाल पड़ते हैं, बाढ़ आती हैं, रोजगार मिलता है। इस योजना को सुरक्षित रखते हुए और जो प्रीमियम का पैसा हो, हमारे प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए और प्रदेश में पड़ने वाले अकाल के हालात को देखते हुए उस प्रीमियम को केन्द्रीय सरकार वहन करे। इस प्रकार के प्रस्ताव हम फसल बीमा योजना के अन्दर भेजना चाहते हैं। फसल बीमा योजना वास्तव में सरकार की निहायत आवश्यकता है। क्योंकि काश्तकार पर इतना बड़ा वजन पड़ जाता है कि काश्तकार बगैर फसल बीमा योजना के संभल नहीं पाता। आज हमारी कृषि बहुत मंहगी हो गयी। कृषि भी आज उद्योग है। अच्छा मंहगा बीज, बढ़िया खाद, अच्छी नयी टैक्निक लागू करने के बाद अगर उसको कुछ नहीं मिलता है और हम कंपनसेट नहीं कर पायेंगे तो वह नयी टैक्निक एडॉप्ट नहीं कर पायेंगे। यदि हम चाहते हैं कि उन्नत खेती हो, नयी टैक्निक हो, प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़े तो हमें निश्चित रूप से फसल बीमा योजना लागू करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इसके बारे में पहल करके फसल बीमा योजना को राजस्थान में लागू करवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी।

श्री टीकमचन्द कान्त : ज्ञानीजी, ज्ञानी हैं साहब। हम मान रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 पर आज 17 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, अच्छे सुझाव दिये। वैसे कटौती प्रस्ताव भी माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं, उनके उत्तर उनको शीघ्रातिशीघ्र पहुंचा दिये जायेंगे।

(श्री देवीसिंह भाटी)

राजस्थान का भू-भाग पूरे देश में यदि हम देखें तो वह रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और सारी ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में जो बसा हुआ है उसकी भौगोलिक परिस्थिति है। 11 प्रतिशत इसका भाग हमारे पास उपलब्ध है, भू-भाग का, पूरे देश का। लेकिन पानी कितना है, मात्र एक प्रतिशत। उसके बावजूद भी जैसाकि सब यह मानस बनाये हुए थे, जानते थे नजदीक से, कि यहां इस प्रदेश के लोग इतने अमीर नहीं हैं, राजकोष में इतनी आय नहीं होती, उसके उपरान्त भी इस थोड़े से पानी को भी हमने उपयोग में लिया और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज जो असंभव माना जाता था कि रेगिस्तानी क्षेत्र में कभी नहर आ सकती है, असंभव है। मैं दाद दूंगा, मैं तारीफ करूंगा ऐसे हमारे उन स्वर्गीय अभियन्ताओं को और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उस कल्पना को साकार किया और आज इतना बड़ा कृषि उत्पाद हमारे सामने है। आज भले ही किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण से हमें अनाज इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान कैनाल का इतना बड़ा क्षेत्र, ऐसी नौबत नहीं आयेगी कि कभी गेहूं हमें इस प्रदेश में इस देश में आयात करना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा पहले इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में, क्योंकि जैसी आम तौर पर रुचि होती है। जिन–जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं वे अपने बारे में भी सुनना चाहते हैं। उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले यहां कम माननीय सदस्य हैं और ज्यादातर माननीय सदस्यों ने उस क्षेत्र को देखा भी नहीं है। मैं सबसे पहले तो उन्हें इन्वीटेशन देता हूं, कृपया आप मानस बनाकर उस क्षेत्र में पधारिये और देखिये कि किस परिस्थिति के अन्दर कैसे भू-भाग के अन्दर, जैसे कल परसों अजमेर में हवा चल रही थी, आनन्द आ रहा था, वहां यदि ऐसी हवा चल जाए तो आपको दस फीट की दूरी पर आदमी से आदमी नजर नहीं आये। ऐसी परिस्थिति में नहर का निर्माण किया है और आज वह भू-भाग देखिये, हरियाली से चारों तरफ लहला रहा है इसलिये मैं आपको आमन्त्रित करता हूं। कृपया आप समय निकाल कर यहां पधारें। मैं विभाग की ओर से आपको आमन्त्रित करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : जब भी आप बुलाएंगे, आ जाएंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी-जल्दी बोल जाऊंगा, कृपया थोड़ा समय दें। देखिये, आप यह चिन्ता दिमाग में रखिये कि मात्र एक प्रतिशत पानी हमारे पास है पूरे देश का। आप गम्भीरता से इसको सुनिये, मनन कीजिये अपने अच्छे सुझाव दीजिये, निश्चित तौर पर इस प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के उत्तरी, पश्चिमी क्षेत्र में जो मरुस्थल का थार प्रदेश कहलाता है, इसमें इसकी कल्पना की गयी थी और जब इसको साकार किया

(212)

(श्री देवीसिंह भाटी)

गया। बड़ी मुश्किल से 1958 में इसकी शुरूआत हुई तब योजना मात्र 66 करोड़ की प्रस्तावित की गयी थी लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में धन की कम उपलब्धता के कारण इसमें समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हर समय यह बात आती रही कि इस प्रोजेक्ट को आप जल्दी पूरा क्यों नहीं करते। चाहे कोई विपक्ष से बोले या कोई और कहीं से अपनी बात कहे। इतने वर्षों से हम इसको सुनते आ रहे हैं। सारा प्रदेश का पैसा उसके अन्दर डाल दिया लेकिन वह प्रोजेक्ट तो पूरा ही नहीं हो रहा। सारा पैसा बरबाद कर दिया, चोरी हो गयी, सीमेंट खा गये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि दुनिया में यदि सबसे सस्ता प्रोजेक्ट कोई बना है तो यह इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बनी है और ऐसी योजना और कहीं है भी नहीं है। निश्चित तौर पर जहां बड़ा काम होगा, थोड़ी बहुत उसके अन्दर कमी भी होगी। निगरानी भी रखी जाती है लेकिन चाणक्य ने बहुत कोशिश की... (व्यवधान)....ना ना में कोनि कह रह्यो, थ्हे रोको तो। भूल से मैं कह गया।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात): चाणक्य नीति तो बतानी ही पड़ेगी।

श्री देवीसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता के रूप में 284 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जब हमारे अन्य साथी सत्ता में थे मात्र 73 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना पर 697 करोड़ रुपया लगाया जा सका। जबकि सातवीं योजना काल में कुल राशि 273 करोड़ रुपये व्यय की गयी थी। परियोजना के महत्व को देखते हुए, अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सहायता जो कि 1996–97 में साठ करोड़ रुपये थी, में वृद्धि के प्रयास कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से इस क्षेत्र की, प्रदेश की बात रखी और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत बड़ी राशि हमें इसमें अतिरिक्त मिलेगी, जिससे निश्चित तौर पर इसके कार्य में गति आएगी।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बहुत लम्बा प्रोजेक्ट है लेकिन इसकी मेन कैनाल, जो फीडर हमारी कहलाती है, पंजाब की सीमा हरियाणा की सीमा से आती है। करीबन साढ़े छह सौ किलोमीटर लम्बाई में मुख्य नहर का निर्माण हुआ है और कुल इसकी वितरण प्रणाली की आप कल्पना कीजिये, 3400 किलोमीटर में इसकी वितरण प्रणाली बनी है।

अध्यक्ष महोदय, मार्च 1996 तक प्रथम चरण में 321 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 5.53 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 5.31 लाख हैक्टेयर क्षमता अर्जित कर ली गयी तथा शेष निर्माण कार्यों पर अनुमानित लागत 98 करोड़ रुपये है। वर्ष 1996–97 में चार हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नहरें बनाने का लक्ष्य है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाते हुए थोड़ी आपको जानकारी तो हो जाए वरना इस पाप का भागी मैं होऊंगा कि आपको जानकारी नहीं है।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : आप तो गागर में सागर भरिये। आप तो बहुत इंटेलीजेंट आदमी हो।

श्री देवीसिंह भाटी : पण्डितों के सामने मैं कहां हूं। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के दोनों चरणों में 3800 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2005 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है। ज्यादातर क्षेत्र इसमें फ्लो से सिंचित होता है। लेकिन इसके अन्दर शुरूआत की जैसी मांग थी क्षेत्र ऊंचा था, एक लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल, जिसका नाम इस नहर की, इस प्रोजेक्ट की कल्पना की थी कंवर सेन जी ने, उनके नाम से रखा गया कंवर सेन लिफ्ट योजना। जैसी अभी श्री मदान साहब चिन्ता कर रहे थे कि लिफ्ट योजना हमारे यहां क्यों नहीं स्वीकृत की जाती। वास्तव में वह ऐसा भू-भाग था जहां सारे क्षेत्र में खारा पानी है और वहां पर आप कल्पना नहीं कर सकते बीकानेर से पीने के लिये पानी पूरी ट्रेन और टैंकर के द्वारा लूणकरणसर जाता था और अलग-अलग परिवारों के घड़ों के परमिट कटा करते थे। तहसीलदार परमिट काटता था कि एक परिवार के चार घड़े, एक परिवार के आठ घड़े। ऐसी परिस्थिति और उसके बाद में जहां-जहां ऐसी हमारी हालत होती थी, क्योंकि सारा क्षेत्र अकाल से पीड़ित रहा है। सिर के ऊपर मिट्टी ढो कर हमने वहां जीवन यापन किया लेकिन जब वह लिफ्ट नहर वहां पर आयी उसके बाद, आज, अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जितना मूंगफली का उत्पादन हो रहा है उसका मुकाबला सिर्फ वह एक तहसील का हिस्सा कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन राजस्थान में कहीं हो रहा है तो उस लूणकरणसर तहसील के अन्दर हो रहा है। निश्चित तौर पर पानी जहां होगा, लाभ होगा। जहां उस क्षेत्र के अन्दर लोग रिश्ते नहीं करते थे कि यदि हमने अपनी बहन बेटी की सगाई-शादी वहां पर कर दी तो सारी उम्र वह तो पानी ढोने में रह जाएगी। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। लोग सिफारिश करके वहां रिश्ता करते हैं कि हमारी लड़की का वहां रिश्ता करवा दो। आज स्थिति यह बनी कि पक्के मकान हैं, ट्रैक्टर हैं....(व्यवधान) ... हम तो खुद पीड़ित हैं। निश्चित तौर पर यदि हमें यह लगे जरूर कि लिफ्ट करके हम इस प्रकार से ऐसी नहरें बनाएंगे तो वह महंगी पड़ेंगी लेकिन डायरेक्ट इससे जो लाभ होने वाला है, जो अब तक हम अकाल राहत कार्यों के ऊपर अन्य क्षेत्र के अन्दर जो पैसा खर्च करते थे उसकी बचत हुई है और उसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : राजाखेड़ा की लिफ्ट योजना का क्या हुआ है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में लगभग आठ लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई हो रही है जिससे एक

(२१४)

(श्री देवीसिंह भाटी)

हजार करोड़ रुपये की कृषि उपज हमें प्राप्त हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इस परियोजना के पूरी होने पर दो हजार करोड़ रुपये का वार्षिक कृषि उत्पादन होगा और अब तक जो इसके ऊपर सारा खर्च हो चुका है, 2400 करोड़ रुपये, उतना तो सारा खर्चा निकालकर काश्तकारों को दो हजार करोड़ की आय का उत्पादन उनको मिलता है। अध्यक्ष महोदय, नया क्षेत्र होता है, भावना समझनी चाहिए। बीच में यह महसूस किया गया कि वहां उस क्षेत्र के अन्दर पानी की कमी है। जैसे ही नये सोर्स हम डवलप कर लेते हैं, ट्रेडिशनल सोर्स छोड़ देते हैं। जैसे पी. एच. ई. डी. के अन्दर नई-नई हम जल प्रदाय योजनाएं बनाते गये और ट्रेडिशनल सोर्स छोड़ते गये। वही स्थिति इस नहरी क्षेत्र में हुई। लोगों ने कुण्ड, तालाब अपने छोड़ दिये और नहर से पानी लाने लगे, तो इस प्रकार की घटनाएं होने लगीं जिनमें कोई महिला पानी लेने के लिए नहरों में जाएं तो अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाएं कि वह डूब कर मर जाय। हमने इसके अन्दर यह व्यवस्था की है कि इन नहरों के ऊपर जहां गांव पास में हो, आबादी हो, जहां पुल हो एक तो निश्चित तौर पर हम पेडियां बनाएंगे, पशुओं के पानी पीने के लिए घाट बनाएंगे। यह सारी इसकी व्यवस्था की है जिससे नहरों को नुकसान नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, अक्सर यह सारी बात आती है जब माननीय सदस्य वाद विवाद में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से तो टैण्डर्स लिये गये, कहां कितना मेटेरियल लगाना है, सीमेंट की गड़बड़ हो गयी। मोटार पूरा सही तैयार किया नहीं गया, तो हमने यह आदेश निकाले, अध्यक्ष महोदय, कि जहां भी दो लाख से ज्यादा का निर्माण कार्य होगा वहां हिन्दी के अन्दर वहां सूचना पट्ट लगेगा और उसमें कुल कितनी तो उसके अन्दर राशि व्यय होगी, कितनी उसके अन्दर सीमेंट मिलायी जाएगी, किस रेश्यो में बजरी मिलाई जाएगी, किस रेश्यो में मिट्टी मिलायी जाएगी, कहां से पत्थर आएगा, कितनी लीड होगी उसकी, कहां से बजरी आएगी उसकी लीड कितनी होगी यह सारा कुछ उसके अन्दर हिन्दी के अन्दर सूचना पट्ट होगा। यह लगाया गया है जिससे जो भी रुचि रखे या जिसको कोई शक सुबहा हो, तो निश्चित तौर पर यह पारदर्शिता रहने से यह बहुत जरूरी है

(21.00)

अध्यक्ष महोदय, इस इन्दिरा गांधी कैनाल परियोजना के बारे में अक्सर अखबारों में और दूसरी जगह चर्चा होती थी कि सीमेंट का उपयोग जो वहां होना चाहिये था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं। माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें। ....(व्यवधान) इसीलिये आप ध्यान से सुनिये। आप बोलें।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : ज्ञान बरस रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनायें । बोलने दें ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह जो सारी चर्चाएं होती थीं, अखबारों के माध्यम से यह सूचना आती थी कि सीमेंट सारी चोरी हो गयी और सिर्फ मिट्टी के अन्दर नहर का निर्माण किया जा रहा है, आपको यह जान कर खुशी होगी और आपने महसूस भी किया होगा कि अब आप ऐसी खबरें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में नहीं पढ़ते कि वहां सीमेंट की चोरी होती है। क्योंकि हमने स्वयं ने इसको जा-जा करके मौके पर देखा है। जिन्होंने गड़बड़ियां कीं उनको पकड़ा, सस्पैण्ड किया और सजा दी है। इसके लिए लोगों ने सुझाव भी दिये हैं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, जहां सबसे ज्यादा काम भी चल रहा है, वे भी इस बात को महसूस करते होंगे। इस क्षेत्र के अन्दर निश्चित तौर पर काम हुआ है लेकिन कमियां भी हो सकती हैं। मैं चाहूंगा कि यदि किसी भी माननीय सदस्य को, जन प्रतिनिधि को ऐसी कोई सूचना मिले, जहां कोई गड़बड़ हो रही है, हमें सुझाव दें, सूचना दे, उस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। इस सारे प्रोजेक्ट में जहां मैंने कंवर सेनजी की प्रशंसा की, उनको याद किया और हमेशा इस क्षेत्र में उनको याद किया जायेगा, ऐसे ही हमारे अभियन्ता, जो वर्तमान में हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं ए. एस. कपूर, उनकी भी मैं प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता क्योंकि इसी क्षेत्र में इन सारी लिफ्ट योजनाओं को राष्ट्रपति शासन से ड्राप करने का तय कर लिया गया था लेकिन उस शख्स ने जन प्रतिनिधियों के अभाव में, गैर मौजूदगी में उनको जिन्दा रखा और वह लिफ्ट योजनाएं आज बन रही हैं। जहां आज एक-एक पैसे के लिये हम तरस रहे हैं, उन्होंने वह सारा प्रयास किया। चाहे केन्द्र से पैसा लाना हो, चाहे कैसे भी हमें इसकी सारी व्यवस्था करनी हो, उनको कन्वींस करना हो, प्रोजेक्ट के अन्दर मेंटीनेंस का फर्स्ट स्टेज में काम करना हो। आम तौर पर मुझे तारीफ करने की आदत नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे आदमियों की तारीफ किये बगैर मैं नहीं रह सकता।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में वैसे तो काफी लम्बी चौड़ी योजनाएं हैं, मौका पड़ेगा तो मैं इस बीच में थोड़ा बता दूंगा, लेकिन माननीय सदस्य उसके बारे में ज्यादा रुचि रखते होंगे कि हमने जो यहां पर मुद्दे उठाये, हमने जो बात रखी, उसके बारे में आप अपनी स्थिति बतायें। कोई भी माननीय सदस्य अपने निजी स्वार्थ या घर के काम के लिये यहां बात नहीं रखता है। उसके दिल में दर्द होता है जब वह बार-बार क्षेत्र में जाता है। यहां सबसे पहला वक्ता माननीय सदस्य जो पीलीबंगा से आते हैं। श्री रामप्रताप कासनियां, उनका क्षेत्र मैंने स्वयं ने देखा है कि जो पहले हरा-भरा था। उस जमीन की कीमत, यदि आज वह खराब नहीं होती तो एक से सवा लाख रुपये बीघा की थी। वह आज सारा डूब चुका है, सेम ग्रस्त हो चुका है। वहां रिश्ते होना बन्द हो गये हैं। इसलिये वह बार-बार सेम की बात उठाते हैं। उनके क्षेत्र में आज यह समस्या आ रही है कि उनकी जमीनें बरबाद हो गयीं। गांवों में अगर शौच के लिये जाना चाहे तो, महिलाओं को वहां शौच जाने के लिये जगह नहीं है। उनको

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह भी चिन्ता हो रही है कि हमारा जो भी बचा हुआ भू-भाग है उसकी नहरों में भी यदि पानी कम कर दिया गया तो हम तो फिर बरबाद हो जाएंगे। मैं माननीय सदस्य को यह कहता हूं कि हमें चिन्ता तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी की करनी पड़ेगी जो सरकार में है, जो जनता का प्रतिनिधि है। यदि ऐसी सम्भावना लगती है, यदि वहां पर हाई पैन है, जहां हमारे सामने नतीजे तुरन्त आये हैं उसको तो हमें देखना होगा। अगर हमारे से कहीं गलती हुई है तो उस गलती को सुधार करेंगे और उसमें पानी कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि सेम की समस्या का भी समाधान हो, आपका क्षेत्र भी हरा-भरा हो, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे। मुझे यह भी खुशी है कि उन्होंने इस बात की तारीफ भी की कि वहां अभियन्ताओं ने यह कोशिश की कि जहां वर्षों से टेल का काश्तकार दुःखी रहता था, हैड रीच का काश्तकार कभी दुःखी नहीं होता। जब भी पानी आयेगा सबसे पहले हिस्सा उसका होता है। टेल का काश्तकार वर्षों तक रोता है और ऐसी भी स्थिति रही। जहां टेल के अन्दर 10-10, 15-15 साल तक पानी पीने को नहीं गया। माननीय सदस्य ने इस बात की तारीफ की। मुझे खुशी है कि हमारे अभियन्ताओं ने टेल तक पानी पहुंचाया है। उन्होंने इस बात की समस्या रखी कि जहां नहरों का निर्माण हो गया, कुछ हमारे नार्म्स बने हुए हैं उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थिति बन गयी है, कई ऐसे बीच में डिप्रेशन आ गये हैं जहां आने-जाने का मार्ग पुलिया नहीं, तो मैं जल्दी में उनके गांवों के नाम नहीं उतार सका, कृपया वह मुझे नामों की सूची दे दें जिससे कार्यवाही करवा कर, निश्चित तौर पर ऐसा साधन उपलब्ध हो।.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने इस बात का एतराज किया कि उस क्षेत्र में जहां पहले स्थानीय अधिकारियों को रकबा स्थानान्तरण करने के अधिकार थे, वह अधिकार लेकर यहां सारी कार्यवाही करके फाइनल स्वीकृति के लिये जयपुर क्यों आती है। माननीय सदस्य को इस बारे में सारी जानकारी होगी कि किस प्रकार से लोग दुःखी होते थे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, यदि आप स्वयं इसकी जिम्मेदारी ले लें या कोई भी समिति बन जाय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सुझावों का आदर करूंगा। आपने यह भी बताया कि ऐसा फर्स्ट स्टेज में रकबा रह गया। भूल से रह गया, जल्दी में रह गया जी. टी. शीट से उसका जल्दी-जल्दी सर्वे करवाया गया। ऐसा यदि क्षेत्र है तो निश्चित तौर पर आप बताएं। आपने एक ऐटा क्षेत्र के आउट लेट की बात की मैन कैनाल से। ऐटा और सोमासर का आउट लेट आर.डी. आपने बताया नहीं था, इसके लिये तो निश्चित तौर पर मैंने आदेश देकर कार्यवाही की है और वह फाइनल है। उसके लिये आज ही मैं निर्देश दे रहा हूं कि उसको चालू किया जाए।

दूसरी, जो सबसे बड़ी चिन्ता आपकी है सिंगरासर माइनर के लिये, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रेल के अन्त तक तैयार हो जाएगी। निश्चित तौर पर उसका भी निर्माण होगा।

(श्री देवीसिंह भाटी)

एक माननीय सदस्य ने यह भी चिन्ता जाहिर की कि काफी लम्बे समय से ब्रिज कारपोरेशन को जो काम दे रखा था एस्केप का, वहां यदि सड़क का निर्माण नहीं होगा तो वह पानी, जिस समय बाढ़ आयेगी, निकल नहीं सकेगा। इसकी मैंने अधिकारियों से चर्चा की है। इसकी आप चिन्ता नहीं करें। उन्होंने बताया कि फिलिंग की मिट्टी हटने से इस प्रकार से नहीं रहेगी। फिर भी कोई चिन्ता है तो मैं उसके लिये कार्यवाही करूंगा।

एक माननीय सदस्य ने पूरे गंगानगर जिले के बारे में, हनुमानगढ जिले के बारे में चिन्ता जाहिर की कि बार-बार आउट लेट क्यों छेड़ा जाता है। जब अभियन्ता ने चाहा आउट लेट ऊंचा कर दिया कि साहब गलत लगा हुआ है, जब उसने चाहा आउट लेट को नीचा कर दिया। मैं जानता हूं वहां काश्तकार से किस प्रकार से व्यवहार होता है, किस प्रकार तंग किया जाता है। हमने काफी प्रयास किये हैं कि जो उनके लिये तयशुदा पानी है उतना ही उस जगह पर आउट लेट लगे। हमने तय कर लिया। माननीय सदस्य को यह सूचना दे रहा हूं। फिर भी उसके अन्दर आपके कोई सुझाव हो तो उसके अनुसार निश्चित तौर पर फुलप्रूफ करने की कोशिश करूंगा। हमने उसके अन्दर यह व्यवस्था कर दी है कि अब जो भी उस आउट लेट को छेड़ेगा चाहे वह ऊंचा करे या नीचा करे, निर्धारित क्षमता का जो भी हमारे पास उसका पानी है, वह उसका सर्टिफिकेट देगा कि मैंने इतना डिस्चार्ज आउट लेट, यह जे.ईएन. का सर्टिफिकेट होगा वह साथ लगाया जायेगा। जब भी उसके अन्दर गड़बड़ी पायी जाएगी, चाहे महीने बाद में या दो साल में, वह निश्चित तौर पर सजा का दोषी होगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे गुरुजी माननीय सदस्य बद्री प्रसादजी ने, पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने बांधों की स्वीकृति के लिये धन्यवाद दिया, इस बात की चिन्ता की कि आखिर आप बांध, नहर बना लेते हैं और अरबों रुपये की आपने असेट्स तैयार कर ली लेकिन मात्र कुछ हजार रुपया खर्च नहीं करके सारा अरबों रुपया खतम करने जा रहे हो, आप मेंटीनेंस के लिये पैसा उपलब्ध नहीं करवा रहे हो। यह चिन्ता उनकी वास्तव में सही है। इसीलिये हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्लानिंग कमीशन के सामने यह बात रखी कि नान प्लान में हमें पैसा कम मिलने से हमारे प्रदेश के सारे असेट्स खतम होते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जैसी हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बजट भाषण में घोषणा की उसके अनुसार मैं सोचता हूं हमारे अन्य माननीय सदस्यों का पूरे प्रदेश की जनता और विशेष तौर से बद्री प्रसाद गुरुजी की चिन्ता का समाधान होगा और आपकी नहरों के रख-रखाव में निश्चित तौर पर सुधार आयेगा।

आपने जेसुन्दा, नाटिका खेड़ा के बारे में चिन्ता जाहिर की थी। जेसुन्दा एवं नाटिका खेड़ा में पानी नहीं ठहरता इसके बारे में आपने चिन्ता जाहिर की थी। अध्यक्ष महोदय, वैसे बांध पूर्व में निर्मित है लेकिन उसमें पानी रूकता नहीं है, फिशर रॉक्स हैं। इसके लिये काफी पहले से प्रयास भी किया और इसका जैसे ही भराव

(श्री देवीसिंह भाटी)

होता है करीबन 30 प्रतिशत पानी जमीन में चला जाता है। इस कारण से दिक्कत आ रही है। हमने जियोलोजिस्ट्स से इसके सारे सर्वेक्षण करवाये हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम विस्तृत सर्वेक्षण करवा रहे हैं और कहीं भी, एक प्रतिशत मात्र भी गुंजाइश होगी, निश्चित तौर से उस क्षेत्र की जनता का भला करने का मैं प्रयास करूंगा।

पीथा का मंडा बांध की नहर के बारे में....(व्यवधान) अगर यह हंसे ...(व्यवधान) मैं बैठ जाऊं, यह क्या बात हुई? जो चिन्ता करता है वह अपने क्षेत्र की बात तो उठाते नहीं हैं, वह उस काश्तकार की जिसकी कमीज फटी हुई है उसके बारे में (व्यवधान) पीथा का मंडा बांध का एफ आर. जी. में निर्माण किया गया था और जल की आवक क्षमता को मद्देनजर हुए इसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, वैसे पूर्व में इसकी कैपेसिटी अधिक रखी गयी है और इसके उपयोग के लिए आगे नहर बनाने के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट भी तैयार किये गये हैं और उम्मीद है इसकी शीघ्र ही स्वीकृति जारी हो जाएगी। इसमें फिर भी यदि कोई बात रह गयी होगी तो निश्चित तौर पर मैं बाद में उन्हें लिखित में सूचित करूंगा।

पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य अमरारामजी ने चाहा कि आई.जी.एन.पी. का नहर निर्माण शीघ्र से शीघ्र पूरा करके गडरा रोड तक पहुंचाएं। कब पहुंचेगी, इसकी भी उन्होंने चिन्ता की। इसके लिए आपने स्वयं ने देखा है कि सारा जो भी हमें पैसा मिलता है, इतने बजट का प्रावधान नहीं कर पाते क्योंकि विभिन्न विभागों प्रदेश की जरूरत है, लेकिन जितना भी पैसा मिला है जल्दी से जल्दी प्रयास करके एक दफा हमने सप्लाई लाइन तो आपके यहां पहुंचा दी ही है और अभी जैसा मीडिया या लोगों ने रेडियो से सुना होगा, बाड़मेर से लोग वहां आये, आपके जन प्रतिनिधि, शिव से आने वाले हमारे माननीय सदस्य भी साथ में पधारे थे, दोनों तरफ से शुरू कर दो, पैसा खूब दे रहा है दिल्ली हमको, फटाफट ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से शुरू कर दो, ऐसी स्थिति अभी हमारे सामने आयी नहीं है। जैसे ही जितना पैसा हमें उपलब्ध होगा, शीघ्र से शीघ्र बाड़मेर के लोगों की प्यास बुझाने की हम कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पोकरण लिफ्ट के बारे में आपने बताया कि पोकरण से बनियाणा तक पूर्व में सर्वे हुआ है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मोटे तौर पर अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे रेकार्ड में हैं नहीं, फिर भी यदि आप ऐसी कोई सूचना देंगे, क्योंकि मुझे मोटे तौर पर यह लगता है कि यह ऊंचा क्षेत्र है, सम्भावना कम लगती है। आपने बताया कि लीक जो लूणी का पार्ट है या उसकी आर्टेरी है उसमें कोई पूर्व में सर्वे हुआ है, यदि आप मुझे डिटेल से सूचना देंगे तो निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी।

एक आपने बरिया बरोचा बांध के बारे में जानकारी चाही थी। अध्यक्ष महोदय, वैसे इन दोनों की सूचना काफी डिटेल्स में आयी हैं, मैं आपको इसकी लिखित में सूचना भिजवा दूंगा। यह दोनों मेरे सामने हैं।

(श्री देवीसिंह भाटी)

अध्यक्ष महोदय, हमारे सबसे ज्यादा चिन्ता करने वाले, भावुक माननीय सदस्य अर्जुनदासजी मदान की वास्तव में चिन्ता सही है। जहां पहले आप उसको खूब पकवान खिलाओ, अलग-अलग व्यंजन उसके सामने डालो, परोसो और फिर उससे छीन लिये जाएं, वह स्थिति मैं इनके क्षेत्र में देखकर आया। क्षेत्र काफी सम्पन्न था लेकिन पानी की कमी रही। आज वहां पर अण्डर ग्राउण्ड पानी भी उपलब्ध नहीं है। कुओं में भी पानी सूख चुका है। लोगों की बात यह कह रहे थे कि इसमें यदि लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू हो और जिसका पूर्व में भी सर्वे हो चुका है, यदि इसकी स्वीकृति हमें मिल जाती है तो लोग बरबाद होने से बच जायेंगे। मैंने उन्हें वहां मौके पर ही आश्वस्त किया था। पिछली बार यहां इसी सदन में भी मैंने आश्वस्त किया था। मैंने आपको एक लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए कहा था कि यह मैं निश्चित तौर पर पूरी करा दूंगा। अब मैं आपसे ज्यादा समय और मियाद नहीं मांगूंगा और यह पूरी कराने का मैं आपको आश्वासन देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मुझे लगता है, लोग मेरे पीछे पड़ गये हैं, ज्यादा विस्तार से सुनना, जिसका मसला होता है वह तो डिटेल से सुनना चाहता है लेकिन इसके बारे में डिटेल से बताओ तो लोगों की उसमें रुचि नहीं है।

श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा : सबको अच्छा लग रहा है बाई गॉड।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे तकलीफ हो रही है। हमारे माननीय सदस्य कितने अरसे से इन्तजार कर रहे थे। उन्होंने अपने क्षेत्र की बात रखी और उनको सूचित करें, अब हमारे अधिकारियों ने सारी विस्तृत सूचना दी है।

पिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने चोली बांध के मुआवजे के बारे में चिन्ता जाहिर की थी। मैं वहां मौके पर गया था और यह एक विवाद था कि जो जमीन चोली बांध के लिए एक्वायर की जा रही है, चाही के हिसाब से इसकी कीमत दी जाए। इसके लिए हमने जिला कलक्टर को यह निर्देशित किया कि वह अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर इस भूमि का चाही के हिसाब से मुआवजा दे दें और करीब-करीब यह तय हो गया है। मैं प्रयास करूंगा कि शीघ्र ही उनको मुआवजा मिल जाए।

अध्यक्ष महोदय, सब मेरी सुनो। वह तो कान लगाये बैठे हैं। आप जो भी पधारना चाहें, पधार जाएं। मैं तो अकेला, एकला चालो रे का हूं।

अध्यक्ष महोदय, माथनिया बांध के बारे में इन्होंने बात रखी थी कि इसकी हाइट बढ़ायी जाए। हालांकि पूर्व में ही इस कैपेसिटी का बनाया गया कि उसके अन्दर अभी इतनी गुंजाइश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पीपलाद के बारे में इन्होंने सूचना चाही थी। माननीय लक्ष्मीनारायण जी बैरवा ने भी छापरवाड़ा के बारे में चिन्ता जाहिर की थी। वैसे तो सारा उनकी जानकारी में है क्योंकि वह सजग प्रतिनिधि हैं। वहां जितनी सिंचाई पिछले वर्ष हुई थी, इस बार बहुत ज्यादा सिंचाई उस क्षेत्र में हुई है। यदि फिर भी आपको कोई ऐसी कमी लगे तो आप मुझे

(श्री देवीसिंह भाटी)

जानकारी दें। मैं आपको सूचना देता हूं कि पिछले वर्ष से बहुत ज्यादा सिंचाई इस क्षेत्र में हुई। आपने कहा कि आउटलेट वहां पर लगे हैं, वह आउटलेट स्थायी लगवाएं, पक्के करवाएं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र उनको पक्का करवा कर व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, सब लोगों की यह चिन्ता थी कि जिन-जिनके क्षेत्र में नहरें हैं उनकी सफाई समय पर हो जाए। देरी से होने से काश्तकारों की समय पर बुवाई नहीं होती, पानी नहीं पहुंचता।

खारची से आने वाले माननीय सदस्य श्री खंगारसिंह जी ने एक सुझाव दिया है कि लूणी के अन्दर, या जहां कहीं भी पानी भूमिगत होकर नीचे चला जाता है, वहां यदि बेस फ्लो का निर्माण हो तो निश्चित तौर पर वहां कुओं में पानी बढ़ेगा और काश्तकारों को लाभ होगा। मैं पहले वहां मौका भी देखकर आया था। इसका हमारे विशिष्ट योजना संगठन से काफी सम्बन्ध है, तो मैं यह प्रयास करूंगा कि यह काम जल्दी से जल्दी चालू हो और आपके क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले।

अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने धन्यवाद दिया कि हमें पूरा पानी मिला, रख-रखाव के बजट के बारे में चिन्ता जाहिर की कि नहरों में रिसाव होता है, खेत बरबाद होते हैं, टेल पर पानी नहीं पहुंचता, घास उग जाती है। तो मैं इस सत्र के बाद में, होली के अवसर के बाद में माननीय सदस्य के साथ उस क्षेत्र का दौरा करूंगा और निश्चित तौर पर वहां सुधार आयेगा, यह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक यह चिन्ता जाहिर की थी कि मेतवाड़ा के लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। जहां तक मुझे बताया है, इस प्रकार की बात वहां पर नहीं होनी चाहिये। हमने तय कर दिया था। फिर भी इसका शीघ्र भुगतान हो जायेगा, यह मैं उनको विश्वास दिलाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राकेश जी मेघवाल ने भी नागौर का आमन्त्रण दिया है, निश्चित तौर पर मैं वहां उनके साथ जाकर क्षेत्र का दौरा करूंगा और वहां चल कर आपके साथ ही देखूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नारायणजी मीणा ने जाखम के बारे में बताया है कि वहां टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। इस सम्बन्ध में उनको यह सूचना देना चाहता हूं कि 1996-97 में रबी में 16500 हैक्टेयर क्षेत्र में जल देना तय किया गया था और जैसी मुझे सूचना दी गयी है, यह प्रथम बार ही उस अन्तिम छोर की नहरों तक पानी पहुंचा है। यदि इसमें कोई गलत सूचना हो तो कृपया आप मुझे बतायें। बताया गया है कि बायीं मुख्य नहर के अन्तिम छोर के गांव बोरिया, मण्डावा, सुराजी का खेड़ा, यह काफी गांव है, वहां तक पानी पहुंचा है। इस वर्ष पिछले वर्षों के मुकाबले 1500 हैक्टेयर अधिक क्षेत्र में सिंचाई होने की आगे भी संभावना हैं। इस रावतबोर के बारे में भी आपने चिन्ता जाहिर की है। इसमें भी अब आपको समय नहीं लगेगा। हमें निश्चित तौर पर शीघ्र ही इसकी स्वीकृति जारी करनी है। लेकिन उससे पूर्व हमारी

(श्री देवीसिंह भाटी)

एक तकनीकी समिति बनायी हुई है मान-नीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जहां से शीघ्र ही स्वीकृति के निर्देश जारी हो जायेंगे ।

भंवरसिंह जी डांगावास ने भी कुछ सुझाव दिये है तो उसके लिये भी निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा कि उनके पुराने तजुर्बे का लाभ उठाऊं ।

जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया, लेकिन उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इस अरबन क्षेत्र से, यदि राशि चाहे जे.डी.ए. से मिले या नगर निगम से, अगर राशि हमें मिल जाये तो निश्चित तौर पर हम सारे निर्माण कार्य करने के लिये शीघ्राति–शीघ्र मदद करने लायक हो जायेंगे । हमारे इंजीनियर्स इस काम में माहिर है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, 12 संस्थाओं के द्वारा यह तय शुदा है । चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बातचीत हुई थी कि वह पैसा उपलब्ध करायेंगे । फिर आप भी प्रयास करें, मैं भी करती हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : निश्चित तौर पर करेंगे । अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी माननीय शिवकिशोरजी सनाढ्य ने यह सुझाव दिया कि इस विभाग का पूरा री–आर्गेनाइजेशन होना चाहिये । तो मैं उनके ऐसे सुझाव लेना पसन्द करूंगा, आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा और उसका लाभ पूरे प्रदेश को, हमारे अभियन्ता लोगों को मिले, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आमेर से वाले वाले माननीय सदस्य को पूर्व में भी यह निवेदन किया था कि वह समय तय कर लें, मैं उनके क्षेत्र में चलकर, नजदीक ही उनका क्षेत्र है, वहां चलकर जितना भी सुधार हो सकता है वह करूंगा । एक सूचना उन्होंने दी वह काफी गम्भीर है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी ने वहां कोई फार्म ले रखा है और उस फार्म के बीच में से नहर निकलती है, वह उसमें फण्टे लगाकर पानी रोक लेते हैं जिससे काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है । यदि इस प्रकार की कोई चोरी या ऐसी गड़बड़ी हो रही है तो आप कृपया मुझे ऐसी सूचना दें, निश्चित तौर पर मैं सुबह आठ बजे ही वहां पहुंच जाऊंगा । कृपया मुझे ऐसी जानकारी दें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बून्दी से आने वाले माननीय सदस्य ओमप्रकाशजी शर्मा ने भी मेंटीनेस के बारे में चिन्ता जाहिर की है । मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि निश्चित तौर पर मैं प्रयास करूंगा कि इसमें बजट का प्रावधान और हो और आपकी मदद मैं कर सकूं । बडखू के बारे में मैंने पूर्व में भी आपको काफी विस्तृत चर्चा करके बताया है । आप जानते हैं कि मैं हर जन-प्रतिनिधि का कोई भी ऐसा सुझाव आये तो कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी उसको करूं । माननीय पराक्रम सिंह जी ने जांतल के बारे में चिन्ता जाहिर की है । इसमें भी आपको ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ेगा । शीघ्र ही इसकी स्वीकृति मिलकर आपका कार्य होगा ।

श्री पराक्रम सिंह : धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना भूल गया था । अगर आप एक बात....

श्री अध्यक्ष : बाद में बात करते रहना (व्यवधान)

श्री पराक्रम सिंह : इसमें आपका क्षेत्र भी आता है।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब मैं नहीं बोला तो कुछ होगी ही नहीं। इसका मतलब यह थोड़े ही हुआ।

श्री पराक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, अपने मेवाड़ की बात है।

श्री अध्यक्ष : वह तो सब बाद में दे देंगे। वह लिखकर देंगे।

श्री पराक्रम सिंह : बांध की वजह से जो रोक लगा रखी है उसको हटाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महावीरजी भगोरा ने मास्टर प्लान के बारे में यहां बात रखी थी और उनकी यह बात बिलकुल सही है कि यदि हमारे ट्राइब्ल एरिया डवलपमेंट के मिनिस्टर माननीय नन्दलाल जी मीणा ने इस प्रकार का प्रयास करके उस क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिये मास्टर प्लान बनाया है तो मैं उनसे ऐसे अच्छे सुझाव लेकर इस विभाग में भी लागू करने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, चिन्ता यह जाहिर की जा रही थी कि बीसलपुर बांध के केचमेंट में जहां पानी आगे से बहकर जा रहा है और हम सिर्फ उसको निहारते रहते हैं, लेकिन उस पानी को अपने खेत में नहीं लगा सकते। मैंने उनकी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए यह पूर्व में निर्देश दिये और ऐसे आदेश जारी किये कि आप दो मीटर तक का वहां एनीकट बना सकते हैं। उसके बाद में यह मांग आयी कि हमारे इस क्षेत्र में ऐसे अधूरे बांध बने हुए हैं जहां कहीं 20 लाख, कहीं 70–75 लाख तक की राशि लगी हुई है, पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। उसमें भी हमने आदेश करके यह प्रयास किया है कि ऐसे अधूरे बांध हैं उनको हम शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें ताकि उस पैसे का उपयोग हो जाये। उसका पूरा लाभ मिल जाये।

अध्यक्ष महोदय, हर काश्तकार, चाहे जन-प्रतिनिधि हो, कहीं भी ऐसी परेशानी हो, उसको सामने लायें, कोई भी दुकान आये तो निश्चित तौर पर हम उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि पूरे समाज में यह स्थिति पैदा हो गयी है कि आज हमारे अभियन्ता और काश्तकार की इतनी दूरी बढ़ गयी है कि अभियन्ता तो अपने आपको बहुत ऊंचा समझने लग गया है और उस गरीब की हिम्मत नहीं होती कि वह अभियन्ता के सामने जाकर अपनी बात कह दे, इसलिये हमने यह तय किया है कि उस क्षेत्र में, उस नहर की टेल पर या वहां पर जो हैड होगा, वहां अभियन्ता हर माह आयेंगे, काश्तकारों के साथ बैठक लेंगे, उनकी समस्याओं को रजिस्टर में लिखेंगे, वहां उनके हस्ताक्षर होंगे, उनका पूरा डाक का पता लिखा जायेगा और अगले माह तारीख वही फिक्स होगी और वहां आकर उनको प्रगति बतायेंगे कि यह कार्य हो गया और यह नहीं हुआ। यह सारी व्यवस्था हमने की है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए....(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, छोटी-सी एक बात रह गयी। मंत्री जी ने बाकी तो सब मांग पूरी कर दी।

श्री देवीसिंह भाटी : अब इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। शीघ्र ही मैं आपको साथ ले चलकर वहां शिलान्यास करूंगा और आपके क्षेत्र को लाभान्वित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा स्वायत्त शासन मंत्री। मांग संख्या 29।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सम्पूर्ण जनता दो हिस्सों में रहती है, एक ग्रामीण व एक नगरीय। आज जो मांगों पर चर्चा हुई है, मेरे से पूर्व दो मांगों पर चर्चा हुई है, मेरे से पूर्व दो मांगों पर जो चर्चा हुई है उनका सम्बन्ध है ग्रामीण से और जिन पर चर्चा कर रहा हूं वह शहरी। शहरी विकास के लिए स्वायत्तशाषी संस्थाएं विद्यमान हैं जिनको हम नगरपालिका, नगर निगम या नगर परिषद के नाम से जानते हैं। यह आपको मालूम होगा कि ये संस्थाएं चुनी हुए संस्थाएं रहती हैं लेकिन पिछले कार्यकाल में इन संस्थाओं के कहीं-कहीं 16–16, 17–17 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए। वर्तमान सरकार का जब गठन हुआ तो माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रजातंत्र में आस्था के कारण यह निर्णय किया गया कि यह जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं इनके चुनाव करा लिए जायं और परिणाम स्वरूप राजस्थान में चुनाव हुए और आज यह स्थिति है कि एक भी नगरपालिका ऐसी नहीं है जिनके चुनाव होकर के जन प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हों। 182 नगरपालिकाओं में आज जन-प्रतिनिधि बिराजमान हैं। इतना ही नहीं, सबको साथ लेकर चलना और जब तक सबका सहयोग हुए बिना विकास नहीं हो सकता इस भावना से जब चुनाव हुए तो सीटों का रिजर्वेशन किया गया और उसके आधार पर एस. सी. एस. टी. महिलाएं, ओ. बी. सी. इन सबको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया और वह सफल भी हुआ। केवल वे वार्ड से चुनाव लड़ कर नगरपालिका में चले जायें इतना ही पर्याप्त नहीं था तो इसलिए उनमें से अध्यक्ष जिसको चेयर परसन कहते हैं महिलाओं को, ओ. बी. सी., एस. सी., एस. टी. महिलाओं को उस स्थान पर बिठाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया। यह हमारे मुख्य मंत्री जी का सोच था। यह बात सही है कि इन चुनावों में जैसे मैंने कहा चुनाव कई वर्षों तक नहीं हुए तो चुनाव में नये लोग आये जिनको कभी इन क्षेत्रों का अनुभव नहीं था, उन महिलाओं को और एस. सी. के व्यक्तियों को कभी अवसर नहीं मिला इस प्रकार के काम करने का उनके साथ में इनकी सत्ता का काम जब आया तो वह स्वाभाविक है कि जो अपेक्षाएं हमको सामान्यतया करनी चाहिये उनसे पूरी होना सम्भव नहीं था और इसीलिए नगरपालिका में जब हमारे जन-प्रतिनिधि काम करते हैं तो हमको कहीं-कहीं कमी लगती है, वह स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही वे आये तो उनको सशक्त करने की हमने पहल की, उसको अधिकार दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि

२२५

(श्री भंवरलाल शर्मा)

माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर आज जो अधिकार नगरपालिका के अध्यक्षों को और नगरपालिकाओं को दिये गये हैं वे राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। सही मायने में स्वायत्तता क्या हो सकती है इस प्रकार का प्रयत्न हमने किया है।

मैं थोड़ा-सा उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने राजस्थान में कौन-कौन से अधिकार इन संस्थाओं को दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह स्थिति थी कि यदि किसी नगरपालिका के काम से माननीय अध्यक्ष अपनी कार से या नगरपालिका की गाड़ी से यदि जयपुर आता तो उसको यहां हमारी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी कि मैं क्या जयपुर आ जाऊं गाड़ी लेकर। यह हास्यास्पद स्थिति थी। लेकिन जब यह सरकार आयी और जब ये लोग चुने गये तो हमने इनमें वित्तीय अधिकार देना शुरू किया और जैसे माननीय शिवकिशोरजी कह रहे थे कि बजट पास करवाने के लिए घूमना पड़ता है, बजट पास नहीं होता है, वह स्थिति बदल गयी है। पहले बजट पास करने के बाद भी खर्चे की सीमा पर पाबन्दी थी। तो अब राज्य सरकार ने राज्य में नगर निगम को एक करोड़ रुपया खर्च करने का अधिकार दिया, एक करोड़ रुपया वह स्वयं खर्च कर सकता है, सरकार से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है जबकि पहले गाड़ी लेने के लिए पूछना पड़ता था। राज्य की नगर परिषदों को 50 लाख रुपये तक खर्चा करने का अधिकार इस सरकार ने दिया। जिला मुख्यालय की पालिकाओं को 25 लाख रुपये और अन्य पालिकाओं को 5 लाख रुपये की वित्तीय अधिकार दिये गये। उसके बाद भी आवश्यकता हुई कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको कोई अधिकार मिलने चाहिये, केवल बोर्ड को अधिकार मिल गया और यदि अध्यक्ष को नहीं मिले तो प्रत्येक समय बोर्ड की मीटिंग हो नहीं सकती और इसलिए काम रुकेंगे। तो हमने और आगे बढ़ कर काम किया। महापौर, नगर निगम के लिए 25 लाख रुपये का काम वह स्वयं अपने बलबूते पर स्वीकृत कर सकता है, यह अधिकार उनको दिया। सभापति, नगर परिषद को 10 लाख रुपये जिला मुख्यालय की नगरपालिकाओं के अध्यक्ष को 5 लाख रुपये और नगरपालिकाओं को वित्तीय आधार पर एक लाख रुपये स्वयं अध्यक्ष जी को खर्च करने के अधिकार दिये और परिणाम यह निकला कि इन अधिकारों के मिलने के बाद न तो उनको आज यहां राज्य सरकार के पास आना पड़ता है और न किसी काम के लिए रुकावट आती है, वे स्वयं अपना काम करते रहते हैं।

एक बड़ी समस्या स्ट्रिप आफ लैण्ड की रहा करती थी। मकान तो बना लिया सामने थोड़ी जमीन पड़ी है जिसको हम भू-पट्टी कहते है। उसके आबंटन के अधिकार या तो जिला कलक्टर को थे या एस. डी. एम. को थे इसलिए वह फाइलें इधर उधर घूमती रहती थीं लोग परेशान होते थे। तो पूर्व में भूमि सम्बन्धी भू-पट्टी आबंटन के अधिकार जिला कलक्टर को थे जो नगरपालिका और बोर्ड को दिये

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ताकि उनके काम में कोई बाधा नहीं आये और विकास के काम करते रहें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही एक हास्यास्पद स्थिति थी कि किसी अदालत में मुकदमा जाये तो नगरपालिका के जो चेयरमैन हैं वह यदि कोई वकील करना चाहे अपना पक्ष रखने के लिए तो उनको हमसे अनुमति लेनी पड़ती थी। जिला कलक्टर 4–5 नाम भेजते, फिर वह हमसे पूछते कि किसको वकील लगायें और हम उसकी अनुमति देते थे तब वहां वकील लगता था। यह एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी। इस सरकार ने यह तय किया कि नगरपालिका अपने स्तर पर तीन वकील, एक नहीं तीन, जिनको लगाना चाहे लगाकर अदालत में खड़ा कर सकती है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, वह अधिकार दिये। तीन वकील, तीन वकील करें एक साथ, अगर काम ज्यादा है तो तीन वकील करें, नगर निगम 5 वकील कर लें, यहां पूछने की आवश्यकता नहीं रही। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमको अन्दाज हो जाय कि जब नगरपालिका चुन कर आयी तो इस प्रदेश में इनके अधिकार कितने सीमित थे और इसलिए माननीय शिवकिशोर जी जब कह रहे थे, उनको शायद पुरानी बातें ध्यान रही होंगी और जिनके कारण वह अपनी यह बातें बता रहे थे।

पहले जब नगर निगम में, नगर परिषद में कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी तो उसके लिए प्रदेश का एक आयोग बना हुआ था। वह कभी काम नहीं करता था और जो जगह थी वह खाली पड़ी रहती थी और परेशानी होती थी। लेकिन अब उनमें इतना कर दिया कि जिला स्तर पर कलक्टर उसका चेयरमैन होगा और जिस नगरपालिका की भर्ती की जायेगी उसके अध्यक्ष मनोनीत सदस्य होंगे और कोई एक्सपर्ट होगा। वह ही वहां भर्ती भी कर लेंगे और पदोन्नति भी वहीं हो जायेगी, अब उसके लिए यहां आने की आवश्यकता नहीं हैं, यह अधिकार उनको दे दिये।

यह अधिकार उनको देने के बाद हमारी नगरपालिकाओं ने जो काम किया उसका भी मैं विवरण देना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी सफलतापूर्वक कैसे–कैसे काम किये और जिनके कारण भारत सरकार ने भी हमारी नगरपालिकाओं की प्रशंसा की है।

स्वरोजगार कार्यक्रम के निमित्त जिन परिवारों की वार्षिक आय 11850 रुपये है उन परिवारों को छोटे–छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बैंकों से 20 हजार रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है तथा 25 परसेंट अनुदान नगरपालिकाओं से प्रदान किया जाता है जो कि 60 अनुपात 40 के रूप में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से अंशदान के रूप में प्राप्त होता है। अधिकतम अनुदान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 5 हजार रुपये तथा सामान्य जातियों को 4 हजार रुपये प्रदान किया जाता है। इसमें हमारी नगरपालिकाओं ने बहुत बड़ा यश प्राप्त किया है। ऐसे ही स्वरोजगार योजना सचेतनिक रोजगार कार्यक्रम, आवास आश्रम उन्नयन कार्यक्रम और

(226)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्रधान मंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इनमें भी नगरपालिकाओं ने बहुत अच्छा काम किया है और केन्द्र सरकार ने इस मामले में हमारी प्रशंसा की है। सवेतनिक रोजगार कार्यक्रम में लक्ष्य के विरुद्ध 92 प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है। हमारे राज्य में इस योजना में अच्छा कार्य करने की वजह से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली प्रोत्साहन की कुल राशि 78 लाख रुपये में से 55.50 लाख रुपये बतौर प्रोत्साहन हमको दिये हैं यानि पूरे देश के लिए प्रोत्साहन राशि है 78 लाख रुपये, उसमें से हमको मिले हैं साढ़े पचपन लाख रुपये, यह हमारा प्रोत्साहन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इससे भी काम नहीं चलता। नगरपालिकाओं की जो आर्थिक स्थिति है, वह वास्तव में बड़ी दयनीय थी और उसको ठीक करने का प्रयत्न किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पहले नगरपालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50 पैसे अनुदान मिलता था। 1977 में जब माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने पहली बार चिंता की कि इन नगरपालिकाओं को 50 पैसे प्रति व्यक्ति से लाभ नहीं होगा और उन्होंने उस समय 50 पैसे से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया। 50 पैसे 5 रुपया, दस गुना उस समय बढ़ा दिया। 1977 में बढ़ा दिया। अब वह बढ़ते-बढ़ते आज स्थिति यह आ गयी है कि साढ़े बारह रुपये प्रति व्यक्ति मिलता है, यह भी हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूर्व बजट में घोषणा की और आज नगरपालिकाओं को एक व्यक्ति पर साढ़े बारह रुपये मिल रहे हैं। यह पर्याप्त नहीं है लेकिन फिर भी कई नगरपालिकाओं की यह हालत थी कि उनके कर्मचारियों को वेतन मिलने में भी दिक्कत आती थी क्योंकि आय का कोई बड़ा साधन उनके पास नहीं है। नगरपालिकाओं की चुंगी छोटे स्थानों पर तो हाउस टैक्स है ही नहीं। पिछली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि जो रास्ते हैं, हाई-वे हैं, वहां से चुंगी नाके हट जाएंगे, उससे होने वाली इनकम समाप्त हो गयी तो यह स्थिति और खराब हुई। आज स्थिति यह है कि नगरपालिकाओं को कई स्थानों पर वेतन बांटने को पैसा नहीं है। राज्य सरकार ने विचार किया। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहा कि इनको वेतन चुकाने के लिए तो पैसा दो और वह राशि पड़ती है 12 करोड़ 50 लाख रुपये। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी उदारतापूर्वक यह अनुमति दे दी है कि अब तक जितनी भी नगर नगर पालिकाओं के वेतन भी बकाया हैं उनका भुगतान 31 मार्च तक का जो बजट है उसमें कर दिया जाए। लेकिन यह तो रहा इस बार का, अगली बार क्या होगा? अगली बार के लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमको निर्देश दिये हैं, अनुमति दी है। हमारी नगरपालिकाओं की चार कैटेगिरी हैं–फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड, फोर्थ। पहली तरह की नगर पालिकाओं की हालत ठीक है। सैकण्ड, थर्ड और फोर्थ तरह की नगरपालिकाओं की हालत खराब है। इनमें भी थर्ड और फोर्थ तरह की नगर पालिकाओं की हालत ज्यादा खराब है। इसलिए भविष्य में उनको कम से कम वेतन चुकाने की तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समस्या नहीं आए इसलिए मैंने यह निवेदन किया कि साढ़े बारह करोड़, यह तो इस साल का बकाया और अगले वर्ष में जो दो नम्बर की नगरपालिकाएं हैं उनको साढ़े बारह से बढ़ाकर 25 रुपये कर रहे हैं। जस्ट डबल। साढ़े बारह से पच्चीस प्रति व्यक्ति। इसके बाद तीन और चार नम्बर की नगरपालिकाएं हैं। उनकी हालत थोड़ी और कमजोर है इसलिए हमने तय किया है कि उनका अनुदान हम बढ़ा रहे हैं, एक से तीन गुना कर रहे हैं, अगर बारह रुपये मिलते थे तो छत्तीस रुपये। साढ़े बारह के तीन गुना मिल रहे हैं, साढ़े सैंतीस तो नगरपालिकाएं नम्बर दो, उसका दो गुना और जो नम्बर तीन और चार हैं उनको तीन गुना। इससे मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं को हमने जो अधिकार दिये हैं और फाइनेंशली उनको मजबूत किया है, उसके आधार पर निश्चित रूप से वे अच्छा काम कर सकेंगी। (व्यवधान) वह इसलिए कि ये स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और इस सरकार, इस पार्टी का सोच और हमारे मुख्य मंत्रीजी का सोच यह है कि जो चुनकर आए हैं, वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, किसी का दबाव न हो, कोई तकलीफ न हो, उसका चिंतन करने के बाद बजट में इतना प्रावधान किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को बधाई देता हूं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और है कि नगरपालिकाओं में जो लोग चुनकर आए हैं, मेरी मान्यता है कि उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। कोई व्यक्ति नगरपालिका का मैम्बर और अध्यक्ष चुनकर आ जाए और वह सफलतापूर्वक राजी-राजी जिंदगी बिता ले, बहुत मुश्किल है। यह मेरा अनुभव है, आपको भी तो होगा। स्थिति यह है कि उनकी दुकान वहीं, उसका घर वहीं। कोई कुत्ता मर गया, पूछा कहां जा रहे हो, बोले, अरे भाई, मंदिर जा रहा हूं, कहा, मंदिर बाद में जाना पहले कुत्ता उठाओ। अब तो महिलाएं चुन कर आ गयीं। महिलाएं भी अब जागरूक हुई हैं काम करवाने के लिए। पुरुषों के पास तो नहीं जाती वे लेकिन जब महिला मैम्बर है तो वे घर में चली जाती हैं। बोलती है, क्या कर रही हो? भाभी जी, आटा गूंध रही हूं, बोलती है, आटा बाद में गूंध लेना, वहां गाय मरी पड़ी है, उठाओ उसको। ऐसी स्थिति में इनको खूब भाग-दौड़ करनी पड़ती है। उनके टेलीफोन लगे हुए हैं–टेलीफोन करते-करते इतना खर्च हो जाता है कि घरवाले कहते हैं कि यह क्या बीमारी मोल ले ली। इसलिए हमने विचार किया है कि उन लोगों को भी जो इस दृष्टि से निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, जब वे चुनाव लड़े थे तो उनकी कोई अभिलाषा नहीं थी कि हमको कोई पैसा मिलेगा, निःस्वार्थ भाव से सेवा करने आए थे और मैं यह मानता हूं कि नगरपालिकाओं की सेवा हो या कोई अन्य सेवा, हम जो करते हैं, वह निःस्वार्थ सेवा है, लेकिन उनकी कोई मांग न होने के बावजूद भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनका विचार सरकार को करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनका विचार किया है और इसलिए हमने तय किया है कि जो नगर निगम हैं, उनके माननीय सदस्यों को टेलीफोन के रूप में सात सौ रुपये प्रति माह दिया जाएगा।....

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(व्यवधान)....नहीं-नहीं, सदस्यों को, अध्यक्ष का बताता हूं बाद में, सदस्यों के लिए कह रहा हूं, प्रत्येक सदस्य को। अब मैं हाउस से विचार जानना चाहूंगा। इन नगरपालिकाओं में चुने हुए लोग तो हैं ही, को-आपटेड भी हैं, एक्स ऑफिसियो एम.एल.एज. और एम.पीज. भी हैं। मैं समझता हूं कि एम.पीज. और एम.एल.ए. को इसमें हटा दें तो ठीक हैं। तो यह राशि को-आपटेड मैम्बर और इलेक्टेड मैम्बर, दोनों को मिलेगी। तो टेलीफोन के लिए 700 रुपये और इनको लिखा-पढ़ी के लिए स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, उसके लिए ढाई सौ रुपये प्रति महीना। चूंकि ये निगम के कार्यालय से दूर-दूर रहते हैं और जयपुर शहर इतना बड़ा है कि उसमें इनको वाहन से जाना पड़ता है, उसका खर्चा देना पड़ता है तो उसके लिए पांच सौ रुपया पर मंथ और जो मीटिंग अटैण्ड करेंगे उनको निगम में सौ रुपये प्रति मीटिंग मिलेंगे, लेकिन सात से ज्यादा नहीं, उसकी सीमा है सात, सात मीटिंग से ज्यादा नहीं। जो परिषद की मीटिंग होगी उसमें भी, जो जनरल मीटिंग और कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें भी उनको यही भत्ता मिलेगा, एम.एल.एज. जाएं तो उनका स्वागत है।

अब जो नगरपरिषद हैं, उन नगरपरिषद में टेलीफोन का खर्चा, क्योंकि परिषद का छोटा क्षेत्र है, इसलिए उनको पांच सौ रुपया और स्टेशनरी के दो सौ रुपये, वाहन भत्ता तीन सौ रुपये और प्रति मीटिंग पिचहत्तर रुपये, लेकिन आठ मीटिंग से ज्यादा नहीं करेंगे।... (व्यवधान).. महीने के हैं। जो तीसरी नम्बर की नगरपालिकाएं हैं यानी नगरपरिषद से नीचे जो हैं, बोर्ड हैं या और हैं, उनके लिए तीन सौ रुपये टेलीफोन का, डेढ़ सौ रुपये स्टेशनरी का, ढाई सौ रुपये वाहन का और चार सौ रुपये तक यानि पचास रुपये प्रति मीटिंग, आठ मीटिंग तक वे ले सकते हैं, यह उनको देंगे। वे अपना सम्पूर्ण समय लगाकर काम करते हैं तो उन पर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव न आए, वे इधर-उधर न हों, कहीं मुसीबत में न आए इसीलिए यह व्यवस्था हमने की है और यह 1 अप्रेल, 1997 से लागू हो जाएगी। मैं समझता हूं कि नगरपालिकाओं के लिए जो सरकार कर सकती थी और इनको स्वायत्तता देने के लिए अधिकार, उनको कर्तव्य पूरा करने के लिए मदद, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें की हैं।

जो माननीय सदस्य यहां नगरपालिकाओं की शिकायत करते हैं कि यह नाला नहीं बना, नाली साफ नहीं हुई, मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी नगर परिषद या नगर पालिका के सदस्य हैं। आप यह निपटारा वहीं करवाइए। यहां कहां सरकार सफाई कराएगी ? एक लाइट लगाएगी तो क्या सरकार लगाएगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : आबादी ज्यादा बढ़ गयी, सफाई कर्मचारी भी बढ़ाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह अलग बात है। आप एनक्रोमेंट की बात करते हैं। राजस्थान सरकार पहली सरकार होगी जिसने इतना बड़ा कानून बनाया और जिसकी प्रतिलिपि लोगों ने मांगी। इसमें सबसे बड़ा नियम यह बना कि जो अपराध

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करने वाला होता है, सामान्यता दूसरे पक्ष को उसका अपराध साबित करना पड़ता है, बर्डन ऑफ प्रूफ कम्पलेनेंट पर है, लेकिन इस कानून में अपराध करने वाले को यह साबित करना पड़ेगा कि जिस जमीन पर उसने कब्जा किया है उसका वह मालिक कैसे है, कैसे उसने कब्जा किया, यह बर्डन उस पर है। इतना बड़ा कानून हमारी सरकार ने बनाया। हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा कानून नहीं है। इतनी सख्ती से बाद भी यह आवश्यक है कि इसका सख्ती से पालन भी कीजिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रजातंत्र में लोग चुनकर आए हैं, फिर उससे एम.एल.ए. भी रहते हैं और एम.एल.ए. कहता है कि इसका ध्यान रखना। जब यह प्राब्लम आती है तो उस स्थिति में यह करना कठिन है, लेकिन फिर भी यह नियम है और उसके कारण बड़ी रोकथाम हुई भी है।

नगरपालिकाओं के अलावा यहां जे.डी.ए. की चर्चा भी की है, यद्यपि वह सबका विषय नहीं है। आप लोग यहां पर बिराजते हैं, इसलिए हमारी जे डी.ए. आपका ध्यान रखता है। सभी विधायकगण, मंत्रीगण जयपुर बिराजते हैं, इसलिए उनको कोई तकलीफ न हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, इसलिए उसकी भी कुछ बातें की हैं। जैसा पिछली बार मैंने बजट के समय कहा था कि प्राधिकरण का जितना भी एरिया है उस एरिया की स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए टाटपट्टी, पेयजल सुविधा हेतु बाल्टी, लोटा व प्रत्येक स्कूल में बालीवाल, फुटबाल, रिंगबाल जैसे खेलों का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। 170 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय को 20 टाटपट्टियां, एक लोहे की बाल्टी, एक स्टील का लोटा, दो बालीबाल, दो फुटबाल, दो रिंगबाल उपलब्ध कराई जा चुकी है।

एक माननीय सदस्य : यह पिछली बार ही हो चुका है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पिछली बार यह घोषणा ही थी। (व्यवधान)....इसी प्रकार जयपुर शहर के इर्द-गिर्द उपनगर विकसित करने के लिए भी मैंने सदन को सूचित किया था कि हम यहां उपनगर सृजित करेंगे। इस सन्दर्भ में मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि अचरोल, बस्सी, शिवदासपुरा, बगरू एवं चौमूं में उपनगर बसाये जाने की योजना सृजित की गयी है। यह काम वहां पर चालू है।....(व्यवधान)....

प्राधिकरण द्वारा जयपुर रीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष जन-सुविधा विकसित करने का विशेष कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है। इस रीजन के 170 गांवों की वर्तमान आबादी में पक्की सड़कें खुली नालियां तथा चौपाल के अलावा जहां कहीं आवश्यकता है वहां सामुदायिक भवन बनाना, विद्यालय बनाना एवं विद्यालयों का विस्तार करने का कार्य किया जाएगा। इस रीजन का कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा, जिसमें सड़क नहीं होगी। विद्यालय होगा, यदि कम होगा तो विद्यालय बना देंगे, यदि जरूरत होगी तो सामुदायिक भवन बना देंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : इतना पैसा कहां से लाओगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप लोग देंगे। जो सामुदायिक भवन बनेगा उसमें बैठने

230.

(श्री भंवरलाल शर्मा)

की व्यवस्था भी होगी, जमीन पर या फर्श पर कौन बैठेगा, वहां पर दरी उपलब्ध करा देंगे। अगर वहां बिजली नहीं है तो पैट्रोमैक्स उपलब्ध करा देंगे, जिससे शादी-ब्याह में अंधेरा न रहे और लोग शादी-ब्याह आराम से कर सकें।

जयपुर रीजन के प्रत्येक गांव को नजदीकी मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़क बनाने का कार्य भी अभियान स्तर पर कराया जाएगा। गांव में सड़क बनेगी, शहरों का कंपीटिशन में आने के लिए सड़क चाहिए, उसका भी निर्माण कराया जाएगा।

उपर्युक्त कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च करेगा। पिछली बार 10 करोड़ किया था, इस बार 20 करोड़ रुपया खर्च करेगा। (व्यवधान)... शहरी क्षेत्र में स्थायी रूप से आकर कार्य करने वाले श्रमिक खुले स्थानों में रहने को विवश रहते हैं। आसपास के लोग आते हैं, यहां काम करते हैं और उनको रहने की जगह नहीं मिलती है। वे खुले स्थानों पर लेट जाते हैं, इससे कई जगह कच्ची बस्ती का रूप बन जाता है। चालू वर्ष में प्राधिकरण ने प्रमाणित रोजगार केन्द्रों के आसपास, जैसे–विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में भारी संख्या में अल्प आय वर्ग के लिए आवास भवनों का निर्माण तो प्रारम्भ कर ही दिया है, साथ ही श्रमिकों के लिए श्रमिक विश्राम गृह भी बनाए जाएंगे, ताकि जो बाहर से मजदूर आते हैं, वे आपके साथ भी आ जाते हैं, वे वहां आराम करेंगे, विश्राम करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : रात को चोरी भी कर लेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जैसे लाएंगे।

जयपुर शहर थड़ी होल्डर्स की बहुत बड़ी समस्या है। थड़ियां पान की हैं, नाई की हैं, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, वे जरूरी होती हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं थी। अब प्राधिकरण इसके समाधान हेतु विभिन्न कालोनियों के निवासियों को रोजमर्रा की सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कालोनियों में सुविधा बाजार विकसित करने का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया है। प्रथम चरण में प्राधिकरण की योजनाओं में, जैसे-मुरलीपुरा वैशाली, विद्याधर नगर, चित्रकूट नगर, नारदपुरा में यह कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

माननीय सदस्यों को यह भी ध्यान होगा कि अहमदाबाद और दिल्ली की बड़ी रेल लाइन चलने वाली है। जाने के लिए बड़ी भारी प्राब्लम खड़ी होगी, इसलिए इन रेलवे लाइनों पर जल्दी ही रेलों का आवागमन चालू होगा, इससे खातीपुरा रेलवे स्टेशन और खातीपुरा के पास क्रासिंग की समस्या कम हो जाएगी इसके लिए प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास अंडर पैसेज की योजना एवं जगतपुरा में ओवर-ब्रिज की योजना हाथ में लिए जाने का प्रावधान है। तीन तो पहले ही थी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जयपुर शहर की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से बड़े उद्यान की आवश्यकता है। हमें एक बहुत बड़ा उद्यान बहुत बड़ी जमीन पर विकसित करेंगे। साथ ही जैसा हमारा रवीन्द्र रंगमंच है, जो लोगों के काम आता है, लेकिन छोटा पड़ गया है, तो इससे कोई 5-6 गुना बड़ा सामुदायिक केन्द्र जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे। वह इसी वर्ष बनाएंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : बिड़ला ऑडिटोरियम जैसा होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिड़ला ऑडिटोरियम से भी बड़ा बनेगा।

श्री कालीचरण सराफ : कच्ची बस्ती, कृषि भूमि के लिए भी कुछ घोषणा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कच्ची बस्तियों के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने एक घोषणा की और वह अनूठी घोषणा है। कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं और निश्चित रूप से कच्ची बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं, आप लोगों में से तो किसी के पास कच्ची बस्ती में मकान नहीं होगा, वहां गरीब लोग रहते हैं। अगर आपका मकान है तो आपको हम एक चांस देते हैं कि आप वह जगह छोड़ दीजिए, आपको हम निःशुल्क मकान देंगे। यह योजना बनायी है कि जो कच्ची बस्ती में लोग निवास करते हैं, वे यदि चाहें तो अपनी वह जगह छोड़ दे, वह जमीन हमको दे दें तो हम ई.डब्ल्यू.एस. का क्वार्टर उनको फ्री ऑफ चार्ज देंगे। हम मुफ्त देंगे, फ्री ऑफ चार्ज देंगे। मैं समझता हूं कि कच्ची बस्ती की यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका निश्चित रूप से हल निकलेगा। मैं माननीय जन-प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें और सरकार की मदद करें।

अभी तक जो सहकारी समितियां थीं वह 1981 के एग्रीमेंट-टू-सेल के नाम पर जमीन खरीद लेती थी और बेचती रहती थी। उस 81 के नाम पर, एग्रीमेंट-टू-सेल के नाम पर आज रजिस्ट्री होती नहीं है। मतलब उसकी कोई पाबन्दी नहीं है। तो आज भी 81 का कोई न कोई डाकूमेंट पेश करके वह जमीन बेचते रहते हैं, करते रहते हैं। इससे सरकार को बड़ी चिन्ता है, यह फर्जीवाडा होता रहता है। इसलिए यह तय किया है कि अब 81 की जो पाबन्दी है वह तो हट जाती है और भूमियों के सम्परिवर्तनशील, नियमितिकरण आबंटन 81 के विलोपित करने के साथ समितियों द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत अब तक खरीद तथा भूखण्डधारियों को बेची गयी भूमि की सूचना अगले तीन महीने में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास, नगर निगम, नगर मण्डल में उसका पंजीयन करवाने पर उनका भी नियमन किया जा सकेगा। लेकिन जो भूमि जे.डी.ए., राजस्थान आवासन मण्डल, नगर विकास न्यास या स्थानीय संस्थाओं, किसी राजकीय संस्था के लिए अवाप्त कर ली गयी हो या अवाप्ति में हो तो उनका नियमन नहीं किया जायेगा। अवाप्ति से कब्जे में ली गयी भूमि के बारे में होगा कोई केस तो, गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा। तो मैं यह समझता हूं कि यह जो कदम उठाये हैं उनसे आपकी जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चिन्ता है, वह कम होगी। निश्चित रूप से हम इन लोगों को बसा सकेंगे।

हाउसिंग बोर्ड के बारे में मुझे बात कहनी हैं। अभी माननीय सदस्या कह रही थीं कि वहां हिसाब–किताब नहीं मिलता। यह बात सही है, यह पुरानी खबर है। मार्च, 1996....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य जितने यहां बैठे हैं वह इसको पुरानी खबर नहीं कहेंगे यह मैं विश्वास से कह सकती हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ताजा होगी। यह बात सही थी कि पिछले जमाने में अकाउंट ही नहीं था। मैं धन्यवाद दूंगा हाउसिंग बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन श्री सत्यनारायण जी गुप्ता को, जिन्होंने अथक परिश्रम करके यह सारा कम्पलीट कर लिया है और मार्च, 1996 तक का कम्पलीट रिकार्ड हो गया। यह जो वर्तमान सत्र चल रहा है इसका उनके पास रिकार्ड उपलब्ध है। इसलिए जो समस्या आप बता रही हैं वह शायद अब नहीं रहेगी।

दूसरी बात यह है कि यह मकान जब देते हैं, जब अलाटमेंट लैटर देते हैं, पजेशन के लिए पत्र देते हैं तो उसका अलाटमेंट के बाद पजेशन कई दिनों तक नहीं मिलता है और उस पर जो ब्याज लगता है वह उस अलाटी को देना पड़ता था। अब यह व्यवस्था की गयी है कि जब उसको अधिकार पत्र मिलेगा तो उसके डेढ़ महीने में, 45 दिन में उसको यह मिलेगा कि कितना पैसा जमा कराना है। यदि वह एक महीने में जमा करवा देता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा चाहे कीमत कितनी ही बढ़ी हो। एक महीने का टाइम दिया जायेगा जिसमें वह कीमत जमा करा दे तो उसके बाद जो एक्चुअल पजेशन देंगे उसमें कोई समय लग जाय, ब्याज बढ़ जाय, कीमत बढ़ जाय तो उसका असर उस अलाटी पर नहीं होगा, वह हाउसिंग बोर्ड बरदाश्त करेगा।

एम.एल.एज. की, मैं हाउसिंग बोर्ड की नहीं कहता, जे.डी.ए. में एक ग्रुप हाउसिंग स्कीम निकाल रहे हैं। कोई भी 100 लोगों की एक समिति होगी, विचार यह था कि यह व्यवसाय सम्बन्धित रहे, कोई क्लासीफाई किया जाय कि एम.एल.एज. हैं, एम.पीज. हैं, जजेज हैं, यह नहीं है। हमने तो किया है कि इस सरकार के सामने सब बराबर है। तो कोई भी 100 व्यक्ति यह चयन करेंगे कि हम अमुक स्थान पर मकान लेना चाहते हैं तो ग्रुप हाउसिंग के नाम पर हम उनको जमीन अलाट करके बसाने के लिए मौका देंगे। जमीन हम देंगे, मकान वह बनायेंगे। यह स्कीम जे.डी.ए. की होगी। हम तो प्लाट दे देंगे।

श्री कालीचरण सराफ : किस रेट से कितनी जमीन देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो तय कर लेंगे। वह तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहां पसन्द करते हो, आप किस एरिया में जमीन लेंगे वहां उसका क्या भाव है, वह करना पड़ेगा। जितनी में आप रह जाओ उतनी दे देंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, वैसे तो मुझे बहुत कम समय मिला है लेकिन जो मुझे कहना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

था वह कह दिया, अधिक कहने का कोई मतलब नहीं है। अब इसको पास कराया जाय।

मांग संख्या 37 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,48,22,93,000/- (दो अरब अड़तालीस करोड़ बाइस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-46-सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,20,70,64,000/- (आठ अरब बीस करोड़ सत्तर लाख चौसठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 29 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,77,96,000/- (उनसठ करोड़ सतहत्तर लाख छियानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक मैं निवेदन कर दूं कि नगरपालिका में वाहन भत्ता 350 है, अगर मैंने 300 कहा है तो उसको 350 मान लें।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.08 बजे मंगलवार, 18 मार्च, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

234

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 82 का विवरण)

क्रम सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	नाम पदाधिकारी मय पद	अयोग्य घोषित करने की दिनांक	कारण
1.	बड़ीसादड़ी	अपीरामा	श्रीमती फैजबाई, सरपंच	6–1–97	
		रतीचन्दतीका खेड़ा	श्रीरामसिंह वार्ड पंच	6–1–97	,,
2.	देगू	गोविन्दपुरा	श्रीमती पार्वतीबाई वार्ड पंच	6–1–97	,,
3.	गंगरार	गंगरार	श्रीअर्जुनलाल सोनी वार्ड पंच	30–12–96	,,
4.	निम्बाहेड़ा	बागेडाघाट	श्री सुरेशचन्द्र	30–12–96	,,
5.	चित्तौड़गढ़	घनेतकला	श्री भैरूंलाल सुथार वार्ड पंच	30–12–96	,,
		घोसुण्डा	श्री अय्युब हुसैन वार्ड पंच	30–2–96	,,

क्रमसं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत	रिक्त पदों का विवरण			रिक्त होने की तिथि	रिक्त होने का कारण
			सरपंच	उपसरपंच	वार्ड पंच		
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	चित्तौड़गढ़	सतपुडा	—	—	1	9–10–95	त्याग पत्र देने से
		घोसुन्डा	—	—	1	30–12–96	तीसरी सन्तान होने से
		घनेतकला	—	—	1	30–12–96	,,
2.	अरनोद	लालगढ़	—	—	1		स्वेच्छा से त्याग पत्र
3.	प्रतापगढ़	कुल्मीपुरा	1	—	1	7–12–96	निधन होने से
4.	छोटीसादड़ी	अम्बावली	—	—	1		,,
		स्वरूपगंज	—	—	1		,,
5.	राश्मी	सोमी	—	—	1	21–11–95	,,
6.	मदेसर	नन्नाणा	1	—	—	28–8–96	राजकीय सेवा होने से त्यागपत्र
		बागुण्ड	—	1	1	10–8–96	त्यागपत्र देने से
		आकोलाकला	—	—	1	6–4–96	,,
		रेवलियाखुर्द	—	—	1	25–1–96	तीसरी सन्तान होने से
7.	बेगूं	गोविन्दपुरा	—	—	1	6–1–97	निधन होने से
		ईटावा	—	—	1		निधन होने से
8.	भूपालसागर	बल	—	—	1		निधन होने से

235

1	2	3	4	5	7	8	9
9.	निम्बाहेड़ा	बाघड़ाघाटा	—	—	1	30–12–96	तीसरी सन्तान होने से
10.	बड़ीसादड़ी	रविचन्दजी का खेड़ा	—	—	3		तीसरी सन्तान होने से 1-सरपंच, 1-वार्डपंच 2-त्याग पत्र देने से
11.	गंगरार	गंगरार	—	—	1	30–12–96	तीसरी सन्तान होने से
12.	भैंसरोडगढ़	बडोलिया	—	—	2		त्याग पत्र देने से
		रावतभाटा	—	—	1		,,
		पण्डेसरा	—	—	1		,,
13.	भैंसरोडगढ़	श्रीपुरा	—	1	—		निधन होने से
		धावदकलां	—	1	—		,,
14.	बड़ीसादड़ी	अमीरामा	1	—	—		तीसरी सन्तान होने से
			3	3	23		

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूची)

				मात्रा कि. लो.
क्र. सं.	नाम जिला	1994–95	1995–96	1996–97
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	21000	22450	24250
2.	अलवर	13950	15950	16050
3.	बाड़मेर	9180	10475	11350
4.	बारां	7895	7995	7925
5.	बांसवाड़ा	9040	10550	11675
6.	भरतपुर	12650	13000	15600
7.	भीलवाड़ा	12575	14150	15100
8.	बीकानेर	13950	15290	15150
9.	बून्दी	5775	7650	8250
10.	चित्तौड़गढ़	12200	13050	15200
11.	चूरू	13200	14450	15250
12.	दौसा	9836	11273	11475
13.	धौलपुर	5400	6600	6500
14.	डूंगरपुर	7200	7750	8900
15.	गंगानगर	15500	14765	14950
16.	जयपुर	45750	42350	42775
17.	जैसलमेर	3625	4050	4750
18.	जालौर	9700	10950	11550
19.	झालावाड़	9950	11400	11900
20.	झुन्झुनूं	11150	12775	12950
21.	जोधपुर	24108	23250	25550
22.	कोटा	18450	19700	21475
23.	नागौर	13650	14800	17050
24.	पाली	13783	15800	18100

1	2	3	4	5
25.	राजसमन्द	7138	7250	8625
26.	सवाईमाधोपुर	12262	13475	15900
27.	सीकर	11200	12775	13875
28.	सिरोही	9600	10075	11750
29.	टोंक	7375	8325	8700
30.	उदयपुर	15085	16785	17500
31.	हनुमानगढ़	6266	10428	12000

क्र. सं.	नाम जिला	राशन कार्डों की संख्या (31 जनवरी, 1997)
1	2	3
1.	अजमेर	404262
2.	अलवर	517232
3.	बाड़मेर	291276
4.	बारां	153385
5.	बांसवाड़ा	211538
6.	भरतपुर	311486
7.	भीलवाड़ा	343045
8.	बीकानेर	279043
9.	बूंदी	147744
10.	चित्तौड़गढ़	334814
11.	चूरू	271760
12.	दौसा	209134
13.	धौलपुर	138913
14.	डूंगरपुर	170754
15.	गंगानगर	334160
16.	जयपुर	906131

1	2	3
17.	जैसलमेर	83303
18.	जालौर	220200
19.	झालावाड	195482
20.	झुन्झुनू	254748
21.	जोधपुर	516858
22.	कोटा	294290
23.	नागौर	471774
24.	पाली	346467
25.	राजसमन्द	169269
26.	सवाईमाधोपुर	319035
27.	सीकर	304957
28.	सिरोही	142265
29.	टोंक	199745
30.	उदयपुर	473395
31.	हनुमानगढ़	277240

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र आसपुर की पेयजल व्यवस्था

85. श्री भीमराज मीणा (आसपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र आसपुर के कौन-कौन से ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था की गयी है ?

(2) क्या यह सही है कि माही नदी के किनारे बसे गांवों में पीने के पानी की टंकियां बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त टंकियों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन टंकियों से जल प्रदाय किया जा रहा है एवं इनमें विद्युत कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसपुर के सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की की व्यवस्था की गयी है । ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर है ।

(2) जी, हां । माही नदी के किनारे के 26 ग्रामों में 26 ग्रामों में से 25 ग्रामों में पीने के पानी की टंकियां बनायी गयी हैं । 2 ग्रामों मैथला व मायला पानी की सम्मिलित टंकी है । टंकियों के निर्माण पर 8,05,626/– की धनराशि व्यय की गयी है विवरण परिशिष्ट "ब" पर है ।

(3) उल्लेखित 25 टंकियों में से 2 टंकियों से वर्तमान में जल वितरण किया जा रहा है तथा 8 टंकियों से लगातार पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लेबर कांट्रेक्ट दिया जा चुका है तथा आने वाली गर्मी के पूर्व ही ग्रामवासियों को इन टंकियों से पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा । शेष 15 टंकियों द्वारा जल वितरण प्रारम्भ किये जाने का कार्य प्रगति पर है । इन 26 ग्रामों की क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं पर विद्युत सम्बन्ध स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बाड़मेर के अभावग्रस्त ग्राम

86. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में कुल कितने ग्राम अभावग्रस्त हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभावग्रस्त ग्रामों के लिए अकाल राहत कमेटी की बैठकें जिला स्तर पर बुलवाई गयी हैं ? यदि हां, तो इस बैठक में कौन-कौनसे ग्रामों में लोगों के लिए श्रम, पशुओं के लिए चारा पानी आदि की व्यवस्था की

(श्री अमराराम चौधरी)

गई ? यदि नहीं, तो इन ग्रामों में कब तक श्रम की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) संवत् 2053 में बाड़मेर जिले में 1078 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, नहीं। 1 अप्रेल, 1997 से व्यवस्था करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

87. **श्री रमाकांत** (थानागाजी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितने ऐसे राजस्व ग्राम हैं, जहां प्राथमिक शालाएं नहीं हैं, एवं कितनी ऐसी ढाणियां हैं, जिनकी जनसंख्या 250 से ऊपर है तथा 40 से ऊपर बालक बालिकाएं विद्यालय जाने योग्य हैं परन्तु वहां विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्रामों में विद्यालय कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कुल 24 राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। 250 से अधिक आबादी वाले ग्राम एवं ढाणियां 25 हैं जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है। नवीन प्राथमिक विद्यालय वित्तीय संसाधनों के अनुसार खोले जाते हैं।

बीसलपुर परियोजना से सिंचाई

88. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर परियोजना से वर्ष 1995 में 10 हजार एकड़ भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य था ? यदि हां, तो जनवरी, 1997 तक भी भूमि सिंचित क्यों नहीं हो पायी ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा कब तक उक्त भूमि को सिंचित कर दिया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीसलपुर परियोजना पर गेट अभी तक नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों व उक्त परियोजना पर गेट अब कब तक लगा दिये जायेंगे ?

(3) दायीं मुख्य नहर का कार्य कहां तक पूरा हो गया तथा दिसम्बर, 1997 तक कार्य कहां तक पूरा कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि लक्ष्य के अनुसार कार्य समय पर नहीं होने से परियोजना की लागत में वृद्धि होगी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(242)

उत्तर

(1) बीसलपुर परियोजना की रिपोर्ट जिसका अनुमोदन 1993 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया था, के अनुसार वर्ष 1995–96 में 1080 एकड़ सिंचाई करवाने का कार्यक्रम था वर्ष 1993 में सरकार द्वारा इस परियोजना की नहरों का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया तथा दिसम्बर, 1993 में नहरों का निर्माण आरम्भ होने के पश्चात् टोंक जिले के काश्तकारों ने नहर के एलाइनमेंट पर आपत्तियां की तथा आन्दोलन किया जिसके कारण यह निर्माण कार्य रोकना पड़ा। इस समस्या के समाधान हेतु मार्च, 1994 में राज्य सरकार द्वारा 5 मंत्रियों की कमेटी का गठन किया। इस मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठकें हुई जिसमें मामले का गहन अध्ययन करके मार्च, 1995 में अभिशंषाएं तैयार की जिसके आधार पर वर्ष 95-96 में नहर का संशोधित एलाइमेंट एवं डिजाइन तैयार कर नहरों का निर्माण कार्य पुनः चालू करवाया गया। अतः वर्ष 95-96 में परियोजना से सिंचाई करवाना सम्भव नहीं था। अतः इस विलम्ब के लिये कोई जिम्मेदार नहीं हैं। पर्याप्त बजट उपलब्ध होने पर वर्ष 97-98 से परियोजना पर सिंचाई आरम्भ करवाने का कार्यक्रम हैं।

(2) जी, नहीं। बीसलपुर बांध कुल 18 गेट लगाए जाने हैं जिसमें से अब तक 11 गेट लगाये जा चुके हैं एवं 7 गेट वर्ष 1997-98 में लगा दिये जायेंगे, जो निर्माण कार्यक्रम के अनुसार ही हैं।

(3) दायीं मुख्य नहर कुल 51.50 किलोमीटर लम्बी है। अभी इसका निर्माण 23 किलोमीटर तक चल रहा हैं जिसे वर्ष 1998 में जून तक पूरा किया जायेगा। दिसम्बर, 1997 तक 6 किलोमीटर तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाने का प्रस्ताव है।

(4) जी, नहीं। परियोजना के सभी कार्य समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर लक्ष्यानुसार सम्पादित किये जा रहे हैं। अतः इस बारे में किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

भीलवाड़ा शहर में अतिक्रमण

89. **श्री रामरिछपाल नुवाल** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत माहों में नगर परिषद्/नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भीलवाड़ा शहर में हुए अतिक्रमणों को हटाया गया है ?

(2) भीलवाड़ा में हुए अतिक्रमणों के सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक, तथा नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) इस बारे में पत्रावली तलब की जाकर जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।

पंचायत समिति सहाड़ा (भीलवाड़ा) की पेयजल व्यवस्था

90. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में पेयजल की सार्वजनिक कुइयों को गहरा कराने की सरकार ने स्वीकृति दी थी? यदि हां, तो कुल कितनी व किन-किन कुइयों पर कितनी-कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कुइयों को गहरा कराने का अनियमित ठेका दिया गया था, यदि हां, तो क्यों? दिए गए उक्त ठेकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ब्लास्टिंग कार्य नहीं के बराबर ही हुआ है तथा यदि हुआ भी है तो आंशिक? सम्पादित किए जाने वाले प्रत्येक कुईवाइज कार्य के ब्लास्टिंग लगाने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कार्य की फर्जी क्रियान्विति बताकर लगभग दो लाख से अधिक की राशि का गलत व अनुचित भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को कर दिया गया, यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त प्रकरण की स्थानीय स्तर पर जांच की जा रही है? यदि हां, तो उसकी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। सहाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 60 सार्वजनिक कुइयों की स्वीकृति दी थी प्रत्येक कुई हेतु 10,000/- रुपये की स्वीकृति दी थी विवरण संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। विवरण संलग्न है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। जांच विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

91 **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार राज्य की बड़ी पंचायत समितियों के पुनर्गठन का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की कोटपूतली पंचायत समिति क्षेत्रफल व जनसंख्या एवं पंचायतों की संख्या के लिहाज से राज्य एवं जिले की बड़ी पंचायत समिति है?

(3) क्या यह सही है कि तहसील कोटपूतली के ग्राम पंचायतों को विराट

(श्री रामचन्द्र रावत)

नगर पंचायत समिति में लगा रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पंचायत समिति का पुनर्गठन कर एक नई पंचायत पावटा मुख्यालय पर स्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं। पंचायत समिति, कोटपूतली जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर जिले में बड़ी पंचायत समिति है। क्षेत्रफल एवं ग्राम पंचायतों की संख्या की दृष्टि से यह पंचायत समिति राज्य की सबसे बड़ी पंचायत समिति नहीं है।

(3) तहसील क्षेत्र कोटपूतली में आने वाले कुछ ग्रामों की 10 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति विराटनगर में हैं इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कडाना बांध परियोजना से प्रभावितों को मुआवजा

92. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कडाना बांध परियोजना गुजरात के बैक वाटर से बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों के किसानों की जमीन डूब में आती है ?

(2) क्या यह सही है कि कडाना बांध परियोजना से 419 मीटर तक के जल भराव से प्रभावित लोगों को ही मुआवजा दिया गया है जबकि वर्तमान में 419 मीटर से ज्यादा जल भराव होने से बिना मुआवजा दिये कृषकों की हजार बीघा जमीन डूब में गयी ? यदि हां, तो सरकार प्रभावित किसानों को हर्जाना दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) कडाना बांध का पूर्ण जल भराव स्तर 419 फीट (127.74 मीटर) है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के प्रभावित लोगों को इस जल स्तर तक डूब में आने वाली उनकी भूमि एवं सम्पत्ति का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

कडाना बांध के पूर्ण जल भराव स्तर 419 फीट से ऊपर का बैकवाटर क्षेत्र वर्षा काल में केवल बाढ़ की स्थिति में अल्पावधि के लिये ही प्रभावित होता है। अतः बैकवाटर क्षेत्र के प्रभावित काश्तकारों को नियमानुसार राजस्थान एवं गुजरात राज्य के मध्य हुए समझौते के तहत उनको रिहायशी निजी भूमि (नॉन एग्रीकल्चर) एवं सम्पत्ति का भुगतान किया जा चुका है। बैकवाटर क्षेत्र को कृषि भूमि पर काश्तकार का खातेदारी हक बना रहता है एवं बाढ़ का पानी कम होते ही वहां खेती की जाती है। अतः नियमानुसार इन काश्तकारों को उनकी कृषि भूमि का मुआवजा नहीं किया जाता है।

राज्य में खेल स्टेडियमों का निर्माण

93. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री आर. पी. शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में खेल स्टेडियम निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है ?

(2) राज्य तथा भारत सरकार ने अब तक किस-किस जिले में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कितनी कितनी राशि सहायता के रूप में दी हैं ? सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य के किन-किन जिलों में खेल स्टेडियम निर्माण का कार्य चल रहा है तथा राज्य तथा भारत सरकार ने उनको कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में दी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(3) सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

क्र. सं	स्टेडियम का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत
1	2	3	4
1.	एस. पी. डी. ए. सेन्टर, अजमेर	34.00	27.875
2.	स्पोर्टस काम्पलेक्स, अलवर	20.00	5.25
3.	परतापुरा, बांसवाड़ा	—	0.50
4.	स्पोर्टस काम्पलेक्स, बांसवाड़ा	11.00	1.00
5	इण्डोर स्टेडियम, बाड़मेर (सचिव, बाड़मेर क्लब)	2.70	0.70
6.	स्टेडियम, बाड़मेर	—	10.00
7.	स्टेडियम, भरतपुर (नगर विकास न्यास, भरतपुर)	—	2.50
8.	जिला स्टेडियम, भरतपुर	—	5.00
9.	स्पोटर्स काम्पलेक्स, भीलवाड़ा	5.00	6.50
10.	स्पोर्टस काम्पलेक्स, बीकानेर (नगर विकास न्यास, बीकानेर)	2.50	—
11.	जिला स्टेडियम, बीकानेर	—	10.00

1	2	3	4
12.	जिला स्टेडियम, बूंदी	2.50	—
13.	कालू स्टेडियम, बीकानेर	2.50	—
14.	एस. पी. डी. ए. सेन्टर, चित्तौड़गढ़	0.50	7.00
15.	स्टेडियम, प्रतापगढ़	2.00	0.50
16.	ओपन स्टेडियम, चूरू (प्रशासक नगर परिषद, चूरू)	0.50	1.00
17.	युवक संघ, राजलदेसर, चूरू	10.80	2.00
18.	स्टेडियम, धौलपुर	—	0.50
19.	स्टेडियम, ठाकरड़ा, डूंगरपुर	0.93	0.93
20.	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, डूंगरपुर	10.00	1.00
21.	गंगानगर स्टेडियम	—	4.50
22.	जिला स्टेडियम, श्रीगंगानगर	—	10.00
23.	स्टेडियम, दौसा (प्रशासक, नगर पालिका, दौसा)	1.75	1.75
24.	जिला स्टेडियम, दौसा	—	15.00 (10.00 लाख रुपये जारी नहीं किये)
25.	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स एस. एम. एस. स्टेडियम, जयपुर	200.00	—
26.	स्टेडियम, झुन्झुनूं	—	4.00
27.	राजोटा स्टेडियम, झुन्झुनूं	4.725	2.00
28.	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, जोधपुर (एस. पी. डी. ए. सेन्टर)	50.00	1.00
29.	स्टेडियम तिलवासनी, जोधपुर	1.00	0.65
30.	स्टेडियम बिलाड़ा, जोधपुर	0.50	0.50
31.	,, फलौदी, जोधपुर	1.30	—
32.	,, नावां, नागौर	0.18	—
33.	,, मकराना, नागौर	4.97	2.00
34.	,, बांगड, पाली	3.50	0.75

1	2	3	4
35.	स्टेडियम, नागौर	1.44	2.00
36.	,, करौली	—	9.30
36. ए	,, सवाई माधोपुर	1.25	0.50
37.	स्पोर्टस काम्पलेक्स, सीकर	7.50	4.00
38.	स्टेडियम, आबूपर्वत	1.00	1.32
39.	,, टोंक	—	4.50
40.	,, कांकरोली (राजसमन्द)	—	1.75
41.	,, राजसमन्द	0.15	—
42.	इण्डोर स्टेडियम, उदयपुर	—	2.00
43.	खैरवाड़ा स्टेडियम, उदयपुर	0.97	0.50
44.	भण्डार स्टेडियम, उदयपुर	—	4.50
45.	विद्या प्रचारणी सभा, उदयपुर	2.50	2.00
46.	नाथद्वारा, उदयपुर	5.00	2.00
47.	बनेड़िया, उदयपुर	—	1.40
48.	विद्याधर नगर स्टेडियम, जयपुर	—	43.88
49.	जिला स्टेडियम, जैसलमेर	—	20.00
50.	जिला स्टेडियम, हनुमानगढ़	—	10.00 (राशि जारी नहीं की गई)
51.	बाल हितकारी समिति, कोटा	9.00	2.00
52.	शाहपुरा (जयपुर) में मिनी स्टेडियम	—	3.00
53.	जिला स्टेडियम, चूरू	—	2.00
54.	अटरू, जिला बारां	—	2.00
55.	नगरपालिका, किशनगढ़ (अजमेर)	—	2.00 (राशि
56.	जिला कलक्टर, झुन्झुनूं	—	2.00 जारी नहीं की गई है)

राज्य के निम्नलिखित जिलों में नवीन स्टेडियम निर्माण का कार्य चल रहा है :–

क्र. सं.	जिले का नाम	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान
1	2	3	4
1.	भरतपुर	5.00	—
2.	बीकानेर	10.00	2.50
3.	जैसलमेर	20.00	—
4.	बाड़मेर	10.00	—
5.	श्रीगंगानगर	14.50	—
6.	विद्याधर नगर (जयपुर)	43.88	—
7.	दौसा	16.75	1.75
8.	हनुमानगढ़	10.00	—

दौसा एवं हनुमानगढ़ जिले में स्टेडियम निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाएगा ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता

94. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा चूरू, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में गरीबों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं छोटे किसानों को लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत स्वीकृत राशि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सरपंचों द्वारा हड़पे जाने के सम्बन्ध में कई प्रकरणों में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कार्यवाही कर मुकदमे दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिले में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध कितनी–कितनी राशि के दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में मुकदमे दर्ज कराये गये ? नाम अधिकारी/कर्मचारी एवं सरपंचों जिले एवं राशि आदि के विवरण सहित दस्तावेज सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री विष्णु मोदी)

(3) सरकार गरीबों के लिए चलाई जा रही ग्रामीण विकास की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का दुरुपयोग न हो इस सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा, नागौर, बीकानेर जिलों में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। चूरू जिले की पंचायत समिति तारानगर एवं चूरू में तीन प्रकरणों में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कर मुकदमे दर्ज किये गये हैं विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) श्री रामकुमार केजीवाल, पूर्व सरपंच कालवास पंचायत समिति, तारानगर के विरुद्ध मु. नं. 59/92 में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है तथा श्री नरेन्द्र कुमार, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, ठाठरिया बणीरतोन, के विरुद्ध मु. नं. 213/96 एवं 214/96 में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है एवं श्री गणपतदास पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा पंचायत समिति, चूरू के विरुद्ध मु. न. 72/93 एवं 73/93 का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में जानकारी ध्यान पर लाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

250

परिशिष्ट–1, (एक)

कार्यालय जिला परिषद, चूरू, (राजस्थान)

क. सं.	नाम पंचायत समिति	नाम अधिकारी/कर्मचारी जन प्रतिनिधि	राशि मुकदमा	प्रयोजन	मुकदमा दर्ज करने की तिथि	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	वर्तमान स्थिति का विवरण	राज्य सरकार की ओर से जारी अभियोजन की स्वीकृति संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	तारानगर	(1) श्री रामकुमार बेनीवाल, पूर्व सरपंच, कालबास।	2,250/–	ग्रामीण गृह निर्माण	मुकदमा नं. 59/92 राज्य अन्वेषण ब्यूरो चूरू में दर्ज हुआ।	6-2-92	एफ. आर. राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगा दी गयी है।	—
(2)	चूरू	(1) श्री नरेन्द्र कुमार ग्राम सेवक, डांडरिया बनी.।	12,300/– 12,300/–	इन्दिरा आवास	मु.नं. 213/96 ,, 215/96 दि. 7-10-96	5-9-96	ए. सी.डी. में प्रकरण की जांच चल रही है।	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2)	चूरू	(2) श्री गणपतदास, पूर्व सरपंच, इन्द्रपुरा।	50,000/-	धर्मशाला निर्माण बेड़सर।	मु.नं. 72/93 दि. 28-4-93	10-10-91	मुकदमा ए.सी.डी. न्यायालय बीकानेर में चल रहा है।	5898/29-9-94
			29,600/-	कुण्ड का भुगतान।	मु.नं. 73/93 दि. 29-4-93		"	2426/5-11-96

पूरक सूचना :—श्री गणपतदास पूर्व सरपंच के प्रकरण में चालान कर दिया गया, गिरफ्तारी हो चुकी है व जमानत भी हो गयी है।

माही परियोजना से सिंचाई

95. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में माही परियोजना से वर्तमान में सिंचाई क्षमता क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से कहां-कहां लिफ्ट सिंचाई का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा इस हेतु कार्य कहां कहां जारी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नहरों से सिंचाई की कितनी क्षमता विकसित है ?

(4) क्या सरकार सिंचाई के अन्य साधनों में बढ़ोत्तरी करने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या माही परियोजना के पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कोई वैकल्पिक योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माही परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 123500 हैक्टेयर सी सी. ए. है, जिसमें बांसवाड़ा जिले का 1,02,500 हैक्टेयर एवं डूंगरपुर जिले का 2100 हैक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है।

(2) माही परियोजना के अन्तर्गत बाईं मुख्य नहर के साथ-साथ नौ (9) लिफ्ट योजनाएं भूंगड़ा नहर पर चार लिफ्ट योजनाएं एवं माही मुख्य बांध के डूब क्षेत्र की परिधि में 2,000 हैक्टेयर लिफ्ट द्वारा सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है, जिसे मिलाकर कुल 7973 हैक्टेयर सी. सी. ए. में लिफ्ट द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में केवल एक लिफ्ट योजना करणी नवाटापरा का कार्य बाईं मुख्य नहर पर जारी है। लिफ्ट योजनाओं का विवरण प्रपत्र-1 पर संलग्न है।

(3) माही परियोजना की नहरों से मार्च, 1996 तक 96946 हैक्टेयर सी. सी. ए. में सिंचाई सुविधा विकसित कर ली गयी है।

(4) माही परियोजना के अन्तर्गत अन्य साधनों से सिंचाई में बढ़ोत्तरी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि माही बांध से उपलब्ध समस्त जल का उपयोग कर लिया गया है। सतही जल के साधनों में बढ़ोतरी ही सिंचाई विभाग के अन्तर्गत है। तालाबों एवं बांधों के सिंचाई सुविधा निर्माण कर बजट के अनुसार विकसित की जा रही है।

(5) जी, हां। बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के पहुंच से बाहर क्षेत्रों में सतही सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु वैकल्पिक योजना है। वर्तमान में 98 तालाबों का निर्माण पूर्ण कराया जाकर 44155 एकड़ (सी. सी. ए.) में सिंचाई

(सिंचाई मंत्री)

सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। जो प्रपत्र "2" पर उपलब्ध है। तीन तालाबों के निर्माण कराने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जो विवरण प्रपत्र–3 पर उपलब्ध है। साथ ही तीन तालाबों का विस्तृत सर्वे एवं तखमीनें का कार्य प्रगति पर है। जिसका विवरण प्रपत्र–4 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जालौर एवं सिरोही की जनता जल योजना

96. श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) एवं श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में जनता जल योजना कब से लागू की गयी? इसके उद्देश्यों एवं नियमों की संक्षिप्त जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) जालोर एवं सिरोही जिलों में अब तक कितने गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दोनों जिलों में भविष्य में और कितने गांवों को इस योजना में लेने का सरकार विचार रखती है।

उत्तर

(1) जनता जल योजना हेतु जारी दिशा–निर्देशों की प्रतिलिपि परिशिष्ट–"अ" पर है।

(2) जालोर जिले के दो गांव व सिरोही जिले के 22 गांवों को इस योजना के अन्तर्गत लिया गया है सूची परिशिष्ट–"ब" पर है।

(3) वर्तमान में जालोर जिले की किसी भी ग्राम की जलप्रदाय योजना को जनता जल योजना के अन्तर्गत लेने के प्रस्ताव पंचायतों से प्राप्त नहीं हुए हैं। सिरोही जिले में 23 पनघट योजनाओं व 3 पाइप्ड पेयजल योजनाओं को विभाग द्वारा जनता जल योजना के अन्तर्गत लेने हेतु प्रस्तावित किया है लेकिन पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उस पर अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है।

जनता जल योजना

जनता जल योजनाओं की स्वीकृतियां

1. जनता जल योजनाओं की स्वीकृति प्रत्येक जिले में कलक्टर एवं अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीति द्वारा की जा सकेगी। प्रत्येक स्वीकृति की प्रति राज्य सरकार व मुख्य अभियन्ता ग्रामीण को प्रेषित की जावेगी। योजना का स्वरूप बदलने की स्थिति में आवश्यक स्वीकृति वित्त समिति द्वारा जारी की जावेगी।

2. स्थानीय स्रोत के पानी की गुणवत्ता विभाग द्वारा तय किये गये नोमर्स के अनुरूप नहीं होने किन्तु सम्बन्धित पंचायत एवं विधान सभा सदस्य की सहमति उपरान्त जनता जल योजना उपरोक्त वर्णित समिति द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी।

जल स्रोत व पम्पिंग सेट

नई योजनाओं हेतु स्थानीय कुओं को पेयजल योजनाओं हेतु काम में लिया जावेगा। इन जल स्रोतों पर संवर्द्धन की आवश्यकता होने पर यह कार्य विभाग द्वारा किया जावेगा। इन जल स्रोतों पर पम्पिंग सेट की व्यवस्था समिति/पंचायत द्वारा की जावेगी किन्तु मरूस्थलीय जिलों में पम्प सैट की व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी।

विद्युत सम्बन्ध

1. मरूस्थलीय 7 जिलों में विद्युत सम्बन्ध के लिए वास्तविक राशि अथवा 50,000 रुपये जो भी कम हो, भुगतान सीधे ही विभाग द्वारा विद्युत मण्डल को किया जावेगा। 50,000 रुपये से अधिक की राशि स्थानीय समिति/पंचायत, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर इस विभाग को जमा करायेगी तत्पश्चात् विभाग द्वारा सम्पूर्ण राशि का भुगतान राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को किया जावेगा। मरु क्षेत्र के अलावा अन्य जिलों में विद्युत की पूर्ण राशि का भुगतान स्थानीय समिति/पंचायत के द्वारा ही किया जावेगा।

योजनाओं का संधारण

योजनाओं का संधारण पंचायत/स्थानीय समिति द्वारा किया जावेगा। उपभोक्ताओं को जल सम्बन्ध यदि जारी किये जाते हैं तो उस स्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। प्रतिमाह जारी किये गये जल सम्बन्धों की सूचना सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दी जावेगी। योजनाओं के संधारण हेतु विभाग द्वारा देय सुविधाएं निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं :—

अ. कुये पर लगी मोटर को चलाने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय समिति/पंचायत को 500 रुपये प्रति योजना प्रति माह की दर से पुनर्भरण किया जावेगा। यदि किसी गांव/योजना पर एक से अधिक स्त्रोत हैं तथा स्रोत की आपसी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है तो अतिरिक्त स्रोत पर 500 रुपये प्रति स्रोत/प्रतिमाह का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

ब. कुओं पर लगे प्रत्येक मोनोब्लॉक पम्प सेट की मरम्मत हेतु 1000 रुपये प्रति वर्ष एवं सबमर्सीबल पम्पों के रख–रखाव हेतु 400 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति स्रोत प्रति वर्ष की दर से भुगतान देय होगा।

स. जनता जल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान वर्तमान में पंचायत/संस्था द्वारा किया जाता है तथा विभाग उसका बाद में पुनर्भरण करता है। इस प्रक्रिया को सरल करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि अब संस्था/पंचायत द्वारा विद्युत बिल प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा सीधे ही इसका भुगतान राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को किया जावेगा।

(256)

जनता जल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत (12/90) गांवों की सूची

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील
जिला सिरोही :—		
1.	नवारा बावली	सिरोही
2.	पनघट छीबा गांव	शिवगंज
3.	" अरठवाडा	"
4.	" खेजड़िया	"
5.	" फेराल	"
6.	" वाटेरा	पिंडवाडा
7.	" मंडवाडा खालसा	"
8.	" आदर्श डूंगरी	"
9.	" सनवाडा (आर)	"
10.	" पनघट डेरना	आबूरोड
11.	" उमरनी	"
12.	" गणका	"
13.	" मोरथला	"
14.	" तलवारों का नाका	"
15.	" सोनेला	रेवदर
16.	" बॉट	"
17.	" मालीपुरा	"
18.	" मामरी	"
19.	" थाखां	"
20.	" गुलाबगंज	"
21.	" पामेरा	"
22.	" केसुआ	"
जिला जालौर :—		
1.	कुआरडा	आहोर
2.	सनवाडा	"

ग्राम पंचायत गड़ा–मेड़तिया (डूंगरपुर) को स्वीकृत राशि

97. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गड़ा-मेड़तिया जिला डूंगरपुर के सरपंच एवं पूर्व सरपंच के खिलाफ काफी शिकायतें, ग्रामवासियों द्वारा की गयी हैं? यदि हां,तो इन पंचायतों के खिलाफ पंचायत की जांच कर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत गड़ा मेड़तिया जिला डूंगरपुर में वर्ष 1995-96 में कितनी धन राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत गड़ा मेड़तिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि की ? क्या इस राशि का उपयोग किया गया है ? यदि हां, तो स्कूल की कितनी बाउण्ड्री वाल बनी तथा उस पर कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि गड़ा मेड़तिया में केलू पोष पंचायत भवन को सरपंच ने बेच दिया है ? यदि हां, तो बेचे गये सामान का पैसा कहां है तथा कितना है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । ग्राम पंचायत, गड़ा-मेड़तिया के सरपंच एवं पूर्व सरपंच के खिलाफ ग्रामवासियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(3) जी, हां । रुपये 4,59,000 सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(4) जी, नहीं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

माधोलाव बांध (निवाई) निर्माण पर व्यय

98. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में माधोलाव बांध का निर्माण 1993 के पश्चात् किया गया है ? यदि हां, तो बांध की लागत राशि कितनी स्वीकृत की गयी व तीन वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ?

(2) इस बांध पर मिट्टी खुदाई का कितना काम कराया गया व कितना व क्या-क्या पक्का काम कराया गया ?

(3) माधोलाव बांध का कौन-कौनसा काम किन-किन फर्मों को दिया गया ? क्या ठेकेदारों द्वारा अपने-अपने कार्य पूर्ण कर दिये गये ? यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण रहे तथा अब कब तक वे कार्य पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

(4) उक्त बांध पर कार्यरत ठेकेदारों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान कर

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

दिया गया है ? क्या अब भी किसी ठेकेदार का भुगतान करना शेष है ? यदि हां, किस-किस का व कितना ?

उत्तर

(1) जी, हां। माधोलाव बांध का निर्माण वर्ष 1993 के बाद चालू किया गया है, जिसकी लागत राशि रुपये 103.56 लाख रुपये स्वीकृत की थी। गत तीन वर्षों में इस कार्य पर निम्न राशि खर्च हुई है :—

1–	1993–94	—
2–	1994–95	90.54 लाख
3–	1995–96	35.00 लाख
4–	1996–97	—

(2) इस बांध पर कच्चा व पक्का कार्य का किया गया विवरण प्रपत्र "1" पर उपलब्ध है।

(3) माधोलाव बांध का कार्य निम्न ठेकेदारों को दिया गया :–

1. माधोलाव बांध के प्रथम भाग का निर्माण कार्य 0 से 1500 तक मैसर्स अमित कंस्ट्रक्शन कम्पनी कोटा को दिया गया है।

2. माधोलाव बांध के द्वितीय भाग का कार्य आर.डी. 1500 से 2340 तक मैसर्स राजेश एण्ड कम्पनी कोटा को दिया गया।

उपरोक्त दोनों कार्यों में रिपेयर का कार्य होना शेष है, जो बांध में पानी खतम होने के बाद करा दिया जावेगा।

(4) 1. मैसर्स अमित कंस्ट्रक्शन कम्पनी कोटा को माधोलाव बांध के निर्माण पार्ट–1 का भुगतान रुपये 67,84,829/– का किया गया है।

2. मैसर्स राजेश एण्ड कम्पनी कोटा को माधोलाव बांध के निर्माण पार्ट–2 का भुगतान रुपये 53,84,408/– का किया है।

किसी भी ठेकेदार को भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

माधोलाव बांध पर किये गये कार्य का विवरण :—

कच्चा कार्य

1. मिट्टी का कार्य (अर्थवर्क) 230819.68 घनमीटर

पक्का कार्य

1.	सीमेंट कंकरीट	550.5 घनमीटर
2.	आर.आर. स्टोन मेशेनरी	1577.21 घनमीटर
3.	पिचिंग	85.48 घनमीटर
4.	ट्राइबोल्डर फिटिंग	495 घनमीटर
5.	स्टोन खरंजा	159.25 घनमीटर

पृथ्वीराज नगर (जयपुर) योजना हेतु भूमि का अधिग्रहण

99. **श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में आवासहीन लोगों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "पृथ्वीराज" नगर योजना हेतु भूमि अधिगृहीत किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कब और उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की जानी थी और अब तक कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की जा सकी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय योजना क्षेत्र में आ रही प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमियों को अधिगृहीत की जाने वाली भूमि को कार्यवाही से मुक्त रखें जाने का मामला सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि का तथा क्यों ? नाम व्यक्ति, स्थान, खसरा नम्बर आदि के विवरण सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने से अधिगृहीत की जाने वाली अधिकांश भूमि पर भवन निर्माण/कब्जे आदि के होने के कारण मूर्त रूप नहीं ले पा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है और कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1988 में कुल 10,721 बीघा भूमि अवाप्त लिये जाने बाबत भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी । कुल 7,343 बीघा भूमि का अवार्ड जारी होकर कब्जा ले लिया गया है । योजना क्षेत्र में कुल 237 बीघा भूमि राजकीय भूमि है ।

(2) जी, नहीं । पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में अवाप्ताधीन भूमि में से सूची 01 में वर्णित खसरा नम्बरों को वर्ष 1988 में जारी धारा 4 (1) की अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था । जबकि सूची 02 में वर्णित खसरा नम्बरों को जो धारा 4 (1) में अधिसूचित थे किन्तु धारा–6 की अधिघोषणा, जो वर्ष 1989 में जारी हुई, में शामिल नहीं किया गया क्योंकि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5ए की कार्यवाही में उन्हें हटाने की अनुशंसा की गयी ।

(3) जी, नहीं । भूमि अवाप्ति के विरुद्ध न्यायालयों में वाद लम्बित होने से क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है । योजना शीघ्र लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम सेवकों की भर्ती प्रकरण

100. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितनी पंचायतें हैं ? क्या यह सही है कि हर पंचायत में ग्राम सेवकों की भर्ती की गयी है? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवकों की भर्ती पंचायत राज कानून के प्रावधानों के विपरीत नई पद्धति से की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायतों का हिसाब किताब का कार्य सरपंच के स्थान पर ग्राम सेवकों के जिम्मे कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 9105 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवकों की भर्ती नहीं की गयी है। 1855 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भर्ती की गयी है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी नहीं। पंचायत का लेखा व अन्य सम्बन्धित रेकार्ड को अद्यतिनांक रखना ग्राम सेवकों के कर्तव्यों में पहले से ही सम्मिलित है।

मुख्य गंग केनाल का जीर्णोद्धार प्रकरण

101. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही कि मुख्य गंग केनाल क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे कृषकों को भारी क्षति होती रहती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा समस्या के निराकरण हेतु सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने मुख्य गंग कैनाल की मरम्मत व जीर्णोद्धार के लिये कोई सर्वे करवाकर योजना बनायी है ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(4) क्या सरकार गंग कैनाल के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सर्कल या डिवीजन कार्यालय खोलने की योजना रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। मुख्य गंग नहर की पुनः लाइनिंग के लिए गंग नहर क्षेत्र को लाइनिंग की अवधि में पानी उपलब्ध करवाये जाने के लिए इन्दिरा गांधी फीडर की बुर्जी 491.500 से गंग नहर की बुर्जी 31.000 एक लिंक चैनल का निर्माण करवाया जा चुका है।

उपरोक्त लिंक चैनल से गंग नहर प्रणाली हेतु पानी लिया जाकर बीकानेर कैनाल की पुनः लाइनिंग बजट उपलब्धता के अनुसार प्रारम्भ की जा सकेगी।

(2) जी, हां बीकानेर नहर के साथ-साथ इसकी बुर्जी संख्या 45.000 से 190.400 तक पंजाब राज्य की इस्टर्न कैनाल को सम्मिलित कर संयुक्त नहर के निर्माण के पंजाब राज्य के प्रस्ताव की 98 करोड़ रुपये की स्वीकृति राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा दी जा चुकी है।

(सिंचाई मंत्री)

इन्दिरा गांधी फीडर :– गंग कैनाल लिंक-चैनल के शेष कार्य जिसमें एम.एल. डिच के तीनों पम्पिंग स्टेशनों का कार्य सम्मिलित है, मार्च, 1997 तक निष्पादित करवा लिए जायेंगे एवं तत्पश्चात गंग नहर के एम. एल. डिच क्षेत्र हेतु सप्लाई लिंक चैनल से ली जा सकेगी एवं बीकानेर-कैनाल की पंजाब राज्य में लाइनिंग किया जाना संभव होगा।

(3) जी, हां। इस कार्य का तखमीना पंजाब राज्य द्वारा 98 करोड़ रुपये का तैयार किया गया है। वांछित बजट आवंटित होने पर उक्त कार्य पंजाब राज्य द्वारा करवाया जाना संभव होगा।

(4) गंग नहर के जीर्णोद्धार हेतु अतिरिक्त वृत्त या खण्ड सृजित करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि वर्तमान स्टाफ पर्याप्त हैं।

जिला सवाईमाधोपुर हेतु स्वीकृत जल प्रदाय योजनाएं

102. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995–96 में कितनी जल प्रदाय योजनाएं एवं हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गए उनमें से कितने, कहां-कहां लगे एवं कितने विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) योजनाएं एवं हैण्ड पम्प को लगाने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के कितने मामले विचाराधीन हैं ? इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक मंजूर कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995–96 में भू-जल प्रदाय योजनाएं एवं 1023 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये, उनमें से 796 हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं व 927 हैण्ड पम्प का कार्य प्रगति पर है। सूची परिशिष्ट–"अ" एवं "ब" पर है।

(2) जी, नहीं। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की छह पेयजल योजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं जिन्हें शीघ्र स्वीकृत करने के प्रयास जारी है तथा 2 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। सूची परिशिष्ट–"स" पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट— 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 139 की सूची)

क्र. सं.	नाम	वेतन (प्रतिदिन)	प्रथम नियुक्ति दिनांक
1.	श्री अनिल कुमार भारद्वाज	32/– रु.	23-1-95
2.	श्री कीर्तिकुमार जोशी	,, ,,	26-8-95
3.	श्री जगदीश प्रसाद	,, ,,	18-11-95
4.	श्री दुर्गादत्त भट्ट	,, ,,	20-11-95
5.	श्री राजेश कुमार	,, ,,	6-12-96
6.	श्री चुन्नीलाल ड्राइवर	33/– रु.	2-12-96
7.	श्रीमती विनिता चतुर्वेदी, टंकक	34/– रु.	16-8-94
8.	श्री गुलशन कुमार, टंकक	34/– रु.	1-5-96

माननीय न्यायालय के आदेश
की अनुपालना में

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 144 का विवरण)

पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 व 1994–95 में प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण :—

प्राप्त राशि	व्यय	
वर्ष 1993–94 में प्राप्त राशि 262500/– रु.	वर्ष 1993–94 व्यय	
	1. रोशनी व्यवस्था हेतु विद्युत पोल 16 का व्यय	42740/–
	2. कटला हनुमानजी सब्जी मण्डी टीनशेड	27465/–
	3. खटीकान बस्ती के पास सलाटर हाउस अहाता निर्माण	146 2/–
	योग :–	84817–00
वर्ष 1994–95 में प्राप्त राशि 94500/– रु.	वर्ष 1994–95	
	1. कटला हनुमानजी सब्जी मन्डी में टीनशेड	38244/–
	2. खटीकान बस्ती के पास सलाटर हाउस अहाता निर्माण	16525/–
	3. श्रीराम चौराहा चबूतरे पर बरामदा निर्माण	28285/–
	4. जालेश्वर महादेव के पास सब्जी मण्डी में टीनशेड	14336/–
	योग :–	147610–00

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 152की सूची)

वर्ष 1996–97 के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन प्रस्तावों की सूची ।

क्र. सं.	योजना का नाम		लाभांवित ग्राम	प्रस्तावित लागत
1	2	3	4	5
1.	संवर्धन प्रस्ताव योजना	नासिरदा	1 नासिरदा	4.90 लाख
2.	,,	बीजवाड़	1. बीजवाड़	4.45 ,,
3.	,,	राजमहल	1. राजमहल	5.28 ,,
4.	,,	देवली गांव	1. देवली गांव	1.90 ,,
5.	,,	बनेड़िया	1. जैक्माबाढ़	6.72 ,,
		जैक्माबाढ़	2. भैरूपुरा	
6.	,,	हरभगतपुरा	1. हरभगतपुरा	7.72 ,,
			2. नयाबास	
			3. सुखनिवासपुर	
7.	हैं. पं. पी. एण्ड टी.	हमीरपुर	1. हमीरपुर	12.00 ,,
8.	हैं.पं. क्षेत्रीय बनास नदी से		1. सालगावास	4.74 ,,
		सालग्यावास	2. चन्दपुरा	
9.	,,	नारेडा		
		मुण्डिया कला	1. नारेडा	11.95 ,,
			2. मुण्डिया कला	
10.	,,	भैरूकला,	1. मैडरू कला	25.16 ,,
		खेजड़ों का बास		
			2. मान्डीलाई	
			3. खेजड़ो का बास	

1	2	3	4	5
11.	हैं.पं बनास नदी	बनास नदी बरबास	1. बरबास	9.76 लाख
12.	है.पं. योजना से पी. एण्ड टी.	थारेड़ाश्रीनगर	1. थारेड़ा 2. श्रीनगर	6.73 ,,
13.	है. पं. योजना से क्षेत्रीय योजना	कैरली रतवाड़ा	1. गणेशगंज 2. गोपालपुरा 3. रसवाड़ा	6.74 ,,

विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में वर्ष 1997–98 में प्रस्तावित की जाने वाली योजनाओं का विवरण :–

क्र. सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड नं.	स्कीम का प्रकार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	टोडारायसिंह	सवारिया	1	है.प.	है.प. योजनाओं की जन संख्या 1500 से 4680 होने के कारण पी. एण्ड टी. योजना में परिपर्त किया जाना है, स्रोत चयन का कार्य प्रगति पर है, चयन होते ही स्कीम प्रस्तुत कर दी जावेगी।
2.	,,	उनियारा खुर्द	2	,,	
3.	,,	लुहारू खुर्द	5	,,	
4.	,,	दतोस	5	,,	
5.	,,	पवॉलिया	1	,,	
6.	,,	मोर	14	,,	
7.	,,	अलिवारी	32	,,	
8.	,,	बेडिया	38	,,	
9.	,,	ताम्बा कलां	54	,,	,,
10.	,,	बावड़ी	55	,,	,,
11.	,,	वोटून्दा	115	,,	,,
12.	,,	बासेडा	73	,,	,,

(266)

1	2	3	4	5	6
13.	टोडारायसिंह	रामसिंहपुरा	23	है.पं.	खारा पानी होने के कारण
14.	,,	बाहेड़ा	40	,,	स्रोत चयन करवाया जा
15.	,,	रसावता	110	,,	रहा है क्षेत्रीय योजना के
16.	,,	मंडा	19	क्षेत्रीय	माध्य से लाभ दिया
17.	,,	मोतीपुरा	16	,,	जावेगा।
18.	,,	मासू	50	पाइप्ड	
19.	,,	खरेडा	11	टीएसएस	
20.	देवली	बनेडियाखुर्द	13	है. प.	
21.	,,	इन्द्रपुरा	9	,,	
22.	,,	डाबरकला	27	,,	
23.	,,	हिसामपुर	3	,,	

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 153 का विवरण)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	स्वीकृत कार्य का विवरण			कार्य की वर्तमान स्थिति			कुल स्वी. राशि	व्यय की गयी राशि	विशेष विवरण
				विद्युत संबंध	स्रोत विकास	पम्पसैट	विद्युत संबंध	स्रोत विकास	पम्पसैट			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	चैनपुरा	71	झुंझुनूं	—	—	—	चालू	पूर्ण	पूर्ण	—	—	—
2.	हनुमानपुरा	79	,,	—	—	1	,,	,,	,,	0.16	0.15	—
3.	गोविन्दपुरा	51	,,	1	1	1	,,	,,	,,	0.10	—	पुनर्भरण राशि की मांग नहीं की
4.	पिलानी खुर्द	88	,,	1	1	1	डिमाण्ड नोटजमा	—	—	1.10	0.15	कार्य प्रगति पर है।
5.	झटावा कलां	33	,,	1	1	1		पूर्ण	पूर्ण	1.10	0.42	—
6.	ढीलसर	35	,,	1	1	1	चालू	पूर्ण	पूर्ण	0.93	0.50	पुनर्भरण कर दिया गया है।

(267)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	कोलसिया (हरि. बस्ती)	50	नवलगढ़	—	1	1	—	—	पूर्ण	0.37	0.15	कार्य प्रगति पर है।
8.	कोलसिया (ब्राह्मणी) की ढाणी	50	,,	—	1	1	चालू	पूर्ण	पूर्ण	0.37	—	पुनर्भरण राशि की मांग नहीं की गयी
9.	झाझड़ (भैरूवास)	53	,,	—	1	1	चालू	पूर्ण	पूर्ण	0.37	—	—
10.	बाटेड (उ. मौहल्ला)	2	झुंझुनूं	1	1	1	—	—	—	1.10	—	—
11.	बाटेड (द. मौहल्ला)	2	,,	1	1	1	चालू	पूर्ण	पूर्ण	1.10	0.054	पुनर्भरण कर दिया।
12.	दिलोई	103	,,	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
13.	चन्दवा (गुगन का बास)	39	,,	1	1	1	—	—	—	1.10	—	—
14.	टमकोर	15	,,	1	1	1	—	पूर्ण	पूर्ण	1.10	—	—
15.	हरीपुरा	67	चिड़ावा	1	1	1	—	—	—	1.10	--	पुनर्भरण की मांग नहीं की गयी।
16.	कारी	49	नवलगढ़	1	1	1	—	—	—	0.88	—	—
17.	झाझड़ (दान सिंह की ढाणी)	53	,,	1	1	1	—	—	—	0.88	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	बिरोल (झारड़ा की ढाणी)	52	नवलगढ़	1	1	1	—	—	—	0.88	—	—
19.	हुकमपुरा (मीलों की ढाणी)	59	उदयपुरवाटी	—	—	—	चालू	पूर्ण	पूर्ण	—	—	—
20.	हुकमपुरा	59	,,	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
21.	मनाऊ	30	,,	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
22.	इन्द्रपुरा (ओलखा की ढाणी)	66	,,	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
23.	खांदवा	86	खेतड़ी	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
24.	पुहानिया	50	,,	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
25.	थली	60	,,	1	1	1	,,	,,	,,	0.99	0.60	—
26.	ढाणी ढिचोली	52	,,	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
27.	सिघाना	143	,,	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
28.	पचेरी कला (ढाणी)	108	,,	—	—	—	,,	,,	,,	—	—	—
29.	छऊ (खेदड़ियों की ढाणी)	1	उदयपुरवाटी	1	1	1	,,	,,	,,	0.88	0.30	पुनर्भरण कर दिया गया है।
30.	छऊ (झाझड़ियों की ढाणी)	1	,,	1	1	1	,,	,,	,,	0.63	0.57	—

270

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 156 की सूची)

क्र.सं.	नाम जिला	मंच के गठन का दिनांक
1.	अजमेर	4.8.1988
2.	अलवर	26.11.90
3.	बाड़मेर	6.4.91
4.	बारां	23.9.91
5.	बांसवाड़ा	26.11.90
6.	भरतपुर	26 11.90
7.	भीलवाड़ा	26.11.90
8.	बीकानेर	4.8 88
9.	बून्दी	26.11.90
10.	चित्तौड़गढ़	6.4.91
11.	चूरू	26.11.90
12.	दौसा	23.9.91
13.	धौलपुर	26.11.90
14.	डूंगरपुर	26.11.90
15.	श्रीगंगानगर	26.11.90
16.	जयपुर	4.8.88
17.	जयपुर (द्वितीय)	23.3.94
18.	जैसलमेर	6.4.91
19.	जालौर	26.11.90
20.	झालावाड़	26.11.90
21.	झुन्झुनू	26.11.90

1	2	3
22.	जोधपुर	4.8.88
23.	कोटा	4.8.88
24.	नागौर	6.4.91
25.	पाली	26.11.90
26.	राजसमन्द	4.10.91
27.	सवाईमाधोपुर	26.11.90
28.	सीकर	26.11.90
29.	सिरोही	26.11.90
30.	टोंक	26.11.90
31.	उदयपुर	4.8.88
32.	हनुमानगढ़	22.7.94

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची)

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र (तहसील) में बांधों की सूची

क्र.सं.	बांध का नाम	कुल भराव क्षमता	सिंचित क्षेत्र	पूर्ण होने का वर्ष
1.	बुचारा बांध	558 एमसीएफटी	6516 एकड़	1989
2.	बेरी बांध	32 " "	240 "	स्टेट टाइम
3.	पांचूडोला बांध	31.68 " "	240 "	1970
4.	बनेडी बांध	176.68 " "	4836 "	निर्माणाधीन
5.	दातिल का नाका	44.90 " "	150 "	1990

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र (तहसील कोटपूतली) में एनीकटों की सूची

1. बनेठी एनीकट
2. बड़गांव एनीकट
3. ठाडा एनीकट
4. खारवाली
5. शुक्लावास
6. भांकरी
7. पुरुषोत्तमपुरा
8. कुहाड़ा
9. जोधपुरा
10. बनाट एनीकट
11. मोजावास
12. मालीवास
13. खेड़ा
14. माज्यापुरा
15. बुचाहेड़ा

बुचारा बांध के कैचमेंट में टंकों की सूची

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	कुल भराव क्षमता	सिंचित क्षेत्र	पूर्ण होने का वर्ष
1.	हीरवाला बांध	नीमकाथाना	11.33	200	80–81
2.	सागर की मोरी बांध	नीमकाथाना	14.40	237	80–81
3.	दीपावास बांध	नीमकाथाना	38.65	453	93–94
4.	खिरोटी बांध	श्रीमाधोपुर	15.00	148	92–93
5.	हरदास का बास द्वितीय बांध	श्रीमाधोपुर	54.06	594.70	निर्माणाधीन
6.	हरदास का बांध प्रथम बांध	श्रीमाधोपुर	35.60	574	1966
7.	सुराणी प्रकोलेशन टैंक	श्रीमाधोपुर	कुओं का जलस्तर बढ़ाने हेतु		
8.	मन्डूसिया प्रकोलेशन टैंक	श्रीमाधोपुर			
9.	रामसागर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर	श्रीमाधोपुर			

(274)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 175 का विवरण)

पंचायत समिति नीमकाथाना के उक्त तीनों कार्य सम्वत 2052 की अभाव स्थिति में स्वीकृत किये गये थे। पूर्ण विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	प्रारम्भ का दि.	पूर्ण होने का दि.	कार्यकारी एजेन्सी का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	चीपलाटा से मारू की ढाणी सड़क (स्वीकृति दिनांक 19.3.96)	5.00	22.3.96	29.6.96	ग्राम पंचायत चीपलाटा
2.	प्राथमिक शाला भोजमेड की चार दीवारी (स्वीकृति दिनांक 19.3.96)	1.36	22.3.96	कार्य अपूर्ण	"
3.	प्राथमिक शाला झिराना की चार दीवारी (स्वीकृति दिनांक 6.6.96)	0.80	8.6 96	30.6.96	ग्राम पंचायत झिराना

ह०
जिला कलक्टर (सहायता)
सीकर

(275)

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 176 का विवरण)

अप्रेल, 1994 से दिसम्बर, 1996 की अवधि में की गयी किराया वृद्धि का मानचित्र

(किराया प्रति यात्री प्रति कि.मी पैसों में)

क्र.सं.	बस सेवा की श्रेणी	दिनांक 10.3.93 से प्रभावी किराया दरें	दिनांक 1.8.94 से वृद्धि के बाद की दरें	वृद्धि का प्रतिशत	दिनांक 21.11.96 से वृद्धि के बाद की दरें	वृद्धि का प्रतिशत
1.	सामान्य सेवा	19.00	20.50	7.89 प्रति.	24.00	17.07 प्रति.
2.	एक्सप्रेस सेवा	23.00	25.00	8.70 प्रति	29.50	18.00 प्रति.
3.	सेमी डीलक्स सेवा	27.00	29.50	9.26 प्रति.	35.00	18.64 प्रति.
4.	डीलक्स सेवा	40.00	43.50	8.75 प्रति.	51.50	18.39 प्रति.
5.	वातानुकूलित सेवा	—	76.00	—	89.50	17.76 प्रति.

वर्ष 1994–95 से 1996–97 (दिसम्बर, 96 तक) की अवधि में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा यात्री सुविधाओं में की गयी वृद्धि का विवरण।

1. यात्रियों की सुविधार्थ 1304 नयी व अधिक सुविधायुक्त वाहन निगम के बस बेड़े में सम्मिलित किए गए।

2. गंगानगर, अलवर, बारां, व टोंक में आवश्यक यात्री सुविधाओं युक्त नये बस स्टेण्ड निर्मित कराये गये हैं।

3. अजमेर, बीकानेर हाउस दिल्ली, चूरू, बून्दी बस स्टेण्डों पर आवश्यकतानुसार विस्तार किया जाकर यात्री प्रतिक्षालय, बुकिंग घर, शौचालय, जलपान गृहों एवं प्याऊ आदि का निर्माण कार्य कराया गया है।

4. विभिन्न बस स्टेण्डों पर चार दीवारी का निर्माण कराया गया तथा विद्यमान अधूरी चार दीवारी की मरम्मत करायी गयी।

5. विभिन्न बस स्टेण्डों पर यात्रियों के बैठने हेतु प्लास्टिक की कुर्सियां तथा पंखे आदि लगवाये गये।

6. केन्द्रीय बस स्टेण्ड जयपुर पर यात्रियों की सुविधार्थ अतिरिक्त प्लेटफार्म व यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया गया है।

7. जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर 20 पैसेंजर शेड निर्मित कराये गये हैं।

8. 165 स्थानों पर वे-साइड यात्री शेड लगवाये गये हैं।
